



करेंट अपडेट्स

मई, 2019

(संग्रह)

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

11

- आदर्श आचार संहिता में छूट/रियायत 11
- वर्ष 2018 में भारत का सैन्य खर्च 12
- उपराज्यपाल की शक्तियों में विरोधाभास 13
- व्यापक होगा उन्नत भारत अभियान का दायरा 14
- राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल 15
- केंद्र सरकार बनाम कॉलेजियम व्यवस्था 15
- निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक 16
- SC/ST वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण 17
- डब्ल्यूएचओ ने डिमेंशिया के जोखिम को कम करने के लिये दिशानिर्देश जारी किये 18
- अनुच्छेद 324 और निर्वाचन आयोग की भूमिका 19
- संयुक्त राष्ट्र, राज्य नहीं 21
- EQUIP प्रोजेक्ट 22
- एंटीबायोटिक दवाओं के कारण प्रदूषित होती नदियाँ 23
- कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का कर्नाटक को निर्देश 24
- 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की स्थिति 25
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग 26

आर्थिक घटनाक्रम

27

- भारत और अमेरिका के बीच अंतर-सरकारी समझौता 27
- कैसे लगेगी फॉल आर्मीवर्म पर लगाम 28
- काबुली चने की जलवायु-प्रतिरोधी प्रकृति 29
- अमेरिकी फेडरल रिज़र्व दरें और भारत 30
- अल्पसंख्यक निवेशकों को वित्तीय सहायता 31
- वित्तीय समावेशन को रोकने वाले कारक 32
- AMFI के दिशा-निर्देश 33
- FMCG सेक्टर की वृद्धि होगी धीमी 34
- DPIIT के आयकर नियम संशोधन संबंधित सुझाव 35

नोट :

➤ फिनटेक कंपनियों का विनियमन	35
➤ अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये पहल	38
➤ टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएँ	39
➤ ईरान से इस्पात आयात को लेकर उद्योग की चिंता	40
➤ 15वें वित्त आयोग की भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बैठक	41
➤ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	43
➤ दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड	44
➤ विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक	45
➤ खाद्य मुद्रास्फीति	46
➤ मुद्रास्फीति	47
➤ उत्तर-पूर्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विफलता	48
➤ परिष्कृत मोबाइल फोन का आयात	50
➤ मसाला बॉण्ड जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य	51
➤ तेल तथा गैस के आयात पर निर्भरता कम करने की सिफारिश	53
➤ ट्रस्ट या संस्थान के लिये ऑडिट नियमों से संबंधित मसौदा अधिसूचना	54
➤ भारत का निर्यात दोगुना करने की सिफारिश	55
➤ वित्तीय संस्थानों के लिये नई नियामक संरचना	56
➤ भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली का पुनर्गठन	56
➤ NBFCs के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक के नए नियम	57
➤ FPI पर एच.आर. कार्यसमूह	58
➤ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वैकल्पिक फसल की व्यवस्था	60
➤ सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए प्रकटीकरण मानदंड हुए सख्त	60
➤ सिंगापुर: भारत का शीर्ष FDI स्रोत	61
➤ अमेरिका ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटाया	62
➤ IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग	63
➤ वस्त्र उद्योग के लिये सिफारिशें	64
➤ केरल आपदा सेस (Flood cess) लगाने वाला पहला राज्य	66

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

67

➤ यू. एन. ने मसूदा अज़हर को वैश्विक आतंकी घोषित किया	67
➤ विश्व सीमा शुल्क संगठन की बैठक	68
➤ नौसैनिक अभ्यास 'ग्रुप सेल'	69
➤ CTBTO में भारत	70
➤ WTO की बैठक	72
➤ सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक	73
➤ GFDRR के परामर्शदाता समूह की अध्यक्षता करेगा भारत	74

➤ विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय प्राधिकरण	76
➤ भारत द्वारा मित्र देशों को हथियारों की बिक्री में तेजी लाने के लिये प्रक्रिया में ढील	77
➤ PM के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे बिम्स्टेक प्रमुख	78
➤ आसियान +3	81
➤ वेल बीइंग बजट	83
➤ भारत- किर्गिजस्तान	83

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी 85

➤ अंतरिक्ष उड़ान के खतरे और मानव स्वास्थ्य	85
➤ पॉली डाइकेटोनेमाइन या PDK प्लास्टिक	87
➤ सुपरनोवा निर्माण की वजह न्यूट्रिनो दोलन	87
➤ सिकुड़ रही चंद्रमा की सतह	88
➤ राडार इमेजिंग उपग्रह RISAT-2B	90
➤ मंगल ग्रह पर सबसे बड़े जल भंडार की खोज	91
➤ लूनर लैंडर: ब्लू मून	92

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 93

➤ चक्रवाती तूफान 'फानी'	93
➤ राजस्थान में 'बस्टर्ड प्रजनन केंद्र' की स्थापना	94
➤ जलवायु परिवर्तन का ग्लेशियर पर प्रभाव	94
➤ एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और मानव स्वास्थ्य	96
➤ बांधों का पर्यावरण पर प्रभाव	97
➤ राजाजी टाइगर रिजर्व	98
➤ सूखे की स्थिति से निपटने में संघर्षरत भारत	101
➤ विलुप्त होती प्रजातियों पर जैव विविधता रिपोर्ट	103
➤ व्हाइट-श्रोटेड रेल	105
➤ तटीय विनियमन क्षेत्र	106
➤ उत्तराखंड वनाग्नि	108
➤ कर्नाटक सरकार की कृत्रिम वर्षा परियोजना	109
➤ वैश्विक आकलन रिपोर्ट	110
➤ कृत्रिम जीवन	112
➤ गुजरात में पेयजल की समस्या का समाधान	113
➤ सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते' अभियान	114
➤ मराठवाड़ा क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की स्थिति	117
➤ ओजोन क्षरण के लिये जिम्मेदार गैस	118
➤ पेगासस	119

➤ बथिनैलसियन (Bathynllaceans)	120
➤ मलेशिया का अंतिम सुमात्रा राइनो	121
➤ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी	122
➤ ओजोन प्रदूषण (Ozone pollution)	123

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **125**

➤ परमाणु खनिजों के खनन का मामला SC को स्थानांतरित	125
➤ केरल के आपदा प्रबंधन के नए प्रोटोकॉल	126
➤ होर्मुज जलडमरूमध्य	127
➤ मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन	128
➤ ग्रीष्म लहर (Heat Waves)	129
➤ फेस ऑफ डिजास्टर्स 2019	131
➤ एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह	133
➤ भारत में उपलब्ध ग्रेफाइट भंडार	134

सामाजिक मुद्दे **136**

➤ गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम'	136
➤ महिला एथलीटों के लिये टेस्टोस्टेरोन के नियम	137
➤ भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विज्ञान 2019-2021 दस्तावेज़	138
➤ किशोरावस्था में गर्भधारण तथा बच्चों का अवरुद्ध विकास	140
➤ छोटे शहरों में प्रवासन	141
➤ केरल में बढ़ रहा खसरा का प्रकोप	143
➤ महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा	145
➤ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005	146
➤ भारत में स्वास्थ्य समस्याएँ	147
➤ ट्रांसजेंडर होना मानसिक विकार नहीं	148
➤ जल संरक्षण	149
➤ मल्टीपल स्कलेरोसिस क्लिनिक स्थापित करेगा एम्स	150

कला एवं संस्कृति **152**

➤ सनौली में मिला उत्तर-हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा कब्रिस्तान	152
➤ एएसआई की ताजमहल के संरक्षण की योजना	152
➤ गोलकुंडा एवं कुतुब शाही किला	154
➤ ओरछा की स्थापत्य विरासत	155
➤ समर राग	157
➤ पिंगुली चित्रकथा	158

➤ पट्टचित्र चित्रकारी	158
➤ ASI द्वारा भारतीय कलाकृतियों की पहचान ASI identifies Indian artefacts	158
➤ ख्याल	159
➤ टुमरी	159
➤ कालबेलिया नृत्य	160
आंतरिक सुरक्षा	161
➤ क्राइस्टचर्च कॉल' से जुड़ा भारत	161
➤ जम्मू-कश्मीर राजमार्ग पर यातायात प्रतिबंध	162
➤ गढ़चिरौली हमले से पहले जनता दरबार	163
➤ वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह (GFDRR)	165
➤ मानवीय क्रियाएँ: भूकंपीय गतिविधियों के सक्रिय होने का कारण	166
चर्चा में	167
व्यक्ति	167
➤ राणा दासगुप्ता	167
➤ जयश्री व्यास	167
➤ जी.डी. 'रॉबर्ट' गोवेंदर	167
➤ लॉरेंटिनो कोर्टिजो	167
➤ एन.आर. माधव मेनन	167
➤ वैद्यनाथ मिश्र	168
➤ वाई.सी. देवेश्वर	168
➤ हीरालाल यादव	168
➤ रोशन तनेजा	168
➤ जी.एस. लक्ष्मी	168
➤ ए.के. सीकरी	169
➤ इगोर स्ट्रिम्क	169
➤ ए.के. ढींगरा	169
➤ कामी रीता शेरपा	169
➤ जोको विडोडो	169
➤ मोइन-उल-हक	170
➤ विजया मुले	170
➤ प्रेम सिंह तमांग	170
➤ शैलेश तिनेकर	170
➤ डेव शर्मा	170
➤ आल बीमेन क्रू	171

➤ डोनाल्ड ट्रंप	171
➤ नारुहितो	171
➤ दीया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत	171
➤ आरोही पंडित	171
➤ जोको विडोडो	172
➤ भावना कंठ	172
➤ लाल सागर में प्रवाल भित्ति	172
➤ नियमगिरि हिल्स	172
➤ मारियाना गर्त	173
➤ माउंट टेंचेंखांग	173
➤ माउंट अगुंग ज्वालामुखी	174
➤ प्रेज़िडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम	174
➤ मैक्केन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लीडरशिप-2019	174
➤ कान फिल्म समारोह	174
➤ वर्ल्ड आर्किटेक्चर न्यूज़ अवाइर्स 2019	175
➤ डग हैमरशोल्ड मेडल	175
➤ डॉ. बलराम भार्गव	175
➤ शेवेलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर	175
➤ ससकावा पुरस्कार 2019	176
➤ वयोश्रेष्ठ सम्मान	176
➤ मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	176
➤ नाइन डॉट्स प्राइज अवार्ड	177

दिवस

178

➤ विश्व पशु चिकित्सा दिवस	178
➤ अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस	178
➤ वर्ल्ड मेट्रोर्लॉजी डे	178
➤ वेदांत देसिकन की 750वीं जयंती	178
➤ अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस	178
➤ विश्व अस्थमा दिवस	179
➤ 16वां संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस	179
➤ अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस	179
➤ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस	179
➤ विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस	180
➤ विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस	180
➤ जैव विविधता दिवस	180

नोट :

➤ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	180
➤ विश्व तंबाकू निषेध दिवस	180
➤ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस	181
➤ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस	181
➤ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस	181
➤ बीआरओ का 59वाँ स्थापना दिवस	181
➤ रेड क्रॉस दिवस	182
➤ गोपाल कृष्ण गोखले जयंती	182
➤ बासवन्ना जयंती	183
➤ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस	183
➤ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस	184
➤ वीर सावरकर	184
➤ इमैजिन कप विश्व चैंपियनशिप	185
➤ बैडमिंटन टूर्नामेंट सुदीरमन कप	185
➤ ISSF वर्ल्ड कप	185
➤ वरुण 19.1	185
➤ मोमो-3 रॉकेट	186
➤ संप्रभु इंटरनेट कानून	186
➤ INS रणजीत मिसाइल डिस्ट्रॉयर	186
➤ मैनोवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेन्टेशन सिस्टम	186
➤ 8वां समन्वित गश्त अभियान	187
➤ भारत-ब्रिटेन नौसेना सहयोग	187
➤ राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)	187
➤ स्कोर्पीन वर्ग की चौथी पनडुब्बी वेला	187
➤ ABHYAS का सफल परीक्षण	188
➤ SIMBEX 2019	188
➤ DRDO ने गाइडेड बम का प्रक्षेपण सम्पन्न किया	188
➤ आकाश-एमके-1 एस	189
➤ ग्रीन कार लोन	189
➤ कलर्स ऑफ इंडिया	189
➤ जलवायु आपातकाल	189
➤ Healthy Oceans and Sustainable Blue Economies	189
➤ महिला पुलिस पेट्रोलिंग फोर्स	190
➤ ई-हाईवे	190
➤ डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स	190

➤ महिला डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट	190
➤ जयनगर-कुर्था	191
➤ Trimeresurus Arunachalensis	191
➤ युवा विज्ञानी कार्यक्रम (युविका)	191
➤ शिनकानसेन ट्रेन	191
➤ भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान	191
➤ बिल्ड अमेरिका	192
➤ कैलास भू-क्षेत्र	192
➤ चांग ई-4	192
➤ ट्रांसलेटोट्रोन	192
➤ नंदन नीलेकणि समिति	192
➤ तिमोर	193
➤ कंजर्वेटिव लिबरल्स पार्टी	193
➤ मत्स्य मंत्रालय	193
➤ AIRAWAT	193
➤ सहारा नौसेना होस्टल	194
➤ प्लास्टिक से बायो डीजल बनाने का प्लांट	194
➤ उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल	194
➤ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप	194
➤ ई-मुद्रा कार्ड लॉन्च	194
➤ चंद्र कैलेंडर	195
➤ 99942 एपोफिस	195
➤ पंचलोहा की मूर्तियाँ	195
➤ पोल्ट्री फार्मिंग के लिये मसौदा नियम	196
➤ जाँघिल या पेंटेड स्टॉर्क	196
➤ हनी मिशन	196
➤ मौजूदा स्कूलों के लिये GRIHA	196
➤ पर्पल फ्रॉग	197
➤ कलसा-बंडूरी परियोजना	197
➤ अरुणाचल पिट वाइपर	198
➤ नासा का मिशन डार्ट	198
➤ अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड	198
➤ दुनिया का सबसे बड़ा टेलिस्कोप	199
➤ तिरुपति गंगा जात्रा	199
➤ त्रिशूर पूरम उत्सव	199
➤ लेकनोरिसिस ताईवानियाना	199

➤ भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान	200
➤ जलकुंभी	200
➤ मिशन आर्टेमिस	201
➤ वॉयनिक पांडुलिपि	201
➤ स्पैरो	201
➤ कलमकारी	201
➤ शेषचलम जैवमंडल रिज़र्व	202
➤ स्टारलिंक	202
➤ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	202
➤ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस	203
➤ ताइवान में समलैंगिक विवाह को मंजूरी	203
➤ ऑंगोल नस्ल की गाय	203
➤ शिक्षकों की निगरानी हेतु कॉल सेंटर	203
➤ वेस्ट नील वायरस	204
➤ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	204
➤ अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के निकायों हेतु 'प्राप्ति' वेब पोर्टल	205
➤ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड	205
➤ शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम	206
➤ पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य	206
➤ सामाजिक और श्रम अभिसरण कार्यक्रम	207
➤ कुदक्रमिया जीनस की ततैया	207
➤ NGTS-4b	208

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

आदर्श आचार संहिता में छूट/रियायत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य में सूखे से राहत हेतु उपाय करने के लिये चुनाव आयोग (Election Commission) को पत्र लिखकर आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) में छूट की मांग की है।

- ध्यातव्य है कि देश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 10 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू है।
- महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति
- महाराष्ट्र में 151 तालुकाओं को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है, इसलिये राज्य में कुछ बुनियादी ढाँचागत जैसे कि बोरवेल की ड्रिलिंग, पेयजल योजनाओं के तहत मरम्मत कार्य आदि पर काम करने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2004 के आम चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने 'सूखा प्रभावित' क्षेत्र में राहत कार्य हेतु निम्नलिखित तौर-तरीकों को मंजूरी दी:
 - ◆ राज्य सरकारों द्वारा जारी सूखा राहत क्षेत्र उसे माना जाएगा जिसे आपदा राहत कोष के निर्धारित मापदंडों के तहत केंद्र सरकार ने 'सूखा प्रभावित' क्षेत्र घोषित किया है।
 - ◆ चुनावों की घोषणा के बाद 'सूखा प्रभावित' क्षेत्रों की उपलब्ध सूची में कोई नया क्षेत्र नहीं जोड़ा जाएगा।
 - ◆ किसी भी अतिरिक्त गाँव को आपदा राहत कोष / राष्ट्रीय राहत कोष के तहत लाने के लिये चुनाव आयोग की पूर्व सहमति अनिवार्य है।

वर्तमान संदर्भ में

- घोषित सूखा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत प्रदान करने के लिये चुनाव आयोग ने निम्नलिखित उपायों को मंजूरी दी है :
 - ◆ पानी के टैंकों द्वारा पेयजल की व्यवस्था।
 - ◆ मौजूद बोरवेल या कुएँ के सूख जाने के कारण इन क्षेत्रों में पुनः खुदाई करने की अनुमति।
 - ◆ बेसहारा, निराश्रित, ऐसे लोग जो काम पर नहीं जा सकते तथा जो आपदा राहत कोष योजना में पहले से शामिल हैं, को निर्धारित दरों पर चावल/गेहूँ वितरण किये जाने का प्रावधान।
 - ◆ पशुओं के लिये चारे का प्रावधान।
 - ◆ मजदूरी करने वाले ऐसे लोग जो भोजन आदि की व्यवस्था के लिये रोजगार में लगे हैं उनके रोजगार समाप्त हो जाने पर नए रोजगार प्रदान करने का प्रावधान।

आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct)

- देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों को ही आदर्श आचार संहिता कहा जाता है।
- जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की तिथि निर्धारित करता है उस दिन से लेकर चुनाव के नतीजे आने तक यह 'आदर्श आचार संहिता' लागू रहती है।
- इसके लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं।
- राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं बल्कि चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं।
- आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुँचता हो। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएँ, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि-पूजन के कार्यक्रम नहीं किये जा सकते हैं।

रियायत/छूट

- चुनाव आयोग स्वयं आदर्श आचार संहिता के दौरान आंशिक छूट प्रदान कर सकता है।
- इससे पहले 5 मार्च, 2009 को चुनाव आयोग ने अपने दिशा-निर्देशों में कुछ कार्यों को करने की अनुमति दी थी जिन्हें सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी रखा जा सकता है जैसे-
 - ◆ ऐसी कार्य-परियोजनाएँ जो सभी प्रकार की आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद वास्तव में धरातल पर प्रारंभ हो गई हों।
 - ◆ ऐसी लाभकारी-परियोजनाएँ जिन्हें विशिष्ट लाभार्थियों के लिये शुरू किया गया हो और वे आदर्श संहिता लागू होने से पहले आरंभ की गई हों।
 - ◆ आपातकालीन राहत कार्य और उपाय जिसका उद्देश्य कठिनाइयों को कम या समाप्त करना है, ऐसी स्थिति में भी चुनाव आयोग रियायत प्रदान कर सकता है।

वर्ष 2018 में भारत का सैन्य खर्च

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI) ने वैश्विक स्तर पर होने वाले सैन्य खर्च के आँकड़े प्रस्तुत किये हैं।

भारत की स्थिति

- थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रस्तुत इन आँकड़ों के अनुसार, सेना पर खर्च के मामले में भारत वर्ष 2018 में दुनिया में चौथे स्थान पर रहा। गौरतलब है कि सैन्य खर्च के मामले में भारत वर्ष 2017 में पाँचवे स्थान पर था।
- वर्ष 2018 में भारत ने अपने सैन्य खर्च को 3.1 प्रतिशत बढ़ाकर 66.5 बिलियन डॉलर कर दिया। वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर कुल सैन्य खर्च में भारत का हिस्सा 3.7% था।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत नए लड़ाकू विमानों, जेट, युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, तोपखाने और पैदल सेना के हथियारों के साथ अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में भारी निवेश कर रहा है।

वैश्विक स्थिति

- वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर कुल सैन्य खर्च का 60% हिस्सा शीर्ष पाँच देशों का था।
- सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले शीर्ष पाँच देश इस प्रकार हैं-
 - ◆ अमेरिका
 - ◆ चीन
 - ◆ सऊदी अरब
 - ◆ भारत
 - ◆ फ्रांस
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आँकड़ों के मुताबिक, चीन वर्ष 2018 में सैन्य खर्च करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था।
- चीन ने वर्ष 2018 में अपने सैन्य व्यय को 5% बढ़ाकर 250 बिलियन डॉलर कर दिया। यह वैश्विक सैन्य खर्च का 14% था।
- चीन ने वर्ष 2013 के बाद से हर साल अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.9 प्रतिशत सैन्य खर्च के लिये आवंटित किया है।
- 11.4 बिलियन डॉलर के सैन्य खर्च के साथ पाकिस्तान वर्ष 2018 में 20वें स्थान पर था।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान के लिये समर्पित है।

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) स्टॉकहोम में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी।
- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता के लिये खुले स्रोतों के आधार पर आँकड़े एकत्र कर उनका विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।

उद्देश्य

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जिसमें असुरक्षा के स्रोतों को पहचाना और समझा जाए, संघर्षों को रोका या हल किया जाए और शांति बनाए रखी जाए।

उपराज्यपाल की शक्तियों में विरोधाभास

चर्चा में क्यों ?

मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्रशासित प्रदेश (पुदुचेरी) में उपराज्यपाल के राज्य के क्रियाकलापों में बढ़ते हस्तक्षेप को नियंत्रित करते हुए कहा कि राज्य में निर्वाचित सरकार के रहते उप-राज्यपाल द्वारा प्रशासन के कार्यों को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिये।

- साथ ही कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल के बढ़ते हस्तक्षेप से यह प्रतीत होता है कि राज्य में दो समानांतर सरकारें चल रही हैं। न्यायालय ने इस बात का भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करना चाहिये अन्यथा भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक भावना हतोत्साहित होगी।
- उपराज्यपाल की शक्तियों के संबंध में न्यायालय का दृष्टिकोण
- संवैधानिक तौर पर अनुच्छेद 239A और 239AA के अंतर्गत पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं की शक्तियों में अंतर विद्यमान है।

दिल्ली और पुदुचेरी के उप-राज्यपालों की शक्तियों में अंतर के प्रमुख बिंदु

साधारणतः दिल्ली और पुदुचेरी दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में निर्वाचित सरकारें हैं लेकिन फिर भी इन प्रदेशों के उपराज्यपालों की शक्तियों में कुछ अंतर पाया जाता है।

- दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पुदुचेरी के उपराज्यपाल से अधिक शक्तियाँ हैं।
- दिल्ली के उप-राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियों के साथ-साथ कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक क्षेत्र, पुलिस एवं भूमि से जुड़े मामलों में भी देखा जा सकता है। वह अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिए गये किसी आदेश को उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से लागू भी कर सकता है।
- दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 और दिल्ली एनसीटी सरकार कामकाज नियम 1993 के तहत और पुदुचेरी के उपराज्यपाल को केवल केंद्रशासित प्रदेशों के सरकार संबंधी अधिनियम 1963 द्वारा निर्देशित किया जाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में यह स्पष्ट उल्लिखित है कि केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली में संघ सरकार की भूमिका होनी भी आवश्यक है। उपराज्यपाल केंद्र सरकार के आँख और कान की भूमिका निभाता है।
- संविधान में भी दिल्ली सरकार को कानून व्यवस्था, पुलिस, भूमि संबंधित मामलों को छोड़कर सभी अधिकार प्राप्त हैं, जबकि पुदुचेरी विधानसभा समवर्ती और राज्य सूची के तहत किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकती है। हालाँकि राज्य सरकार तथा संसद के कानूनों के मध्य अंतर्विरोध की स्थिति में संसद के द्वारा निर्मित कानून को ही प्राथमिकता दी जाए।
- पुदुचेरी में 1963 के व्यापार संबंधी नियमों में वर्णित कार्यों को निर्वाचित सरकार (मंत्रिपरिषद) देखती है और वैसी ही शक्तियाँ वहाँ के उप-राज्यपाल को भी प्राप्त हैं।

उपराज्यपाल की शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की उपराज्यपाल के पास राज्य सूची के विषयों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है एवं कोई भी कदम उठाने से पहले निर्वाचित सरकार से परामर्श लेना आवश्यक है।
- इसके साथ ही कहा कि उपराज्यपाल का यह दायित्व है कि वह राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करे और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों को बार-बार बाधित न करे।

अतः उच्चतम न्यायालय का शक्ति पृथक्करण के संदर्भ में यह निर्णय स्वागत योग्य है तथा सबसे बड़ी चुनौती संघवाद और सत्ता-साझाकरण व्यवस्था में आने वाली समस्याओं को दूर करने से संबंधित है जिससे केंद्र सरकार और इसके घटकों पर नियंत्रण स्थापित हो सके।

व्यापक होगा उन्नत भारत अभियान का दायरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सीएससी के ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड (Common Service Centre's e-Governance Services India Limited) ने उन्नत भारत अभियान की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये IIT-कानपुर के साथ करार किया है।

प्रमुख बिंदु

- उन्नत भारत अभियान के तहत IIT-कानपुर ने उत्तर प्रदेश के 15 उच्च शिक्षा संस्थानों को एक साथ जोड़ा है।
- इन संस्थानों ने अभियान के तहत गाँवों के विकास के लिये सीएससी (Common Service Centre) के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है।
- ये संस्थान ग्राम स्तरीय उद्यमियों (Village Level Entrepreneurs- VLE) को प्रशिक्षित करेंगे जो कि ग्राम विकास योजना के हिस्से के रूप में सीएससी चलाते हैं।
- ग्राम स्तरीय उद्यमियों को IIT-कानपुर के द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग, स्वच्छता और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में भी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- IIT-कानपुर ने समग्र विकास के लिये कानपुर के बाहरी इलाके में स्थित पाँच गाँवों को चुना है।

पृष्ठभूमि

- उन्नत भारत अभियान की अवधारणा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के समर्पित संकाय सदस्यों के समूह की पहल के साथ तब अस्तित्व में आई जब ये सदस्य लंबे समय से ग्रामीण विकास और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे।
- सितंबर 2014 में IIT दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थानों, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (RuTAG) के समन्वयकों, स्वैच्छिक संगठनों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद यह अवधारणा और अधिक परिपक्व हुई।
- इस कार्यशाला को काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (CAPART), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था।
- कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत 11 नवंबर, 2014 को भारत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी।

लक्ष्य

- उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच विकास एजेंडे से संबंधित आपसी तालमेल तथा संस्थागत क्षमताओं का विकास करना और राष्ट्र की आवश्यकताओं विशेष रूप से ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- उच्च शिक्षा के आधार के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य किये जाने की आवश्यकता, हिस्सेदारों के बीच बातचीत तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति पर जोर देना।
- नए व्यवसायों के विकास केंद्र के रूप में सही रिपोर्टिंग और उपयोगी परिणामों पर जोर देना।
- ग्रामीण भारत और क्षेत्रीय एजेंसियों के लिये उच्च शिक्षा संस्थानों के पेशेवरों (विशेष रूप से ऐसे पेशेवर जिन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल की है) तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- इस शोध के फलस्वरूप विकास परिणामों में सुधार लाना, अनुसंधान के परिणामों को बनाए रखने और समाहित करने के लिये नए व्यवसाय और नई प्रक्रियाओं को विकसित करना।
- विज्ञान, समाज और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बड़े समुदायों के बीच एक नई वार्ता को बढ़ावा देना।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड

- सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य सीएससी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- योजना को प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता प्रदान करने के अलावा यह सीएससी के माध्यम से नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी हेतु एक केंद्रीकृत और सहयोगी रूपरेखा भी प्रदान करता है।

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल

संदर्भ

हाल ही में राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (Commonwealth Human Rights Initiative- CHRI) ने कहा है कि असम में विदेशियों की नजरबंदी पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी दुर्भाग्यापूर्ण है।

प्रमुख बिंदु

- CHRI ने तर्क दिया है कि जेल में बंद लोग अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं एवं उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी व्यक्ति बिना किसी प्रक्रिया के अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता है।

पृष्ठभूमि

- ज्ञातव्य है कि असम सरकार ने एक हलफनामे में पाँच साल से अधिक समय तक नजरबंदी केंद्रों में रहने वाले घोषित विदेशियों की सशर्त रिहाई और निगरानी की बात कही थी।
- इस हलफनामे में रिहाई के लिये 5 लाख की सुरक्षा राशि, पते का सत्यापन और उनके बायोमेट्रिक आँकड़ों को रखने के बात कही गई थी।
- इस पर सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि भारत सरकार और असम राज्य सरकार का रुख विदेशियों को जल्द-से-जल्द निर्वासित करने का होना चाहिये।
- पीठ ने कहा कि असम में लाखों अवैध विदेशियों की पहचान होने के बावजूद केवल 900 बंदी हैं। उनमें से ज्यादातर पहले से ही स्थानीय आबादी में मिल चुके हैं और देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून यह कहता है कि निर्वासन केवल मूल देश की सहमति से हो सकता है और भारत का बांग्लादेश के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है। साथ ही, बांग्लादेश ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसके नागरिक बड़ी संख्या में भारत में आते हैं।

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (CHRI)

- राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल एक स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है इसमें 53 स्वतंत्र और संप्रभु राज्य शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह दुनिया के राज्यों के सबसे पुराने राजनीतिक संगठनों में से एक है इसकी जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य में हैं जब कुछ देशों पर ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया गया।
- 1949 में राष्ट्रमंडल अस्तित्व में आया और तब से अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप तथा प्रशांत महासागर क्षेत्र के स्वतंत्र देश राष्ट्रमंडल में शामिल होते गए।

केंद्र सरकार बनाम कॉलेजियम व्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये कॉलेजियम (Collegium) ने दो जजों की सिफारिश की थी किंतु केंद्र सरकार ने उनके नामों पर आपत्ति दर्ज कराई। जवाब में कॉलेजियम ने केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- 12 अप्रैल को कॉलेजियम की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए.एस. बोपन्ना के नामों की सिफारिश की गई थी।
- केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की ओर से भेजे गए उच्च न्यायालय के इन दो न्यायाधीशों के नामों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए वरिष्ठता के आधार पर इन नामों पर दोबारा विचार करने को कहा था।

- जवाब में कॉलेजियम का कहना है कि जज नियुक्त करते समय हालाँकि वरिष्ठता को ध्यान में रखना चाहिये किंतु योग्यता को वरीयता मिलनी चाहिये।
- कॉलेजियम ने कहा कि सरकार से सहमत होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि दोनों न्यायाधीशों के आचरण एवं योग्यता में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया और सभी मापदंडों पर विचार किये जाने के बाद उनके नामों की सिफारिश की गई थी।
- इस प्रकार कॉलेजियम की तरफ से केंद्र की दलील खारिज कर दी गई और दोबारा जस्टिस बोस एवं जस्टिस बोपन्ना का नाम भेजा गया।
- साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिये दो अन्य न्यायाधीश, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बी. आर. गवई और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का नाम भी भेजा गया।
- ज्ञातव्य है कि सर्वोच्च न्यायालय में इस वक्त 27 जज हैं, जबकि 31 जजों के पद स्वीकृत हैं। अगर इन चारों न्यायाधीशों के नामों पर सहमति बन जाती है तो जजों की अधिकतम संख्या पूरी हो जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, “भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी।”
- संसद द्वारा समय-समय पर इस संख्या को बढ़ाया गया एवं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश पद स्वीकृत हैं जिनमें से 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं।

क्या है कॉलेजियम व्यवस्था ?

देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है।

- 1990 में सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी। कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- सर्वोच्च न्यायालय तथा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- हाईकोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधन प्रावधान में।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम बनाया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को यह कहते हुए असंवैधानिक करार दिया था कि ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ अपने वर्तमान स्वरूप में न्यायपालिका के कामकाज में एक हस्तक्षेप मात्र है।
- उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी। इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री और दो जानी-मानी हस्तियाँ भी इस आयोग का हिस्सा थीं।
- आयोग में जानी-मानी दो हस्तियों का चयन तीन सदस्यीय समिति को करना था, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल थे।
- आयोग के संबंध में एक दिलचस्प बात यह थी कि अगर आयोग के दो सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा।
- गौरतलब है कि शीर्ष न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में व्यापक पारदर्शिता लाने की बात हमेशा से होती रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है और शीर्ष न्यायालयों में न्यायाधीशों के बहुत से पद रिक्त हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक

संदर्भ

हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिये पश्चिम बंगाल में विशेष पर्यवेक्षक और केंद्रीय पुलिस पर्यवेक्षक के तौर पर दो सेवानिवृत्त नौकरशाहों की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार एवं अन्य से जवाब मांगा है।

प्रमुख बिंदु

- यह याचिका पश्चिम बंगाल के बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा दायर की गई।
- इस याचिका की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने की।
- याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय इन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति एक पक्ष को लाभ पहुँचाने के लिये की गई।
- याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित अनिवार्य अहर्ताओं को पूरा नहीं करती।

चुनाव आयोग पर्यवेक्षक कौन होता है ?

पर्यवेक्षकों का चयन विभिन्न केंद्रीय सेवाओं से किया जाता है जैसे- भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। ये पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया के समापन तक निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।

नियुक्ति

- अगस्त 1996 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक नई धारा 20B को जोड़ने हेतु संशोधन किया गया। जो पर्यवेक्षकों को चुनाव के संचालन, विशेष रूप से वोटों की गिनती के संबंध में वैधानिक शक्तियाँ प्रदान करता है।
- पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 20B और भारत के संविधान के तहत समस्त शक्तियों प्राप्त हैं।
- ये आयोग के सदस्य होते हैं, जो नियुक्ति से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और अनुशासन में कार्य करते हैं।

भूमिका और कर्तव्य

- विशेष पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन में आयोग की सहायता करते हैं।
- ये पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र में जमीनी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के कुशल और प्रभावी प्रबंधन की भी देखरेख करते हैं।
- आयोग के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चुनाव अवधि के दौरान ये आयोग की आँख और कान के रूप में कार्य करते हैं और चुनाव मशीनरी, उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, तथा निर्वाचकों के संबंध में आयोग को सीधे सूचनाएँ प्रदान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान के समय चुनाव से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों का निष्पक्ष रूप से पालन हो।

भारत निर्वाचन आयोग- भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिये जिम्मेदार है। यह आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करता है। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951- निर्वाचन आयोग का पर्यवेक्षक जो कि सरकार का अधिकारी होगा। किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन/निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करेगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सौंपे गए हैं।

SC/ST वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

10 मई के अपने एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार के उस कानून की वैधता को बरकरार रखा जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति एवं वरिष्ठता के क्रम में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

प्रमुख बिंदु

- ◆ कर्नाटक में सरकारी सेवकों (राज्य की सिविल सेवा में पदों के लिये) को परिणामी वरिष्ठता में आरक्षण अधिनियम, 2017 के आधार पर पदोन्नत किया गया।
- ◆ इस अधिनियम को पिछले वर्ष राष्ट्रपति ने सहमति प्रदान की थी और 23 जून, 2018 को यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।
- ◆ 6 मार्च, 2019 को जस्टिस यू.यू. ललित एवं डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रोन्नति संबंधी याचिकाओं की श्रृंखला पर अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था।

- ◆ यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने सितंबर 2018 में वर्ष 2006 के एक आदेश को संशोधित किया जिसमें राज्यों को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगारों में पदोन्नति प्रदान करने के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के "पिछड़ेपन" को साबित करने हेतु मात्रात्मक आँकड़ों को दिखाना आवश्यक था।
- ◆ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली खंडपीठ द्वारा सितंबर में दिये गए फैसले ने सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को "परिणामी वरिष्ठता के आधार पर त्वरित पदोन्नति" प्रदान करने के प्रयासों का समर्थन करते हुए सरकार को बड़ी राहत दी थी। साथ ही यह माना गया कि 2006 का एम नागराजन वाद का फैसला सीधे तौर पर इंदिरा साहनी मामले में नौ जजों की बेंच (संवैधानिक पीठ) के फैसले के विपरीत था।
- संवैधानिक पीठ- जिस पीठ में पाँच या इससे अधिक न्यायाधीश शामिल हों उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं।
- इंदिरा साहनी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत रोजगार में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है एवं इसमें वर्णित पिछड़ापन मूलतः सामाजिक है।

इंदिरा साहनी वाद

सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16 (4) के संदर्भ में निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 16 (4) में दिया गया आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, प्रोन्नति में नहीं।

अतः इंदिरा साहनी वाद में यह स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण प्रोन्नति में नहीं दिया जा सकता।

SC/ST के प्रोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान संशोधन

- इसके लिये 77वाँ संविधान संशोधन किया गया और संविधान में अनुच्छेद 16 (4A) जोड़ा गया जिसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में दिया गया आरक्षण जारी रहेगा।
- 85वें संविधान संशोधन के द्वारा SC/ST को प्रोन्नति में परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने की बात कही गई है।

नागराजन वाद

वर्ष 2007 में नागराजन वाद में 77वें और 85वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई लेकिन न्यायालय ने इन संशोधनों को वैध कहा और प्रोन्नति में आरक्षण को स्वीकार कर लिया गया। परंतु न्यायपालिका ने कहा कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन, सेवाओं की कुशलता तथा उनकी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आँकड़े प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

डब्ल्यूएचओ ने डिमेंशिया के जोखिम को कम करने के लिये दिशानिर्देश जारी किये

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अगले 30 वर्षों में डिमेंशिया के रोगियों की संख्या में तीन गुना वृद्धि होने का अनुमान लगाया है तथा इस बावत चेतावनी जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- इस बीमारी के खतरे को कम करने के लिये डब्ल्यूएचओ द्वारा नियमित व्यायाम करने, धूम्रपान न करने, शराब के सेवन से बचने, वजन को नियंत्रित करने, स्वस्थ आहार लेने तथा रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने की सलाह दी गई है।
- WHO के मुताबिक अगले तीन दशकों में डिमेंशिया के रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। हमें डिमेंशिया के जोखिम को कम करने के लिये सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- इन दिशा-निर्देशों के लिये एकत्र किये गए वैज्ञानिक प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि दिल और मस्तिष्क के लिये क्या अच्छा और क्या बुरा है।

क्या है डिमेंशिया ?

- डिमेंशिया संज्ञानात्मक कार्य क्षमता (Cognitive Functions) का निरंतर कम होना है। यह दिमाग की बनावट में शारीरिक बदलावों (उम्र के बढ़ने) के परिणामस्वरूप होता है।
- ये बदलाव स्मृति, सोच, आचरण, बोधगम्यता तथा मनोभाव को प्रभावित करते हैं।
- डिमेंशिया विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे- अल्जाइमर रोग या स्ट्रोक तथा चोटों के कारण होता है जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं।

अध्ययन का आधार:

- WHO के ये दिशा-निर्देश अध्ययन पर आधारित हैं जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये महत्वपूर्ण हैं इसके माध्यम से रोगियों में संज्ञानात्मक गिरावट और डिमेंशिया को रोकने में मदद मिल सकती है।
- WHO ने 'आई सपोर्ट' (iSupport) कार्यक्रम तैयार किया है जो एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके तहत देखभाल से संबंधित समग्र प्रबंधन, व्यवहार परिवर्तन से निपटने तथा स्वयं स्वास्थ्य की देखभाल करने की सलाह के साथ डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की देखभाल की जाती है।
- डिमेंशिया के लिये जोखिम वाले कारकों में कमी लाना डब्ल्यूएचओ की वैश्विक कार्रवाई योजना में शामिल है।
- WHO के इस कार्यक्रम के अन्य क्षेत्रों में शामिल हैं- डिमेंशिया के लिये सूचना प्रणाली को मजबूत करना, निदान, उपचार और देखभाल, डिमेंशिया के रोगियों की देख-रेख करने वालों की सहायता तथा अनुसंधान और नवाचार।

डिमेंशिया रोगियों का तेज़ी से बढ़ना

- डिमेंशिया तेज़ी से बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो विश्व स्तर पर लगभग 50 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। यह वृद्ध लोगों में अक्षमता और दूसरों पर निर्भरता का प्रमुख कारण है।
- प्रतिवर्ष इस रोग के लगभग 10 मिलियन नए मामले सामने आते हैं। इसके अतिरिक्त, यह बीमारी समाज पर एक भारी आर्थिक बोझ के रूप में उभर रही है। 2030 तक डिमेंशिया रोग से पीड़ितों की देखभाल की लागत सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में अवस्थित है। डब्ल्यू.एच.ओ. संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।
- यह दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने और स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और आकलन करने के लिये जिम्मेदार है।
- यह आमतौर पर सदस्य देशों के साथ उनके स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिये जुड़कर काम करता है।

अनुच्छेद 324 और निर्वाचन आयोग की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक अभूतपूर्व आदेश पारित किया, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में चुनावी कैंपेन को एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी हटा दिया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने कोलकाता में भाजपा और तृणमूल कॉन्ग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के जवाब में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये निर्णय लिये।

- ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि जाति और धर्म के नाम पर मतदान की अपील करने वाले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु आयोग के पास शक्तियाँ सीमित हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के पश्चात् निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, आजम खान और मायावती आदि नेताओं को कुछ समय के लिये चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी

- संविधान के भाग XV (निर्वाचन) में सिर्फ पाँच अनुच्छेद हैं। निर्वाचन आयोग के संबंध में संविधान सभा का ध्यान मुख्य रूप से इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर केंद्रित था।
- बाबासाहेब अम्बेडकर ने 15 जून, 1949 को उक्त अनुच्छेद प्रस्तुत करते हुए कहा था कि “पूरी निर्वाचन मशीनरी एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के हाथों में होनी चाहिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स, मतदान अधिकारियों और अन्य को निर्देश जारी करने का हकदार होगा।”
- भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है। संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की ज़िम्मेदारी दी है।
- मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि निर्वाचन आयोग संविधान सृजक के रूप में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रतिपूर्ति वहाँ कर सकता है जहाँ कानून में भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव संचालन के दौरान उत्पन्न किसी स्थिति के संबंध में कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं किया है। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए आयोग आदर्श आचार संहिता लागू करता है।

पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की भूमिका

- जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का अधिनियम 1) के द्वारा जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में धारा 28A को जोड़ा गया था जिसके तहत चुनाव के संचालन के लिये तैनात सभी अधिकारियों को चुनाव की अधिसूचना से लेकर परिणाम की घोषणा तक ‘निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा’ और ‘ऐसे अधिकारी उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन’ के अधीन होंगे।
- पश्चिम बंगाल की हालिया स्थिति (जो न तो नई थी और न ही चिंताजनक) मौजूदा कानूनों के दायरे में ही आती है और अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को प्रदत्त अतिरिक्त शक्ति लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
- निर्वाचन आयोग ने अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहने पर जाँच के आदेश देने की बजाय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जो कि आवश्यक नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाचन आयोग ने पहले छह चरणों के दौरान हिंसक घटनाएँ सामने आने के बावजूद पश्चिम बंगाल में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती।
- जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है, पूर्ण शक्ति संविधानवाद का विलोम है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इसे स्वयं कानून नहीं बनने देता।

निर्वाचन आयोग

- निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी।
- निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में है।
- प्रारंभ में आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था।
- वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं।
- पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति 16 अक्टूबर, 1989 को की गई थी लेकिन उनका कार्यकाल 01 जनवरी, 1990 तक ही चला।
- उसके बाद 01 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, तब से आयोग की बहु-सदस्यीय अवधारणा प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है।
- निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। वर्तमान में सुनील अरोड़ा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

कार्य तथा शक्तियाँ

- यह भारत में चुनाव कार्य को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिये उत्तरदायी है।
- इसे संसद, राज्य विधायिका और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव कार्य संपन्न कराने का ज़िम्मा दिया गया है।
- यह प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक दलों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू करता है ताकि लोकतंत्र की गरिमा कायम रहे।
- यह राजनीतिक दलों को विनियमित करता है तथा उन्हें चुनाव लड़ने के लिये पंजीकृत करता है।
- यह प्रत्येक चुनाव में प्रत्याशी द्वारा धन खर्च किये जाने की सीमा तय करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि सभी राजनीतिक दल अपनी वार्षिक एवं आर्थिक रिपोर्ट जमा करें।
- चुनाव के बाद दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के मामले में यह सदस्यों को अयोग्य ठहरा सकता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951

- निर्वाचन आयोग का पर्यवेक्षक जो कि सरकार का अधिकारी होगा। किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन/निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करेगा और ऐसे दायित्वों का पालन करेगा जो निर्वाचन आयोग द्वारा उसे सौंपे गए हैं।
- इस अधिनियम की धारा 169 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 बनाया हैं।
- इन कानून और नियमों में सभी चरणों में चुनाव आयोजित कराने, चुनाव कराने की अधिसूचना का मुद्रा, नामांकन पत्र दाखिल करना, नामांकन पत्रों की जाँच, उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना, मतगणना और घोषित परिणाम के आधार पर सदनों के गठन के लिये विस्तृत प्रावधान किये गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र, राज्य नहीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 (Article 12) के तहत एक राज्य नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 226 (Article 226) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के लिये उत्तरदायी नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) के एक पूर्व कर्मचारी संजय बहल को एक अमेरिकी संघीय न्यायालय (US Federal Court) ने कदाचार का दोषी पाया था। प्रमाणित दोष के आधार पर संजय बहल को 97 महीने की कैद और दो साल की आदेशात्मक नज़रबंदी की सज़ा सुनाई गई थी।
- इसके बाद बहल को मई 2014 में कैद से रिहाई देकर भारत निर्वासित कर दिया गया था।
- दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में संजय बहल ने दावा किया था कि उनके मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
- संजय बहल ने नवंबर 2018 में विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs-MEA) को एक पत्र लिखा था जिसमें नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86 के तहत संयुक्त राष्ट्र संगठन (United Nation Organization-UNO) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।
- 1908 की धारा यह सुनिश्चित करती है कि एक विदेशी राज्य के खिलाफ केंद्र सरकार की सहमति से किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है।
- उस पत्र के जवाब में विदेश मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र को सम्मन जारी करने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है क्योंकि यह एक विदेशी राज्य नहीं, केवल एक आंतरिक संगठन है।
- हालाँकि संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा) अधिनियम 1947 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र और इसके अधिकारी को कानूनी प्रक्रिया से प्रतिरक्षा (Immunity) का अधिकार है।

- 1947 की अनुसूची के अनुच्छेद-2 की धारा 2, संयुक्त राष्ट्र को सभी प्रकार की कानूनी प्रक्रियाओं से प्रतिरक्षा का अधिकार देती है, बशर्ते किसी विशेष स्थिति में संयुक्त राष्ट्र स्वेच्छा से प्रतिरक्षा का लाभ लेने से इनकार न कर दे।
- निर्धारित की गई प्रतिरक्षा की शर्तों की व्यापकता और प्रासंगिकता सभी राष्ट्रीय कानूनों पर समान रूप से लागू होती है लेकिन प्रस्तुत मामला प्रतिवादी नंबर 2 (UNO) द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार के त्याग पर निर्भर करती है। न्यायमूर्ति कैट ने यह स्पष्ट किया कि “जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 (संयुक्त राष्ट्र) कथित प्रतिरक्षा से छूट के अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहता है, अतः राष्ट्रीय कानूनों के पालन से संबंधित अनुच्छेद याचिकाकर्ता की यहाँ कोई मदद नहीं करेगा।

1908 की समान प्रक्रिया संहिता की धारा 86 (section 86 of Civil Procedure Code, 1908)

- 1908 की समान प्रक्रिया संहिता की धारा 86 विदेशी शासकों, राजदूतों, राजनयिकों, प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार देती है।
- 1908 की यह धारा सुनिश्चित करती है कि एक विदेशी राज्य के खिलाफ केंद्र सरकार की सहमति से किसी भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है।

संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947)

- यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र को, सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाहियों से प्रतिरक्षा या बचाव का अधिकार देता है।
- परंतु प्रतिरक्षा का यह अधिकार तब तक ही बना रहेगा जब तक कि किसी असाधारण या विशेष परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र स्वेच्छा से प्रतिरक्षा का लाभ लेने से इनकार न कर दे।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त फैसले में 1947 की अनुसूची के अनुच्छेद II की धारा 2 का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है।

EQUIP प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

EQUIP का तात्पर्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उन्नयन और समावेशी कार्यक्रम (Education Quality Upgradation and Inclusion Programme) से है, यह प्रोजेक्ट सरकार के साथ नीति आयोग के सीईओ, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और पूर्व राजस्व सचिव सहित कुछ कॉर्पोरेट प्रमुखों जैसे विशेषज्ञों के नेतृत्व वाली दस समितियों द्वारा तैयार किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में बहुस्तरीय उच्च शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये एक कार्ययोजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसे वर्ष 2019-2024 के बीच लागू किया जाना है।
- इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) की कार्यान्वयन योजना के रूप में वर्णित किया गया है। इसे नीति और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटने के लिये लाया गया है।

उद्देश्य

- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) को दोगुना करना;
- शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार;
- उच्च शिक्षण संस्थानों में भौगोलिक रूप से विद्यमान विषम पहुँच (Geographically Skewed Access) में सुधार करना;
- देश भर में वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता मानकों (Quality Standards) को लागू करना;
- शीर्ष वैश्विक संस्थानों में कम-से-कम 20 भारतीय संस्थानों की स्थिति दर्ज कराना;
- अनुसंधान/नवाचार के परिवेश को बढ़ावा देना;

- छात्रों के लिये रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में आवश्यक सुधार करना;
- उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalisation) के लिये रूपरेखा तैयार करना;
- बेहतर मान्यता प्रणाली (Accreditation Systems), शिक्षा प्रौद्योगिकी के उपयोग, शासन सुधार और निवेशों में मात्रात्मक वृद्धि करना।

वित्तपोषण

- यह परियोजना/प्रोजेक्ट उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency-HEFA) के अलावा बाजार से अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी

- उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency- HEFA) को वर्ष 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केनरा बैंक के संयुक्त उद्यम (क्रमशः 91% और 9% के अनुपात में निवेश की भागीदारी) के रूप में शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसकी स्थापना बाजार आधारित उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए बाजार से धन का लाभ उठाने के लिये की गई है।
- यह कंपनी अधिनियम (Companies Act) 2013 की धारा 8 अर्थात् गैर-लाभकारी (Not-for-profit) के तहत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी और गैर-जमा (Non-deposit) के रूप में RBI के साथ NBFC-ND के रूप में पंजीकृत है।

एंटीबायोटिक दवाओं के कारण प्रदूषित होती नदियाँ

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिकों के अनुसार वैश्विक स्तर पर एंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाओं के कारण नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, न केवल प्रदूषित हो रही हैं बल्कि कहीं-कहीं तो प्रदूषण के खतरनाक स्तर को पार कर चुकी हैं। कुछ जलमार्गों (Waterways) में एंटीबायोटिक्स की सांद्रता निर्धारित सीमा, जिसे सुरक्षित सीमा माना जाता है, से लगभग 300 गुना अधिक हो चुकी हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- टेम्स/थेम्स नदी में पाँच एंटीबायोटिक दवाओं के प्रदूषण का प्रमाण मिला है जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन (Ciprofloxacin) भी शामिल थी, इस दवाई का उपयोग त्वचा और Urinary Tract के संक्रमण के इलाज के लिये किया जाता है।
- 711 नदी स्थलों के परीक्षण में लगभग 307 में सबसे आम एंटीबायोटिक ट्रिमेथोप्रिम (Trimethoprim) का अंश पाया गया। बांग्लादेश, केन्या, घाना, पाकिस्तान और नाइजीरिया में सबसे अधिक दूषित नदियों के प्रमाण मिले हैं।
- एशिया और अफ्रीका में नदियाँ प्रदूषण की खतरनाक सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं। हालाँकि यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ स्थलों पर भी प्रदूषण के उच्च स्तर के प्रमाण मिले थे जो इस बात का प्रमाण है एंटीबायोटिक प्रदूषण एक "वैश्विक समस्या" है।
- नदियों में एंटीबायोटिक का यह प्रदूषण उन दवाइयों के माध्यम से पहुँच रहा है जो मानव और पशुओं द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट के रूप में नदियों में बहा दिया जाता है, साथ ही अपशिष्ट जल उपचार (Wastewater Treatment) और औषधि निर्माण (Drug Manufacturing) के दौरान होने वाला रिसाव भी इस प्रदूषण का एक अहम कारण है।

चिंता के कारण

- संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि एंटीबायोटिक की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि वर्ष 2050 तक 10 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारण बन सकती है।
- पर्यावरणीय जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न ऐसे बहुत-से जीन (gene) के विषय में आए दिन जानकारी मिलती है जो मानव रोगजनकों में प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं।

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (Antimicrobial resistance) तब उत्पन्न होता है जब बैक्टीरिया और कवक जैसे रोगाणुओं को मारने हेतु निर्मित दवाईयों के विरुद्ध बैक्टीरिया एवं कवक अपनी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर लेते हैं।
- ऐसे सूक्ष्मजीव, जो इन एंटीबायोटिक दवाईयों के विरुद्ध अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा लेते हैं, उन्हें कभी-कभी "सुपरबग्स" भी कहा जाता है। इन सुपरबग्स के परिणामस्वरूप, दवाएँ निष्प्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण शरीर में बने रहता है, जिससे दूसरों व्यक्तियों में यह संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
- पिछले कुछ समय से प्रतिरोधक दवाओं का नया तंत्र उभर कर सामने आया है जिसका प्रसार वैश्विक स्तर पर हो रहा है। इससे आम संक्रामक बीमारियों से लड़ने की हमारी नैसर्गिक क्षमता को खतरा बनता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप लंबी बीमारी, विकलांगता और मृत्यु तक हो सकती है।
- संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिये प्रभावी रोगाणुरोधी के बिना चिकित्सा प्रक्रियाएँ जैसे- अंग प्रत्यारोपण, कैंसर के उपचार (कीमोथेरेपी), मधुमेह प्रबंधन और प्रमुख सर्जरी (उदाहरण के लिये, सीजेरियन सेक्शन या हिप रिप्लेसमेंट) बहुत अधिक जोखिम हो जाती हैं।

इस समस्या का समाधान ढूँढना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है अपशिष्ट के निपटान, दूषित जल उपचार, अव्यवस्थित विनियमन प्रणाली और पहले से दूषित स्थलों की सफाई हेतु एक मजबूत बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है। इसके लिये न केवल निवेश में वृद्धि करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये बल्कि जन सामान्य के बीच जागरूकता का प्रसार भी किया जाना चाहिये। बेहतर विनियमन एवं प्रबंधन के लिये सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भावी पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दिया जा सके।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का कर्नाटक को निर्देश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority-CWMA) ने जून माह के लिये कर्नाटक को बिलिगुंडलू जलाशय (Biligundlu Reservoir) से तमिलनाडु के लिये जल छोड़ने का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- प्राधिकरण की बैठक में एक मत से यह निर्णय लिया गया।
- जून 2018 में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के बाद यह तीसरी बैठक थी। इस प्राधिकरण की पहली बैठक 2 जुलाई 2018 को हुई थी जिसमें कर्नाटक से जुलाई माह में 31.24 tmcft (हजार मिलियन घन फीट) जल छोड़ने को कहा गया था।
- हालिया आदेश में प्राधिकरण ने कर्नाटक से 9.19 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (Thousand Million Cubic Feet-TMCF) जल छोड़ने के लिये कहा गया है।
- छोड़े जाने वाले जल की मात्रा 16 फरवरी, 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए आदेश के अनुरूप है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले में कर्नाटक को 284.75 tmcft, तमिलनाडु को 404.25 tmcft तथा केरल और पुदुचेरी को क्रमशः 30 और 7 tmcft जल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (Cauvery Water Management Authority-CWMA)

- तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी के बीच जल के बँटवारे संबंधी विवाद को निपटाने हेतु 1 जून, 2018 को केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) का गठन किया।
- इस प्राधिकरण के गठन का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने 16 फरवरी, 2018 को दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर इस प्राधिकरण का गठन करना था।

प्राधिकरण की संरचना

- इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्यों के अलावा एक सचिव शामिल है।
- 8 सदस्यों में से दो पूर्णकालिक और छह अंशकालिक सदस्य हैं।

- अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस. मसूद हुसैन हैं।
- प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या आयु के 65 वर्ष पूरे होने तक निर्धारित किया गया है। अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है और इसे पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले चुनाव में सदन में केवल 5% महिलाएँ थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 14.3% हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है जो कि अब तक की सबसे अधिक संख्या है।
- हालाँकि वृहद् स्तर पर देखें तो यह संख्या अभी भी कम है क्योंकि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आस-पास भी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में यह आँकड़ा 32% है, जबकि पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21% है।
- वर्ष 1962 से अभी तक लगभग 600 महिलाएँ सांसद के रूप में चुनी गई हैं। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से लगभग आधे (48.4%) ने वर्ष 1962 के बाद किसी महिला को सांसद के रूप में नहीं चुना है।
- आजादी के बाद केवल 15वीं और 16वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी देखने को मिली, जो इससे पहले 9% से कम रहती थी।

क्या हैं प्रमुख चुनौतियाँ

- महिलाओं को नीति निर्धारण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने के पीछे निरक्षरता भी एक बड़ा कारण है। अपने अधिकारों को लेकर पर्याप्त समझ न होने के कारण महिलाओं को अपने मूल और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है।
- शिक्षा, संसाधनों/संपत्ति का स्वामित्व और रोजगार के काम में पक्षपाती दृष्टिकोण जैसे मामलों में होने वाली लैंगिक असमानताएँ महिला नेतृत्व के उभरने में बाधक बनती हैं।
- कार्यों और परिवार का दायित्व: महिलाओं को राजनीति से दूर रखने में पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू काम का असमान वितरण भी महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को परिवार में अधिक समय देना पड़ता है और घर तथा बच्चों की देखभाल का जिम्मा प्रायः महिलाओं को ही संभालना पड़ता है। बच्चों की आयु बढ़ने के साथ महिलाओं की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं।
- राजनीति में रुचि का अभाव: राजनीतिक नीति-निर्धारण में रुचि न होना भी महिलाओं को राजनीति में आने से रोकता है। इसमें राजनीतिक दलों की अंदरूनी गतिविधियाँ और इजाफा करती हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक ढाँचे में कम अनुपात के कारण भी महिलाओं को अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों की देखरेख के लिये संसाधन और समर्थन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- इसके अलावा, महिलाओं पर थोपे गए सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व भी उन्हें राजनीति में आने से रोकते हैं।

आगे की राह

- भारत जैसे देश में मुख्यधारा की राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं को भागीदारी के समान अवसर मिलने चाहिये।
- महिलाओं को उन अवांछित बाधकताओं से बाहर आने की पहल स्वयं करनी होगी जिनमें समाज ने जकड़ा हुआ है, जैसे कि महिलाओं को घर के भीतर रहकर काम करना चाहिये।
- राज्य, परिवारों तथा समुदायों के लिये यह बेहद महत्वपूर्ण है कि शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करना, लैंगिक आधार पर किये जाने वाले कार्यों का पुनर्निर्धारण करना तथा श्रम में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने जैसी महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं का समुचित समाधान निकाला जाए।
- राज्य विधानसभाओं और संसदीय चुनावों में महिलाओं के लिये न्यूनतम सहमत प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिये इसे अनिवार्य बनाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव (इसे गिल फॉर्मूला कहा जाता है) को लागू करने की आवश्यकता है। जो दल ऐसा करने में असमर्थ रहेगा उसकी मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

- विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आधार न केवल आरक्षण होना चाहिये, बल्कि इसके पीछे पहुँच और अवसर तथा संसाधनों का सामान वितरण उपलब्ध कराने के लिये लैंगिक समानता का माहौल भी होना चाहिये।
- निर्वाचन आयोग की अगुवाई में राजनीतिक दलों में महिला आरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। हालाँकि इससे विधायिका में महिलाओं की संख्या तो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, लेकिन जटिल असमानता को दूर करने में इससे मदद मिल सकती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के किसानों को भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited-IFFCO) द्वारा लगभग 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। इफको द्वारा किसानों को ग्वार के खराब बीज बेचे जाने के कारण यह क्षतिपूर्ति दी गई है, इन खराब बीजों के कारण किसानों की 70% फसल नष्ट हो गई थी। किसानों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission-NCDRC) में अपील दर्ज कराई थी जिसके प्रत्युत्तर में यह निर्णय लिया गया है।

पृष्ठभूमि

- यह उपभोक्ता विवादों के मितव्ययी, शीघ्र और संक्षिप्त निवारण प्रदान करने के लिये स्थापित किया गया था।
- यह भारत का एक अर्द्ध-न्यायिक आयोग है जिसे वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित किया गया था।
- इस आयोग की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त जज द्वारा की जाती है।

अधिनियम के प्रावधान:

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 1986 की धारा 21 में प्रावधान है कि एनसीडीआरसी के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:
- एक करोड़ से अधिक मूल्य की शिकायत का निवारण करना; राज्य आयोग या जिला स्तरीय मंच के आदेश से अपील एवं पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अनुरूप कार्य करना।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 1986 की धारा 23 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो NCDRC के आदेश से संतुष्ट नहीं है, 30 दिनों के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
- इस अधिनियम के प्रावधानों में 'वस्तुओं' के साथ-साथ 'सेवाओं' को भी शामिल किया जाता है।
- अपीलीय प्राधिकारी (Appellate authority): यदि कोई उपभोक्ता जिला फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह राज्य आयोग में अपील कर सकता है। राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है।

आर्थिक घटनाक्रम

भारत और अमेरिका के बीच अंतर-सरकारी समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने सीमा पार से होने वाली कर चोरी को रोकने के लिये अमेरिका के साथ एक अंतर-सरकारी समझौता किया है।

- दोनों देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अलग-अलग देशों में आय आवंटन तथा कर भुगतान से जुड़ी रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिये यह समझौता किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौते के पश्चात दोनों देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मूल संस्थाओं द्वारा एक दूसरे देशों से संबंधित क्षेत्रों में जमा की गई देश-दर-देश (country-by-country- CbC) रिपोर्ट का आदान प्रदान स्वयं कर सकेंगे।
- यह 1 जनवरी, 2016 या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से जुड़ी रिपोर्ट पर लागू होगा।
- ऐसी कंपनियाँ जिनका मुख्यालय अमेरिका में है लेकिन परिचालन और कर देयता भारत में है, उन्हें अब भारत में देश-दर-देश (CbC) रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस समझौते के बाद वे अब यह रिपोर्ट अमेरिका में ही दाखिल कर सकती हैं।
- इस प्रकार इन देशों से बाहर चल रही उनकी सहायक कंपनियों पर ऐसे कार्य का बोझ कम होगा।

पृष्ठभूमि

- आयकर अधिनियम में वर्णित बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायक भारतीय कंपनियों को अन्य क्षेत्राधिकारों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है जहां (ऐसे क्षेत्राधिकार) वे संचालित होती हैं।
- यह ऐसी कंपनियों के बेहतर परिचालन के साथ राजस्व और आयकर के भुगतान के संबंध में आईटी विभाग को बेहतर दृष्टिकोण उपलब्ध कराता है।
- यह प्रावधान 'आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण कार्य योजना' का एक हिस्सा था, जिसे बाद में आईटी अधिनियम में भी शामिल किया गया।

आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण Base Erosion and Profit Shifting

- आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण (BEPS) का तात्पर्य टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है जिसके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाया जाता है तथा मुनाफे को कृत्रिम तरीके से कम कर अथवा बिना कर वाले क्षेत्राधिकारों को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ या तो नहीं होती हैं या मामूली आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। ऐसे में संबंधित कंपनी द्वारा या तो कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स अदा नहीं किया जाता है अथवा मामूली कॉर्पोरेट टैक्स का ही भुगतान किया जाता है।

बहुराष्ट्रीय उद्यमों (MNEs) से प्राप्त होने वाले कॉर्पोरेट आयकर पर विकासशील देशों की भारी निर्भरता के कारण BEPS का महत्त्व बढ़ जाता है।

- BEPS पहल आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD) की एक पहल है। वैश्विक स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियमों को उपलब्ध कराने संबंधी तरीकों की पहचान करने के लिये G20 द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development- OECD)

- इसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 36 है।

- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है।
- दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना OECD का प्रमुख उद्देश्य है।
- इसके सदस्य देश इस प्रकार हैं- ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, चेक गणतंत्र, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इजराइल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, लातविया, लिथुआनिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड्स, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

कैसे लगेगी फॉल आर्मीवर्म पर लगाम

चर्चा में क्यों ?

फॉल आर्मीवर्म (Fall Armyworm- FAW) की बढ़ती समस्या तथा उससे संबंधित चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने हेतु समाधान खोजने के लिये आठ देशों के प्रतिनिधि 'अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान' (International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics-ICRISAT) में 1-3 मई, 2019 तक एक कार्यशाला में भाग ले रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और कुछ अन्य दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के प्रतिनिधि 'एशिया में फॉल आर्मीवर्म प्रबंधन' पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग ले रहे हैं।
- अमेरिका कई अफ्रीकी देशों में फॉल आर्मीवर्म की समस्या से निपटने के लिये काम कर रहा है।
- चूँकि फॉल आर्मीवर्म दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में उभरा है, इसलिये इसके प्रसार को रोकने और फसलों के नुकसान को कम करने के लिये सहयोग की तत्काल आवश्यकता है।

फॉल आर्मीवर्म या स्पोडोप्टेरा फ्रूजाईपेडा

- फॉल आर्मीवर्म या स्पोडोप्टेरा फ्रूजाईपेडा (Spodoptera Frugiperda), अमेरिका के उष्ण-कटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कीट है। यह कीट एशियाई देशों में फसलों को काफी नुकसान पहुँचा रहा है।
- अमेरिकी मूल का यह कीट दुनिया के अन्य हिस्सों में भी धीरे-धीरे फैलने लगा है।
- फॉल आर्मीवर्म पहली बार 2016 की शुरुआत में मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में पाया गया था और कुछ ही दिनों में लगभग पूरे उप-सहारा अफ्रीका में तेजी से फैल गया।
- दक्षिण अफ्रीका के बाद यह कीट भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और चीन के यूनान क्षेत्र तक भी पहुँच चुका है।
- इस कीड़े की पहली पसंद मक्का है लेकिन यह चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सब्जियाँ और कॉटन समेत 80 से अधिक पौधों की प्रजातियों को खा सकता है।
- वर्ष 2017 में दक्षिण अफ्रीका में इस कीट के फैलने के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ था।
- यह कीट सबसे पहले पौधे की पत्तियों पर हमला करता है, इसके हमले के बाद पत्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे उन्हें कैंची से काटा गया हो। यह कीट एक बार में 900-1000 अंडे दे सकता है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले मई 2018 में इस विनाशकारी कीट की मौजूदगी कर्नाटक में दर्ज की गई थी और तब से अब तक यह पश्चिम बंगाल तथा गुजरात तक पहुँच चुका है।
- उचित जलवायु परिस्थितियों के कारण यह न केवल पूरे भारत में बल्कि एशिया के अन्य पड़ोसी देशों में भी फैल सकता है।

आर्मीवर्म के फैलाव की वजह

- जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ संक्रमित और गैर-संक्रमित क्षेत्रों के बीच बढ़ता व्यापार और परिवहन फॉल आर्मीवर्म के फैलाव के कारण हैं, जिसने संभावित रूप से दुनिया की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।
- गर्म और आर्द्र तापमान (20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच) तथा लंबे व शुष्क समयांतराल फॉल आर्मीवर्म के प्रजनन के लिये अनुकूल कारक हैं।
- आर्मीवर्म के फैलाव के कुछ अन्य कारण निम्नलिखित हैं-
 - ◆ प्रजनन में तेजी।
 - ◆ भारतीय उपमहाद्वीप के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का आर्मीवर्म के अनुकूल होना, जो उन्हें पूरे साल भोजन उपलब्ध कराती है।

काबुली चने की जलवायु-प्रतिरोधी प्रकृति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हुए एक शोध में ऐसे कारकों का पता चला है जो यह बताते हैं कि काबुली चने में गर्म और शुष्क जलवायु को भी सहन करने की क्षमता होती है।

प्रमुख बिंदु

- यह शोध अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics- ICRISAT) के मार्गदर्शन में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा किया गया।
- इस अध्ययन के तहत काबुली चने में ताप अनुकूलन हेतु उत्तरदायी चार मुख्य जीन्स तथा शुष्क परिस्थितियों के अनुकूलन के लिये तीन जीन्स चिह्नित किये गए।
- यह अध्ययन 45 देशों के चने की 429 प्रजातियों के पूर्ण जीनोम अनुक्रमण किया गया।
- अध्ययन के अनुसार, काबुली चने की उत्पत्ति मूल रूप से भूमध्य/दक्षिण-पश्चिम एशिया में हुई थी उसे बाद में दक्षिण एशिया में भी उगाया जाने लगा।
- काबुली चने की यह किस्म लगभग दो सदी पहले भारत में अफगानिस्तान से आई थी।
- इस अध्ययन में चने की आनुवंशिक विविधता और उसमें सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

लाभ

- जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है इसलिये ताप और सूखा स्थिति सहन करने में सक्षम चने की यह किस्म किसानों के लिये वरदान साबित हो सकती है।
- सामान्यतः भारत में चने की फसल सितंबर-अक्तूबर में बोई जाती है तथा जनवरी-फरवरी में इसकी कटाई होती है।

काबुली चना

- काबुली चना प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं तथा वसा की मात्रा बहुत कम होती है। यह फसल पर्यावरण में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी सहायक होती है।
- इसकी लगभग 90% खेती दक्षिण एशिया और भारत में होती है।
- भारत चने का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ ही, इसका सबसे बड़ा आयातक भी है।
- वर्तमान में चने की फसल कई प्रमुख बीमारियों और कीटों के प्रति अतिसंवेदनशील होती हैं और यदि फसल को अत्यधिक तापमान या सूखे का सामना करना पड़े तो पैदावार में गिरावट आ सकती है।
- वैश्विक स्तर पर हर साल औसतन 70% चने की फसल बर्बाद हो जाती है।
- साधारणतः चने की फसल ठंड के मौसम के अनुकूल होती है। ऐसे में अगर तापमान बढ़ता है तो फसल को नुकसान पहुँचेगा।

अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान

- अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान' (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics-ICRISAT) एक गैर-लाभकारी, गैर-राजनीतिक संगठन है जो एशिया और उप-सहारा अफ्रीका के शुष्क इलाकों में कृषि के विकास हेतु अनुसंधान करता है।
- इसकी स्थापना 1972 में की गई तथा इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। इसकी दो अन्य क्षेत्रीय शाखाएँ भी हैं जो नैरोबी (केन्या) और बमाको (माली) में स्थित हैं।
- 'अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान' शुष्क जलवायु के लिये उपयुक्त छह अत्यधिक पौष्टिक फसलों पर शोध करता है, जिन्हें स्मार्ट फूड भी कहा जाता है। जैसे- काबुली चना, अरहर, बाजरा, रागी, चारा और मूँगफली।

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व दरें और भारत

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी फेडरल रिज़र्व (Federal Reserve) की फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अपनी हालिया बैठक में नीतिगत निर्णय लेते हुए ब्याज दरों को अपरिवर्तित रहने दिया है। बेहतर आर्थिक विकास, एक मजबूत श्रम बाज़ार और मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने ऐसा निर्णय लिया है।

महत्वपूर्ण क्यों ?

- फेडरल रिज़र्व द्वारा दरों में परिवर्तन या अन्य फैसलों से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि यह अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों पर एक निश्चित प्रभाव डालता है।

फेडरल रिज़र्व दरों का भारत पर प्रभाव

- भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ विकसित देशों (अमेरिका और कई यूरोपीय देश) की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दर रखती हैं।
- अतः वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से विदेशी संस्थागत निवेशक (Foreign Institutional Investors- FIIs), कम ब्याज दरों पर अमेरिका से पैसा उधार लेकर उस पैसे को अधिक ब्याज दर पर उभरते देशों के सरकारी बॉण्ड में निवेश करते हैं।
- जब फेडरल रिज़र्व अपनी घरेलू ब्याज दरों को बढ़ाता है तो दोनों देशों की ब्याज दरों के बीच अंतर कम हो जाता है, इस प्रकार भारतीय मुद्रा बाज़ार के लिए कम आकर्षक रह जाता है।

भारत पर असर ?

इक्विटी मार्केट पर

- वैश्विक बाज़ार में डॉलर की कमी के कारण 'बॉण्ड यील्ड' बढ़ेगा।
- अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख राष्ट्रों के बीच व्यापार युद्ध (Trade War), डॉलर के मजबूत होने और अनिश्चितताओं के कारण पिछले साल भारत के ऋण और इक्विटी बाजारों से 40,000 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी का बहिर्गमन हुआ।

निर्यात पर

रुपए की तुलना में मजबूत डॉलर के होने से भारत के निर्यात, विशेष रूप से आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं को लाभ होगा। हालाँकि, निर्यात बाज़ार में मजबूत प्रतिस्पर्धा के कारण निर्यातकों को समान लाभ नहीं मिल सकता है।

विदेशी संस्थागत निवेशक (FII)

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) एक निवेशक या निवेश निधि है जो उस देश के बाहर पंजीकृत है जिसमें वह निवेश कर रहा है। संस्थागत निवेशकों में विशेष रूप से हेज फंड, बीमा कंपनियाँ, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं।

अल्पसंख्यक निवेशकों को वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों ?

- कंपनी कानून (Company Law) के अंतर्गत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक निवेशकों (Minority Investors) को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना 'क्लास एक्शन लॉ सूट' (Class Action Lawsuits) तैयार की जा रही है। यह योजना निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (Corporate Affairs Ministry) भी निवेशकों के हितों की रक्षा के उपायों पर आगे की कार्रवाई के लिये क्लास एक्शन सूट (Class Action Suits) के तहत निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है।

क्लास एक्शन सूट (Class Action Suit)

- इसके अंतर्गत एक जैसे कानूनी मामलों का सामना कर रहे निवेशकों को एक साथ आने और एक मुकदमे में शामिल होने का मौका दिया जाता है।
- यह वैध तरीके से मामले को प्रस्तुत करने का सस्ता तरीका भी है।
- इसकी अनुपस्थिति में शेयरहोल्डर्स के लिये कोई मुकदमा करना और मुआवजे की मांग करना महंगा पड़ता है।

कंपनी अधिनियम के संदर्भ में

- कंपनी अधिनियम की धारा 245 के तहत यदि निवेशकों को लगता है कि किसी कंपनी के मामलों का प्रबंधन या आचरण निवेशकों के हितों के प्रतिकूल है तो ये 'क्लास एक्शन सूट' के अंतर्गत मुकदमा दायर कर सकते हैं।
- क्लास एक्शन सूट की यह अवधारणा जो कि निवेशकों को सामूहिक रूप से उपाय ढूंढने का विकल्प देती है, पश्चिमी देशों में ज्यादा प्रसिद्ध है।

कंपनी अधिनियम 1956

- कंपनी अधिनियम 1956 एक अति महत्वपूर्ण विधान है जो केंद्र सरकार को कंपनी के गठन और कार्यों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- इसे भारत की संसद द्वारा 1956 में पारित किया गया तथा समय-समय पर इसमें संशोधन किये गए।
- ये अधिनियम कम्पनियों के गठन को पंजीकृत करने के साथ ही उनके निर्देशकों और सचिवों की ज़िम्मेदारी का निर्धारण करते हैं।
- कंपनी अधिनियम, 1956 भारत के संघीय सरकार द्वारा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय, सार्वजनिक न्यासी, कंपनी लॉ बोर्ड आदि के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।
- 2013 में संसद द्वारा कंपनी अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 को 29 अगस्त, 2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है।
- क्लास एक्शन सूट का निरीक्षण सरकार द्वारा किया जाएगा, सरकार जल्द ही निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (Investor Education and Protection Fund- IEPF) के सहयोग से अल्पसंख्यक निवेशकों को क्लास एक्शन फाइल करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना प्रस्तुत करेगी।
- IEPF क्लास एक्शन सूट पर किये गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिये एक योजना प्रस्तुत करेगी।
- निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) का प्रबंधन IEPF प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जो मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- पिछले महीने जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, IEPF का संचित कोष 4,138 करोड़ रुपए है।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि Investor Education and Protection Fund Authority

- निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205C के तहत कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के माध्यम से स्थापित किया गया है।

- अधिनियम के अनुसार, भुगतान के लिये दी गई तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिये लावारिस और अनपेड (Unpaid) राशि जैसे- कंपनियों के अनपेड लाभांश खाते, मेच्योर डिपाजिट, मेच्योर डिबेंचर (ऋणपत्र), केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनियों या किसी अन्य संस्थानों द्वारा अनुदान और दान, फंड से किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज या अन्य आय आदि को IEPF में जमा किया जाएगा।
- फंड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निवेशक शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करना है।

इसकी आवश्यकता क्यों ?

- क्लास एक्शन सूट को बढ़ावा देना निवेशकों के कई उदाहरणों की पृष्ठभूमि के खिलाफ महत्वपूर्ण है जो अवैध मनी पूलिंग योजनाओं के साथ-साथ कॉर्पोरेट प्रशासन के मुद्दों और कुछ कंपनियों में धोखाधड़ी प्रथाओं से प्रभावित हो रहे हैं। हालाँकि, क्लास एक्शन योजना शुरू करना आसान नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी असममिति (Asymmetry) है।
- अल्पसंख्यक निवेशक क्लास एक्शन को आगे बढ़ाने के लिये पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। साथ ही इसमें असममिति के लिये भी प्रावधान है।
- क्लास एक्शन सूट अल्पसंख्यक शेयरधारकों (जो सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं) को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
- पीड़ित अल्पसंख्यक निवेशकों को कंपनी अधिनियम में प्रदान किये गए क्लास एक्शन सूट का सहारा लेना चाहिये।
- क्लास एक्शन सूट के तहत निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
- यदि वैधानिक लेखापरीक्षक निवेशकों के हित में कोई लापरवाही करते हैं या गलत बयानों का समर्थन करते हैं तो निवेशक उनके खिलाफ क्लास एक्शन के तहत कार्रवाई के लिये आगे आ सकते हैं।

वित्तीय समावेशन को रोकने वाले कारक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में बैंक कॉरिस्पॉन्डेंट्स और बैंकर्स ने उन मुद्दों को उठाया जिनके कारण देश में वित्तीय समावेशन मंत बाधा आ रही है।

प्रमुख बिंदु

- कई बैंक आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar enabled payment system- AePS) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को लागू नहीं कर रहे हैं जिस कारण नागरिकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
- जन-धन खातों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खातों की पहचान केंद्रीयकृत कोर बैंकिंग प्रणाली के सामान्य IFSC के माध्यम से नहीं हो पा रही है। अतः सरकार द्वारा प्रदत्त लाभ इन खातों को नहीं मिल पा रहा है, साथ ही खातों से जुड़ी किसी भी सेवा पर वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाता है।
- सरकार द्वारा प्रस्तावित शुल्क का भुगतान बैंक कॉरिस्पॉन्डेंट्स को नहीं किया जा रहा है। इस कारण वित्तीय समावेशन में बाधा पहुँच रही है।

बैंक कॉरिस्पॉन्डेंट्स

- बैंक कॉरिस्पॉन्डेंट्स रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत ऐसे एजेंट्स हैं जो दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं और एटीएम के अलावा वित्तीय सेवा प्रदान करते हैं।
- बैंक कॉरिस्पॉन्डेंट्स कम लागत पर सीमित श्रेणी की बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिये बैंकों को सक्षम बनाते हैं, इस प्रकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar enabled Payment System- AePS)

बैंक, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के अंतर्गत खातों को आधार से जोड़ता है तथा बुनियादी सेवाओं के लिये आधार संख्या एवं बायोमेट्रिक डेटा उपयोग करने की अनुमति देता है।

उद्देश्य

- बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों के लिये आधार कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देना
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना

- खुदरा लेनदेन में डिजिटलीकरण को बढ़ाना
- केन्द्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली में समन्वय को बढ़ावा देना, इत्यादि।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer (DBT))

- मूल रूप से यह योजना उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिये है, जिसे किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुँचने से पहले ही बिचौलिये तथा अन्य भ्रष्टाचारी हड़पने की जुगत में रहते हैं।
 - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी बिचौलिये का कोई काम नहीं है और यह योजना सरकार तथा लाभार्थियों के बीच सीधे चलाई जा रही है।
 - इस योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में कर देती है। साथ ही लाभार्थियों को भुगतान उनके आधार कार्ड के जरिये किया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि सितंबर, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

आगे की राह

- बैंकों द्वारा बैंक कॉर्रिस्पॉन्डेंट्स को उचित प्रोत्साहन देने एवं निगरानी करने की आवश्यकता है। उन्हें वे सभी सुविधाएँ और उपकरण प्रदान किये जाने चाहिये जिनकी उन्हें आवश्यकता है।
- उपलब्ध सुविधाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को।

AMFI के दिशा-निर्देश

हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (Association of Mutual Funds in India- AMFI) ने फंड मैनेजर्स को राइट-डाउन डेब्ट (Write Down Debt) तथा इन्वेस्टमेंट ग्रेड पेपर (Investment Grade Paper) को नियंत्रित करने के संदर्भ में कुछ दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- AMFI ने बुनियादी ढाँचे और रियल एस्टेट फर्मों, होटलों, अस्पतालों और शेयरों के विरुद्ध विवादास्पद तथाकथित ऋण या प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण-पत्र के खिलाफ सुरक्षित प्रावधान बनाए जाने का सुझाव दिया है।
- इसने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (Asset Management Companies- AMCs) से अनुरोध किया है कि वे रेटिंग एजेंसियों द्वारा उन्हें डाउनग्रेड किये जाने की प्रतीक्षा किये बिना ऐसे उप-मानक निवेश-ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों पर हेयरकट मैट्रिक्स को लागू करें।
- सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी प्रतिभूति जिसकी रेटिंग BBB (Better Business Bureau) से नीचे है, उसे निवेश ग्रेड से नीचे माना जाता है।
- हेयरकट का प्रयोग म्यूचुअल फंड की मूल राशि और किसी डिफॉल्ट के तहत ब्याज में कमी के लिये किया जाता है।

बेटर बिज़नेस ब्यूरो (Better Business Bureau)

- एक निजी, गैर-लाभकारी संगठन है।
- इसका उद्देश्य मार्केटप्लेस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है।

हेयरकट (Haircut)

- किसी संपत्ति के बाजार मूल्य और ऋण के लिये संपार्श्विक के रूप में उपयोग की जा सकने वाली राशि के बीच प्रतिशत के अंतर का उल्लेख करते समय हेयरकट शब्द का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।
- इन मूल्यों के बीच एक अंतर है क्योंकि बाजार में कीमतें समय के साथ बदलती हैं, जिसके लिये ऋणदाता को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
- अब तक प्रत्येक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी और फंड मैनेजर अपने हेयरकट (डिफॉल्ट) के बारे में राइट-डाउन (Write Down) करते या निर्णय लेते थे। ये दिशा-निर्देश उद्योग में संकटग्रस्त प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में एकरूपता लाएंगे।

- AMC को डर है कि 'स्टैंडर्ड हेयरकट मैट्रिक्स' के लागू होने से बड़ी मात्रा में ऋण से छुटकारा मिल जाएगा, जो संभावित रूप से उनके फंड की शुद्ध संपत्ति मूल्य में भारी कमी ला सकता है।
- ये दिशा-निर्देश हाल ही में सेबी के एक परिपत्र के बाद आए हैं। परिपत्र के अंतर्गत AMFI और मूल्यांकन एजेंसियों - क्रिसिल (Crisil) और इक्रा मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड (Icra Management Consulting Services Limited- IMaCS) से इस तरह के निवेश ग्रेड पेपर के लिये एक मूल्यांकन पद्धति विकसित करने के बारे में सवाल किया गया है।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (Association of Mutual Funds in India)

- भारत में SEBI द्वारा पंजीकृत म्यूचुअल फंडों के संघ (AMFI) को 22 अगस्त, 1995 को एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में शामिल किया गया था।
- यह भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग को गुणवत्तापरक और नैतिक क्षेत्रों के आधार पर विकसित करने, म्यूचुअल फंड तथा उनके यूनिट धारकों के हितों की रक्षा करने एवं हितों को बढ़ावा देने के लिये सभी क्षेत्रों में मानकों को बढ़ाने और बनाए रखने हेतु समर्पित है।

एसेट मैनेजमेंट कंपनी (Asset Management Company- AMC)

- परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) एक फर्म है जो ग्राहकों के पूल किये गये फंडों को प्रतिभूतियों जैसे- म्यूचुअल फंड, इक्विटी में निवेश करने में सहायता करती है।
- AMC निवेशकों को अधिक विविधता और निवेश का विकल्प प्रदान करती हैं।
- AMC म्यूचुअल फंड, हेज फंड और पेंशन योजनाओं का प्रबंधन करती है, और ये कंपनियाँ अपने ग्राहकों पर सेवा शुल्क या कमीशन चार्ज लगाकर धन कमाती है।

FMCG सेक्टर की वृद्धि होगी धीमी

चर्चा में क्यों ?

मुख्य रूप से आय में अपर्याप्त वृद्धि और तरलता की कमी के कारण FMCG क्षेत्र की वृद्धि में धीमापन आ सकता है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्रों की मांग में कमी, कृषिगत आय में आई कमी और उपभोक्ताओं का कम होता विश्वास है।

भारत में FMCG क्षेत्र की स्थिति

- फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (Fast moving consumer goods-FMCG) भारतीय अर्थव्यवस्था में चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है।
- इस क्षेत्र में तीन मुख्य खंड हैं - खाद्य और पेय पदार्थ (19%), स्वास्थ्य सेवा (31%) एवं घरेलू तथा व्यक्तिगत देखभाल (शेष 50%)।
- बढ़ती जागरूकता, आसान पहुँच और बदलती जीवन शैली इस क्षेत्र के लिये प्रमुख विकास चालक रहे हैं।
- भारत में FMCG सेक्टर द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व में शहरी भाग का सबसे बड़ा योगदान है।
- हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत में FMCG बाजार का विकास तीव्र गति से हुआ है।

FMCG क्षेत्र में सरकारी पहल

- कैश एंड कैरी सेगमेंट (cash and carry segment) में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और एकल-ब्राण्ड रिटेल के साथ-साथ मल्टी-ब्रांड रिटेल में 51% FDI को मंजूरी।
- खाद्य प्रसंस्करण खंड में 100% एफडीआई की अनुमति।
- ये पहल रोजगार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करेंगी और संगठित खुदरा बाजारों में FMCG ब्रांडों के लिये उच्च दृश्यता प्रदान करेगी, जिससे उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी।
- अधिक-से-अधिक उत्पादों को लॉन्च करने पर खर्च करना और उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करना।
- माल एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) शुरू किये जाने से FMCG उद्योग को लाभ पहुँचा है। उदाहरण के लिये, FMCG उत्पादों जैसे- साबुन, टूथपेस्ट और हेयर ऑयल को पिछली 23-24% की दर के मुकाबले 18% कर के दायरे में शामिल किया गया है।

DPIIT के आयकर नियम संशोधन संबंधित सुझाव

चर्चा में क्यों ?

उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade-DPIIT) ने स्टार्टअप को फंड जुटाने में मदद करने के लिये आयकर नियमों में ढील देने का प्रस्ताव दिया है। यह सुझाव स्टार्ट-अप इंडिया विज़न 2024 का हिस्सा है जिसका डीपीआईआईटी द्वारा नई सरकार के उभरते उद्यमियों के व्यापार में बढ़ोत्तरी करना है एवं उन समस्याओं को कम करना है जो उन्हें वित्त इकट्ठा करते समय उत्पन्न होती है।

प्रमुख बिंदु

- स्टार्ट-अप हेतु विनियामक आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिये डीपीआईआईटी ने आयकर अधिनियम के अनुच्छेद 54GB (आवासीय संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ संबंधी कुछ मामलों में चार्ज नहीं लगाया जाना चाहिये) और अनुच्छेद-79 (कुछ कंपनियों के घाटे की स्थिति में उनके संचालन से संबंधित) को संशोधित करने का सुझाव दिया है। क्योंकि अक्सर उद्यमी अपने व्यापार को और अधिक विकसित करने अथवा संचालित करने हेतु अपनी आवासीय सम्पत्तियाँ बेच देते हैं।
- इस संशोधन का एक भाग यह भी है कि इसने संस्थापकों की शेरधारिता की आवश्यक शर्त को 50 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने और अनिवार्य होल्डिंग अवधि को 5 वर्ष से 3 वर्ष करने का प्रस्ताव दिया है। इससे संपत्तियों को बेचकर पूंजी जुटाने में आसानी होगी।
- इसने अनुच्छेद-79 के संदर्भ में यह सुझाव दिया है कि व्यापार में हिस्सेदारी संबंधी अनिवार्यताओं में भी ढील दिये जाने की ज़रूरत है जिससे घाटे के जोखिम को कम किया जा सके।
- वर्तमान में स्टार्ट-अप प्रोत्साहक घाटे को अगले वित्त वर्ष में तभी स्थानांतरित कर सकते हैं, जब उनके पास 100% की अंशधारिता हो। इस शर्त को कम करके 26% पर लाया जाना चाहिये, जिससे यह नए निवेशकों को स्टार्ट-अप में निवेश करने को प्रोत्साहित करेगा।

स्टार्ट-अप इंडिया

- स्टार्ट-अप इंडिया (Start-up India) भारत सरकार की प्रमुख पहल है जो जनवरी 2016 में प्रारंभ की गई थी ताकि स्थायी आर्थिक विकास किया जा सके और रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य नवाचार और डिजाइन के द्वारा स्टार्ट-अप को सशक्त बनाना है।
- इस स्टार्ट-अप इंडिया योजना के अंतर्गत सरकार कर तथा विकास में प्रोत्साहन देती है। अब तक विभाग द्वारा 18,151 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।

उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

- डीपीआईआईटी जो कि उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने पहले ही नवोदित उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये अन्य उपायों जैसे- करों में राहत का प्रस्ताव रखा था।
- इस दस्तावेज़ का प्रमुख लक्ष्य 2024 तक देश में 50,000 नए स्टार्ट-अप स्थापित करने और 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- इसके अन्य सुझावों में निहित लक्ष्यों के तहत 500 नए इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर की स्थापना, शहरी स्थानीय निकायों में 100 नवाचार क्षेत्र एवं 10,000 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था, इनक्यूबेटरों को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) के द्वारा मिलने वाली फंडिंग का विस्तार करना शामिल है।

फिनटेक कंपनियों का विनियमन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) कुछ फिनटेक क्षेत्रों, जो ई-वॉलेट और पेमेंट गेटवे सेवाओं पर केंद्रित हैं, को विनियमित करने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु

नियमन क्यों आवश्यक है ?

- भारतीय फिनटेक कंपनियों को कई संस्थाओं जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण एवं बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- इस प्रकार कोई एकल नियामक निकाय न होने के कारण फिनटेक फर्मों के पास समर्पित दिशा-निर्देशों का एक विशिष्ट सेट नहीं है।
- इसके फलस्वरूप नियमों में दोहराव या विरोधाभास की समस्या उत्पन्न होती है।
- चूँकि, भारत की एक बड़ी आबादी इन फिनटेक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली वित्तीय सेवाओं जैसे पियर-टू-पियर लेंडिंग (Peer-to-Peer Lending), ई-वॉलेट, पेमेंट गेटवे आदि का लाभ उठाती है। अतः इस क्षेत्र का विनियमन आवश्यक हो गया है।
- नियमन किये जाने के बाद ये संस्थाएँ भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के तहत RBI के साथ पंजीकृत होंगी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2013 में CRISIL ने देश के 666 जिलों में वित्तीय समावेशन के स्तर और प्रगति का अनुमान लगाने के लिये भारत का पहला वित्तीय समावेश सूचकांक Inclusix लॉन्च किया था। वर्ष 2019 में भारत के 666 जिले इस सूचकांक में से आधे 'औसत से ऊपर' की श्रेणी में शामिल हैं।
- वर्ष 2017 में RBI के एक कार्यकारी समूह ने सिफारिश की कि भारत में फिनटेक के लिये नियामक सैंडबॉक्स स्थापित किया जाए जो फिनटेक स्टार्ट-अप की नई सेवाओं को बाजार में प्रवेश करने से पहले उसका परीक्षण और संबंधित जोखिमों का आकलन कर सकें। सैंडबॉक्स एक बुनियादी ढाँचा है जो बैंक द्वारा फिनटेक कंपनी को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उत्पादों या सेवाओं के तैयार होने के बाद एवं बाजार में उनके आने से पहले उनका परीक्षण किया जा सके।
- RBI के कार्यदल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर हाल ही में RBI ने इससे जुड़ा एक मसौदा जारी किया ताकि फिनटेक कंपनियों को उनके उत्पादों और सेवाओं के सैंडबॉक्स में परीक्षण में सक्षम बनाया जा सके। ज्ञातव्य है कि अब तक फिनटेक के किसी अन्य क्षेत्र में बहुत अधिक विनियमन नहीं हुआ है।

क्या हैं पी-2-पी लेंडिंग फर्म ?

- पी-2-पी लेंडिंग एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो असुरक्षित ऋण को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऋणदाताओं (lenders) और ऋण लेने वालों (borrowers) के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है।
- पी-2-पी लेंडिंग फर्म उन क्षेत्रों में वित्त के वैकल्पिक रूपों को बढ़ावा देती हैं, जहाँ औपचारिक वित्त का पहुँचना संभव नहीं होता है।
- कम परिचालन लागत तथा परंपरागत ऋणदाता चैनलों के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इनमें लेंडिंग दरों को कम करने की भी क्षमता होती है।
- रिजर्व बैंक के अनुसार, पी-2-पी लेंडिंग 'क्राइडफंडिंग' (crowdfunding) का एक प्रकार है जिसका उपयोग ऐसे ऋणों की वसूली के लिये किया जाता है, जिनका भुगतान व्याज के साथ करना हो।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI)

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- इसके मुख्य कार्य हैं-
- प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
- प्रतिभूति बाजार (Securities Market) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- RBI की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इसकी स्थापना RBI अधिनियम, 1934 में की गई थी।
- RBI का मुख्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया।
- शुरुआत में RBI निजी स्वामित्व वाला बैंक था। अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है।
- देश के चार महानगरों- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में आरबीआई के स्थानीय बोर्ड हैं।
- RBI के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:
- केंद्रीय बैंकिंग का कार्य।
- नोटों को जारी करने का एकाधिकार।
- करेंसी जारी करने के साथ उसका विनियमन।
- विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक।
- विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास करना एवं उसे बनाए रखना।
- मौद्रिक नीति तैयार करना, उसे लागू करवाना और उसकी निगरानी करना।
- विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।
- सरकार का बैंकर अर्थात् यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिये व्यापारी बैंक की भूमिका अदा करता है।
- वाणिज्यिक बैंकों के लिये बैंकर और उनके लिये अंतिम ऋणदाता।
- अनुसूचित बैंकों के बैंक खाते रखना।
- गैर-मौद्रिक कार्यों के तहत बैंकों को लाइसेंस देने के साथ बैंकों की निगरानी करना।
- बैंकिंग परिचालन के लिये मानदंड निर्धारित करना जिसके तहत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है और भारत की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI)

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 20 फरवरी, 1997 को हुई।
- यह एक वैधानिक संस्था है जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 3 के तहत स्थापित हुई है।
- इसमें एक अध्यक्ष होता है एवं अधिकतम दो पूर्णकालिक एवं दो अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- यह भारतमें दूरसंचार सेवाएँ उपलब्ध करवानेवाली कंपनियों की नियामक संस्था है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA)

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) वैधानिक निकाय है।
- इसका गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किया गया था।
- यह एक स्वायत्त संस्था है।
- यह एक 10 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- इसका कार्य भारत में बीमा और बीमा उद्योगों को विनियमित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये पहल

चर्चा में क्यों ?

3 एवं 6 मई, 2019 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और 11 अफ्रीकी देशों के भारतीय कारोबारी समुदाय के बीच डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस (Digital Video Conference-DVC) के जरिये संवाद स्थापित किया गया। भारतीय समुदाय के साथ संवाद का आयोजन तंजानिया, युगांडा, केन्या, जाम्बिया, मॉरीशस, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, घाना, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मेडागास्कर में किया गया।

उद्देश्य

- इस पहल का उद्देश्य अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ प्रभावशाली सहभागिता सुनिश्चित करना है, ताकि भारत एवं अफ्रीका के बीच व्यापार संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ तथा सुदृढ़ किया जा सके।

भारत और अफ्रीकी क्षेत्र के मध्य व्यापार

- वर्ष 2017-18 के दौरान अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार 62.69 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ, जो पूरे विश्व के साथ भारत के कुल व्यापार का 8.15 प्रतिशत है।
- वर्ष 2017-18 में भारत से पूरे विश्व को किये गए कुल निर्यात में से 8.21 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत से अफ्रीकी देशों को किये गए निर्यात की रही। वर्ष 2017-18 में पूरे विश्व से भारत में हुए कुल आयात में अफ्रीकी क्षेत्र की हिस्सेदारी 8.12 प्रतिशत आँकी गई।

भारत के लिये अफ्रीका का महत्त्व

- दुनिया का सबसे बड़ा भू-क्षेत्र, 54 देश, भारत के लगभग समतुल्य आबादी, विशाल खनिज संसाधन, तेल संपदा, युवा आबादी, घटती गरीबी और वस्तुओं की बढ़ती खपत वाले अफ्रीकी क्षेत्र में भारत के लिये मौजूदा समय में व्यापक अवसर हैं।
- अतः अफ्रीका में बाजार प्रवेश, स्थिर बाजार पहुँच, उद्यमिता और परिवहन, दूरसंचार, पर्यटन, वित्तीय सेवाओं, अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) एवं निर्माण क्षेत्रों में निवेश से जुड़े नए बिजनेस मॉडलों की भारी मांग है।
- अफ्रीका हमारे ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद कर सकता है, जो हमारी एकीकृत ऊर्जा नीति के घोषित उद्देश्यों में से एक है।
- अफ्रीका में सोने और हीरे सहित मूल्यवान खनिजों, धातुओं का समृद्ध भंडार भी है। अफ्रीका भारतीय निवेश के लिये बेहतर स्थान है।
- अफ्रीका भारत की सॉफ्ट और हार्ड पावर क्षमता दोनों को प्रदर्शित करने हेतु इसे स्थान प्रदान करता है।
- यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के माध्यम से अफ्रीकी देशों की शांति और स्थिरता में भारत सक्रिय रूप से शामिल रहा है।
- अफ्रीकी देशों के साथ भारत की भागीदारी हमेशा द्विपक्षीय रही है। उदाहरण के तौर पर भारत-दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंध को देखा जा सकता है। साथ ही जिन विभिन्न व्यापारिक गुटों के साथ साझेदारी के लिये प्रयास किया जाना चाहिये उनमें COMESA, ECOWAS, ECCAS, अफ्रीका के प्रमुख मुक्त व्यापार क्षेत्र हैं।

इन 11 देशों में भारतीय कारोबारी समुदाय ने जिन प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला वे निम्नलिखित हैं –

- ऋण प्रणाली को बेहतर बनाने के साथ-साथ किफायती एवं प्रतिस्पर्द्धी वित्तपोषण के लिये एक उपयुक्त सुविधा विकसित करना।
- अफ्रीका में भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थानों की स्थापना करना।
- दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये क्रेता ऋण सुविधा बढ़ाना।
- दोनों ही पक्ष वीजा नीतियों की समीक्षा करें एवं इन्हें उदार बनाएँ।
- भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सीधी उड़ानों की जरूरत।
- क्षेत्र में डॉलर की किल्लत की समस्या सुलझाने के लिये रुपए में व्यापार की संभावनाएँ तलाशना।
- द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिये आवश्यक मिलान सुनिश्चित करने हेतु दोनों क्षेत्रों में क्रेता-आपूर्तिकर्ताओं का साझा डेटाबेस तैयार किया जाना।
- सुदृढ़ व्यापार विवाद निपटान प्रणाली विकसित करना।

- अफ्रीका में और ज्यादा एवं सुव्यवस्थित देश/सेक्टर विशिष्ट व्यापार प्रदर्शनियाँ आयोजित किया जाना।
- अफ्रीका में फिक्की अथवा सीआईआई के कंट्री चैप्टर की स्थापना करना।
- स्थानीय कारोबारी एवं निवेश माहौल से परिचित होने के लिये नीति निर्माताओं, वाणिज्य मंडलों और निवेशकों के दौरे बार-बार आयोजित करना, ताकि अच्छी तरह से सोच-समझकर सही निर्णय लिये जा सकें।

अफ्रीका में भारतीय समुदाय की भूमिका

- अफ्रीका में रह रहा भारतीय समुदाय सभी क्षेत्रों जैसे कि राजनीति, व्यवसाय और शिक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, अफ्रीकी देशों में भारतीय समुदाय की मौजूदा संख्या 2.8 मिलियन है, जिनमें से 2.5 मिलियन पी.आई.ओ. (भारतीय मूल के व्यक्ति) हैं, जबकि शेष 220967 अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) हैं (प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय, 2016)। दुनिया भर में रह रहे अनिवासी भारतीयों में से 9.11 प्रतिशत अफ्रीका में रहते हैं।
- अफ्रीका में रह रहा संपन्न एवं विशाल भारतीय समुदाय ही इस महाद्वीप में भारत की अंतर्निहित ताकत है। भारतीय समुदाय ने अफ्रीकी महाद्वीप की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हस्तियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर रखे हैं।
- भारत एवं अफ्रीका के बीच व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने हेतु एक उपयुक्त रणनीति तैयार करने के लिये अफ्रीका के भारतीय समुदाय से और ज्यादा लाभ उठाना होगा, ताकि इस रणनीति को कारगर बनाना सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय कारोबारी समुदाय से सुझाव भी मांगे गए थे।

टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएँ

चर्चा में क्यों ?

नई दिल्ली में आयोजित ट्रेड विंड्स सम्मेलन में अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं (Tariff and Non-Tariff Barriers) तथा बहु स्तरीय नियमों के कारण भारत में विदेशी कंपनियाँ नुकसान उठा रही हैं।

प्रमुख बिंदु

अमेरिकी वाणिज्य सचिव के अनुसार,

- भारत पहले से ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक मध्यम वर्ग के तेजी से विकास के कारण यह दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा।
- इसके बावजूद अत्यधिक टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण अमेरिका के निर्यात का केवल 13वाँ हिस्सा भारत आता है, जबकि भारत के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है।
- अमेरिकी प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञ भारत की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं किंतु अमेरिकी कंपनियों को भारत में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- इनमें टैरिफ और गैर-टैरिफ दोनों बाधाएँ शामिल हैं, साथ ही विदेशी कंपनियों को नुकसान पहुँचाने वाले कई नियम भी शामिल हैं।
- भारत की औसत टैरिफ दर 13.8% है जो विश्व की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में सबसे अधिक है। उदाहरण के तौर पर ऑटोमोबाइल पर 60% टैरिफ; मोटरसाइकिल पर 50%; और मादक पेय पदार्थों पर 150% टैरिफ है।
- अमेरिका का लक्ष्य भारत में अमेरिकी कंपनियों के लिये बाधाओं को खत्म करना है। इन बाधाओं में डेटा-स्थानीयकरण प्रतिबंध भी शामिल है जो वास्तव में डेटा सुरक्षा को कमजोर करते हैं और व्यापार की लागत में वृद्धि करते हैं।
- अन्य बाधाओं में चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्यूटिकल्स पर मूल्य नियंत्रण और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार उत्पादों पर प्रतिबंधात्मक शुल्क शामिल हैं।

ज्ञातव्य है कि ट्रेड विंड्स कॉन्फ्रेंस अमेरिका के नेतृत्व में होने वाला वार्षिक व्यापार सम्मेलन है।

टैरिफ

यह राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापारिक आयात या निर्यात पर लगने वाला सीमा शुल्क है।

यह व्यापार के क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग को सुरक्षित रखने हेतु विदेशी उत्पादों पर लगाया जाने वाला कर है।

गैर-टैरिफ बाधाएँ

वे सभी शुल्क जो कि आयात या निर्यात शुल्क नहीं हैं, गैर-टैरिफ की श्रेणी में आते हैं।

उदाहरण के तौर पर आयात कोटा, सब्सिडी, तकनीकी बाधाएँ या आयात लाइसेंसिंग, सीमा शुल्क पर माल के मूल्यांकन के लिये नियम, पूर्व शिपमेंट निरीक्षण इत्यादि।

ईरान से इस्पात आयात को लेकर उद्योग की चिंता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय इस्पात संघ (Indian Steel Association-ISA) ने ईरान से इस्पात आयात के संबंध में भारतीय बैंक संघ (Indian Banks Association-IBA) के समक्ष चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु

- ISA के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के जरिये ईरान से बढ़ता इस्पात आयात बहुत कम दामों पर भारत पहुँच रहा है, जो कि उद्योग जगत के लिये चिंता की बात है।
- चीन की तुलना में ऐसी सामग्री की कीमतों का अंतर करीब 5,000 रुपए प्रति टन है।
- ISA के अनुसार, ईरान से भारत में इस्पात के आयात में CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के तहत गंभीर प्रावधान वाले अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है। बिज़नेस स्टैंडर्ड समाचार-पत्र के अनुसार, वित्त वर्ष 2017-18 में ईरान से भारत में इस्पात के आयात में 66 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी जबकि, वित्त वर्ष 2018-19 में ईरान ने शून्य निर्यात दर्ज किया।

क्या है ISA की चिंता का कारण ?

- बहुत कम दामों पर ईरान से गैर-कानूनी आयात होने के कारण घरेलू इस्पात विनिर्माताओं को काफी नुकसान होगा, विशेषकर ऐसे समय में जब घरेलू मांग में नरमी बनी हुई है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो भारत डंपिंग के लिये एक आसान विकल्प बन जाएगा। इसका एक वज़ह यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण अन्य सभी बाज़ार ईरान के निर्यात के लिये पहले ही बंद हो चुके हैं। ऐसे में ISA की चिंता वाज़िब है।

इंडियन स्टील एसोसिएशन (Indian Steel Association)

- भारतीय लौह और इस्पात उद्योग के एक मंच के रूप में इंडियन स्टील एसोसिएशन सभी लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में भारत के भीतर तथा बाहर सरकार एवं अन्य हितधारकों के साथ मुद्दों, चिंताओं और चुनौतियों के समाधान की सुविधा प्रदान करेगा।

ईरान के परिदृश्य में बात करें तो

- ईरान दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) को लगभग 30 प्रतिशत इस्पात का निर्यात करता है।
- पिछले आठ वर्षों में इसके अधिशेष में 1.2 करोड़ टन या कुल क्षमता में 36 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है जबकि प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत 14 प्रतिशत तक घटकर 240 किलोग्राम रह गई है। दूसरी ओर निर्यात की मात्रा वर्ष 2011 के दो प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 37 प्रतिशत हो गई है।

भारतीय बैंक संघ

- भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association-IBA) की स्थापना 26 सितंबर, 1946 को 22 सदस्यों के साथ की गई थी। अप्रैल 2018 तक इस संघ में कुल 249 सदस्य हैं।

विज्ञान

- इसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से सुसंगत तरीके से एक स्वस्थ, व्यावसायिक और दूरदेशी, बैंकिंग और वित्तीय सेवा उद्योग के विकास के लिये लगातार काम करना है।

देश में बढ़ेगी इस्पात की मांग

- कुछ समय पहले आई विश्व इस्पात संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में इस्पात की मांग में मौजूदा और अगले वर्ष के दौरान सात प्रतिशत से अधिक का इजाफा होने की संभावना है।
- शॉर्ट रेंज आउटलुक अप्रैल-2019 (Short Range Outlook-SRO) नामक शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में वैश्विक इस्पात मांग 173.5 करोड़ टन तक पहुँच सकती है जो वर्ष 2018 से 1.3 प्रतिशत अधिक है।
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में यह मांग एक प्रतिशत बढ़कर 175.2 करोड़ टन तक पहुँचने का अनुमान है।
- विश्व इस्पात संघ के अनुसार, वर्ष 2018 के दौरान विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इस्पात की मांग में 1.8 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है जबकि वर्ष 2017 में 3.1 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।
- वर्ष 2019 के दौरान मांग में 0.3 प्रतिशत और 2020 में 0.7 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है। यह व्यापार की खराब स्थिति को दर्शाता है।
- चीन को छोड़कर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में इस्पात की मांग वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में क्रमशः 2.9 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।
- भारत के संदर्भ में बात करें तो व्यापक स्तर पर बढ़ती बुनियादी ढाँचागत परियोजनाओं की मदद से वर्ष 2019 और वर्ष 2020 दोनों ही वर्षों में इस्पात की मांग में सात प्रतिशत से भी अधिक का इजाफा होने की संभावना है।
- एशिया में चीन को छोड़कर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मांग वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के दौरान क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है जिससे यह क्षेत्र वैश्विक इस्पात उद्योग में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन जाएगा।

विश्व इस्पात संघ (World Steel Association)

- विश्व इस्पात संघ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गतिशील उद्योग संघों में से एक है, इसके सदस्य विश्व के प्रत्येक प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों में हैं।
- यह इस्पात उत्पादकों, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इस्पात उद्योग संघों एवं इस्पात अनुसंधान संस्थानों का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसके सदस्य वैश्विक इस्पात उत्पादन के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं। एसआरओ (Short Range Outlook-SRO) में प्रेजेंटेशन, अनुमान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का समावेशन किया जाता है ताकि भविष्यगामी दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।

15वें वित्त आयोग की भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन.के. सिंह ने मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों के साथ बैठक की जिसमें कुछ प्रमुख मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। गौरतलब है कि वित्त आयोग बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अर्थशास्त्रियों के साथ भी बैठकें आयोजित करेगा।

प्रमुख बिंदु

- चर्चा में शामिल कुछ प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं-
- बैठक में 'संबंधित राज्य सरकारों के लिये राज्य वित्त आयोगों के गठन की आवश्यकता' के साथ ही 'सार्वजनिक क्षेत्र हेतु वित्तीय ऋण की आवश्यकता' पर भी चर्चा की गई।
- वित्त आयोग की निरंतरता (Continuity of the Finance Commission) राज्यों के वित्तीय प्रबंधन के लिये आवश्यक है, विशेषकर वर्तमान स्थिति में जब मध्यावधि समीक्षा नहीं हुई है क्योंकि पहले यह समीक्षा योजना आयोग के द्वारा की जाती थी।

- परिव्यय संहिता (Expenditure Codes) की आवश्यकता, क्योंकि परिव्यय कानून राज्य-दर-राज्य परिवर्तित होते हैं।
- विकास और महँगाई दर में राज्यों की भूमिका, उदाहरण के लिये व्यापार सुगमता (Ease of doing Business) के संबंध में राज्यों की भूमिका।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त आयोग को वर्ष 2019-20 के लिये राज्य सरकार वित्त (State Government Finances) विषय पर विस्तृत जानकारी दी। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं-
- सरकारी वित्त की संरचना में बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था में राज्यों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हुई है।
- 2019-20 के बजट अनुमानों (Budgeted Estimate) में राज्यों का वित्तीय घाटा निम्न स्तर पर रहने की बात कही गई थी परंतु संशोधित अनुमान (Revised Estimate) और वास्तविक स्थिति भिन्न है।
- कुछ विशिष्ट कारकों से वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे कारकों में 'उदय' (UDAY) और कृषि कर्ज माफी तथा आय समर्थन योजना आदि शामिल हैं।
- ब्याज अदायगी प्रक्रिया को उदार बनाए जाने के बावजूद जीडीपी की तुलना में ऋण प्रतिशत बढ़ रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों द्वारा बाजार से ऋण प्राप्त करने की चुनौतियों के मामले में भी जानकारी दी। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं-
- सीएसएफ/जीआरएफ कोष को मजबूत करना और कोष को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन।
- नकद प्रबंधन- राज्यों द्वारा नकद क्षमता को बेहतर बनाना और अल्प अवधि के ऋणों के लिये बेहतर अवसरों के निर्माण का अनुरोध।
- प्रकटीकरण- महत्वपूर्ण आँकड़ों, बजट तथा वित्तीय आँकड़ों को सामने रखना।

15वाँ वित्त आयोग (Finance Commission-FC)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर, 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की।
- 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020-25 तक होगा। अभी तक 14 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है।
- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिये वैध हैं।
- ध्यातव्य है कि 27 नवम्बर, 2017 को श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे।
- श्री एन.के. सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं वर्ष 2008-2014 तक बिहार से राज्य सभा के सदस्य भी रह चुके हैं।

वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों ?

- भारत की संघीय प्रणाली केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति एवं कार्यों के विभाजन की अनुमति देती है और इसी आधार पर कराधान की शक्तियों को भी केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है।
- राज्य विधायिका को अधिकार है कि वह स्थानीय निकायों को अपनी कराधान शक्तियों में से कुछ अधिकार दे सकती है।
- केंद्र कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है और कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।
- स्थानीय मुद्दों और जरूरतों को निकटता से जानने के कारण राज्यों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्रों में लोकहित को ध्यान में रखें। हालाँकि इन सभी कारणों की वजह से कभी-कभी राज्यों का खर्च उनको प्राप्त होने वाले राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है।
- इसके अलावा, विशाल क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पर्याप्त संसाधनों का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं।
- इन असंतुलनों को दूर करने के लिये वित्त आयोग द्वारा राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले केंद्रीय निधियों की सीमा तय करने की सिफारिश की गई है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

विनिर्माण क्षेत्र में मंदी की वजह से पिछले 21 महीनों में पहली बार औद्योगिक वृद्धि मार्च में घटकर 0.1 प्रतिशत रह गई।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत थी जो वित्तीय वर्ष 2018-2019 में घटकर 3.6 प्रतिशत रह गई।
- अनुमानों के अनुसार, तीसरी तिमाही में वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत थी जो चौथी तिमाही में घटकर 6.5 प्रतिशत रह गई।
- हालाँकि उद्योग के आठ प्रमुख क्षेत्रों (जिनका सूचकांक में 40 प्रतिशत का योगदान है) ने 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- किंतु निर्माण गतिविधियों में सुस्ती और खनन में वृद्धि धीमी रहने से औद्योगिक वृद्धि की रफ्तार प्रभावित हुई है।
- इससे वित्त वर्ष 2019 में जीडीपी की वृद्धि पर प्रभाव पड़ सकता है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production)

- यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि।
- इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- IIP एक समग्र संकेतक है जो कि प्रमुख क्षेत्र (Core Sectors) एवं उपयोग आधारित क्षेत्र के आधार पर आँकड़ें उपलब्ध कराता है।

इसमें शामिल आठ प्रमुख क्षेत्र (Core Sectors) निम्नलिखित हैं:

1. रिफाइनरी उत्पाद (Refinery Products)
2. विद्युत (Electricity)
3. इस्पात (Steel)
4. कोयला (Coal)
5. कच्चा तेल (Crude Oil)
6. प्राकृतिक गैस (Natural Gas)
7. सीमेंट (Cement)
8. उर्वरक (Fertilizers)

- अप्रैल 2017 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया है।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)
- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के सांख्यिकीय गतिविधियों के मध्य समन्वयन एवं सांख्यिकीय मानकों के संवर्द्धन हेतु मई 1951 में 'केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (CSO) की स्थापना की गई थी।
- यह राष्ट्रीय खातों को तैयार करने, औद्योगिक आँकड़ों को संकलित एवं प्रकाशित करने के साथ ही आर्थिक जनगणना एवं सर्वेक्षण कार्य भी आयोजित करता है।
- यह देश में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की सांख्यिकीय निगरानी के लिये भी उत्तरदायी है।

दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड

चर्चा में क्यों ?

दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC) के तहत अलग-अलग कारणों से कई मामलों में ऋण वसूली में देरी आ रही है।

प्रमुख बिंदु

- एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड सहित कई मामलों में ऋण समाधान में दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड में निर्धारित समयसीमा से अधिक समय लग रहा है।
- ज्ञातव्य है कि IBC के तहत आने वाले मामलों को 180 दिनों में पूरा करने के लिये कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) होती है, जिसे 90 दिनों तक तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह समयसीमा यह सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित की गई थी कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की वसूली समयबद्ध तरीके से हो और बैंक 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की मात्रा को कम करने में सक्षम हों।

गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non-Performing Assets)

वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने वाला व्यक्ति जब 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण 'गैर निष्पादित परिसंपत्ति' माना जाता है।

आँकड़ें

- 31 मार्च, 2019 तक IBC के तहत रिजॉल्यूशन की प्रक्रिया से गुजर रहे कुल 1143 मामलों में से 548 मामलों में 180 दिन से अधिक समय लगा था।
- जो यह दर्शाता है कि लगभग 48 प्रतिशत मामलों में 180 दिनों के भीतर ऋण समाधान की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।
- कुल 362 मामले या CIRPs के अंतर्गत चल रहे 31.67 प्रतिशत मामलों में समयसीमा IBC में निर्धारित 270 दिनों की सीमा को पार कर गई।

ऋण समाधान में देरी के कारण:

- टेकओवर कंपनियों के लिये उपयुक्त बोलियों का अभाव
 - ऋणदाताओं के बीच मतभेद
 - मौजूदा प्रमोटर्स और परिचालन लेनदारों द्वारा उत्पन्न कानूनी चुनौतियाँ
- एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड सहित एनपीए के 12 बड़े मामले बैंकों ने विभिन्न नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) बेंचों को सौंपा। इसके अंतर्गत अन्य पाँच बड़े मामलों में वसूली दर 17.11 प्रतिशत से लेकर 63.50 प्रतिशत रही है।
- लगभग आधे मामलों में देरी के बावजूद IBC ने अब तक स्वीकृत 93 मामलों में वित्तीय लेनदारों को 43 प्रतिशत तक की वसूली दर पेशकश की है।
- जिसमें वित्तीय लेनदारों ने 1,73,359 करोड़ रुपए के दावे में से 74,497 करोड़ रुपए की वसूली की।
- कई मामलों में देरी के बावजूद ऋण वसूली हेतु मौजूदा न्यायाधिकरणों की प्रणाली और SARFAESI Act की तुलना में IBC प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक बेहतर वसूली हुई है।
- जिसमें वित्तीय लेनदारों ने 1,73,359 करोड़ के भर्ती दावों में से 74,497 करोड़ रुपए की वसूली की।
- जाहिर है IBC ने लेनदार-देनदार संबंध को पूरी तरह से बदल दिया है। कई कंपनियाँ अपनी कंपनियों पर नियंत्रण खोने के डर से अपना बकाया चुकाने के लिये आगे आ रही हैं।

NCLT

- 1 जून, 2016 को सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) का गठन किया।
- इनका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत किया गया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इनके लिये अधिसूचना जारी की थी

- NCLT कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य कानून के माध्यम से उसे दी गई शक्तियों के तहत कार्य करेगा
- इसका अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का जज हो या पाँच वर्षों तक इस पद पर रह चुका हो।

दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड Insolvency and Bankruptcy Code

- वर्ष 2016 में पारित दिवालिया और शोधन अक्षमता कोड का उद्देश्य कॉर्पोरेट और फर्मों तथा व्यक्तियों के दिवालिया होने पर समाधान, परिसमापन और शोधन करने के लिये है।
- विधेयक में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि पेशेवरों, एजेंसियों और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में कंपनियों, संयुक्त फर्म और व्यक्तियों के दिवालिया होने से जुड़े विषयों का नियमन किया जा सके।

IBC की सामान्य कार्य प्रक्रिया

- अगर कोई कंपनी कर्ज नहीं चुकाती तो IBC के तहत कर्ज वसूलने के लिये उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके लिये NCLT की विशेष टीम कंपनी से बात करती है और कंपनी के मैनेजमेंट के तैयार होने पर कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
- इसके बाद उसकी पूरी संपत्ति पर बैंक का कब्जा हो जाता है और बैंक उस संपत्ति को किसी अन्य कंपनी को बेचकर अपना कर्ज वसूल सकता है।
- IBC में बाजार आधारित और समयसीमा के तहत इन्सॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया का प्रावधान है।
- IBC की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बाहरी व्यक्ति (थर्ड पार्टी) ही कंपनी को खरीद सकता है।

NPA समस्या के समाधान में सहायक IBC

- IBC के अनुसार, किसी ऋणी के दिवालिया होने पर एक निश्चित प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी परिसंपत्तियों को अधिकार में लिया जा सकता है।
- IBC के हिसाब से, यदि 75 प्रतिशत कर्जदाता सहमत हों तो ऐसी किसी कंपनी पर 180 दिनों (90 दिन के अतिरिक्त रियायती काल के साथ) के भीतर कार्रवाई की जा सकती है, जो अपना कर्ज नहीं चुका पा रही।
- IBC के लागू होने से ऋणों की वसूली में अनावश्यक देरी और उससे होने वाले नुकसानों से बचा जा सकेगा।
- कर्ज न चुका पाने की स्थिति में कंपनी को अवसर दिया जाएगा कि वह एक निश्चित समयावधि में कर्ज चुकता कर दे या स्वयं को दिवालिया घोषित करे।

विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों ?

13 और 14 मई, 2019 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) की मंत्रिस्तरीय बैठक में विवाद निपटान संस्था को लेकर गतिरोध और अमीर देशों द्वारा विकासशील देशों को कुछ विशेष व्यापार लाभ देने से इनकार करने जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिये जाने की संभावना है। इस बैठक की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- यह बैठक वर्ष 2020 में कजाखस्तान में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक है।
- यह बैठक ऐसे समय पर आयोजित की जा रही है जब बहुपक्षीय नियम आधारित व्यापार प्रणाली गंभीर एवं चिंताजनक चुनौतियों का सामना कर रही है।
- विश्व व्यापार संगठन से जुड़े 16 देश, जो कि मुख्य रूप से विकासशील देश और 6 अल्प -विकसित देश इसका हिस्सा बनेंगे।
- इस बैठक में बहुत से अहम मुद्दों पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा जिनमें डब्ल्यूटीओ में सुधारों के संबंध में आगे की कार्यवाही की योजना के साथ-साथ बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विषय में भी बात की जाएगी।

- पिछले दो वर्षों में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय संस्था में सदस्यों की संख्या सात से घटकर तीन रह गई है।
- वर्तमान में अपीलीय निकाय में किसी अपील पर सुनवाई करने में एक वर्ष का समय लगता है, जबकि अपीलों के निपटान के लिये निर्धारित समय 90 दिन है।
- विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के विशेष और भिन्न बर्ताव का प्रावधान कुछ अन्य देशों के लिये चिंता का विषय बना हुआ है।

विश्व व्यापार संगठन

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में मारकेश संधि के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं।
- 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना था।
- सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मलेन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।

विशेष और भिन्न बर्ताव प्रावधान

- विश्व व्यापार संगठन के समझौते में कुछ खास प्रावधान शामिल हैं जो विकासशील देशों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं जिन्हें विशेष और भिन्न बर्ताव (Special and Differential Treatment) कहते हैं। ये प्रावधान विकसित देशों को विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों की तुलना में विकासशील देशों के साथ अधिक अनुकूल व्यवहार करने की संभावना व्यक्त करते हैं।
- विशेष प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं-
- समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने हेतु लंबा समय।
- विकासशील देशों हेतु व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के उपाय
- विकासशील देशों के व्यापार हितों की सुरक्षा के लिये सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों हेतु आवश्यक प्रावधान।
- विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ के काम को पूरा करने, विवादों को हल करने और तकनीकी मानकों को लागू करने में मदद करने हेतु सहायता।
- सबसे कम विकसित देश (Least-Developed Country- LDC) के सदस्यों से संबंधित प्रावधान।

खाद्य मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ महीनों के दौरान कृषि वस्तुओं की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गौरतलब है कि इसकी वजह पश्चिम और दक्षिण भारत के हिस्सों में सूखे की मार और समयपूर्व ग्रीष्मकालीन परिस्थितियाँ रही हैं।

प्रमुख बिंदु

प्रभाव:

- खाद्य मुद्रास्फीति से किसानों को लाभ हो सकता है क्योंकि उन्हें उपज के बदले अच्छी कीमतें प्राप्त होंगी, जबकि उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल की तुलना में उच्च कीमतों का भुगतान करना होगा।

खाद्य मुद्रास्फीति

- खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के घटकों में से एक है।
- हेडलाइन इन्फ्लेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, किसी विशिष्ट अवधि के लिये कुल मुद्रास्फीति होती है, जिसमें कई वस्तुएँ शामिल होती हैं।
- कोर मुद्रास्फीति में अस्थिर वस्तुएँ शामिल नहीं होती हैं। इन अस्थिर वस्तुओं में मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थ (सब्जियाँ सहित) तथा ईंधन एवं बिजली (कच्चे तेल) शामिल होते हैं।
- कोर मुद्रास्फीति= हेडलाइन मुद्रास्फीति- खाद्य तथा ईंधन मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय

- सरकार ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कई उपाय किये हैं-
- अनिवार्य वस्तुओं, खासकर दालों के मूल्य में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु बजट में मूल्य स्थिरता कोष में बढ़ा हुआ आवंटन।
- बाजार में समुचित दखल हेतु 20 लाख टन दालों का अफार स्टॉक रखने का अनुमोदन।
- अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दालों, प्याज, खाद्य तेलों और खाद्य तेल के बीजों हेतु स्टॉक सीमा लागू करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकृत करना।
- उत्पादन को प्रोत्साहित कर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु, ताकि मूल्यों में सुधार हो।
- उच्चतर मूल्य की घोषणा।

मुद्रास्फीति

चर्चा में क्यों ?

अप्रैल में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI) में खुदरा मुद्रास्फीति छह महीने के अपने उच्च स्तर 2.92% पर पहुँच गई।

प्रमुख बिंदु

- ◆ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मार्च में 2.86% था जो अप्रैल में बढ़कर 2.92 हो गया।
- ◆ सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्र में मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 1.38% हो गई, जबकि मार्च में यह 0.66% थी।
- ◆ इसी प्रकार ईंधन और बिजली खंड में मुद्रास्फीति मार्च में 2.34% थी जो अप्रैल में 2.56% हो गई।
- हेडलाइन इन्फ्लेशन किसी विशिष्ट अवधि के लिये कुल मुद्रास्फीति होती है, जिसमें कई वस्तुएँ शामिल होती हैं।
- कोर मुद्रास्फीति में अस्थिर वस्तुएँ शामिल नहीं होती हैं। इन अस्थिर वस्तुओं में मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थ (सब्जियाँ सहित) तथा ईंधन एवं बिजली शामिल होती है।
- कोर मुद्रास्फीति= हेडलाइन मुद्रास्फीति- खाद्य तथा ईंधन मुद्रास्फीति
- CPI की हेडलाइन मुद्रास्फीति उम्मीद से थोड़ी कम रही जो अर्थव्यवस्था में बढ़ती मंदी की तरफ इशारा करती है।
- इसके अलावा, फलों और सब्जियों में भी खाद्य मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है।
- मार्च में पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों की मुद्रास्फीति 4.61% थी जो अप्रैल में घटकर 4.27% पर पहुँच गई।
- इसी प्रकार कपड़े और फुटवियर क्षेत्र में मुद्रास्फीति जो मार्च में 2.52% थी अप्रैल में घटकर 2.01% रही।
- हाउसिंग क्षेत्र में भी मार्च में मुद्रास्फीति 4.93% थी एवं अप्रैल में घटकर 4.76% रह गई।

मुद्रास्फीति

- जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर करता है- थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index- WPI) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index- CPI)।
- अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिये हानिकारक होती है, जबकि 2- 3% की मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिये ठीक होती है।
- मुद्रास्फीति मुख्यतः दो कारणों से होती है, मांगजनित कारक एवं लागतजनित कारक।
- अगर मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह मांगजनित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation) कहलाती है।
- अगर उत्पादन के कारकों (भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि) की लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह लागतजनित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation) कहलाती है।

मुद्रास्फीति के प्रभाव (Effects of Inflation)

- **निवेशकर्ताओं पर:** निवेशकर्ता दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के निवेशकर्ता वे होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों से निश्चित आय प्राप्त होती है तथा दूसरे निवेशकर्ता वे होते हैं जो संयुक्त पूंजी कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं। मुद्रास्फीति से निवेशकर्ता के पहले वर्ग को नुकसान तथा दूसरे वर्ग को फायदा होगा।
- **निश्चित आय वर्ग पर:** निश्चित आय वर्ग में वे सब लोग आते हैं जिनकी आय निश्चित होती है जैसे- श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी आदि। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं जिसका निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **ऋणी एवं ऋणदाता पर:** जब ऋणदाता रुपए किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपए का मूल्य कम हो जाएगा। इस प्रकार ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि तथा ऋणी को लाभ होता है।
- **कृषकों पर:** मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि कृषक वर्ग उत्पादन करता है तथा मुद्रास्फीति के दौरान उत्पाद की कीमतें बढ़ती हैं। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान कृषक वर्ग को लाभ मिलता है।
- **बचत पर:** मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं पर किये जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है। इससे बचत की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना नहीं चाहेंगे।
- **भुगतान संतुलन:** मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। इसके कारण हमारे निर्यात महँगे हो जाएंगे तथा आयात सस्ते हो जाएंगे। निर्यात में कमी होगी तथा आयात में वृद्धि होगी जिसके कारण भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा।
- **करों पर:** मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिये नए-नए कर लगाती है तथा पुराने करों में वृद्धि करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में वृद्धि होती है।
- **उत्पादकों पर:** मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ होता है क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से उद्यमी तथा उत्पादकों का फायदा होता है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय

- सरकार ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कई उपाय किये हैं-
- अनिवार्य वस्तुओं, खासकर दालों के मूल्य में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु बजट में मूल्य स्थिरता कोष में बढ़ा हुआ आवंटन।
- बाजार में समुचित दखल हेतु 20 लाख टन दालों का ऑफर स्टॉक रखने का अनुमोदन।
- अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दालों, प्याज, खाद्य तेलों और खाद्य तेल के बीजों हेतु स्टॉक सीमा लागू करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अधिकृत करना।
- उत्पादन को प्रोत्साहित कर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु ताकि मूल्यों में सुधार हो।
- उच्चतर मूल्य की घोषणा।

उत्तर-पूर्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विफलता

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY) उत्तर-पूर्व के राज्यों में विफल साबित हो रही है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिये सालाना 1,400 करोड़ रुपए रखे गए थे, जबकि पिछले साल केवल 8 करोड़ रुपए ही खर्च किये गए।

प्रमुख बिंदु

- सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि चार उत्तर-पूर्वी राज्य- अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम इस योजना के तहत शामिल ही नहीं हैं।
- बीमा की कमी की वजह से मक्का बोने वाले हजारों किसान तबाही की कगार पर हैं क्योंकि फॉल आर्मीवर्म ने फसलों को काफी नुकसान पहुँचाया है।

कारण क्या है ?

- बीमा के संबंध में पूर्वोत्तर राज्य कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं-
- बीमा कंपनियों की कम दिलचस्पी।
- राज्य बजट की कमी के कारण प्रीमियम के अपने हिस्से का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।
- प्रशासनिक लागत अधिक होने के कारण बीमा कंपनियाँ इन राज्यों में रुचि नहीं ले रही हैं। बीमा कंपनियों को इसमें दिलचस्पी इसलिये भी नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में कवरेज बहुत सीमित है।
- इन राज्यों के लिये विशेष रूप से ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर उचित भूमि रिकॉर्ड के साथ ही पिछली उपजों के आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।
- कई फसलों के लिये आवश्यक क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट (Crop Cutting Experiments- CCEs) करना भी मुश्किल है।

क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट

- क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट की सहायता से फसलों की उपज का उचित और सटीक अनुमान प्राप्त किया जाता है।
- पूर्वानुमान संबंधी बुनियादी ढाँचे की कमी ने भी इन राज्यों में मौसम आधारित बीमा योजना की राह में बाधा उत्पन्न की है।
- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' अधिसूचित फसलों के लिये फसल ऋण/केसीसी खाते का लाभ उठाने वाले कर्जदार किसानों हेतु अनिवाय है, जबकि अन्य दूसरों के लिये स्वैच्छिक।
- यहाँ इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि असम को छोड़कर पूर्वोत्तर में कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या भी बहुत कम है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' 18 फरवरी, 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का संचालन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह फसल खराब हो जाने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है जिससे किसानों की आय स्थिर करने में मदद मिलती है।

मुख्य विशेषताएँ

- इस योजना के तहत खरीफ, रबी तथा वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों को शामिल किया गया है।
- इसमें खरीफ की फसल के लिये कुल बीमित राशि का 2% तक का बीमा प्रभार, रबी हेतु 1.5% तक तथा वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिये बीमित राशि का 5% तक का बीमा प्रभार निश्चित किया गया है।
- किसानों की प्रीमियम राशि का एक बड़ा हिस्सा केंद्र तथा संबंधित राज्य वहन करता है। बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोहनी नहीं कर पाता है तो भी उसे दावा राशि मिल सकेगी।
- इस योजना में स्थानीय स्तर पर हानि की स्थिति में केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी। योजना में पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को भी शामिल किया गया है।
- योजना में टेक्नोलॉजी (जैसे रिमोट सेंसिंग) इस्तेमाल कर फसल कटाई/नुकसान का आकलन शीघ्र व सही तरीके से किया जाता है, ताकि किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके।

प्रक्रिया क्या है ?

- PMFBY के परिचालन दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सरकारों को फरवरी के शुरू में बीमा कंपनियों के चयन के लिये बिड शुरू करनी होती है, यह प्रक्रिया नए फसल वर्ष शुरू होने से थोड़े पहले शुरू करने की व्यवस्था की जाती है।
- इसके बाद सभी प्रासंगिक विवरणों को शामिल करने वाली एक अधिसूचना जारी की जाती, जिसके अंतर्गत फसलों सहित विभिन्न क्षेत्रों में परिचालन करने वाली कंपनियों, क्षतिपूर्ति का स्तर और औसत उपज (जिसके मुआवजे की गणना की जाती है), बीमा राशि, वास्तविक प्रीमियम दर एवं इस पर सब्सिडी आदि के ब्योरे को मार्च (खरीफ के सीजन) तथा सितंबर (रबी के सीजन) के संदर्भ में तैयार किया जाता है।

- किसानों से प्रीमियम प्राप्त करने के लिये कट ऑफ तिथियाँ (उन्हें बीमा के लिये पात्र बनाना) 31 जुलाई (खरीफ के लिये) और 31 दिसंबर (रबी) हैं।
- इसके अतिरिक्त किसानों द्वारा चुकाए जाने वाले प्रीमियम की अंतिम तिथि जुलाई 31 (खरीफ के लिये) तथा दिसंबर 31 (रबी के लिये) निर्धारित की गई है।
- राज्यों द्वारा अगस्त-सितंबर (खरीफ का सीजन) में प्रीमियम सब्सिडी योगदान का पहला इंस्टालमेंट जारी किया जाता है तथा शेष राशि का 50 फीसदी भुगतान नवंबर-दिसंबर तक किया जाता है। इसी प्रकार क्रमशः जनवरी-फरवरी और अप्रैल-मई में संबंधित रबी सीजन की पहली किश्त जारी किये जाने की उम्मीद होती है।
- इसके अलावा, उन्हें उपज के आकलन के लिये हर गाँव/ग्राम पंचायत में न्यूनतम चार, प्रत्येक तालुका/तहसील/ब्लॉक में 16 और प्रत्येक जिले में 24 CCEs पूर्ण करने होते हैं।
- CCEs आधारित उपज डेटा कटाई के एक महीने के भीतर बीमा कंपनियों को जमा किया जाता है, जो खरीफ फसल के लिये अक्टूबर-दिसंबर और रबी फसल के लिये अप्रैल-जून के दौरान तैयार किया जाता है।
- बदले में कंपनियाँ उपज डेटा प्राप्त होने के तीन हफ्तों में अंतिम दावों का अनुमोदन और भुगतान करने जैसे कार्य संपन्न करती हैं।
- यदि राज्य खरीफ और रबी की फसल के लिये क्रमशः जनवरी और जुलाई तक प्रीमियम सब्सिडी के अपने पूरे हिस्से के साथ उपज डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो किसान उचित समय के भीतर अपने फसल संबंधी दावों का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
- केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, बीमा कंपनियाँ तब तक इन दावों के विषय में कोई कार्यवाही नहीं करती हैं जब तक उन्हें पूरा प्रीमियम भुगतान तथा फसल नुकसान के संबंध में उपज डेटा नहीं मिल जाता है।

परिष्कृत मोबाइल फोन का आयात

चर्चा में क्यों ?

भारत ने परिष्कृत मोबाइल फोन के आयात की अनुमति दी है, हालाँकि इस संदर्भ में यह शर्त भी रखी है कि इन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards-BIS) द्वारा प्रमाणित कराया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- एक परिष्कृत/नवीनीकृत मोबाइल फोन ऐसे फोन या हैंडसेट (Handset) को कहते हैं जिसके परिचालन में समस्या उत्पन्न होने के कारण उसे मोबाइल निर्माता कंपनी को वापस लौटा दिया जाता है ताकि फोन में आने वाली समस्या का पता लगाया जा सके। साथ ही कारखाने/कंपनी के मानकों के अधीन रहते हुए इस मोबाइल फोन को ठीक करके पुनः प्रयोग में लाया जा सके।
- यह निर्णय एप्पल जैसी मोबाइल संचालक कंपनियों की मांगों को पूरा करता है, जो भारत में उभरते स्मार्टफोन व्यवसाय से लाभ प्राप्त करना चाहती हैं।
- वाणिज्य मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात (इसमें नए के साथ-साथ पुरानी वस्तुएँ, परिष्कृत या अपरिष्कृत, मरम्मत की गई अथवा बिना मरम्मत वाली वस्तुएँ शामिल हैं) जिसके लिये पंजीकरण की अनिवार्यता होती है, तब तक प्रतिबंधित होता है जब तक कि उन्हें बी.आई.एस. के साथ पंजीकृत और वर्गीकरण की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है।
- यदि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसी विशेष खेप के लिये विशिष्ट छूट देता है तो आयात की अनुमति दी जा सकती है।

चिंता/मुद्दा

- मुख्य चिंता का विषय यह है कि बी.आई.एस. परिष्कृत फोनों को प्रमाणित करने में किस प्रकार सक्षम होगा, इसका कारण है कि परिष्कृत होने वाले सभी फोनों में एकरूपता की कमी है। ऐसे में सभी के लिये एक ही मानक तय करना और उसके अनुरूप प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना कठिन होगा।
- उदाहरण के लिये, नए फोन में एकसमान मानक (uniform standard) होते हैं और प्रमाणीकरण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु फोन के किसी एक नमूने की जाँच की जा सकती है। हालाँकि इस तरह की एकसमान नमूने की जाँच वाली युक्ति परिष्कृत/नवीनीकृत मोबाइल फोन के मामले में संभव नहीं है।

- ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संभवतः कंपनियाँ खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक कचरे/अपशिष्ट (Hazardous Electronic Waste) के निपटान के लिये एक विकल्प के रूप में भारत का उपयोग कर सकती हैं।
- साथ ही परिष्कृत मोबाइल फोन के आयात से 'मेक इन इंडिया' (Make In India) जैसी पहल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- इसके अतिरिक्त यह इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति (National Policy on Electronics), 2019 के मानकों की भी अपेक्षा करेगा।

भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards-BIS)

- बी.आई.एस. वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन जैसी गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिये बी.आई.एस. अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय (National Standard Body of India) है।
- इसके अतिरिक्त यह संस्था उक्त विषयों से जुड़े आकस्मिक या अतिरिक्त मामलों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिये भी उत्तरदायी है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

मसाला बॉण्ड जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (Kerala Infrastructure Investment Fund Board- KIIFB) ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 2,150 करोड़ रुपए का मसाला बॉण्ड जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- मसाला बॉण्ड जारी करने के पश्चात् 'केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड' भारत का पहला उप-संप्रभु इकाई बन गया, जिसने अपतटीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बॉण्ड बाजार (Offshore Rupee International Bond Market) में प्रवेश किया है।
- इस बॉण्ड पर निश्चित कूपन दर 9.723% एवं इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष होगी।
- यह बॉण्ड राज्य में निवेश करने हेतु बहुराष्ट्रीय निगमों को आकर्षित करने पर केंद्रित है।
- गौरतलब है कि केरल को गैर-व्यावसायिक नीतियों, लालफीताशाही और बार-बार होने वाली औद्योगिक हड़तालों के लिये जाना जाता है।
- केरल राज्य सरकार के अनुसार, बॉण्ड इश्यू से प्राप्त आय को वर्ष 2018 में बाढ़ से तबाह हुए क्षेत्र के पुनर्निर्माण हेतु इस्तेमाल किया जाएगा।
- गौरतलब है कि केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड राज्य के स्वामित्व में कार्य करता है।

अपतटीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बॉण्ड बाजार

- भारतीय राष्ट्रीय सीमा के बाहर 'रुपया' एक मुद्रा है जिसमें कई प्रकार के व्यापार और लेन-देन भी होते हैं। 'अपतटीय रुपया अंतर्राष्ट्रीय बॉण्ड बाजार' घरेलू मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भी जुड़ा है। अपतटीय रुपए बाजार का सबसे अच्छा उदाहरण मसाला बॉण्ड है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसे लेने हेतु किया जाता है लेकिन यह कार्य भारतीय मूल्य में ही होगा।

केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB)

- 'केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड' का प्रबंधन करने हेतु KIIFB वर्ष 1999 में केरल सरकार (वित्त विभाग) के तहत अस्तित्व में आया।
- इस फंड का मुख्य उद्देश्य केरल राज्य में महत्वपूर्ण और बड़े बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं हेतु निवेश प्रदान करना था।
- किंतु वर्ष 2016 में वर्तमान सरकार ने KIIFB की भूमिका को एक इकाई के रूप में परिवर्तित कर दिया जिसका उद्देश्य बजट के दायरे से बाहर की विकासात्मक परियोजनाओं हेतु संसाधन जुटाना था।

विभिन्न प्रकार के बॉण्ड

- वर्तमान में बहुत से बॉण्ड चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिनके कारण अक्सर दुविधा की स्थिति बन जाती है। इस दुविधा से बचने के लिये ही हमने ऐसे कुछ बॉण्डों के विषय में यहाँ संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है, जो कि इस प्रकार हैं-

मसाला बॉण्ड

- मसाला बॉण्ड भारत के बाहर जारी किये जाने वाले बॉण्ड होते हैं, लेकिन स्थानीय मुद्रा की बजाय इन्हें भारतीय मुद्रा में निर्दिष्ट किया जाता है।
- डॉलर बॉण्ड के विपरीत (जहाँ उधारकर्ता को मुद्रा जोखिम लेना पड़ता है) मसाला बॉण्ड में निवेशकों को जोखिम उठाना पड़ता है।
- नवंबर 2014 में विश्व बैंक के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा पहला मसाला बॉण्ड जारी किया गया था।

रुपए बॉण्ड

- रुपए ऋण बॉण्ड (Rupee Debt Bonds) को रुपए डेनोमिनेटेड बॉण्ड (Rupee Denominated Bonds) या 'मसाला बॉण्ड' (Masala Bonds) के रूप में भी जाना जाता है।
- इस प्रकार के बॉण्ड को भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा जोखिम को खत्म करने के लिये जारी किया जाता है।
- मसाला बॉण्ड, ऑफशोर कैपिटल मार्केट (Offshore Capital Markets) में जारी किये गए भारतीय रुपए डेनोमिनेटेड बॉण्ड (Indian Rupee Denominated Bonds) हैं।

हरित बॉण्ड

- हरित बॉण्ड, संघीय योग्य संगठनों अथवा नगर पालिकाओं द्वारा पूर्व स्थापित क्षेत्रों (Brownfield sites) के विकास के लिये जारी कर-मुक्त बॉण्ड होते हैं।
- ग्रीन बॉण्ड, दूसरे बॉण्डों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके तहत केवल पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं यानी हरित परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। ऐसी परियोजनाएँ आमतौर पर अक्षय ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ परिवहन, सतत जल प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित क्षेत्र में अवस्थित होती हैं।

जलवायु बॉण्ड

- जलवायु बॉण्ड (इन्हें ग्रीन बॉण्ड के रूप में भी जाना जाता है) के रूप में निश्चित आय वाले वित्तीय साधनों (बॉण्ड) को जलवायु परिवर्तन संबंधी समाधानों से किसी-न-किसी तरह से संबद्ध किया जाता है।
- जलवायु बॉण्ड (Climate Bonds) अपेक्षाकृत एक नया परिसंपत्ति वर्ग (New Asset Class) है। इसके बावजूद इसमें बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है।

सामाजिक प्रभाव बॉण्ड

- सामाजिक प्रभाव बॉण्ड (Social Impact Bond) को सफल वित्तपोषण हेतु वेतन (Pay for Success Financing) अथवा सामाजिक लाभ बॉण्ड या केवल एक सामाजिक बॉण्ड के रूप में जाना जाता है।
- वस्तुतः यह सार्वजनिक क्षेत्र के साथ एक अनुबंध के रूप में होता है, जिसमें बेहतर सामाजिक परिणामों के लिये भुगतान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। इसका परिणाम सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में परिलक्षित होता है।

विकास प्रभाव बॉण्ड

- विकास प्रभाव बॉण्ड (Development Impact Bonds - DIBs) एक प्रदर्शन आधारित निवेश साधन है, जिसका उद्देश्य कम संसाधन वाले देशों के विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना है।
- विकास प्रभाव बॉण्ड को सामाजिक प्रभाव बॉण्ड के आधार पर बनाया जाता है।

औद्योगिक राजस्व बॉण्ड बॉण्ड

- औद्योगिक राजस्व बॉण्ड (Industrial Revenue Bond - IRB) राज्य अथवा स्थानीय सरकार द्वारा जारी एक अनूठे प्रकार का राजस्व बॉण्ड होता है।
- इस बॉण्ड को एक सरकारी इकाई द्वारा प्रायोजित किया जाता है।

सामान्य दायित्व बॉण्ड

- एक सामान्य दायित्व बॉण्ड (General Obligation Bond) एक नगरपालिका बॉण्ड होता है।
- ये किसी परियोजना से प्राप्त राजस्व के स्थान पर वितरित अधिकार क्षेत्र के क्रेडिट और कर लगाने की शक्ति द्वारा समर्थित बॉण्ड होते हैं।
- सामान्य दायित्व बॉण्ड को इस धारणा के साथ जारी किया जाता है कि इसके आधार पर नगरपालिका परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व अथवा कराधान के माध्यम से अपने ऋण दायित्वों को चुकाने में सक्षम हो जाएंगी।

कॉरपोरेट बॉण्ड

- किसी कॉरपोरेशन द्वारा जारी किये गए बॉण्ड को कॉरपोरेट बॉण्ड कहा जाता है।
- कॉरपोरेट बॉण्ड को पहले से चल रहे कार्यों अथवा विलय एवं अधिग्रहण अथवा व्यापार का विस्तार करने जैसे विभिन्न कारणों हेतु वित्तपोषण बढ़ाने के लिये जारी किया जाता है।
- हालाँकि, कॉरपोरेट बॉण्ड शब्द को बहुत सटीकता के साथ परिभाषित नहीं किया गया है।

तेल तथा गैस के आयात पर निर्भरता कम करने की सिफारिश

संदर्भ

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों के बीच सामंजस्य पैदा करने के लिये कार्ययोजना तैयार करने से जुड़े मुद्दों की जाँच करने; कर मामलों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (Goods And Services Tax-GST) से लाभ प्राप्त करने के तरीकों के संबंध में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी।

- इस उच्चस्तरीय समिति में प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोदकर (अध्यक्ष) और वित्तीय और कर मामलों के विशेषज्ञ सिद्धार्थ प्रधान शामिल थे।
- समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उपक्रमों तथा संयुक्त उद्यमों के विलय, अधिग्रहण एवं एकीकरण; तेल सेवाएँ प्रदान करने वाली नई कंपनी के गठन; और दुनिया भर में तेल तथा गैस क्षेत्र के लिये सक्षम मानवशक्ति उपलब्ध कराने की आवश्यकता एवं संभावना का अध्ययन किया।

भारत के लिये ऊर्जा संरक्षण का महत्त्व

- भारत में ऊर्जा सुरक्षा एक प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकता है। वर्ष 2018 के दौरान भारत ने 204.92 MMT (Million Metric Tons) पेट्रोलियम उत्पादों तथा 58.64 BCM (Billion Cubic Meters) प्राकृतिक गैस का उपभोग किया जबकि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन स्थिर रहा।
- इस दौरान कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (Liquified Natural Gas-LNG) के आयात पर निर्भरता क्रमशः 82.59 प्रतिशत और 45.89 प्रतिशत थी जिसमें आने वाले दिनों में वृद्धि की संभावना है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (Liquified Natural Gas-LNG)

- LNG प्राकृतिक गैस का तरल रूप है जिसे आमतौर पर जहाजों के माध्यम से बड़ी मात्रा में उन देशों को भेजा जाता है जहाँ पाइप लाइन का विस्तार संभव नहीं है।
- प्राकृतिक गैस को 160 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके तरल अवस्था में लाया जाता है। प्राकृतिक गैस से तरलीकृत प्राकृतिक गैस बनाने की प्रक्रिया के दौरान बहुत सी अशुद्धियों को पृथक किया जाता है। इसलिये LNG को प्राकृतिक गैस का शुद्धतम रूप कहा जाता है।
- वर्ष 2018 के दौरान पेट्रोलियम का आयात (7028.37 अरब रुपए) देश के कुल सकल आयात (30010.2 अरब रुपए) का 23.42 प्रतिशत था।
- भारत की तेल की मांग में वर्ष 2016-2030 के दौरान चार प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate-CAGR) का अनुमान लगाया गया है जबकि विश्व का औसत केवल एक प्रतिशत है। हालाँकि भारत द्वारा तेल की अनुमानित मांग अमेरिका और चीन के मुकाबले काफी कम होगी।
- अतः भारत काफी संकटपूर्ण स्थिति में है। भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति के लिये लीक से हटकर समाधान निकालने की आवश्यकता है। अनुसंधान और विकास इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

समिति की सिफारिश

- उच्चस्तरीय दल ने तेल और गैस के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण संस्थानों का दौरा किया और अंततः अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की जिन पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum & Natural Gas) द्वारा नीतियाँ तैयार करते समय विचार किया जाएगा। समिति की सिफारिशों के अनुसार तेल एवं गैस के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिये अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि की रणनीतियाँ तैयार करने की आवश्यकता है।

ट्रस्ट या संस्थान के लिये ऑडिट नियमों से संबंधित मसौदा अधिसूचना

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes-CBDT) ने किसी ट्रस्ट या संस्थान के लिये ऑडिट नियमों से संबंधित आयकर नियमों, 1962 के नियम 17B के संशोधन के लिये एक मसौदा अधिसूचना जारी की।

नोट:

- नियम 17B और फॉर्म संख्या 10B को आयकर नियम, 1962 (आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 1973) में शामिल किया गया।
- नियम 17B में कहा गया है कि किसी भी ट्रस्ट अथवा संस्थान के लेखा के अंकेक्षण की रिपोर्ट (Report of Audit) फॉर्म संख्या 10B में होगी।
- फॉर्म संख्या 10B के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट के अलावा अनुलग्नक के रूप में 'ब्योरेवार रिपोर्टों का विवरण' (Statement of particulars) भी उपलब्ध कराया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- चूँकि नियम और प्रपत्र को बहुत पहले अधिसूचित किया गया था, वर्तमान समय की आवश्यकताओं के साथ सरेखित करने के लिये इन्हें और अधिक तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- नया फॉर्म 10B कुछ इस तरह का है:
- प्राप्त विदेशी दान प्राप्त और दानकर्ताओं का विवरण भरना (जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत कटौती का दावा करने के लिये प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं);
- वह कानून जिसके तहत ट्रस्ट/संस्थान गठित की जाती है तथा आयकर अधिनियम के तहत पंजीकरण;
- ट्रस्ट/संस्थान का उद्देश्य;
- आय का विवरण और आय का आवेदन;
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, [Foreign Contribution (Regulation) Act-FCRA], 2010 के तहत पंजीकरण की स्थिति; तथा
- विभिन्न अन्य विवरणों के साथ लेखांकन नीति की विधि।
- ट्रस्ट/संस्थान के मामले में 'सामान्य जनोपयोगी किसी अन्य वस्तु की उन्नति' के रूप में वर्गीकृत वस्तु के साथ मसौदा अधिसूचना में इस बात की जानकारी मांगी गई है कि क्या इस तरह की गतिविधि व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय या सेवाओं के संबंध में उपकर, फीस आदि से संबद्ध है, इस तरह की किसी भी गतिविधि से प्राप्त रसीद के विवरण को फॉर्म में भरा जाएगा।
- संशोधित 'विवरणों का विवरण' में ट्रस्ट के संचालन का व्यापक विवरण देना होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रस्ट उपयुक्त प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहा है।
- जहाँ किसी व्यावसायिक उपक्रम को 'ट्रस्ट के अधीन संपत्ति' के रूप में दर्शाया जाता है, वहाँ प्रस्तावित फॉर्म में उक्त ट्रस्ट के संबंध में व्यापक विवरण और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता होगी।
- कर विशेषज्ञों के अनुसार, विभिन्न अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं से लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी क्योंकि अब उन्हें यह प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी कि अनुलग्नक में दिये गए विवरण सही हैं या नहीं। इस प्रकार, निर्धारिता (Assessee) के साथ-साथ लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएगी।

नोट :

भारत का निर्यात दोगुना करने की सिफारिश

चर्चा में क्यों ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति ने भारत द्वारा किये जाने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को वर्ष 2025 तक दोगुना अर्थात् 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की सिफारिश की है। इस समिति का गठन अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला के नेतृत्व में किया गया था।

समिति की सिफारिशें

- समिति ने 'एलिफेंट बॉण्ड्स' जारी करने का सुझाव दिया है, जिसके अंतर्गत अधोषित आय की घोषणा करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से उस राशि का आधा हिस्सा इन प्रतिभूतियों में निवेश करना होगा।
- 'एलीफेंट बॉण्ड' एक 25 साल का संप्रभु बॉण्ड है जिसमें अधोषित आय की घोषणा करने वाले लोग 50 प्रतिशत निवेश करने के लिये बाध्य होंगे।
- इस बॉण्ड से प्राप्त निधि का इस्तेमाल केवल अवसंरचना विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिये किया जाएगा।
- कर की दरें : समिति ने प्रभावी कॉर्पोरेट कर की दर कम करने, पूंजी की लागत में कमी लाने और विदेशी निवेश कोष के लिये विनियामक और कर ढाँचे को सरल बनाने की सिफारिश की है।
- समिति ने निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank) बैंक का पूंजीगत आधार वर्ष 2022 तक 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की सिफारिश की है।
- मुक्त व्यापार समझौते: मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements-FTA's) पर हस्ताक्षर करने से पहले उद्योग और MSMEs से इनपुट प्राप्त करना और उन्हें इसके लाभों के बारे में सचेत करना।
- मौजूदा समझौतों के गहन मूल्यांकन तथा भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर इन समझौतों के प्रभाव की आवश्यकता।
- भविष्य में होने वाली FTA वार्ता और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर एक डेटाबेस को बनाए रखने के लिये उपचारात्मक उपायों पर विचार करने की सिफारिश भी की गई है।
- विश्व व्यापार संगठन के उपाय: राज्य सरकारों को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization-WTO) के मानकों के अनुरूप समर्थन प्रदान कर निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में सुधार करने के लिये निकटता से शामिल होने की आवश्यकता है।
- शुल्क संरचना (Tariff Structure): शुल्क संरचना के संबंध में एक व्यापक निर्यात रणनीति तैयार करने और टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की गई है।

उद्योग-विशिष्ट सिफारिशों/सुझावों में शामिल हैं:

- कपड़ा और वस्त्र क्षेत्र: श्रम कानूनों जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947) में संशोधन, फर्म के आकार पर परिसीमन (Limitation) को हटाने और विनिर्माण फर्मों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिये।
- चिकित्सा पर्यटन: चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एक अखिल भारतीय पर्यटन बोर्ड का गठन करने के साथ ही चिकित्सा बीजा व्यवस्था को सरल बनाया जाना चाहिये।
- कृषि निर्यात: कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम और कृषि उपज बाजार समिति (Agricultural Produce Market Committee-APMC) को समाप्त किया जाना चाहिये।
- चिकित्सा क्षेत्र : चिकित्सा उपकरणों के लिये एकल मंत्रालय और इस क्षेत्र के लिये अलग विनियमन स्थापित किया जाना चाहिये।

निर्यात में वृद्धि से लाभ

निर्यात को बढ़ावा देने से देश में रोजगार सृजन होगा, विनिर्माण प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय संस्थानों के लिये नई नियामक संरचना

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) के केंद्रीय बोर्ड ने वाणिज्यिक, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पर्यवेक्षण एवं विनियमन को मज़बूती प्रदान करने के लिये RBI के अंतर्गत एक विशेष पर्यवेक्षी और नियामक संवर्ग/कैडर (Supervisory and Regulatory cadre) बनाने का निर्णय लिया है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक का यह कदम ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ IL&FS संकट के कारण तरलता में भारी कमी जैसी समस्या का सामना कर रही हैं।

इस निर्णय का कारण

- बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Companies-NBFCs) जैसी विनियमित संस्थाओं में बढ़ती जटिलता को देखते हुए RBI द्वारा एक विशेष पर्यवेक्षी और नियामक कैडर बनाने का निर्णय उचित है।
- बैंकों में धोखाधड़ी के हालिया मामले और NBFCs द्वारा चूक, जिसने पिछले एक साल में वित्तीय बाजारों को स्थिर कर दिया, के बाद वित्तीय क्षेत्रों की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने के लिये विशेष पर्यवेक्षण आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

- कुछ NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (Housing Finance Companies) में तरलता की कमी की कमी को देखते हुए NBFCs के ऋण साधनों में निवेश और प्रवर्तकों/प्रमोटरों द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों तथा प्रमोटरों के वित्त पोषण से चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हुई है।
- ऐसा माना जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी कार्यों में, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी और अव्यवस्थित प्रशासन का समय पर पता लगाने में असफल रहा था।

भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation- MoSPI) के तहत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office- NSSO) को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistics Office- CSO) के साथ विलय करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- दिनांक 23 मई, 2019 के आदेशानुसार, NSSO और CSO के विलय के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) के गठन को मंजूरी दे दी गई है।
- आदेश में कहा गया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की अध्यक्षता सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सचिव द्वारा की जाएगी किंतु इस आदेश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission- NSC) का कोई उल्लेख नहीं है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग देश में किये जाने वाले सभी सांख्यिकीय कार्यों की देखरेख करने वाला निकाय रहा है।
- यह आदेश भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के साथ सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन) की बराबरी स्थापित नहीं करता है, जैसा कि 1 जून, 2005 को MoSPI द्वारा अधिसूचित पहले के प्रस्ताव में किया गया था।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) सांख्यिकीय कार्य के सभी तकनीकी पहलुओं, मसलन किस सर्वेक्षण को कब, कहाँ और कैसे किया जाना चाहिये, की देखरेख करता है।
- मंत्रालय के वर्तमान नोडल कार्यों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने तथा मंत्रालय के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत कर अधिक तालमेल बिटाने हेतु भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के पुनर्गठन का आदेश जारी किया गया है

2019 का आदेश बनाम 2005 का प्रस्ताव

- 2005 के प्रस्ताव में एनएससी की स्थापना की मंजूरी देने के साथ-साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (National Statistical Organisation)/(सांख्यिकी हेतु सरकार की एक कार्यकारी शाखा) का भी प्रस्ताव रखा था जिसे एनएससी द्वारा निर्धारित नीतियों और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
- 2005 के प्रस्ताव में राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (National Statistical Organisation) के दो विंग, सीएसओ और एनएसएसओ को प्रस्तावित किया गया था, जबकि 2019 के आदेश में कहा गया है कि सांख्यिकी विंग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) मंत्रालय का एक अभिन्न अंग होगा जिसका गठन सीएसओ और एनएसएसओ के विलय के द्वारा किया जाना है।

वर्तमान संरचना

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निम्नलिखित दो विंग हैं-
- सांख्यिकी से संबंधित
- कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित
- वर्तमान में सांख्यिकी विंग, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान (National Statistical Organisation) में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) शामिल हैं।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग में तीन प्रभाग हैं-
- 20 पॉइंट प्रोग्राम
- इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनीटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
- उक्त दो विंग के अलावा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के एक प्रस्ताव के माध्यम से बनाए गए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) के साथ-साथ एक स्वायत्त संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान भी है जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया है।
- NSC के पास सांख्यिकीय मामलों में नीतियों, प्राथमिकताओं और मानकों को विकसित करने का शासनादेश भी है।

वर्तमान संरचना में समस्याएँ

- राष्ट्रीय लेखा में परीक्षण के बगैर डेटा का उपयोग, पारदर्शिता और जीडीपी डेटाबेस में प्रभावी ऑडिट की कमी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अप्रभावी निरीक्षण की ओर इशारा करती है।

NBFCs के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक के नए नियम

चर्चा में ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने गंभीर नकदी संकट का सामना कर रही बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non Banking Financial Companies-NBFCs) को संकट से बाहर निकालने के लिये नए दिशा-निर्देश प्रस्तावित किये हैं ताकि IL&FS जैसे संकट की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

- RBI ने अपने मसौदा परिपत्र "NBFCs और कोर निवेश कंपनियों के लिये तरलता जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क" [Liquidity Risk Management Framework for NBFCs and Core Investment Companies (CICs)] में इन दिशा-निर्देशों का प्रस्ताव किया है।
- नए प्रावधानों के अनुसार, NBFCs के परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (Asset-Liability Management-ALM) ढाँचे को मजबूत करने और इनके वर्तमान स्तर को ऊपर उठाने के लिये, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में भी बैंकों की तरह तरलता कवरेज अनुपात (Liquidity Coverage Ratio-LCR) की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिये।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश

- RBI के प्रस्तावित नियमों के अनुसार, जमा स्वीकार करने वाली सभी NBFCs तथा जमा स्वीकार नहीं करने वाली NBFC (जिनका आकार 5,000 करोड़ रुपए हो) के लिये तरलता कवरेज अनुपात (LCR) व्यवस्था शुरू की जाएगी।
- बेसल-III मानकों के तहत LCR एक मांग है जिसके अंतर्गत बैंकों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (High-Quality Liquid Assets-HQLA) के रूप में एक निश्चित राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो 30 दिनों तक नकदी बहिर्वाह के लिये निधि प्रदान करने हेतु पर्याप्त है।
- HQLA ऐसी तरल संपत्तियाँ हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है या अल्प नुकसान अथवा बिना किसी हानि के तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है या उधार के प्रयोजनों के लिये संपार्श्विक (Collateral) के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
- उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों के रूप में NBFCs द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में अंशधारिता को अनिवार्य किया जाना चाहिये।
- जोखिम को कम करने के लिये व्यापक नीतियाँ: आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों को लागू करने के लिये 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति वाली सभी NBFCs के बोर्ड को तरलता जोखिम कम करने के लिये परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (Asset Liability Management Committee), परिसंपत्ति जोखिम प्रबंध समिति (Asset Risk Management Committee) और परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन में सहायता के लिये समूह (Asset-Liability Management Support Group) का गठन करना आवश्यक है।
- आस्तियों और देयताओं का असंतुलन NBFC के कुल आउटफ्लो के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये।
- NBFCs के लिये तरलता संकट के प्रबंधन उपकरण के रूप में अपनी आकस्मिक निधि योजना तैयार करने की आवश्यकता है जो उन्हें तरलता संकट की स्थिति में धन के वैकल्पिक स्रोतों के जरिये मदद करेगा और धन के एकल स्रोत पर निर्भरता पर रोक लगाएगा क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वाणिज्यिक पत्र (Commercial Papers) पर NBFCs की अधिक निर्भरता के कारण अतीत में इनके द्वारा जारी किये गए एक लाख करोड़ वाणिज्यिक पत्र डिफॉल्ट की स्थिति में पहुँच सकते हैं।

वाणिज्यिक या तिजारी पत्र (Commercial Paper) एक अल्पकालिक, आरक्षित वचन पत्र होता है जो बेचान (Endorsement) के द्वारा अंतरणीय एवं परक्राम्य/बेचनीय (Negotiable) है तथा परिपक्वता अवधि के बाद एक इनकी सुनिश्चित (स्थिर) अंतरण या सुपुर्दागी होती है।

वाणिज्यिक पत्र कंपनियों द्वारा एक वर्ष तक की अवधि के लिये धन जुटाने हेतु जारी किये जाते हैं।

- एक ग्रैनुलर मैच्योरिटी बकेट प्रणाली (Granular Maturity Bucket System) का प्रस्ताव किया गया है ताकि वह पूरे कार्यकाल के दौरान आस्तियों और देयताओं के असंतुलन पर नज़र रख सके। नए मानदंडों के तहत, 1-30 दिनों के बकेट को 1-7 दिनों, 8-14 दिनों और 15-30 दिनों की बकेट में विभाजित किया जाएगा। इसके अलावा NBFC को अपने बोर्डों की मंजूरी के साथ आंतरिक विवेकपूर्ण सीमा स्थापित कर 1 वर्ष तक के अन्य सभी समय की बकेट में उनके आस्तियों तथा देयताओं के संचयी असंतुलन की निगरानी करना आवश्यक होगा।

FPI पर एच.आर. कार्यसमूह

चर्चा में क्यों ?

पिछले साल भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (Securities and Exchange Board-SEBI) ने RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर एच.आर. खान की अध्यक्षता में गठित कार्यसमूह की रिपोर्ट जारी की थी।

- रिपोर्ट में कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये पूंजी के प्रमुख स्रोत हैं, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिये एक सामंजस्यपूर्ण और परेशानी मुक्त निवेश अनुभव सुनिश्चित किया जाना चाहिये। साथ ही आर्थिक नियमों के प्रस्तुतिकरण के साथ-साथ पारदर्शिता में सुधार पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये।
- इस पृष्ठभूमि के आलोक में समूह के प्राथमिक उद्देश्य विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ढाँचे का उदारीकरण, समेकन, सरलीकरण एवं युक्तिकरण था।

प्रमुख सिफारिशें

- भारतीय बाजार में विदेशी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिये नियमों को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिये। इसके लिये समूह ने सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया के साथ-साथ निवेशकों हेतु तीव्र बोर्डिंग प्रक्रिया (Boarding Procedure) का प्रस्ताव दिया है।
- समूह ने श्रेणी I के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के पंजीकरण, अपारदर्शी संरचना को हटाने और उचित रूप से विनियमित संस्थाओं के लिये विस्तृत परिस्थितियों पर आधारित समीक्षा हेतु पेंशन फंडों पर विचार करने की सिफारिश की है।
- समूह ने कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिये सॉवरेन वेल्थ फंड (Sovereign Wealth Funds-SWFs) पर प्रतिबंध, ऑफ-मार्केट लेनदेन (Off-Market Transactions) के लिये FPI की अनुमति और FPI में विदेशी निवेश हेतु निषिद्ध क्षेत्रों की समीक्षा के लिये एक उदार निवेश स्तर (Liberalised Investment Cap) का प्रस्ताव किया है।
- समिति ने FPI और वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds-AIFs) के लिये विनियमों के संयोजन एवं एफपीआई नियमों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act-FEMA) में निवेश प्रतिबंधों को लेकर सामंजस्य बनाने का भी प्रस्ताव किया है।
- म्यूचुअल फंड (Mutual Funds) में FPI निवेश पर प्रतिबंध के संदर्भ में समूह ने विचार-विमर्श किये जाने की सिफारिश की है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश किसी देश में धनराशि की प्रविष्टि का वह तरीका है जिसमें किसी भी देश का नागरिक किसी अन्य देश के बैंक में धन जमा करता है या दूसरे देशों के स्टॉक और बॉण्ड बाजारों में खरीदारी करता है।

FPIs क्यों महत्वपूर्ण है ?

- FPI इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भारतीय शेयर बाजारों के लिये प्रमुख निवेशक रहे हैं।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की श्रेणियाँ

- श्रेणी I (कम जोखिम): इसमें सरकार और विदेशी केंद्रीय बैंक, सॉवरिन वेल्थ फंड, बहुपक्षीय संगठन आदि शामिल होंगे।
- श्रेणी II: इसमें बड़े पैमाने पर विनियमित संस्थान, व्यक्ति, व्यापक आधार वाली निधि (Broad-Based Funds) और विश्वविद्यालय, पेंशन एवं बंदोबस्ती निधि शामिल हैं।
- श्रेणी III (उच्च जोखिम): इसमें वे FPIs शामिल होंगे जो उक्त दोनों श्रेणियों में शामिल होने के योग्य नहीं हैं।

वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund-AIF)

- AIFs किसी ट्रस्ट या कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय या LLP (Limited Liability Partnership) के रूप में निजी तौर पर जमा किये गए निवेश फंड हैं, जिन्हें वर्तमान में सेबी के किसी भी विनियमन द्वारा कवर नहीं किया जाता है और न ही ये किसी अन्य के प्रत्यक्ष विनियमन (IRDA, PFRDA, RBI में सेक्टरल रेगुलेटर) के तहत आते हैं।
- अतः भारत में AIFs निजी फंड हैं जो भारत में किसी भी नियामक एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

AIF की श्रेणियाँ:

- श्रेणी I AIF: वे AIF जो आमतौर पर स्टार्ट-अप या प्रारंभिक चरण के उपक्रमों में निवेश करते हैं जिन्हें सरकार या नियामक सामाजिक या आर्थिक रूप से बांछनीय मानते हैं। जैसे- वेंचर कैपिटल फंड (एंजेल फंड्स सहित), एसएमई फंड्स।
- श्रेणी II AIF: ये AIF श्रेणी I और III में शामिल नहीं होते हैं और ये AIF सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 द्वारा अनुमति प्राप्त दिन-प्रतिदिन की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लाभ अर्जित करने या उधार लेने का कार्य नहीं करते हैं। जैसे- रियल एस्टेट फंड, निजी इक्विटी फंड।
- श्रेणी III AIFs: ये विविध या जटिल व्यापारिक रणनीतियों को रोजगार प्रदान करते हैं और सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव में निवेश के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। जैसे- हेज फंड, पब्लिक इक्विटी फंड में निजी निवेश।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI)

- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।

- इसका मुख्यालय मुंबई में है।
- इसके मुख्य कार्य हैं-
 - ◆ प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
 - ◆ प्रतिभूति बाजार (Securities Market) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वैकल्पिक फसल की व्यवस्था

चर्चा में क्यों ?

गहराते जल संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने धान (Paddy) की खेती को हतोत्साहित करने का फैसला किया है। धान की खेती में जल की अत्यधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है जो भू-जल (Groundwater) स्तर में गिरावट का कारण है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- लंबे समय से पानी की कमी के कारण हरियाणा में 60 ऐसे क्षेत्र हैं जो डार्क जोन (Dark Zone) की श्रेणी में हैं। भूजल संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने आगामी सीजन से धान की बुवाई को हतोत्साहित करने का निर्णय लिया है।
- हरियाणा सरकार ने 27 मई से यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और सोनीपत जिले के सात ब्लॉकों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है।
- इस पायलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर मक्का और तुअर दाल की बुवाई को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कदम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल में विविधता को भी बढ़ावा देगा।
- हरियाणा में इस नई योजना के तहत चिह्नित किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध कराया जाएगा और दो भागों में 2000रुपए प्रति एकड़ हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 766रुपए प्रति हेक्टेयर मक्का फसल बीमा प्रीमियम (Maize Crop Insurance Premium) भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही सरकारी एजेंसियों (Government Agencies) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मक्का की उपज खरीदी जाएगी।
- इसी प्रकार 'तुअर' का बीज भी किसानों को मुफ्त में दिया जाएगा और इसी तरह से प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
- किसानों के अनुसार, यदि सरकार धान की खेती को रोकने की इस योजना को सफल बनाना चाहती है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर वैकल्पिक फसलों की खरीद के लिये पहले एक अनुकूल व्यवस्था का निर्माण करे, ताकि उन्हें अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त हो सके।
- धान की खेती छोड़ने के बाद सरकार द्वारा दो फसलों- मक्का और तुअर की दाल का विकल्प किसानों को दिया गया है परंतु पिछले सीजन के दौरान किसानों को मंडियों में मक्के की बिक्री में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस अनुभव के कारण उन्होंने इस योजना को सफल बनाने हेतु एक अनुकूल व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया है।
- राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीदने का कोई विश्वसनीय तंत्र नहीं है। खरीद केंद्रों की स्थापना में देरी, बिचौलियों द्वारा किया जाने वाला शोषण, आदि के कारण किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर पर अपनी उपज को बेचने के लिये विवश हो जाते हैं।
- जब तक किसानों को उनकी उपज के लिए उचित और सुनिश्चित कीमत नहीं दी जाती, तब तक उन्हें नुकसान होता रहेगा।

सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए प्रकटीकरण मानदंड हुए सख्त

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड-सेबी (Securities and Exchange Board of India-SEBI) ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (Listed Debt Securities) में निवेशकों के हित को सुरक्षित रखने हेतु ऐसी प्रतिभूतियों को जारी करने वाली संस्थाओं के लिये प्रकटीकरण मानदंडों (Disclosure Norms) को सख्त कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- सेबी ने डिबेंचर न्यासियों (Debenture Trustee) को अपनी वेबसाइट पर ग्राहकों के साथ क्षतिपूर्ति की प्रकृति का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। इन खुलासों में न्यूनतम शुल्क और शुल्क को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी देना भी शामिल है।
- डिबेंचर न्यासियों को एक वित्त वर्ष के दौरान सभी निर्गमों के संबंध में डिबेंचर धारकों पर ब्याज या परिपक्वता अवधि पूरी होने पर देय राशि का विवरण अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यह विवरण वित्त वर्ष चालू होने के पाँच दिन के भीतर ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही डिबेंचर न्यासियों को पूरे वित्त वर्ष के दौरान प्रबंधित नए निर्गम के बारे में भी सारा विवरण निर्गम बंद होने के पाँच दिन के भीतर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- सेबी के अनुसार, निजी नियोजन वाले निर्गम के संबंध में भुगतान और सूचीबद्धता में चूक से जुड़ी जानकारीयाँ जारीकर्ता और निवेशक के बीच हुए समझौते में शामिल होनी चाहिये।
- निर्धारित तिथि पर ब्याज और परिपक्वता अवधि पर देय राशि के भुगतान में चूक की स्थिति में जारीकर्ता कंपनी को निर्धारित ब्याज दर (Coupon Rate) पर कम-से-कम 2% का अतिरिक्त ब्याज देना होगा। इसी प्रकार, आवंटन की तारीख से 20 दिनों से अधिक की देरी के साथ बॉण्ड को सूचीबद्ध करने पर जारीकर्ता कंपनी को ब्याज दर पर कम-से-कम एक प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक ब्याज निवेशक को देना होगा।

ऋणपत्र (Debenture)

- 'ऋणपत्र' (Debenture) शब्द लैटिन भाषा के 'डिबेयर' शब्द से बना है जिसका तात्पर्य कर्ज लेने से है। "ऋण पत्र एक लिखित विपत्र है जो कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत एक ऋण का अभिज्ञान कराता है।" इसमें एक विशिष्ट अवधि के बाद या एक मध्यावधि पर या कंपनी के एक विकल्प पर परिशोधन और एक स्थिर दर पर ब्याज चुकौती (जोकि समान्यतः अर्द्धवार्षिक या वार्षिक तिथि पर देय होता है) के लिये एक अनुबंध समाहित होता है।

डिबेंचर न्यासी या ट्रस्टी (Debenture Trustee)

- डिबेंचर न्यासी या ट्रस्टी एक व्यक्ति या इकाई है कि जो कि अन्य पक्ष के लाभ के लिये डिबेंचर स्टॉक को अपने पास रखने का काम करता है। कंपनियों को डिबेंचर निर्गम के लिये डिबेंचर न्यासी या ट्रस्टी नियुक्त करना आवश्यक है। बैंक या वित्तीय कंपनियाँ न्यासी/ट्रस्टी के रूप में कार्य कर सकती हैं। जब कोई कंपनी पूंजी जुटाना चाहती है तो इस उद्देश्य को पूरा करने का एक तरीका यह है कि कर्ज चुकाने के दायित्व के साथ एक विशिष्ट ब्याज दर पर ऋण के रूप में स्टॉक जारी किया जाए। ट्रस्टी, ऋणपत्र/डिबेंचर जारी करने वाली कंपनी तथा ब्याज भुगतान प्राप्त करने वाले डिबेंचर धारक के बीच एक संपर्क के रूप में कार्य करता है।

सिंगापुर: भारत का शीर्ष FDI स्रोत

चर्चा में क्यों ?

पिछले वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019) के दौरान सिंगापुर (Singapore) से होने वाला विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (Foreign direct investment-FDI) मॉरीशस (Mauritius) की तुलना में दोगुना रहा। दोनों देशों के बीच कर संधि को पुनः लागू करने के बाद विदेशी प्रवाह के लिये यह अभी तक का सबसे पसंदीदा मार्ग रहा।

- देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पिछले छह सालों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया है। भारत में निवेश करने वाले अन्य प्रमुख देशों में जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस शामिल हैं।
- वर्ष 2018-19 में मॉरीशस के 8.1 अरब डॉलर के मुकाबले सिंगापुर से अनुमानतः 16.2 बिलियन डॉलर के FDI का प्रवाह हुआ। यह केवल तीसरी बार है कि सिंगापुर से होने वाले निवेश प्रवाह में मॉरीशस की तुलना में इतना अधिक उछाल आया है, इस संबंध में निवेश सलाहकारों द्वारा कर संधि में बदलाव के कारण टैक्स ट्रीटमेंट (Tax Treatment) में आई अनुरूपता को मुख्य कारक बताया जा रहा है।
- इसके अलावा, सिंगापुर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ease of doing business) के मोर्चे पर बहुत-से अन्य लाभ भी उपलब्ध करा रहा है जैसे- विदेशी स्रोतों से प्राप्त पूंजीगत लाभ पर शून्य कर (zero tax), आदि। संभवतः FDI के प्रवाह में आए बदलाव का एक कारण यह भी है।

दोहरा कराधान क्या है ?

- दोहरे कराधान (Double Taxation) का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ही कंपनी या व्यक्ति (करदाता) की एकल आय एक से अधिक देशों में कर योग्य हो जाती है। ऐसी स्थिति विभिन्न देशों में आय पर कराधान के भिन्न नियमों के कारण उत्पन्न होती है।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA)

- दोहरे कराधान से मुक्ति के लिये दो देशों की सरकारें 'दोहरा कराधान अपवंचन समझौता' (Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA) निष्पादित करती हैं जिसका उपयोग परस्पर दोहरे कराधान की समस्या से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।
- भारत में आयकर अधिनियम की धारा 90 द्विपक्षीय राहत से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत की केंद्रीय सरकार ने दूसरे देशों की सरकारों के साथ दोहरे कराधान की समस्या से निपटने के लिये समझौते किये हैं इन समझौतों को 'दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA)' कहा जाता है।

कर संधि (Tax Treaty)

- एक द्विपक्षीय कर समझौता (bilateral tax agreement), जिसे कर संधि भी कहा जाता है, दो अधिकार क्षेत्रों (उदाहरण के लिये, दो देशों) के बीच होने वाला एक समझौता है जो कराधान के मुद्दों के बारे में संघर्ष या दोहराव को संबोधित करता है।
- इस प्रकार के कर समझौते आमतौर पर दोहरे कराधान की समस्या के संदर्भ में अस्तित्व में लाए जाते हैं जब एक व्यक्ति या कंपनी एक से अधिक क्षेत्राधिकार में कार्य करती है। इसका कारण यह है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि दो देशों के बीच प्रवाहित आय (Income Flow) पर दो बार करारोपण हो जाए।
- इस समझौते के तहत कर संग्रह के लिये सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा आपसी सहयोग भी शामिल होता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct investment-FDI)

- यह एक समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक और देश में आर्थिक विकास के लिये गैर-ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

भारत और सिंगापुर के बीच समझौता

- सिंगापुर और भारत के बीच DTAA (Avoidance of Double Taxation Agreement) को वर्ष 1994 में लागू किया गया था। इस समझौते के प्रावधानों पर 29 जून, 2005 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर इन्हें संशोधित किया गया था।
- इसके दूसरे प्रोटोकॉल पर 24 जून, 2011 को हस्ताक्षर किये गए, जो 1 सितंबर, 2011 को लागू हुआ। इस समझौते से सिंगापुर और भारत के बीच आय के दोहरे कराधान को समाप्त किया गया तथा दोनों देशों के निवासियों पर पड़ने वाले समग्र कर बोझ को कम किया गया।
- मौजूदा भारत-सिंगापुर DTAA में संशोधन करने वाला तीसरा प्रोटोकॉल 27 फरवरी, 2017 को लागू हुआ।
- तीसरा प्रोटोकॉल 1 अप्रैल, 2017 से लागू होने वाले DTAA को संशोधित करता है, ताकि कंपनी में शेयरों की बिक्री पर होने वाले पूंजीगत लाभ के स्रोत आधारित कराधान हेतु लाभ प्रदान किये जा सकें। यह राजस्व हानि पर अंकुश लगाता है, दोहरे गैर-कराधान को प्रतिबंधित करता है और निवेश के प्रवाह को सुव्यवस्थित करता है।
- इसके साथ यह उम्मीद की जा रही है कि अब भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कर चोरी के जरिये अवैध धन का दुरुपयोग करने में सक्षम नहीं होंगी।

अमेरिका ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटाया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने भारत और स्विट्ज़रलैंड को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। गौरतलब है कि अमेरिका ने मुद्रा संबंधी क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिये भारत, चीन, जापान के साथ-साथ जर्मनी, दक्षिण कोरिया और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों को भी अक्टूबर 2018 में निगरानी सूची में शामिल किया था।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका ने पहली बार मई 2018 में संदेहास्पद विदेशी मुद्रा नीतियों वाले देशों की निगरानी सूची में भारत को शामिल किया था। वर्तमान में इस सूची में केवल चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम हैं।

मुद्रा निगरानी सूची

- अमेरिकी ट्रेजरी विभाग अर्द्ध-वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विकास पर नजर रखी जाती है तथा उनकी विदेशी विनिमय दरों का निरीक्षण किया जाता है।
- चीन अपनी "लगातार कमजोर मुद्रा" के कारण निगरानी सूची में बना हुआ है।
- हालाँकि इस सूची में शामिल होना किसी प्रकार के दंड और प्रतिबंधों के अधीन नहीं होता है, तथापि यह निर्यात लाभ हासिल करने के लिये मुद्राओं के अवमूल्यन सहित (विदेशी मुद्रा नीतियों के संदर्भ में) वित्तीय बाजारों में देश की वैश्विक वित्तीय छवि को नुकसान पहुँचाता है।

मानदंड

- अमेरिका ने कुछ निश्चित घटनाक्रमों के बाद प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से भारत को हटाने का निर्णय लिया।
- अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, भारत को सूची से इसलिये बाहर किया गया है क्योंकि वह तीन मानदंडों में से केवल एक में ही प्रतिकूल है। वह मानदंड है, अमेरिका के साथ बायलैटरल सरप्लस (bilateral surplus)।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के मानकों के अनुसार समुचित विदेशी मुद्रा भंडार रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और स्विट्जरलैंड ने वर्ष 2018 में विदेशी मुद्रा खरीदारी में काफी कमी की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी देश अपनी मुद्रा को बेचकर उसका मूल्य घटा सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका निर्यात सस्ता और प्रतिस्पर्द्धी हो जाता है।

इस कार्यवाही का प्रभाव

- यह भारत के लिये एक सकारात्मक गतिविधि है क्योंकि अब भारत मुद्रा निगरानी सूची के दायरे से बाहर हो गया है, सूची में शामिल देशों को मुद्रा हेरफेर करने वाले देश के रूप में वर्णित करने की संभावना रहती है। वे देश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिये मुद्रा विनिमय दर में हेरफेर करते हैं, उन पर अक्सर मुद्रा हेरफेर करने वाली अर्थव्यवस्था का टैग लगा दिया जाता है।
- भारत के इस सूची से बाहर होने से निश्चित रूप से भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में बातचीत का मार्ग प्रशस्त होगा और व्यापार से संबंधित मतभेदों को कम करने में सफलता मिलने की भी उम्मीद है, विशेष रूप से सामान्यीकृत प्रणाली (Generalized System of Preferences-GSP) के संदर्भ में।
- संयुक्त राज्य अमेरिका का हालिया कदम भारत सरकार के हाल्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क को 100% से घटाकर 50% करने के फैसले को पूरक बना देगा।
- इसका कारण यह है कि अक्सर अमेरिका द्वारा भारत पर "टैरिफ किंग" के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया जाता रहा है, अमेरिका का पक्ष है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में भारत की वैश्विक वित्तीय छवि में भी सुधार करेगा।

IMD वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक रैंकिंग

चर्चा में क्यों ?

हाल में संपन्न IMD की वैश्विक रैंकिंग में सर्वाधिक प्रतिस्पर्द्धी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ने 43वाँ स्थान प्राप्त किया है। हालाँकि 2016 की रैंकिंग में भारत 41वें स्थान पर और वर्ष 2017 की रैंकिंग में 45वें स्थान पर था। IMD की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मक रैंकिंग की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। यह 63 रैंक हेतु लगभग 235 आर्थिक संकेतकों के आधार पर प्रतिस्पर्द्धी देशों की क्षमता का मूल्यांकन करती है जिसका उद्देश्य सतत विकास, रोजगार के अवसर सृजित कर नागरिकों के कल्याण हेतु अनुकूल माहौल मुहैया कराना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- IMD बिज़नेस स्कूल के अनुसार, इस प्रतिस्पर्द्धा रैंकिंग में वृहद् स्तर के आँकड़ों का समावेश किया जाता है जैसे- बेरोज़गारी, जीडीपी, सरकार द्वारा शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च की जा रही मदें।
- साथ-ही-साथ सामाजिक समरसता, वैश्वीकरण और भ्रष्टाचार जैसे विषयों को भी सर्वेक्षण में सम्मिलित किया जाता है।
- भारत ने अपने सशक्त आर्थिक विकास, वृहद श्रम बल एवं विशाल बाज़ार के कारण यह वैश्विक रैंक को प्राप्त किया है।
- इसके साथ ही वास्तविक जीडीपी दर और शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि तथा व्यापार कानूनों में सुधार के कारण भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- IMD द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रैंक में सुधार होने के बावजूद भारत के समक्ष अभी भी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।
- भारत की प्रमुख चुनौतियों में रोजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट बैंडविड्थ, राजकोषीय अनुशासन के प्रबंधन के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर का कार्यान्वयन तथा बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये संसाधन जुटाने से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
- गौर करने वाली बात यह है कि वर्ष 2019 की रैंकिंग में भारत ने कई आर्थिक मापदंडों और कर नीतियों के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन सार्वजनिक वित्त, सामाजिक ढाँचे शिक्षा के बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मामले में यह पिछड़ गया है।
- विश्व के अन्य देशों की बात की जाए तो स्विट्ज़रलैंड इस रैंकिंग में पाँचवे से चौथे पायदान पर आ गया है।
- स्विट्ज़रलैंड की रैंकिंग में सुधार का कारण आर्थिक विकास, स्विस् फ्रैंक की स्थिरता और उच्च गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा है।
- अल्पाइन देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार का कारण उच्च शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि रही।
- संयुक्त-अरब-अमीरात पहली बार इस रैंकिंग में शीर्ष पाँच देशों में सम्मिलित हुआ है।
- इस वर्ष का सर्वाधिक प्रतिस्पर्द्धा देश सऊदी अरब रहा, जो 26वें स्थान से सीधा 13वें स्थान पर आ पहुँच गया।
- रैंकिंग में सबसे निचले स्थान पर वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था है। मुद्रास्फूर्ति में कमी, ऋण वितरण के लिये प्रभावी तंत्र का आभाव एवं कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण वेनेजुएला की रैंकिंग में गिरावट आई है।
- शीर्ष स्थान से फिसलने वाले अमेरिका के विषय में, अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कर नीतियों से शुरू में लोगों में उत्साह का संचार हुआ, परंतु धीरे-धीरे इस उत्साह में कमी आई। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर परिलक्षित होता है।

वस्त्र उद्योग के लिये सिफारिशें

चर्चा में क्यों ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (Ministry of commerce and industry) द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति (High-Level Expert Panel) ने वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिये सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। समिति द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों में शामिल हैं:

- बांग्लादेश जैसे देशों जिनसे भारतीय बाजारों तक पहुँच के लिये कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है, के साथ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा।
- मौजूदा पुरातन श्रम कानूनों में संशोधन।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये सब्सिडी का तत्काल वितरण।

वस्त्र उद्योग

कपड़ा और परिधान उद्योग आम तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- यार्न एवं फाइबर, और प्रसंस्कृत वस्त्र एवं परिधान।

रोज़गार सृजन: कपड़ा और वस्त्र उद्योग श्रम गहन क्षेत्र है जो रोजगार सृजन के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यह क्षेत्र भारत के 45 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है।

परंपरा और संस्कृति: भारतीय वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है, यह न केवल लाखों परिवारों को आजीविका प्रदान करता है बल्कि पारंपरिक कौशल, विरासत और संस्कृति का भंडार एवं वाहक भी है।

वस्त्र उद्योग को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:

असंगठित क्षेत्र: असंगठित क्षेत्र छोटे पैमाने पर विद्यमान है और इसमें पारंपरिक उपकरणों एवं विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम कीट पालन/सेरीकल्चर (sericulture) शामिल हैं।

संगठित क्षेत्र: संगठित क्षेत्र में आधुनिक मशीनरी तथा तकनीकों का उपयोग किया जाता है एवं इसमें कताई, परिधान और पोशाक निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था में योगदान: भारत ब्रांड और इक्विटी फाउंडेशन (India brand and equity foundation-IBEF) के अनुसार, भारत दुनिया के सबसे बड़े वस्त्र और कपड़ा उत्पादकों में से एक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में घरेलू कपड़ा और परिधान उद्योग की हिस्सेदारी 2% है। इसके अलावा यह क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन में 14%, देश के विदेशी मुद्रा अंतर्प्रवाह में 27% और देश की निर्यात आय में 13% का योगदान देता है।

वस्त्र उद्योग से संबंधित समस्याएँ

पुरातन श्रम कानून: इसके तहत विवाद का प्रमुख कारण यह कानून है कि 100 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाली किसी भी फर्म को उन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी से निकालने या छंटनी करने से पहले, श्रम विभाग से अनुमति लेनी होगी।

- लोगों को काम पर रखने और काम से निकालने की प्रक्रिया में लचीलापन लाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जैसे श्रम कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिये।
- ऐसी फर्मों के आकार का परिसीमन किया जाना चाहिये जिनके लिये रोजगार को समाप्त करने से पहले श्रम विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है और सभी फर्मों की दक्षता को प्रोत्साहित करने के मामले में निर्णय लेने की छूट दी जानी चाहिये।

मुक्त व्यापार समझौते: दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (South Asia Free Trade Agreement-SAFTA) जैसे कुछ प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों ने बांग्लादेश जैसे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता की है, जिन्हें भारतीय बाजार तक पहुँच के लिये शून्य शुल्क देना होता है। सरकार को इस तरह के समझौते पर फिर से विचार करना चाहिये और समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिये।

हाल के सुधारों का प्रभाव: वर्तमान में यह क्षेत्र स्थिर निर्यात, विमुद्रीकरण, बैंक पुनर्गठन और वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax-GST) के कार्यान्वयन के दौर से गुजर रहा है। भारत, जो वर्ष 2014 से 2017 के बीच चीन के बाद वस्त्र एवं कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था; जर्मनी, बांग्लादेश और वियतनाम के साथ अपने स्थान में गिरावट के साथ पाँचवें स्थान पर पहुँच गया।

सब्सिडी के वितरण में देरी: उद्योग संचालन को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Technology Upgradation Fund Scheme-TUFS) के तहत सब्सिडी के वितरण में तेजी लानी चाहिये।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (Technology Upgradation Fund Scheme-TUFS)

- सरकार ने वस्त्र और जूट उद्योग के उन्नयन के लिये 1 जनवरी, 1999 को 5 साल की अवधि के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (TUFS) की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत किसानों को ब्याज वापसी प्रतिपूर्ति/मूलधन में रियायत की सुविधा दी जानी थी।
- TUFS के तहत एक क्रेडिट लिंकड कैपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- यह योजना वास्तव में उधार देने वाली एजेंसियों द्वारा कपड़ा जूट उद्योग के आधुनिकीकरण में निवेश की सुविधा के लिये ब्याज से 5% की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। यह योजना नोडल एजेंसियों IDBI, SIDBI, IFCI और प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (SAFTA)

- दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता (South Asian Free Trade Area-SAFTA) उन सात दक्षिण एशियाई देशों के बीच एक समझौता है जिन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) का गठन किया है। (अर्थात् यह बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच एक समझौता है।)
- SAFTA ने पूर्व के दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौते (SAARC Preferential Trading Arrangement-SAPTA) का स्थान लिया है। इसका उद्देश्य SAARC सदस्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये शुल्कों को कम करना है।

केरल आपदा सेस (Flood cess) लगाने वाला पहला राज्य

केरल सरकार 1 जून, 2019 से राज्य में 5% से अधिक GST वाली वस्तुओं पर 1% का अतिरिक्त कर आरोपित करेगी।

- इसके साथ ही केरल आपदा सेस (Flood cess) लगाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
- इस आपदा सेस/उपकर का उद्देश्य राज्य के पुनर्निर्माण हेतु धन जुटाना है, जो कि अगस्त 2018 में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण बहुत अधिक प्रभावित हुआ था।
- इस उपकर (Cess) की घोषणा राज्य सरकार के बजट सत्र के दौरान ही कर दी गई थी।
- यह कर 1 जून, 2019 से 2 वर्षों की अवधि के लिये आरोपित किया जाएगा।
- रेलवे सेवाओं, फिल्म के टिकटों पर यह कर लागू नहीं होगा।
- उपकर के बोझ को कम करने के लिये छोटे व्यापारियों (जिनका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से कम हो) द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाएगा।
- यह उपकर केवल केरल राज्य के भीतर होने वाले लेन-देन पर ही लागू होगा, न कि अंतर्राज्यीय लेन-देन पर।
- सरकार ने सोने और चांदी पर भी बाढ़ उपकर के रूप में 0.25% का अतिरिक्त कर लगाने का फैसला किया है।

उपकर (Cess)

- उपकर या सेस, कर के ऊपर लगने वाला कर है जो आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाया जाता है।
- एक बार इसका उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद इस पर रोक लगा दी जाती है। अन्य करों (जिन्हें अन्य भारतीय राज्यों के साथ साझा किया जाता है) के विपरीत, उपकर के माध्यम से प्राप्त होने वाली संपूर्ण राशि केंद्र सरकार के पास संग्रहित की जाती है।
- समर्पित खातों में स्थानांतरित होने से पहले सेस से प्राप्त राशि को भारत की समेकित निधि (Consolidated Fund of India) में रखा जाता है।

उपकर के प्रकार

- 1 जुलाई, 2017 से GST के तहत कुछ उपकरों को शामिल किया गया है, जैसे- कृषि कल्याण उपकर (Krishi Kalyan Cess), स्वच्छ भारत उपकर (Swachh Bharat Cess), स्वच्छ ऊर्जा उपकर (Clean energy cess), चाय चीनी और जूट आदि पर उपकर।
- वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 6 प्रकार के उपकर को GST से बाहर रखा गया है, ये हैं- प्राथमिक शिक्षा उपकर, माध्यमिक शिक्षा उपकर, कच्चे पेट्रोलियम पर उपकर, सड़क उपकर और तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों पर उपकर, आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यू. एन. ने मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकी घोषित किया

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council- UNSC) ने 1 मई, 2019 को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्यों के समूह- ब्रिटेन, अमेरिका, एवं फ्रांस ने UNSC के '1267 प्रस्ताव' के तहत मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकवादी की प्रतिबंधित सूची में शामिल करने का अनुरोध किया था।
- ज्ञातव्य है कि इस मुद्दे पर चीन का समर्थन नहीं मिलने के कारण संयुक्त राष्ट्र में कई बार यह प्रस्ताव खारिज हो चुका था, जबकि P-3 समूह (UNSC के तीन सदस्यों का समूह- फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन) जैसे देश इस प्रस्ताव के पक्ष में थे।

प्रतिबंध का कारण

- मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का कारण, उसका आतंकवादी संगठन 'अल-क्रायदा' से जुड़ा होना, उसके लिये योजना बनाना, पैसा इकट्ठा करना, हथियार बेचना एवं उन्हें स्थानांतरित करना है।
- इसके अलावा आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना एवं आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के कारण उसे सूची में नामित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने पहली बार 2009 में मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने की कोशिश की थी किंतु इस मुद्दे पर चीन के वीटो पॉवर के प्रयोग से भारत को सफलता नहीं मिल पाई थी।
- मसूद अज़हर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने का भारत का यह चौथा प्रयास था और इस बार भारत को यह कूटनीतिक जीत हासिल हुई है।

प्रभाव

- संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित किसी व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य देश अपने यहाँ शरण नहीं दे सकता, साथ ही उस व्यक्ति के लिये हथियार रखना भी प्रतिबंधित होता है।
- ऐसे व्यक्ति के आर्थिक लेनदेन पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है एवं उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।

भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे 'सही दिशा में उठाया गया एक कदम' बताया, जिसने आतंकवाद और इसके समर्थकों के खिलाफ लड़ाई के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संकल्प को प्रदर्शित किया।
- भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ अपने प्रयासों को जारी रखेगा।

सुरक्षा परिषद (Security Council)

- यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान 1945 में हुआ था और इसके पाँच स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन) हैं।
- सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्वयुद्ध के बाद के उस शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है, जब सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था।

- इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को दो साल के लिये अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी-बारी से एक-एक महीने के लिये परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं।
- फिलहाल सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य और उनकी सदस्यता की अवधि निम्नलिखित है:
- बेलजियम (2020), कोटे डी आइवर (2019), डोमिनिकन गणराज्य (2020), इक्वेटोरियल गिनी (2019), जर्मनी (2020), इंडोनेशिया (2020), कुवैत (2019), पेरू (2019), पोलैंड (2019) और दक्षिण अफ्रीका (2020)।

UNSC का प्रस्ताव 1267

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 को 15 अक्टूबर, 1999 को सर्वसम्मति से अपनाया गया था।
- प्रस्ताव में काउंसिल ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन और उसके सहयोगियों को आतंकवादियों के रूप में नामित किया तथा अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन या तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध की व्यवस्था की, चाहे वे विश्व में कहीं भी स्थित हों।

विश्व सीमा शुल्क संगठन की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organisation- WCO) के 'एशिया प्रशांत क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रशासन' के क्षेत्रीय प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक का आयोजन 8-10 मई तक कोच्चि में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) द्वारा किया जा रहा है।
- इस बैठक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 20 से अधिक देशों के सीमा-शुल्क प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहे हैं।
- इसमें WCO के वरिष्ठ अधिकारी तथा इसके क्षेत्रीय संगठन जैसे- रीजनल ऑफिस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग (ROCB) तथा रीजनल इंटेलेजेंस लायज्मन ऑफिस (RILO) के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं।
- इस बैठक में WCO द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने, उसे सुविधाजनक बनाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्रारंभ किये गए विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
- साथ ही उपरोक्त कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण पर भी विचार किया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि सीमा शुल्क और व्यापार के बीच परस्पर सहयोग के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए 7 मई, 2019 को व्यापार दिवस (ट्रेड डे) का आयोजन किया गया।
- इस दिन व्यापार व उद्योग जगत तथा थिंक टैंक के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र के सीमा शुल्क प्रशासन पर आधारित अपने विचार और अनुभव साझा किये।

भारत की भूमिका

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभा रहा है:

- I. क्षेत्र में बेहतर संचार और कनेक्टिविटी
- II. आधुनिक तकनीक का उपयोग
- III. समावेशी दृष्टिकोण
- IV. प्रमुख मसलों पर आम सहमति

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC)

- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (पूर्व में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड) वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है।

- यह भारतीय संघ के अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के संचालन के लिये सर्वोच्च निकाय है।
- यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, IGST से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है एवं इनसे जुड़े हुए मामलों इसके अंतर्गत आते हैं।
- बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिये प्रशासनिक प्राधिकरण है। इसके अधीनस्थ संगठनों में कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय जीएसटी आयुक्त तथा केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल हैं।

विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO)

विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद Customs Co-operation Council- CCC) के रूप में की गई।

यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है।

WCO दुनिया भर के 183 सीमा शुल्क प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करता है इनके द्वारा विश्व में सामूहिक रूप से लगभग 98% व्यापार किया जाता है।

विज्ञान: Borders divide, Customs connects

मिशन: सीमा शुल्क प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना ताकि व्यापार को वैध सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सके।

लक्ष्य:

लक्ष्य 1 - सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण और सामंजस्य सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ावा देना = आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा पैकेज

लक्ष्य 2 - निष्पक्ष, कुशल और प्रभावी राजस्व संग्रह को बढ़ावा देना = राजस्व पैकेज

लक्ष्य 3 - समाज, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा = अनुपालन और प्रवर्तन पैकेज की रक्षा करना

लक्ष्य 4 - क्षमता निर्माण को मजबूत करना = संगठनात्मक विकास पैकेज

लक्ष्य 5 - सभी हितधारकों के बीच सूचना विनिमय को बढ़ावा देना

लक्ष्य 6 - सीमा शुल्क के प्रदर्शन और प्रोफाइल को बढ़ावा देना

लक्ष्य 7 - आचरण अनुसंधान और विश्लेषण

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सीमा शुल्क की प्रमुख भूमिका है। वैश्विक व्यापार से संबंधित सुरक्षा को बेहतर बनाने तथा सीमा पार प्रक्रियाओं को सरल बनाने में WCO महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

नौसैनिक अभ्यास 'ग्रुप सेल'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और फिलीपींस के युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर में छह दिवसीय नौसैनिक अभ्यास 'ग्रुप सेल' (Group Sail) में हिस्सा लिया।

प्रमुख बिंदु

- यह अभ्यास 3-9 मई के मध्य आयोजित किया गया था। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शक्ति शामिल हुए।
- इसका उद्देश्य देशों के बीच साझेदारी बढ़ाने के साथ ही भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना था।
- इस अभ्यास में भाग लेने से सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने के लिये समान विचारधारा वाले देशों के साथ भारत के सहयोग करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।
- इस दौरान दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक और विस्तारवादी व्यवहार को ध्यान में रखते हुए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता का सम्मान करने और 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार चलने की सभी देशों की आवश्यकता को दोहराया है।

- यह अभ्यास ऐसे समय में हुआ है जब भारत उत्तरी हिंद महासागर में बढ़ती चीनी गतिविधियों पर नज़र रख रहा है जहाँ चीनी जहाजों और पनडुब्बियों की उपस्थिति बढ़ रही है।

मुद्दे:

- दक्षिण चीन सागर के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग पर चीन द्वारा पूरी तरह से दावा किया जाता है, जबकि यह वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया एवं चीन के मध्य विवादस्पद है।
- ज्ञातव्य है कि समुद्र में हाइड्रोकार्बन का विशाल भंडार होने का अनुमान है।
- वर्ष 2016 में हेग स्थित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (Permanent Court of Arbitration) ने UNCLOS के तहत फिलीपींस द्वारा चीन के खिलाफ लाए गए एक दावे पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें लगभग हर बिंदु पर फैसला फिलीपींस के पक्ष में था।
- यद्यपि चीन इस न्यायालय की स्थापना की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र है इसके बावजूद उसने अदालत के इस फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
- वर्ष 2017 में चीन ने जिबूती में अपनी पहली विदेशी सैन्य सुविधा (Overseas Military Facility) शुरू की और वह अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के हिस्से के रूप में अफ्रीका के पूर्वी तट, तंज़ानिया और केन्या में बुनियादी ढाँचे में भी भारी निवेश कर रहा है।
- ये गतिविधियाँ चीन की भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश को दर्शाती हैं, जिसे 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' (String of Pearls) कहा जाता है।
- 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों से संबंधित एक भू-राजनीतिक सिद्धांत है, जो चीनी मुख्य भूमि से सूडान पोर्ट तक फैला हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)

- संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करती है और समुद्री साधनों के प्रयोग के लिये नियमों की स्थापना करती है।
- संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को वर्ष 1982 में अपनाया था लेकिन यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया। उल्लेखनीय है कि उस समय यह अमेरिका की भागीदारी के बिना ही प्रभावी हुआ था।

संधि के प्रमुख प्रावधान:

- क्षेत्रीय समुद्र के लिये 12 नॉटिकल मील सीमा का निर्धारण।
- अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य के माध्यम से पारगमन की सुविधा।
- द्वीपसमूह और स्थलबद्ध देशों के अधिकारों में वृद्धि।
- तटवर्ती देशों हेतु 200 नॉटिकल मील EEZ (Exclusive Economic Zone) का निर्धारण।
- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर गहरे समुद्री क्षेत्र में खनिज संसाधनों के दोहन की व्यवस्था।

CTBTO में भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization- CTBTO) ने भारत को CTBTO में पर्यवेक्षक सदस्य बनने के लिये आमंत्रित किया है।

प्रमुख बिंदु

- व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन (CTBTO) के कार्यकारी सचिव ने कहा कि CTBTO भारत से व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty- CTBT) को अनुमोदित करने की उम्मीद नहीं कर रहा लेकिन भारत को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने का अवसर देना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।

- एक पर्यवेक्षक होने के नाते भारत को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली (International Monitoring System) के डेटा तक पहुँच प्राप्त होगी।
- एक पर्यवेक्षक होने के नाते CTBT के संबंध में भारत की स्थिति नहीं बदलेगी बल्कि अलग-अलग प्रकार के आँकड़ें एवं सूचनाएँ प्राप्त होंगी।

अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली

- अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली एक नेटवर्क है जो फ़िलहाल अपूर्ण है किंतु पूर्ण हो जाने पर 89 देशों में स्थित 337 सुविधाओं (321 निगरानी स्टेशन और 16 रेडियोन्यूक्लाइड लैब) से युक्त होगा।
- यह प्रणाली भूकंपीय विज्ञान, हाइड्रोएकॉस्टिक्स, इन्फ्रासाउंड और रेडियोन्यूक्लाइड तकनीक का उपयोग करके छोटे परमाणु विस्फोटों का भी पता लगा सकती है।
- जाहिर है कि भूकंप की निगरानी हेतु और रेडियो आइसोटोप के फैलाव के बाद डेटा के इस स्तर की उपलब्धता आवश्यक है।
- ज्ञातव्य है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली को डेटा भेजना शुरू कर दिया है।

CTBTO

यह CTBT को संचालित करने वाली संस्था है।

CTBT क्या है ?

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) किसी के भी द्वारा किसी भी जगह (पृथ्वी की सतह पर, वायुमंड में, पानी के नीचे और भूमिगत) पर परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाती है।

- परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT)
- परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु टेक्नोलॉजी के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। इस संधि की घोषणा 1970 में की गई थी।
- अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 191 सदस्य देश इसके पक्ष में हैं। इस पर हस्ताक्षर करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते।
- हालाँकि, वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency-IAEA) के पर्यवेक्षक करेंगे।

परमाणु आयुधों के प्रसार को रोकने और पूर्ण निरस्त्रीकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही स्पष्ट रहा है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ सहित विभिन्न मंचों पर समय-समय पर स्पष्ट किया जाता रहा है।

NPT: परमाणु निःशस्त्रीकरण की दिशा में परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, लेकिन भारत इस अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता रहा है।

- इसके लिये भारत के निम्नलिखित दो तर्क हैं:
- इस संधि में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि चीन की परमाणु शक्ति से भारत की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित हो सकेगी।
- इस संधि पर हस्ताक्षर करने का अर्थ यह है कि भारत अपने विकसित परमाणु अनुसंधान के आधार पर परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण उपयोग नहीं कर सकता।
- यह संधि 18 मई, 1974 को तब सामने आई, जब भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
- भारत मानता है कि 1 जुलाई, 1968 को हस्ताक्षरित तथा 5 मार्च, 1970 से लागू परमाणु अप्रसार संधि भेदभावपूर्ण है, यह असमानता पर आधारित, एकपक्षीय और अपूर्ण है।
- भारत का मानना है कि परमाणु आयुधों के प्रसार को रोकने और पूर्ण निरस्त्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्षेत्रीय नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिये।
- परमाणु अप्रसार संधि का मौजूदा ढाँचा भेदभावपूर्ण है और परमाणु शक्तियों के हितों का पोषण करता है। यह परमाणु खतरे के साए तले जी रहे भारत जैसे देशों के हितों की अनदेखी करता है।
- भारत के अनुसार वे कारण आज भी बने हुए हैं जिनकी वजह से भारत ने अब तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

CTBT: नई व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Test Ban Treaty-CTBT) पर भी हस्ताक्षर करने से भारत ने स्पष्ट इनकार कर दिया है। भारत के अनुसार यह संधि अपने वर्तमान स्वरूप में भेदभावपूर्ण, खामियों से भरी व नितांत अपूर्ण है।

- जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु हथियारों के निषेध से संबंधित इस नई संधि को अपनाया था, जो परमाणु हथियारों के उपयोग, उत्पादन, हस्तांतरण, अधिग्रहण, संग्रहण व तैनाती को अवैध करार देती है।
- भारत अपने स्पष्टीकरण में कह चुका था कि वह इस बात से सहमत नहीं है कि यह नई व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि परमाणु निरस्त्रीकरण पर समग्र व्यवस्था कायम करने में सफल हो पाएगी।
- भारत ने इस संधि की सार्वभौमिक नाभिकीय निरस्त्रीकरण की एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में कल्पना की थी, जिससे एक समयबद्ध रूपरेखा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों के पूर्णतः नष्ट होने का मार्ग प्रशस्त हो सके।
- भारत का यह भी मानना है कि इस व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि का उद्देश्य मात्र परमाणु विस्फोटों के परीक्षण को बंद करना नहीं था, अपितु परमाणु हथियारों के गुणात्मक विकास और उनके परिष्करण को विस्फोट अथवा अन्य माध्यमों से रोकना था।
- इससे भारत के व्यापक राष्ट्रीय व सुरक्षा हितों की पुष्टि नहीं होती और उसके रुख से स्पष्ट है कि वह अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों में अपने एटमी विकल्प को खुला रखेगा।

WTO की बैठक

चर्चा में क्यों ?

भारत ने 13 -14 मई तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) में शामिल विकासशील देशों की अनौपचारिक बैठक की मेज़बानी की।

प्रमुख बिंदु

- आमंत्रित 24 देशों में से 22 देशों ने इस बैठक में भाग लिया और 17 देशों ने बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये।
- यह बैठक वर्ष 2020 में कजाखस्तान में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक है।
- इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर बात की गई:
- विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय के बारे में-
- अपीलीय निकाय में सदस्यों की संख्या सात से घटकर तीन रह गई है।
 - i. इस कारणवश वर्तमान में अपीलीय निकाय में किसी अपील पर सुनवाई करने में एक वर्ष का समय लग रहा है, जबकि अपीलों के निपटान के लिये निर्धारित समय 90 दिन है।
 - ii. फिलहाल मौजूद तीन न्यायाधीशों में से दो न्यायाधीश 10 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, इससे अपीलीय निकाय की कार्यक्षमता प्रभावित होगी।
 - iii. ध्यातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले साल से अपीलीय निकाय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
- विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के विशेष और भिन्न उपाय (Special but Differentiated Treatment) का प्रावधान कुछ अन्य देशों के लिये चिंता का विषय बना हुआ है।

विश्व व्यापार संगठन

- विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है। वर्तमान में विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं।
- 29 जुलाई, 2016 को अफगानिस्तान इसका 164वाँ सदस्य बना।
- सदस्य देशों का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन इसके निर्णयों के लिये सर्वोच्च निकाय है, जिसकी बैठक प्रत्येक दो वर्षों में आयोजित की जाती है।

विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय निकाय

- विश्व व्यापार संघ के अपीलीय निकाय की स्थापना वर्ष 1995 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूलस ऑफ डिसिप्लिन (DSU) के नियमों और प्रक्रियाओं पर अनुच्छेद 17 के तहत की गई थी।
- यह सात व्यक्तियों का एक स्थाई निकाय है जो WTO के सदस्यों द्वारा लाए गए विवादों पर पैनेलों द्वारा जारी रिपोर्टों के आधार पर अपील की सुनवाई करता है।
- अपीलीय निकाय एक पैनेल के कानूनी निष्कर्षों में परिवर्तन सकता है, संशोधन कर सकता है या उन्हें यथावत बनाये रख सकता है।

विशेष और भिन्न उपाय संबंधी प्रावधान Special and Differential Treatment

- विश्व व्यापार संगठन के समझौते में कुछ खास प्रावधान शामिल हैं जो विकासशील देशों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं जिन्हें विशेष और भिन्न उपाय (Special and Differential Treatment) के रूप में जाना जाता है। ये प्रावधान विकसित देशों को विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों की तुलना में विकासशील देशों के साथ अधिक अनुकूल व्यवहार की संभावना प्रदान करते हैं।
- विशेष प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं-
 - i. समझौतों और प्रतिबद्धताओं को लागू करने हेतु लंबा समय
 - ii. विकासशील देशों हेतु व्यापार के अवसरों को बढ़ाने संबंधी उपाय
 - iii. विकासशील देशों के व्यापार हितों की सुरक्षा के लिये सभी WTO सदस्यों हेतु आवश्यक प्रावधान।
 - iv. विकासशील देशों को WTO के काम को पूरा करने, विवादों को हल करने और तकनीकी मानकों को लागू करने में मदद करने हेतु सहायता।
 - v. सबसे कम विकसित देश (Least-Developed Country- LDC) के सदस्यों से संबंधित प्रावधान।

सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक

चर्चा में क्यों ?

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा देशों को उनकी सेवा व्यापार की नीतियों के आधार पर प्रदान की जाने वाली रैंकिंग पक्षपातपूर्ण है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Cooperation and Development- OECD) ने सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक (Services Trade Restrictiveness Index- STRI) ,2018 प्रस्तुत किया है।
- भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार, OECD द्वारा जारी इस इंडेक्स में बड़ी संख्या में समस्याएँ हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ इसके प्रारूप से संबंधित हैं जिसके कारण यह उपयोग हेतु अव्यावहारिक हो जाता है।
- उदाहरण के तौर पर यह सूचकांक भारतीय सेवा क्षेत्र को सबसे अधिक प्रतिबंधात्मक क्षेत्रों में से एक के रूप में दिखाता है विशेष रूप से विदेशी निवेश में, जबकि 1991 के बाद से भारत में सबसे अधिक उदारीकरण इसी क्षेत्र में हुआ है
- इस अध्ययन के पश्चात् ऐसा लगता है कि डेटा मनमाने तरीके से चुना गया है और यह विकसित देशों के पूर्वाग्रह को दर्शाता है।

समाधान का एक विकल्प

- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने इसे सुधारने के लिये सेवा व्यापार में प्रतिबंध को मापने का एक नया तरीका विकसित किया है जो अधिक सुसंगत होगा और विकसित या विकासशील देशों के प्रति पूर्वाग्रहप्रसित नहीं होगा।
- भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न विश्व व्यापार संगठन की वार्ता के दौरान कई विकासशील देशों से संपर्क किया ताकि सेवा क्षेत्र में व्यापार प्रतिबंध को मापने के नए तरीके पर आम सहमति बनाई जा सके।

सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक (Services Trade Restrictiveness Index- STRI)

- इसकी शुरुआत 2014 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा की गई थी।
- इसमें साधारणतः 45 देशों को शामिल किया जाता है जिसमें 36 OECD देश एवं बाकी गैर-ओईसीडी देश शामिल हैं।
- यह 22 क्षेत्रों (जैसे- कंप्यूटर सेवा, हवाई परिवहन, कानूनी सेवा, निर्माण) में सेवा व्यापार को प्रभावित करने वाले नियमों की जानकारी प्रदान करता है।
- यह सूचकांक विदेशी निवेश, विदेशों से लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध, प्रतिस्पर्द्धा में बाधाएँ, नियमन में पारदर्शिता को लेकर और अन्य भेदभावपूर्ण नीतियों के आधार पर गणना करता है।
- STR सूचकांक में शून्य और एक के बीच अंक प्रदान किया जाता है।
- 'शून्य' सेवा व्यापार में सबसे कम प्रतिबंध, जबकि 'एक' सबसे अधिक प्रतिबंध को सूचित करता है।
- STRI नीति निर्माताओं का ध्यान नीतियों में सुधार करने की तरफ आकृष्ट कर सकता है एवं वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम अभ्यास के लिये मानदंड उपलब्ध कर सकते हैं और उनके संभावित प्रभावों का आकलन कर सकते हैं।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD)

- स्थापना- 1961
- मुख्यालय- पेरिस (फ्राँस)
- सदस्य देशों की संख्या- 36
- यह एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है
- इसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी।
- अधिकांश OECD सदस्य उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाएँ हैं, जिनका मानव विकास सूचकांक (HDI) बहुत उच्च है, और ये विकसित देशों के रूप में जाने जाते हैं।

GFDRR के परामर्शदाता समूह की अध्यक्षता करेगा भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020 के लिये भारत को सर्वसम्मति से ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery-GFDRR) के सलाहकार समूह (Consultative Group-CG) के सह-अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- ऐसा पहली बार है जब भारत को GFDRR के सलाहकार समूह की बैठक की सह-अध्यक्षता का अवसर प्रदान किया गया है। इससे भारत को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा में एक केंद्रित योगदान प्रदान करने के साथ-साथ GFDRR के सदस्य देशों और संगठनों के साथ मिलकर काम करने का मौका भी मिलेगा।
- भारत का उद्देश्य एक केंद्रीय एजेंडे के साथ आगे बढ़ना और GFDRR की वर्तमान में संचालित गतिविधियों के साथ तालमेल स्थापित करना है।
- GFDRR भागीदारों और हितधारकों के मध्य डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (Disaster Resilient Infrastructure-DRI) एक केंद्रीय विषय होगा।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2015 में भारत GFDRR के सी.जी. का सदस्य बना था। GFDRR में भारत की उम्मीदवारी को देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Resilient Infrastructure-DRI) में लगातार प्रगति और आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचे पर एक गठबंधन बनाने संबंधी अपनी महत्वपूर्ण पहलों के कारण समर्थन प्रदान किया गया।

- सलाहकार समूह (CG), GFDRR का प्राथमिक निर्णयन एवं परामर्शदात्री निकाय है। सदस्यों और पर्यवेक्षकों से मिलकर बना सी.जी. GFDRR के दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्यों और अपेक्षित परिणामों की देख-रेख करता है।
- CG जो कि विश्व बैंक समूह का प्रतिनिधि होता है, में एक अध्यक्ष और एक सह-अध्यक्ष होता है।

ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी Global Facility for Disaster Reduction and Recovery

- GFDRR एक वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों को प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी भेद्यता को बेहतर ढंग से समझने एवं नुकसान को कम करने में सहायता प्रदान करती है।
- यह विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित अनुदान पोषित तंत्र है, जो दुनिया भर में आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है।
- GFDRR की स्थापना सितंबर 2006 में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और द्विपक्षीय दाताओं की एक वैश्विक साझेदारी के रूप में हुई थी। इसके निम्नलिखित मिशन हैं:
- देश की विकास रणनीतियों में आपदा शमन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन (Climate Change Adaptation-CCA) तथा आपदा न्यूनीकरण (International Strategy for Disaster Reduction-ISDR) प्रणाली हेतु अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के तहत विभिन्न हितधारकों के बीच वैश्विक एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना एवं मजबूती प्रदान करना।
- देश की विकास रणनीतियों में आपदा न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) को शामिल करना,
- आपदा न्यूनीकरण (ISDR) प्रणाली के लिये अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के तहत विभिन्न हितधारकों के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना एवं मजबूती प्रदान करना।
- आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को विकास रणनीतियों और निवेश कार्यक्रमों में एकीकृत करने तथा आपदाओं से जल्द एवं प्रभावी ढंग से उबरने में देशों की मदद करके GFDRR आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) के कार्यान्वयन में योगदान करता है।

सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है ?

- सेंदाई फ्रेमवर्क एक प्रगतिशील ढाँचा है और इस महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क का उद्देश्य वर्ष 2030 तक आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान एवं प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है।
- यह 15 वर्षों के लिये स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी समझौता है, जिसके अंतर्गत आपदा जोखिम को कम करने के लिये राज्य की भूमिका को प्राथमिक माना जाता है, लेकिन यह जिम्मेदारी अन्य हितधारकों समेत स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्र के साथ साझा की जानी चाहिये।

सात वैश्विक लक्ष्य

- वर्ष 2030 तक 2005-2015 की अवधि के मुकाबले 2020-2030 के दशक में औसत वैश्विक मृत्यु दर को प्रति 100,000 तक कम करना।
- वर्ष 2030 तक 2005-2015 की अवधि की तुलना में 2020-2030 के दशक में वैश्विक रूप से आपदा प्रभावित लोगों की औसत संख्या को प्रति 100,000 तक कम करने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में प्रत्यक्ष आपदा से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना।
- वर्ष 2030 तक आपदा से होने वाली क्षति तथा साथ ही स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं एवं महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और बुनियादी सेवाओं में व्यवधान को कम करना।
- वर्ष 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिम में कमी की रणनीति अपनाने वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना।
- वर्ष 2030 तक इस फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिये अपने राष्ट्रीय कार्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त और सतत् समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- वर्ष 2030 तक मल्टी-हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपदा जोखिम की जानकारी तथा आकलन की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि करके लोगों की इन तक पहुँच सुनिश्चित करना।

चार प्रमुख कार्य

- आपदा जोखिम का अध्ययन।
- आपदा जोखिम प्रबंधन में सुधार करना।
- ढाँचागत और गैर-ढाँचागत उपायों के जरिये आपदा जोखिम को कम करने के लिये निवेश करना।
- आपदा का सामना करने के लिये तैयारी, पूर्व सूचना एवं आपदा के बाद बेहतर पुनर्निर्माण कार्य करना।
- उल्लेखनीय है कि सेंडाई फ्रेमवर्क को ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA) 2005-2015 के बाद लाया गया है।
- ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन आपदाओं में कमी लाने के लिये राष्ट्रों और समुदायों के बीच लचीलेपन का व्यवहार किये जाने के साथ क्षेत्रों में सभी अलग-अलग लोगों को आवश्यक कार्यों को समझाने, वर्णन करने एवंविस्तार करने संबंधी पहली योजना है।
- UNISDR, सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, अनुवर्ती (फॉलो अप) और समीक्षा का कार्य करता है।

विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय प्राधिकरण

संदर्भ

हाल ही में विश्व व्यापार संगठन अपने अपीलीय प्राधिकरण में निर्धारित सदस्यों की संख्या से कम सदस्य हो चुकी है।

प्रमुख बिंदु

- अपीलीय प्राधिकरण में सदस्यों की संख्या सात से घटकर तीन रह गई है।
- इस कारण वर्तमान में अपीलीय प्राधिकरण में किसी अपील पर सुनवाई करने में लगभग एक वर्ष का समय लग रहा है, जबकि अपीलों के निपटारे के लिये निर्धारित समय 90 दिन है।
- फिलहाल मौजूद तीन न्यायाधीशों में से दो न्यायाधीश 10 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे अपीलीय प्राधिकरण की कार्यक्षमता प्रभावित होगी। क्योंकि इसके पश्चात इसमें एक सदस्य शेष रह जाएगा।
- ध्यातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले साल से अपीलीय प्राधिकरण में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि विश्व व्यापार संगठन पक्षपात की भावना से कार्य करता है।
- किसी भी अपील की सुनवाई के लिये कम-से-कम 3 सदस्य होने अनिवार्य हैं। अतः दो सेवानिवृत्त सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र नहीं की गई तो अपीलीय प्राधिकरण की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।
- 1995-2014 के मध्य पैनेलों के 201 निर्णयों में 68% अपीलों की गई।
- पिछले कुछ वर्षों में निर्धारित संख्या से कम सदस्यों की पीठ होने के कारण अपीलों को तय 2-3 महीने की समयसीमा के अंतर्गत निस्तारित करने में असमर्थता जताई गई है।
- पिछले वर्ष दायर की गई अपीलों के मामलों की सुनवाई को काफी पुरानी अपीलों ने रोक रखा है। अपीलीय प्राधिकरण की तीन सदस्यीय पीठ अब 1 अक्टूबर, 2018 से दायर अपीलों की सुनवाई कर रही हैं।
- जुलाई 2018 के बाद से दायर की गई कम-से-कम 10 अपीलों की समीक्षा करने में प्राधिकरण अभी तक असमर्थ रहा है।

विश्व व्यापार संगठन का अपीलीय प्राधिकरण क्या है ?

- विश्व व्यापार संघ के अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1995 में अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स ऑफ डिस्प्लिन (DSU) के नियमों और प्रक्रियाओं पर अनुच्छेद 17 के तहत की गई थी।
- यह सात व्यक्तियों का एक स्थायी निकाय है जो WTO के सदस्यों द्वारा लाए गए विवादों पर पैनेलों द्वारा जारी रिपोर्टों के आधार पर अपील की सुनवाई करता है।
- अपीलीय निकाय एक पैनेल के कानूनी निष्कर्षों में परिवर्तन सकता है, संशोधन कर सकता है या उन्हें यथावत बनाए रख सकता है।
- WTO का विवाद निस्तारण तंत्र दुनिया में सबसे सक्रिय तंत्रों में से एक है और अपीलीय प्राधिकरण इन मामलों में सर्वोच्च प्राधिकरण है जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

- WTO द्वारा समझौते या दायित्व को तोड़ने के लिये बनाए गए नियमों पर विवाद होने की स्थिति में विवाद में शामिल देश अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
- अपीलीय प्राधिकरण विवाद को सुनने वाले पैनल के कानूनी निष्कर्षों को बरकरार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उलट सकता है एवं विवाद में शामिल दोनों पक्षों के देश अपील कर सकते हैं।

प्रभाव

- अगर अपीलीय प्राधिकरण में नई नियुक्तियाँ नहीं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रक्रिया पर पहले से ही बहुत अधिक भार होने के कारण इसकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी।
- देशों को पैनल द्वारा दिये गए फैसलों को लागू करने के लिये बाध्य होना पड़ सकता है, भले ही उन्हें इसमें गंभीर त्रुटियों की आशंका हो।
- इससे वैश्विक व्यापार में संरक्षणवाद को कम करने एवं समाप्त करने के लिये दो दशकों से चले आ रहे प्रयासों के कारण WTO का ढाँचा कमजोर हो सकता है।
- वर्तमान में व्यापार तनाव एक प्रमुख चिंता है क्योंकि इस प्रकार की समस्याएँ हैं। उदाहरण के लिये अमेरिका-चीन एवं अमेरिका-भारत के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है।
- अगर यह प्राधिकरण समाप्त हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों में उलझे देशों को निस्तारण के लिये कोई मंच नहीं रह जाएगा।

अपीलीय प्राधिकरण के संदर्भ में भारत

- यह भारत के लिये अच्छा प्रतीत नहीं होता क्योंकि भारत विशेष रूप से कृषि उत्पादों पर विवाद के मामलों की बढ़ती संख्या का सामना कर रहा है।
- अन्य सदस्य देशों की तुलना में अमेरिका अधिकतम विवादों में सीधे तौर पर शामिल है, जबकि भारत सहित कई देशों ने तीसरे पक्ष के रूप में विवाद दर्ज करवाए हैं।
- भारत अब तक 54 विवादों में प्रत्यक्ष भागीदार रहा है।
- पिछले चार महीनों में विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ चार शिकायतें दर्ज कराई गई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि भारत अपने चीनी और गन्ना उत्पादकों के लिये WTO के नियमों के दायरे से बाहर जाकर समर्थन जुटाने के उपाय कर रहा है।

भविष्य की राह

- जब अपीलीय प्राधिकरण में नए सदस्यों की नियुक्ति का निर्णय लिया जाता है तो इसमें WTO के सभी सदस्यों की आम सहमति जरूरी होती है। अगर इनमें सहमति नहीं बन पाती है तो मतदान का प्रावधान है।
- भारत सहित 17 अल्प-विकसित और विकासशील देशों के समूह ने अपीलीय प्राधिकरण में गतिरोध समाप्त करने हेतु एक साथ कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई है। अतः इस आशय का एक प्रस्ताव लाया जाए एवं मतदान हो तथा बहुमत के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण में नए सदस्य की नियुक्ति करने का प्रयास किया जा सकता है।
- यह उपाय अंतिम विकल्प हो सकता है।

भारत द्वारा मित्र देशों को हथियारों की बिक्री में तेज़ी लाने के लिये प्रक्रिया में ढील

चर्चा में क्यों ?

भारत ने बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्याँमार और अन्य मित्र देशों को सैन्य उपकरणों की बिक्री में तेज़ी लाने के लिये एक नई प्रणाली को अंतिम रूप दिया है जो कि अमेरिका की फॉरेन मिलिट्री सेल्स (Foreign Military Sales-FMS) कार्यक्रम के समान है।

प्रमुख बिंदु

विदेश मंत्रालय के अनुसार, नई मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) जिसे विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है, मित्र देशों के लिये विस्तारित रक्षा LoCs (Lines of Credits) के उपयोग की गति को बढ़ाएगी।

- यह न केवल भारत को हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जो अब तक लगभग नगण्य है, बल्कि हथियार आपूर्ति के मामले में चीन जैसे तीसरे पक्ष द्वारा बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में आपूर्ति को रोकने की कोशिश को भी नाकाम करेगी।
- नई SOP के तहत भारतीय रक्षा कंपनियाँ अब उन उत्पादों की कीमतों के संदर्भ में "सीधे बोली" लगा सकेंगी। इससे पहले यह प्रक्रिया काफी बाधित होती थी।
- नए SOP का उद्देश्य वार्ता और मूल्य खोज प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना है। भारत, निश्चित रूप से हथियारों के निर्यात के मामले में चीन से बराबरी की उम्मीद नहीं कर सकता।

वैश्विक परिदृश्य

- अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी के बाद चीन दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक के रूप में उभरा है। चीन ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी पर अपना ध्यान केंद्रित कर इस स्थान को प्राप्त किया है।
- चीन के सबसे बड़े हथियार ग्राहक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अल्जीरिया हैं टाका को भी चीन हथियारों की आपूर्ति करता है।
- भारत ने अपने अधिकांश हथियार अमेरिका से उसके FMS कार्यक्रम के माध्यम से खरीदे हैं, उदाहरण के लिये सी -17 ग्लोबमास्टर- III स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स, सी -130 जे "सुपर हरक्यूलिस" विमान और एम -777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर।
- भारत जटिल वैश्विक निविदा प्रक्रिया की तुलना में FMS मार्ग को बहुत अधिक बेहतर मानता है क्योंकि पूर्व प्रणाली के तहत निविदा प्रक्रिया पूरी होने में कई साल लगते थे और भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती थी।

FMS प्रोग्राम

- फॉरेन मिलिट्री सेल्स (Foreign Military Sales-FMS) कार्यक्रम शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम (Arms Export Control Act-AECA) द्वारा अधिकृत सुरक्षा सहायता का एक रूप है और अमेरिकी विदेश नीति का एक बुनियादी हिस्सा है।
- AECA की धारा 3 के तहत जब अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अमेरिका की सुरक्षा और विश्व शांति आवश्यक है तब अमेरिका अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को रक्षा उपकरणों और सेवाओं को बेच सकता है।
- FMS के तहत अमेरिकी सरकार और किसी अन्य देश की सरकार के बीच एक समझौता किया जाता है जिसे लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस (Letter of Offer and Acceptance-LOA) कहा जाता है।

निष्कर्ष

भारत के पास अभी भी एक मजबूत रक्षा उत्पादन क्षेत्र नहीं है। भारत के पास कुछ हथियार प्रणालियाँ हैं जैसे- रूस के सहयोग से निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश, हल्के लड़ाकू विमान तेजस और उन्नत हेलीकॉप्टर ध्रुव आदि हैं, जिन्हें अन्य देशों में सफलतापूर्वक निर्यात किया जा सकता है।

PM के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे बिस्स्टेक प्रमुख

चर्चा में क्यों ?

भारत ने 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बिस्स्टेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation -BIMSTEC) और शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO) के सदस्य देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2014 में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान सहित दक्षेस देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था।

- बिस्स्टेक देशों के नेताओं के अलावा भारत ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाय जेनेबकोव और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्राविन्द जगन्नाथ को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है, ये दोनों इस वर्ष 'प्रवासी भारतीय दिवस' पर मुख्य अतिथि भी थे। मॉरीशस के प्रधानमंत्री को वर्ष 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में भी आमंत्रित किया गया था।

- वर्तमान में किर्गिस्तान SCO का अध्यक्ष है, जो अगले महीने बिश्केक (Bishkek) में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे।
- भारत द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में बिम्स्टेक के सदस्य देशों के नेताओं को आमंत्रित किया जाना सरकार की 'पड़ोस पहले/नेबरहुड फर्स्ट नीति' (Neighbourhood first policy) के अनुरूप है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC)

- दक्षेस/सार्क (South Asian Association for Regional Cooperation-SAARC) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू (नेपाल) में है। सार्क का प्रथम सम्मेलन ढाका में दिसंबर 1985 में हुआ था।
- इस समूह में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। वर्ष 2007 से पहले सार्क के सात सदस्य थे, अप्रैल 2007 में सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया था।
- प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। इसका संचालन संगठन के महासचिव द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिये देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है।

उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा सार्क

- दरअसल, पिछले 30 सालों से सार्क की जो स्थिति है, उससे लगता है कि यह संगठन मात्र औपचारिक बनकर रह गया है।
- केवल सम्मेलनों का नियमित रूप से आयोजित होना किसी संस्था के जीवित रहने का प्रमाण नहीं है। जहाँ तक सार्क द्वारा ठोस कदम उठाने का सवाल है तो पाकिस्तान के असहयोग और राजनीतिक विभाजन की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है।
- सदस्य देशों में कई बार आतंकवाद के खिलाफ जंग को लेकर भी सहमति बनी है लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर सार्क के सदस्य देश और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कभी साथ नहीं निभाया और यही सार्क की विफलता की एक बड़ी वजह बन गया।
- पिछले कुछ सालों से दक्षेस लगभग निष्क्रिय हो गया है। संभवतः यही कारण रहा कि भारत सहित कई सदस्य देशों ने वर्ष 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले दक्षेस सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था।
- जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस और सितंबर में उड़ी में हुए आतंकी हमले में 19 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद भारत ने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र में होने वाली आतंकी गतिविधियों के संबंध में कठोर कार्यवाही करने का दबाव बनाया। इसके बाद कई दक्षेस सदस्यों ने भी भारत के रुख का समर्थन किया और दक्षेस सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।
- नवंबर 2014 में काठमांडू में आयोजित दक्षेस सम्मेलन के बाद अभी तक इसका कोई सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ है। दक्षेस के लगभग निष्क्रिय होने के बाद ही भारत ने बिम्स्टेक समूह को मजबूत बनाने पर बल दिया। यही कारण है कि सितंबर 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स-बिम्स्टेक सम्मेलन में बिम्स्टेक के नेताओं को आमंत्रित किया गया था।

सार्क की असफलता के कारण

भारत-पाकिस्तान संबंधों का बेहतर न हो पाना

- भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक सहमति का अभाव और सैन्य संघर्ष के कारण दक्षिण-पूर्व क्षेत्रीय सहयोग कमजोर हुआ है।
- विदित हो कि उड़ी आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में होने वाले 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया था।
- बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान ने भी भारत के पक्ष में अपनी सहमति जताई और अंततः सम्मेलन निरस्त हो गया था।

क्षेत्रीय व्यापार की चिंताजनक स्थिति

- सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार में न के बराबर प्रगति हुई है। विदित हो कि सदस्य देशों के बीच आपसी व्यापार उनके कुल व्यापार का 3.5% ही रहा है।
- दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संघ (South Asian Free Trade Association) के तहत की गई पहलें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी का अभाव

- इस क्षेत्र में व्यापार के मोर्चे पर यदि प्रगति नहीं हुई है तो इसका एक बड़ा कारण कनेक्टिविटी का बेहतर न हो पाना है।
- बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता (BBIN Motor Vehicle Agreement) जैसी उप-क्षेत्रीय पहलें रुकी हुई हैं।
- सार्क की वीजा प्राप्ति में राहत योजना (SAARC Visa Exemption Scheme) का लाभ केवल कुछ गणमान्य व्यक्तियों को ही प्राप्त है।
- सार्क देशों में बुनियादी ढाँचे की खस्ता हालत के कारण भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं हो पाई है।

बिम्स्टेक

- बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनामिक कोऑपरेशन (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation - BIMSTEC) दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून, 1997 को बैंकाक घोषणापत्र (Bangkok Declaration) से हुई थी।
- आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिये बनाए गए इस संगठन में भारत समेत नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं।
- सात देशों का यह संगठन मूल रूप से एक सहयोगात्मक संगठन है जो व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, मत्स्यपालन, परिवहन और प्रौद्योगिकी को आधार बनाकर शुरू किया गया था लेकिन बाद में इसमें कृषि, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, संस्कृति, जनसंपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन को भी शामिल किया गया।
- बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में बनाया गया है। बिम्स्टेक के महत्त्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की लगभग 22 फीसदी आबादी बंगाल की खाड़ी के आस-पास स्थित इन सात देशों में रहती है जिनका संयुक्त जीडीपी (Gross Domestic Product-GDP) 2.7 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है।
- बिम्स्टेक के मुख्य उद्देश्यों में बंगाल की खाड़ी के किनारे दक्षिण एशियाई और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग प्रदान करना शामिल है।

बिम्स्टेक भारत के लिये महत्त्वपूर्ण क्यों है ?

- बिम्स्टेक के 7 देश बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित हैं जो एकसमान क्षेत्रीय एकता को दर्शाते हैं। भारत ने शुरू से ही इस संगठन को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है।
- बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच एक सेतु की तरह काम करता है। इस समूह में दो देश दक्षिण-पूर्व एशिया के हैं। म्यांमार और थाईलैंड भारत को दक्षिण-पूर्वी इलाकों से जोड़ने के लिहाज से बेहद अहम हैं।
- बिम्स्टेक देशों के बीच मजबूत संबंध भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति प्रदान कर सकता है। इससे भारत-म्यांमार के बीच परिवहन परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड राजमार्ग परियोजना के विकास में भी तेजी आएगी।
- भारत के अलावा बिम्स्टेक के सदस्य देशों के लिये यह संगठन काफी महत्त्वपूर्ण है। बिम्स्टेक के जरिये बांग्लादेश जहाँ बंगाल की खाड़ी में खुद को मात्र एक छोटे से देश से ज्यादा महत्त्व के रूप में देखता है वहीं, श्रीलंका इसे दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने के अवसर के रूप में देखता है। इसके जरिये श्रीलंका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी आर्थिक गतिविधि भी बढ़ाना चाहता है।
- दूसरी तरफ, नेपाल और भूटान के लिये बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और अपनी भूमिगत भौगोलिक स्थिति से बचने की उम्मीद को आगे बढ़ाता है।
- वहीं म्यांमार और थाईलैंड को इसके जरिये बंगाल की खाड़ी से जुड़ने और भारत के साथ व्यापार करने के नए अवसर मिलेंगे। बिम्स्टेक के जरिये दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के बड़े पैमाने पर घुसपैठ को भी रोकने की कोशिश की जा सकती है।

बिम्स्टेक न केवल दक्षिण व दक्षिण-पूर्वी एशिया को जोड़ता है बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी शामिल करता है। एक-दूसरे से जुड़े साझा मूल्यों, इतिहासों और जीवन के तरीकों के चलते बिम्स्टेक शांति और विकास के लिये एक समान स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

- भारत के लिये बिम्स्टेक 'पड़ोसी सबसे पहले और पूर्व की ओर देखो' की हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिये एक स्वाभाविक मंच है।

क्या बिम्सटेक सार्क का विकल्प बनकर उभरा है ?

- बिम्सटेक दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इसके सात में से पाँच देश सार्क के सदस्य हैं, जबकि दो आसियान के सदस्य हैं। ऐसे में यह सार्क और आसियान देशों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग का भी एक मंच है।
- बिम्सटेक के गठन के पहले भी आपसी सहयोग को लेकर एशिया में क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में रहे हैं जिसमें सार्क अहम है। पिछले वर्षों में बिम्सटेक अपने एजेंडा का मजबूती से विस्तार कर रहा है। इस समूह ने प्राथमिकता के 14 क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें से 4 फोकस क्षेत्रों में भारत लीड कंट्री है, इसमें परिवहन और संचार, पर्यटन, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के साथ आतंकवाद के खिलाफ रणनीति शामिल है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, सार्क की विफलता और भारत-पाकिस्तान के बीच आपसी तनाव के बीच बिम्सटेक का महत्त्व बढ़ रहा है जो आने वाले समय में क्षेत्रीय सहयोग का बड़ा मंच साबित हो सकता है।

आसियान +3

चर्चा में क्यों ?

चीन ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान+3 (जिसमें दस सदस्यीय आसियान के अलावा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं) के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जोर देना शुरू कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इसका प्रभाव यह होगा कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) पर बातचीत कर रहे 16 देशों में से भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर सभी प्रस्तावित संधि में मिल जायेंगे।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) एक प्रस्तावित मेगा मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement- FTA) है, जो आसियान के दस सदस्य देशों तथा छह अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड) जिनके साथ आसियान का मुक्त व्यापार समझौता है, के बीच होना है।
- वस्तुतः आर.ई.सी.पी. वार्ता की औपचारिक शुरुआत 2012 में कंबोडिया में आयोजित 21वें आसियान शिखर सम्मेलन में शुरू हो गई थी।
- आर.ई.सी.पी. को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (Trans Pacific Partnership- TPP) के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- आर.ई.सी.पी. के सदस्य देशों की कुल जीडीपी लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर और इसकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 39 प्रतिशत है।
- सदस्य देश : ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड सहभागी (Partner) देश हैं।
- आसियान+3 (ASEAN+3) प्रस्ताव का उद्देश्य RCEP वार्ता में शामिल अन्य देशों द्वारा दी जा रही रियायतों के समान चीन को वरीयता (रियायतें देने के संदर्भ में) देने हेतु भारत पर दबाव डालना है।
- इसके अलावा इस तरह का प्रस्ताव भारत के लिये एक संदेश है कि यदि भारत RCEP वार्ता में दृढ़ रहता है तो चीन भारत की अनदेखी कर सकता है।
- इस पहल के परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आरसीईपी वार्ता में भारत पर अधिक लचीली नीति को अपनाने पर दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देश भी प्रस्तावित समझौते से बाहर नहीं होना चाहेंगे।
- इससे पहले जापान भी एक क्षेत्रीय ब्लॉक के लिये वार्ता में भारत की भागीदारी पर बल दे रहा था। जापान का मत यह था कि देश एक संतुलन कारक के रूप में कार्य कर सकता है और क्षेत्र विशेष पर अपने प्रभाव में वृद्धि करने के लिये चीन के प्रयासों को अवरुद्ध कर सकता है। हालाँकि यदि इस मामले में चीन जापान के साथ किसी तरह की साझेदारी करता है तो यह भारत के लिये मुश्किल हो सकता है।
- आरसीईपी के सदस्यों ने प्रस्ताव पेश किया है कि 90% से अधिक व्यापारिक वस्तुओं पर शून्य शुल्क होना चाहिये, लेकिन भारत इस क्रम में शामिल होने में संकोच कर रहा है। संभवतः भारत की चिंता का कारण उसके घरेलू बाजार में चीनी वस्तुओं का प्रवेश है, जिसके चलते घरेलू उत्पादकों को उत्पादन में कटौती या उत्पादन को पूर्णतया बंद करने के लिये विवश होना पड़ता है।
- यदि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाता है तो वैश्विक जीडीपी के 25% और विश्व व्यापार के 30% के साथ आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक (Free Trade Bloc) बन जाएगा।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit- EAS)

- यह एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा संचालित एक अनूठा मंच है जिसका गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य से किया गया था।
- इसे आम क्षेत्रीय चिंता वाले राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर सामरिक वार्ता और सहयोग के लिये एक मंच के रूप में विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ईस्ट एशिया ग्रुपिंग (East Asia Grouping) की अवधारणा पहली बार 1991 में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर-बिन-मोहम्मद द्वारा लाई गई थी, परंतु इसकी स्थापना 2005 में की गई।
- EAS के सदस्य देशों में आसियान के 10 देशों (इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस) के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और यूएस शामिल हैं।
- EAS के फ्रेमवर्क के अधीन क्षेत्रीय सहयोग के ये 6 प्राथमिक क्षेत्र आते हैं- पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे एवं विश्वव्यापी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा आसियान कनेक्टिविटी।
- भारत इन सभी 6 प्राथमिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है।

आसियान (Association of Southeast Asian Nations- ASEAN)

- आसियान की स्थापना 8 अगस्त, 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी।
- वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके दस सदस्य देश हैं।
- इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है।
- भारत और आसियान अपने द्विपक्षीय व्यापार को \$100 अरब के लक्ष्य तक ले जाने के लिये जूझ रहे हैं।
- इसके लिये अन्य बातों के साथ-साथ स्थल, समुद्र और वायु कनेक्टिविटी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ताकि माल और सेवाओं के आवागमन की लागत में कटौती की जा सके।

आसियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना:
- आसियान डिक्लेरेशन (Asean Declaration) के अनुसार, आसियान का लक्ष्य दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु निरंतर प्रयास करना है।
- पारस्परिक सहयोग एवं संधि को बढ़ावा देना:
- आसियान देशों में न्याय और कानून के शासन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
- साथ ही आसियान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन के प्रति भी दृढ़-प्रतिज्ञ है।
- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना:
- आसियान देशों के बीच शैक्षणिक, पेशेवर, तकनीकी और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के संबंध में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना आसियान का एक प्रमुख उद्देश्य है।
- कृषि एवं उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों का विकास:
- कृषि और उद्योगों की बेहतरी हेतु परस्पर संबंधों को मजबूती देना तथा आपसी व्यापार को विस्तार देना आसियान के लक्ष्यों में प्रमुखता से शामिल है।
- आसियान के लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास करना भी शामिल है।
- अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ अनुपूरक संबंध:
- मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्यों के सापेक्ष साझा सहयोग को बढ़ावा देना भी आसियान का एक प्रमुख उद्देश्य है।

वेल बीइंग बजट

चर्चा में क्यों ?

जनवरी में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की वार्षिक बैठक (Annual Meeting) में न्यूजीलैंड ने आर्थिक विकास की नई अवधारणा अपनाने की वकालत की थी। इस दिशा में न्यूजीलैंड ने अपना वादा पूरा करते हुए अपने पहले वेल बीइंग बजट (Well-being budget) के कार्यन्वयन की रूपरेखा को पेश किया है।

वेल बीइंग बजट (Well-being budget)

- यह बजट केवल जीडीपी (GDP) आधारित विकास को नागरिक कल्याण के लिये पर्याप्त नहीं मानता है।
- यह अवधारणा दीर्घकालिक उपायों के स्थान पर ऐसे उपाय अपनाने का समर्थन करती है जिसका परिणाम अल्पकालिक अवधि में प्राप्त हो।
- इन अल्पकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इस वर्ष (2019) कुछ प्राथमिकताओं को तय किया गया है जैसे- न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था को न्यून लेकिन सतत रूप से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करना, डिजिटल युग में संपन्न देशों का समर्थन करना, बालगरीबी को कम करना, माओरी और पैसिफिक आय (Maori and Pacific Income), कौशल, एवं अवसर की अवधारणा को हटाना और न्यूजीलैंड के प्रत्येक निवासी हेतु मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- इस बजट में मानसिक स्वास्थ्य, बाल गरीबी (Child Poverty) एवं पारिवारिक हिंसा (Family Violence) से राहत देने के लिये अरबों रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है।
- संवृद्धि एवं विकास को मापने का यह नया पैमाना नए प्रकार के पूंजीवाद (Capitalism) की दिशा में एक वैश्विक कदम है।
- यह अवधारणा केवल वृद्धि और विकास की परंपरागत शैली की बात न करके इस बात पर बल देती है कि संबंधित देश के नागरिक कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनका समग्र स्वास्थ्य विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य कैसा है एवं पर्यावरण की स्थिति कैसी है।
- दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख ने कुछ नीतियाँ तय की हैं, जिनमें घरेलू और यौन हिंसा (Domestic and Sexual Violence) की शिकार महिलाओं की मदद करने वाली सेवाओं के लिये \$ 200 मिलियन से अधिक का फंड शामिल है।
- वेल बीइंग बजट को चौथी औद्योगिक (Fourth Industrial Revolution) क्रांति एवं भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से अपनाया विश्व आर्थिक मंच का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
- विश्व आर्थिक मंच जीडीपी की प्रासंगिकता पर विचार के साथ-साथ जटिल होते जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर भी गंभीर है ताकि वेल बीइंग बजट के महत्व को रेखांकित किया जा सके।
- वैश्विक स्तर पर कुछ देशों ने विकास के इस पैमाने को पहले से ही अपना रखा है।
- संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की अगर बात की जाए तो इसने खुशी (Happiness) के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम (National Programme) और इसे क्रियान्वित करने हेतु एक मंत्री (Minister of State for Happiness) की भी नियुक्ति की जाती है।
- इसका एजेंडा तीन स्तंभों पर आधारित है: सभी सरकारी निकायों की नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं में खुशी को शामिल करना, जीवन शैली में सकारात्मकता और खुशी को बढ़ावा देना तथा खुशी को मापने के लिए बेंचमार्क और उपकरणों का विकास करना।
- भूटान की सकल राष्ट्रीय खुशहाली का मापन मनोवैज्ञानिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, समय का उपयोग, सांस्कृतिक विविधता, सुशासन, सामुदायिक जीवन शक्ति, पारिस्थितिक विविधता और जीवन स्तर पर आधारित होता है। इस मापन का प्रयोग नीति-निर्माण और नीतियों के प्रभाव की पहचान के लिये भी किया जाता है।

भारत- किर्गिज़स्तान

चर्चा में क्यों ?

कश्मीर की समस्या एवं UNO में भारत की स्थायी सदस्यता (Permanent Seat) जैसे मुद्दों पर भारत का समर्थन करने वाला किर्गिज़स्तान, भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि के तौर पर

आमंत्रित किर्गिजस्तान के राष्ट्रपति (President) सूरुनबे जीनबेकोव (Sooronbay Jeenbekov) वर्तमान में शंघाई कोऑपेरेशन ऑर्गेनाइजेशन (Shanghai Cooperation Organization) के अध्यक्ष हैं। भारत ने रक्षा उपकरणों (Defence Equipment) की खरीद के लिये किर्गिजस्तान को \$ 100 मिलियन की राशि देने का फैसला किया है। यह राशि पूर्व में रक्षा खरीद के लिये दी गयी राशि से अधिक है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- किर्गिजस्तान ने भारत से अपने द्विपक्षीय (Bilateral Relationship) एवं रणनीतिक संबंध (Strategic Relationship) को अधिक मजबूत और गहरा बनाने हेतु अपने रक्षा उपकरणों की खरीद के लिये भारत से अनुरोध किया था। साथ ही किर्गिजस्तान के शहर बालिक (Balykchy) में संयुक्त पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण केंद्र (Joint Mountain Warfare Training Centre) के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा था।
- किर्गिजस्तान द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त करने के साथ भारत-किर्गिजस्तान संबंधों की शुरुआत हुई।
- किर्गिजस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में वर्ष 1991 में अस्तित्व में आया।
- भारत वर्ष 1992 से ही किर्गिजस्तान का कूटनितिक साझीदार (Diplomatic Ties) रहा है।
- 1992 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इनमें संस्कृति, व्यापार, आर्थिक सहयोग, नागरिक उड्डयन (Civil Aviation), निवेश संवर्द्धन और संरक्षण (Investment Promotion and Protection), दोहरे कराधान से बचाव (Avoidance of Double Taxation), कांसुलर कन्वेंशन (Consular Convention) आदि शामिल हैं।
- वर्ष 2011 में 'खंजर' नामक संयुक्त युद्धाभ्यास (Joint Exercises) श्रृंखला शुरू हुई।
- 2016-17 में भारत और किर्गिजस्तान के बीच वाणिज्यिक व्यापार \$ 24.98 मिलियन था।
- 2016-2017 के वित्तीय वर्ष में किर्गिजस्तान के लिये भारतीय निर्यात 22.66 मिलियन डॉलर का था, जबकि किर्गिजस्तान का भारत में निर्यात \$ 3.32 मिलियन था।
- भारत द्वारा किर्गिजस्तान में परिधान, कपड़ा, चमड़े का सामान, ड्रग्स और औषधियाँ, परिष्कृत रसायन और चाय का निर्यात किया जाता है।
- किर्गिजस्तान द्वारा भारत में कच्चे खाल, धातु के अयस्क और धातु स्क्रेप का निर्यात किया जाता है।
- किर्गिजस्तान के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में लगभग 9,000 भारतीय छात्र चिकित्सा अध्ययन कर रहे हैं।
- इसके अलावा, किर्गिजस्तान में रहने वाले कई व्यापारी हैं जो व्यापार और कई अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं।
- किर्गिजस्तान, शंघाई कोऑपेरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत की भूमिका का समर्थन करता है।
- भारत और किर्गिजस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ-साथ चाबहार समुद्री बंदरगाह निर्माण हेतु परिवहन, निर्माण कार्य, परिचालन, सरलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। इस कार्य से द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ होने के साथ-साथ दोनों देशों के मध्य संपर्क सूत्र भी मजबूत होंगे।
- किर्गिजस्तान मध्य एशिया का एक देश है जो उत्तर और पश्चिम में कजाखस्तान, पूर्व और दक्षिण में चीन और दक्षिण एवं पश्चिम में ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान द्वारा घिरा हुआ है।
- किर्गिजस्तान की राजधानी बिश्केक है। किर्गिजस्तान की फ़रगना घाटी का विस्तार उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान तक है।
- फरगना घाटी में कई आतंकवादी समूह जैसे- इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान (IMU), हिज्ब-उत-ताहिर (HUT) इत्यादि सक्रिय हैं। ये आतंकवादी संगठन अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं।
- फरगना घाटी के आतंकवादियों की भूमिका तालिबान प्रायोजित हिंसक वारदातों में भी होती है।
- मध्य एशिया क्षेत्र खनिज पदार्थ विशेषकर हायड्रोकार्बन में समृद्ध है। मध्य एशिया क्षेत्र में भारत के भू-रणनीतिक और आर्थिक हित है।
- ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में मध्य एशिया और भारत के बीच सहयोग की भावी संभावनाएँ बहुत महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती हैं।
- कार (Central Asia Region) और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता भारत की सुरक्षा के लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

अंतरिक्ष उड़ान के खतरे और मानव स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों ?

महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station- ISS) पर 11 महीने का समय व्यतीत कर पृथ्वी पर वापस लौटेंगी।

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर व्यतीत किये गये 11 महीने से प्राप्त अनुभवों का चंद्रमा और मंगल पर मानव मिशन भेजने की तैयारी में अहम योगदान हो सकता है।

मिशन की आवश्यकता क्यों ?

- इस मिशन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अब तक उपलब्ध अधिकांश डेटा/आँकड़े पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों पर आधारित हैं, जबकि अंतरिक्ष मिशन के दौरान पुरुष और महिला यात्रियों के शरीर पर इसका अलग-अलग प्रभाव पड़ता है।
- पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक संरचना में अंतर होने के कारण क्या अंतरिक्ष प्रवास के दौरान इन पर कोई भिन्न प्रभाव परिलक्षित होता है अथवा नहीं ? इस संदर्भ में भविष्य में प्रायोजित लंबी अंतरिक्ष यात्राओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन पर बल दिया जा रहा है।

5 जोखिम/खतरे (5 Hazards)

अंतरिक्ष उड़ान के दौरान मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को नासा द्वारा 5 व्यापक मानदंडों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें '5 खतरों' (5 Hazards) के रूप में जाना जाता है।

- विकिरण (Radiation)
- अलगाव और परिरोध (Isolation and confinement)
- पृथ्वी से दूरी (Distance from Earth)
- गुरुत्वाकर्षण (Gravity)
- प्रतिकूल/बंद वातावरण (Hostile/closed environments)

विकिरण (Radiation)

- अंतरिक्ष उड़ानें पृथ्वी के 'सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र' के बाहर होती हैं, जहाँ विकिरण बहुत अधिक होता है, जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी के सुरक्षात्मक वातावरण के अनुरूप तैयार किया गया है लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में विकिरण पृथ्वी की तुलना में 10 गुना अधिक होता है।
- विकिरण के परिणामस्वरूप कैंसर का जोखिम बढ़ता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँचता है, संज्ञानात्मक कार्य परिवर्तित हो सकता है तथा शरीर के अन्य बाह्य एवं आंतरिक कार्यों में भी परिवर्तन हो सकता है।

अलगाव और परिरोध (Isolation and confinement)

- लंबे समय तक एक छोटे से अंतरिक्ष स्टेशन में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के बीच व्यवहार में परिवर्तन होना स्वाभाविक है।
- नींद की कमी, शरीर की जैविक गतिविधियों में परिवर्तन, काम का अधिक दबाव एवं प्रदर्शन में कमी, स्वास्थ्य के लिये प्रतिकूल परिणाम प्रदर्शित कर सकते हैं।

पृथ्वी से दूरी (Distance from Earth)

- जैसे-जैसे पृथ्वी से अंतरिक्ष उड़ान की दूरी बढ़ती है, संचार स्थापित करने में देरी होती है।
- उदाहरण के लिये मंगल ग्रह पृथ्वी से इतनी दूर है कि अंतरिक्षयान से रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस आने में काफी समय लगता है। यह देरी न्यूनतम 4 मिनट से अधिकतम 24 मिनट की हो सकती है।

गुरुत्वाकर्षण (Gravity)

- अलग-अलग ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण अलग-अलग होता है जिससे अंतरिक्ष यात्रियों का कार्यक्षेत्र एवं जीवनशैली प्रभावित होती है।
- इसके अतिरिक्त खोजकर्ता यात्रा के दौरान भारहीनता का भी अनुभव करते हैं।
- अंतरिक्ष यात्री जब एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूसरे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब यह समस्या और जटिल हो जाती है।

प्रतिकूल/बंद वातावरण (Hostile/closed environments)

- नासा ने अपने अध्ययन में पाया है कि अंतरिक्षयान के अंदर का परिवेश अंतरिक्ष यात्रियों के रोजमर्रा के जीवन में बड़ी भूमिका निभाता है।
- शरीर में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव अंतरिक्ष में अपनी विशेषताओं/गुणों को परिवर्तित कर सकते हैं।
- सूक्ष्मजीव जो स्वाभाविक रूप से अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर अथवा वस्तुओं के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन जैसे बंद आवास में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से स्थानांतरित हो सकते हैं।

मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव Impact of Human Health

- **वजनहीनता और ऑस्टियोपोरोसिस**
 - ◆ नासा के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हड्डियों में खनिजों की कमी होने लगती है और हड्डियों का घनत्व 1% प्रतिमाह की दर से कम होने लगता है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी पर बुजुर्ग पुरुषों एवं महिलाओं की हड्डियों का घनत्व 1- 1.5 % प्रतिवर्ष की दर से कम होता है।
 - ◆ पृथ्वी पर लौटने के बाद भी अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों में हुए नुकसान को सही नहीं किया जा सकता है, इसलिये एक अंतरिक्ष यात्री को भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित फ्रैक्चर का खतरा हो सकता है।
 - ◆ गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर का तरल पदार्थ उनके सिर की तरफ खिसकने लगता है जो दाब बढ़ाते हुए दृष्टि संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है।
- **सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और ऑस्टियोपोरोसिस**
 - ◆ ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में हड्डियाँ/अस्थियाँ कमजोर हो जाती हैं, जिससे इनके नाजुक होने तथा टूटने की संभावना बढ़ जाती है।
 - ◆ ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट (हड्डियों की कोशिका के प्रकार, जो ऊतकों का निर्माण करते हैं) मानव शरीर में हड्डियों के ऊतकों (Bone Tissues) को लगातार पुनर्निर्मित करते रहते हैं।
 - ◆ ऑस्टियोब्लास्ट हड्डियों के निर्माण के लिये जिम्मेदार होते हैं, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट हड्डियों के टूटने के लिये जिम्मेदार होते हैं।
 - ◆ सूक्ष्म-गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में ऑस्टियोक्लास्ट्स के बनने की दर बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है।
 - ◆ यह अंतरिक्ष यात्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस का प्राथमिक कारण है।
- **अंतरिक्ष उड़ान के दौरान टेलोमेयर्स की स्थिति**
 - ◆ अंतरिक्षयान में प्रवास के दौरान टेलोमेयर्स का आकार बढ़ जाता है।
 - ◆ टेलोमेयर्स वे कैप सदृश संरचनाएँ हैं जो हमारे गुणसूत्रों के सिरों की सुरक्षा करती हैं, जिससे डीएनए नुकसान से रक्षा होती है। अनुसंधान से पता चला है कि टेलोमेयर्स का आकार बढ़ने पर बढ़ती उम्र से संबंधित समस्या कम हो जाती है।
- **शरीर के द्रव्यमान में कमी और फोलेट का बढ़ना**
 - ◆ अंतरिक्षयान में प्रवास के दौरान शरीर के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है
 - ◆ 'फोलेट' बी-विटामिन में से एक है और अस्थि-मज्जा में लाल तथा श्वेत रक्त कोशिकाओं को बनाने, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने और डीएनए एवं आरएनए का उत्पादन करने के लिये आवश्यक है।

● जीन उत्परिवर्तन

- ◆ अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उत्पन्न तनाव कोशिकाओं के भीतर जैविक मार्गों को बदल सकता है, और डीएनए एवं आरएनए के निष्कासन की वजह बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मानव शरीर में जीन-उत्परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है।

पॉली डाइकेटोनेमाइन या PDK प्लास्टिक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार का प्लास्टिक तैयार किया है जिसका पूर्ण रूप से पुनर्चक्रण किया जा सकेगा। गौरतलब है कि इसे पॉली (डाइकेटोनेमाइन)/(Poly Diketoenamine) या PDK नाम दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पत्रिका 'नेचर केमिस्ट्री' में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्लास्टिक बनाया है जिसके बार-बार पुनर्चक्रण के पश्चात् भी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि पॉली (डाइकेटोनेमाइन)/(Poly Diketoenamine) या PDK प्लास्टिक को सान्द्र अम्लीय विलयन में डुबोकर उसे बुनियादी घटकों में पूरी तरह से तोड़ा जा सकता है।
- अम्ल एकलक को एडिटिव्स से अलग करता है जो प्लास्टिक को एक विशिष्ट आकार देता हैं।

एकलक

- एकलक (मोनोमर) ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जो बहुलकीकरण (पॉलीमराइजेशन) के माध्यम से बहुलक (पॉलीमर) बनता है।
- उदाहरण- पाइथिलीन, टेफ्लान, पालीविनाइल क्लोराइड।
- वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए उक्त प्लास्टिक के एकलकों को पुनः उपयोग के लिये प्राप्त किया जा सकता है या किसी अन्य उत्पाद को बनाने हेतु पुनर्चक्रित किया जा सकता है।
- वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्लास्टिक वर्तमान में उपयोग में लाए जा रहे प्लास्टिक का विकल्प बन सकता है।
- पारंपरिक प्लास्टिक में आमतौर पर अपरिवर्तनीय रासायनिक बंधन होते हैं, जबकि पॉली (डाइकेटोनेमाइन)/(Poly Diketoenamine) या PDK में ऐसे परिवर्तनीय रासायनिक बंधन होते हैं जो प्लास्टिक को अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रित करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
- पॉली (डाइकेटोनेमाइन)/(Poly Diketoenamine) या PDK प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से जूझ रही दुनिया के लिये काफी मददगार साबित हो सकता है।
- वर्तमान में विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है।

सुपरनोवा निर्माण की वजह न्यूट्रिनो दोलन

चर्चा में क्यों ?

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (Tata Institute of Fundamental Research) के एक नए सैद्धांतिक अध्ययन से यह पता चला है कि सुपरनोवा विस्फोट की वजह न्यूट्रिनो हो सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के इस अध्ययन के अनुसार, 'तीव्र न्यूट्रिनो दोलन' (Fast Neutrino Oscillations) की वजह से तारों में विस्फोट के पश्चात् सुपरनोवा का निर्माण होता है।
- न्यूट्रिनो ऐसे उपपरमाण्विक (Subatomic) कण हैं जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, लेकिन इसमें कोई आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान बहुत कम या शून्य भी हो सकता है।
- न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। चूँकि इनमें द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए इनका पता लगा पाना मुश्किल होता है।

इसके स्रोत-

- पृथ्वी के भीतर प्राथमिक तत्वों का क्षय
- सूरज में रेडियोधर्मिता
- वायुमंडल में ब्रह्मांडीय क्रिया इत्यादि
- न्यूट्रीनो तीन प्रकार (Flavours) के होते हैं-
- इलेक्ट्रॉन न्यूट्रीनो (Electron Neutrino)
- म्यूऑन न्यूट्रीनो (Muon Neutrino)
- टाऊ न्यूट्रीनो (Tau Neutrino)
- लेप्टान (Leptons) से न्यूट्रीनो (इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाऊ) के जुड़ाव की वजह से उन्हें ये नाम दिये गए हैं।

न्यूट्रीनो दोलन

- सूर्य से आने वाले न्यूट्रीनो की संख्या को मापते हुए कुछ शोधकर्ताओं ने पाया था कि सौर न्यूट्रीनो की कुल संख्या का केवल एक तिहाई हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त हो रहा है।
- किंतु कुछ समय पश्चात् संख्या में इस कमी की वजह न्यूट्रीनो के कम द्रव्यमान को बताया गया है जिसकी सहायता से वे एक से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। रूप परिवर्तन की इस घटना को ही न्यूट्रीनो दोलन कहा जाता है।

तीव्र न्यूट्रीनो दोलन

- जब विभिन्न प्रकार के न्यूट्रीनो विभिन्न-2 दिशाओं (एनिसोट्रॉपी) में अलग-अलग तरीके से उत्सर्जित हों तो एक प्रकार के न्यूट्रीनो से दूसरे प्रकार के न्यूट्रीनो में परिवर्तन या दोलन उच्च आवृत्ति पर होता है। इसे ही 'तीव्र न्यूट्रीनो दोलन' (Fast Neutrino Oscillations) कहा जाता है और यह माध्यम में न्यूट्रीनो के घनत्व के समानुपाती होता है, न कि न्यूट्रीनो के द्रव्यमान के।

एनिसोट्रॉपी

- एनिसोट्रॉपी (Anisotropy) कुछ पदार्थों का ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण विभिन्न आणविक अक्षों (Molecular Axes) पर पदार्थों के विभिन्न भौतिक गुण परिलक्षित होते हैं। यह गुणधर्म क्रिस्टल, तरल क्रिस्टल में तो दिखाई देते हैं किंतु आमतौर पर तरल पदार्थों में ऐसा कम ही देखा जाता है।

सुपरनोवा

- संलयन (Fusion) की समाप्ति (ईंधन खत्म होने पर) के पश्चात् तारे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण नष्ट (विस्फोट) होने लगते हैं जिसे सुपरनोवा (Supernova) कहते हैं। आमतौर पर सूर्य के द्रव्यमान से आठ गुना अधिक बड़े तारों में यह विस्फोटक घटना होती है।
- तीव्र न्यूट्रीनो दोलन अब नहीं देखे जाते हैं क्योंकि इसके लिये न्यूट्रीनो घनत्व बहुत ज्यादा और एनिसोट्रॉपी की आवश्यकता होती है। ऐसे हालात जो केवल बड़े तारों, न्यूट्रॉन स्टार टकरावों आदि के केंद्र में ही मिलते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष

इस अध्ययन से पहले, यह माना जाता था कि उच्च घनत्व और एनिसोट्रॉपी की स्थिति में न्यूट्रीनो बिना टकराए सीधी रेखा में गति करते हैं। किंतु इस अध्ययन से पता चलता है कि टकराव उच्च एनिसोट्रॉपी स्थितियाँ पैदा करता है इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि टक्करों की वजह से तीव्र न्यूट्रीनो दोलन होते हैं।

सिकुड़ रही चंद्रमा की सतह

चर्चा में क्यों ?

चंद्रमा करीब 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया था, तब से लेकर आज तक उसमें होने वाली विवर्तनिक क्रियाओं के कारण उसकी ऊर्जा का धीरे-धीरे हास (अर्थात टंडा होने से) हो रहा है।

इसी कारण चंद्रमा की सतह लगातार सिकुड़ रही है। यह ठीक वैसे ही है जैसे अंगूर का किशमिश में रूपांतरण होता है। इसके परिणामस्वरूप बीते कई सैकड़ों वर्षों में चंद्रमा की सतह लगभग 150 फीट तक पतली हो चुकी है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका के नासा संस्थान के चन्द्र टोही कृत्रिम उपग्रह (Lunar Reconnaissance Orbiter-LRO) से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि चंद्रमा तेजी से सिकुड़ रहा है। इसका कारण उसकी सतह पर उपस्थित झुर्रियाँ और आने वाले भूकंप है।
- लगभग 12000 से अधिक तस्वीरों का सर्वेक्षण करने से पता चला है कि चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के पास उपस्थित लूनर बेसिन मारे फ्रिगोरिस (Lunar Basin Mare Frigoris) में दरार पड़ रही है और यह अपनी जगह से खिसक रही है। चंद्रमा पर कई विशाल बेसिनों में से मारे फ्रिगोरिस एक है। भूगर्भीय दृष्टिकोण से इन बेसिनों को मृत माना जाता है।
- हमारे ग्रह (पृथ्वी) की तरह चंद्रमा के नीचे विवर्तनिक प्लेटें (Tectonic Plates) नहीं पाई जाती हैं जिस कारण से चन्द्रमा पर विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ऊर्जा का ह्रास हो रहा है।
- चन्द्रमा की सतह काफी नाजुक हो रही है, साथ ही इस पर घटित होने वाली क्रियाओं से आरोपित बल के कारण इसकी सतह छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर इसकी नजदीकी सतह पर एकत्रित हो रही है जिसके कारण यह सिकुड़ रहा है।
- 1960-70 के दशक में अपोलो के अंतरिक्षयात्री ने सर्वप्रथम चन्द्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का पता लगाया था। एक अध्ययन में उन्होंने पाया कि ऊपरी सतहों की तुलना में आंतरिक सतहों पर बहुत अधिक संख्या में भूकंप आए।
- अपोलो मिशन द्वारा किये गए विश्लेषण को प्राकृतिक भू-विज्ञान ने प्रकाशित किया एवं इसने चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन किया।
- भूगर्भ विज्ञानी एवं मेरीलैंड यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर निकोलस शिमार ने कहा कि लाखों वर्ष पूर्व घटित होने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति आज भी हो रही हैं।

लूनर रेकॉनैसंस ऑर्बिटर (Lunar Reconnaissance Orbiter-LRO)

LRO भविष्य में चंद्रमा पर भेजे जाने वाले मानवयुक्त मिशन की तैयारी की दिशा में लूनर प्रीकर्सर एंड रोबोटिक प्रोग्राम (Lunar precursor and Robotic program-LPRP) के अंतर्गत चंद्रमा के लिये शुरू किया नासा का एक मिशन है।

उद्देश्य

- चंद्रमा पर संभावित संसाधनों की पहचान करना।
- चन्द्र की सतह के विस्तृत नक्शे एकत्र करना।
- चंद्रमा के विकिरण स्तरों पर आँकड़े एकत्र करना।
- उन संसाधनों के लिये चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों (Polar regions) का अध्ययन करना जो भविष्य के मानवयुक्त मिशन या रोबोटिक सैंपल रिटर्न मिशन (Robotic Sample Return Mission) में इस्तेमाल किये जा सकते हैं।
- भविष्य के रोबोटिक एक्सप्लोरर्स (Robotic Explorers), ह्यूमन लूनर लैंडिंग साइटों (Human Lunar Landing Sites) को चिह्नित करने तथा भविष्य की चन्द्र मानव अन्वेषण प्रणाली (human exploration of the Moon) हेतु उपयोग किये जा सकने वाले उपायों/तकनीकियों को ग्रहण करने के लिये मानक तय करना।

अपोलो मिशन (Apollo Mission)

- अपोलो नासा का एक कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों तक पहुँच बढ़ाना था।
- पहली बार वर्ष 1968 में अपोलो मिशन के तहत उड़ान भरी गई। चंद्रमा पर पहला मानवयुक्त अभियान अपोलो 8 था, जिसने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाया था। हालाँकि, अपोलो 8 चंद्रमा पर नहीं उतरा और वापस पृथ्वी पर आ गया था।
- मिशन अपोलो 11 पहली बार 20 जुलाई, 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरा। इस मिशन का नील आर्मस्ट्रॉंग भाग थे। वह चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे।

राडार इमेजिंग उपग्रह RISAT-2B

चर्चा में क्यों ?

भारत 22 मई को श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-कोर अलोन (Polar Sattelite Launch Vehicle-Core Alone-PSLV-CA) वैरिएंट का उपयोग करते हुए राडार इमेजिंग अर्थ आब्जर्वेशन उपग्रह, RISAT-2B लॉन्च करेगा।

RISAT-2B

- RISAT-2B, RISAT-2BR1, 2BR2, RISAT-1A, 1B, 2A के बाद लॉन्च किया जाना है।
- इसरो के मुताबिक RISAT-2B को धरती की लगभग 500 किमी ऊँचाई वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अपनी कक्षा में यह 37 डिग्री के कोण पर झुका होगा।
- इस उपग्रह के अंतरिक्ष में स्थापित होने से देश की टोही एवं निगरानी क्षमता बढ़ेगी।
- यह एक्स बैंड सिंथेटिक अपचर राडार (SAR) युक्त उपग्रह है जिसका उपयोग धरती पर नजर रखने के लिये किया जाएगा।
- बादलों के आच्छादित रहने पर भी इस उपग्रह की मदद से धरती पर नजर रखी जा सकेगी। इससे सीमाओं पर किसी भी गतिविधि का पता लगाया जा सकेगा।
- RISAT-2B उपग्रह भी एक्स बैंड सिंथेटिक अपचर राडार उपग्रह है जो देश की इमेजिंग और टोही क्षमता को बढ़ाएगा।
- इसमें सभी मौसम में निगरानी करने की क्षमता है जो सुरक्षा बलों और आपदा राहत एजेंसियों के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

RISAT सीरीज़ के बारे में

- राडार इमेजिंग सैटेलाइट (RISAT) ISRO द्वारा निर्मित भारतीय राडार इमेजिंग टोही उपग्रहों की एक श्रृंखला है।
- RISAT श्रृंखला इसरो का पहला ऑल-वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है।
- पिछले भारतीय आब्जर्वेशन उपग्रह मुख्य रूप से ऑप्टिकल और स्पेक्ट्रल सेंसर पर आधारित थे जो आसमान में बादल होने पर ठीक से काम नहीं कर पाते थे।
- दरअसल, वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद इसरो ने अप्रैल 2009 को RISAT-2 उपग्रह लॉन्च किया था जिससे सशस्त्र बलों को काफी मदद मिली।
- हालाँकि तब इसरो की योजना स्वदेशी तकनीक से विकसित 'सी बैंड' सिंथेटिक अपचर राडार उपग्रह RISAT-1 लॉन्च करने की थी, लेकिन यह भारतीय उपग्रह तैयार नहीं था।
- भारत ने इज़राइली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ से एक्स बैंड सिंथेटिक अपचर राडार लिया जिसे RISAT-2 में इंटीग्रेट कर छोड़ा गया।
- इस तरह RISAT-2 देश का पहला सिंथेटिक अपचर राडार युक्त उपग्रह बना, जिससे दिन या रात, हर मौसम में (24 घंटे) देश की सीमाओं की निगरानी करने की क्षमता बढ़ी।
- 2012 में इसरो ने RISAT-1 लॉन्च किया जिसे भारत का पहला स्वदेशी ऑल-वेदर राडार इमेजिंग उपग्रह के नाम से जाना जाता है।

सिंथेटिक अपचर राडार (Synthetic Aperture Radar-SAR)

- सिंथेटिक अपचर राडार (SAR) इमेजिंग में माइक्रोवेव स्पंदन (Pulses) को एक एंटीना के माध्यम से पृथ्वी की सतह की ओर प्रेषित किया जाता है।
- अंतरिक्षयान में फैली माइक्रोवेव ऊर्जा को मापा जाता है। SAR राडार सिद्धांत का उपयोग करता है ताकि बैकस्केटर (Backscattered) सिग्नल के समय देरी का उपयोग करके एक छवि (Image) बनाई जा सके।

इसरो (ISRO)

- वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) की स्थापना हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है।

- इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया।
- इसे भारत सरकार के 'स्पेस डिपार्टमेंट' द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अपने विभिन्न केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है।

मंगल ग्रह पर सबसे बड़े जल भंडार की खोज

चर्चा में क्यों

वैज्ञानिकों ने मंगल (Mars) ग्रह पर अब तक के सबसे बड़े जल भंडार का पता लगाया है। मंगल ग्रह पर यह जल भंडार बर्फ की परत के रूप में सतह से एक किलोमीटर नीचे पाया गया है। यह एक ऐसी खोज है जो इस बात का रहस्योद्घाटन कर सकती है कि अतीत में मंगल ग्रह (Red Planet) रहने योग्य था अथवा नहीं।

प्रमुख बिंदु

- ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय और अमेरिका में एरिज़ोना विश्वविद्यालय की टीम का अनुमान है कि अगर बर्फ की ये परत पिघल जाती है, तो इस ग्रह के जलमग्न होने की स्थिति बन सकती है क्योंकि यह पिघला हुआ जल 5 फीट (1.5 मीटर) की लंबाई को धारण किये होगा जो इस ग्रह को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त है।
- शोधकर्ताओं ने नासा के मार्स रिकॉनेनेंस ऑर्बिटर (Mars Reconnaissance Orbiter) पर शैलो राडार (Shallow RADAR- SHARAD) द्वारा एकत्र किये गए डेटा का उपयोग कर यह खोज की है।
- SHARAD ऐसी राडार तरंगों का उत्सर्जन करता है जो मंगल की सतह के 1.5 मील नीचे तक प्रवेश कर सकती हैं।
- जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स (Geophysical Research Letters) पत्रिका में प्रकाशित इस निष्कर्ष के अनुसार, बर्फ की परतें मंगल ग्रह की अतीत की जलवायु का रिकॉर्ड/प्रमाण ठीक उसी तरह से रखती हैं जैसे कि वृक्ष वलय (Tree Rings) पृथ्वी पर अतीत के जलवायु का रिकॉर्ड रखता हैं।
- शोधकर्ताओं ने कहा कि इन परतों की ज्यामिति और संरचना का अध्ययन वैज्ञानिकों को बता सकता है कि मंगल ग्रह पर जलवायु की परिस्थितियाँ अतीत में अनुकूल थीं या प्रतिकूल।
- इस खोज में प्राप्त बर्फ की परतें शुद्ध बर्फ की न होकर रेत मिश्रित हैं हालाँकि कुछ जगहों पर इस मिश्रण में 90% जल भी पाया गया।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, मंगल पर विगत हिम युगों के दौरान ध्रुवों पर बर्फ जमा होने से इन परतों का निर्माण हुआ होगा। ग्रह का तापमान बढ़ने पर बर्फ की परत का अवशेष रेत से ढँक गया होगा जिसके कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई होगी।

मार्स रिकॉनेनेसेंस (टोही) ऑर्बिटर (Mars Reconnaissance Orbiter-MRO)

- MRO का प्रक्षेपण 2005 में हुआ जिसका लक्ष्य इस साक्ष्य का पता लगाना था कि एक लंबे समय-अंतराल तक मंगल ग्रह पर जल की उपलब्धता रही होगी।
- MRO में कई प्रकार के उपकरण होते हैं जैसे कैमरा, स्पेक्ट्रोमीटर और राडार जिनका प्रयोग मंगल ग्रह के प्राकृतिक भू-अवस्थिति, स्ट्रेटिग्राफी, खनिज और बर्फ के विश्लेषण हेतु किया जाता है।

शैलो राडार (Shallow Radar-SHARAD):

- यह मंगल की सतह के नीचे 4 किलोमीटर तक भूगर्भीय सीमाओं की तलाश करता है।
- शैलो राडार वांछित रीज्योल्यूशन प्राप्त करने हेतु 15-25 मेगाहर्ट्ज़ आवृत्ति वाली राडार तरंगों का उपयोग करते हुए सतह की छानबीन करता है।
- राडार द्वारा छोड़ी गई तरंगे परावर्तित होकर वापस आएंगी जिन्हें SHARAD एंटीना द्वारा कैप्चर किया जाएगा। ये तरंगे चट्टान, रेत सतह और उपसतह में मौजूद जल की विद्युत-परावर्तन विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। जल किसी उच्च घनत्व वाली चट्टान की तरह बहुत संवहनीय होता है और राडार द्वारा छोड़ी गई तरंगों को अच्छी तरह परावर्तित करता है।
- SHARAD इटालियन स्पेस एजेंसी (Italian Space Agency-ASI) द्वारा प्रदान की गई थी।

लूनर लैंडर: ब्लू मून

- हाल ही में अंतरिक्ष कंपनी 'ब्लू ओरिजिन' ने लूनर लैंडर का अनावरण किया है जिसे ब्लू मून कहा जा रहा है।
- गौरतलब है कि इसका उपयोग 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक 'परिवहन उपकरणों' और संभवतः मनुष्य के लिये भी किया जा सकता है।
- यह लैंडर वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाने के साथ ही मनुष्यों के लिये भी रोवर ले जाने में सक्षम होगा।

ब्लू मून

- इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना है, जहाँ बर्फ है। हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिये पानी का उपयोग किया जा सकता है, जो भविष्य में सौरमंडल के अन्वेषण में मदद कर सकेगा।
- यह लैंडर, ब्लू ओरिजिन का चंद्रमा पर अवसंरचना निर्माण के एक विजन का हिस्सा होगा जो भविष्य में मनुष्यों के अंतरिक्ष में बसने और प्रदूषणकारी उद्योगों को पृथ्वी से दूर स्थानांतरित करने की संभावना को बढ़ाएगा।

दृष्टि
The Vision

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

चक्रवाती तूफान 'फानी'

चर्चा में क्यों ?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) के आँकड़ों की मानें तो हाल ही में उत्तरी हिंद महासागर में विकसित चक्रवाती तूफान फानी (Cyclonic storm Fani) 1976 के बाद इस क्षेत्र का पहला तीव्र (अप्रैल के महीने में) चक्रवात है।

प्रमुख बिंदु

- भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान फानी की उत्पत्ति ग्लोबल वार्मिंग के कारण बंगाल की खाड़ी के बेसिन का तापमान बढ़ने से हुई है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग की चक्रवात-सांख्यिकी के आँकड़ों से पता चलता है कि 1965-2017 के बीच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में कुल 46 गंभीर चक्रवाती तूफान विकसित हुए।
- 'फानी' एक उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात है।

उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात

- उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात होते हैं।
- ये साधारणतः अप्रैल से नवंबर के बीच आते हैं।
- वृहद् समुद्री सतह जहाँ तापमान 27°C से अधिक हो, कोरिओलिस बल का होना, उर्ध्वाधर वायु कर्तन (Vertical Wind Shear) का क्षीण होना, समुद्री तल तंत्र का ऊपरी अपसरण आदि इनकी उत्पत्ति एवं विकास के लिये अनुकूल स्थितियाँ हैं।
- अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण आर्द्र हवाओं के ऊपर उठने से इनका निर्माण होता है।
- उष्ण-कटिबंधीय चक्रवात अपने निम्नदाब के कारण ऊँची सागरीय लहरों का निर्माण करते हैं।
- इन चक्रवातों का मुख्य प्रभाव तटीय भागों में पाया जाता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

- भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत यह मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है।
- IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- वर्ष 1864 में चक्रवात के कारण कलकत्ता में हुई क्षति और वर्ष 1866 तथा वर्ष 1871 के अकाल के बाद मौसम विश्लेषण और डाटा संग्रह के कार्य को एक ढाँचे के अंतर्गत किये जाने करने का निर्णय लिया गया।
- इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई।
- हेनरी फ्राँसिस ब्लैनफर्ड को विभाग के पहले मौसम विज्ञान संवाददाता के रूप में नियुक्त किया गया था।
- IMD का मुख्यालय वर्ष 1905 में शिमला, बाद में 1928 में पुणे और अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र

- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (Indian National Centre for Ocean Information Services- INCOIS) की स्थापना वर्ष 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।
- यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (Earth System Science Organization- ESSO) की एक इकाई है।

राजस्थान में 'बस्टर्ड प्रजनन केंद्र' की स्थापना

समाचारों में क्यों ?

राजस्थान सरकार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिये एक प्रजनन केंद्र की स्थापना करेगी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देश का सर्वाधिक संकटग्रस्त पक्षी है तथा राजस्थान सरकार इसकी आबादी को संरक्षित करने का प्रयास कर रही है। संरक्षण का कार्य कोटा और जैसलमेर की दो सुविधाओं (facilities) के माध्यम से किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- यह देश की ऐसी पहली सुविधा होगी। इसका उद्देश्य राजस्थान के राज्य-पक्षी 'द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' का संरक्षण करना होगा। राजस्थान में शेष बची हुई इस पक्षी की अंतिम आबादी (मात्र 90) सम्पूर्ण देश में उपस्थित इनकी कुल आबादी का 95% है।
- इस प्रजनन केंद्र की स्थापना कोटा जिले में स्थित शोरसन (Sorsan) में की जाएगी जबकि अंडे सेने वाले एक स्थान (hatchery) की स्थापना अगले वर्ष जैसलमेर जिले में स्थित मोखाला (Mokhala) में की जाएगी।
- केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इन दोनों केन्द्रों की स्थापना के लिये 33.85 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है तथा इसके वैज्ञानिक शाखा के रूप में भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India -WII) को अधिकृत किया है।
- प्रजनन केंद्र के लिये शोरसन के नमी वाले आवास का चुनाव किया जाएगा। इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है, यह वन भूमि से अलग है और यह दो दशकों तक बस्टर्ड का आवास स्थल भी रहा है। चूजों के बड़े हो जाने के पश्चात उन्हें पुनः डेजर्ट नेशनल पार्क में भेज दिया जाएगा।
- रेड्डी के अनुसार, दो सुविधाओं की स्थापना करने के उद्देश्य से अगले दो माह में केंद्र सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान और राज्य सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत शामिल कार्य निम्नलिखित होंगे- अण्डों की सोर्सिंग, परिवहन, चूजों का पालन-पोषण और युवा पक्षियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें डेजर्ट नेशनल पार्क में छोड़ना।
- गौरतलब है कि एक मादा बस्टर्ड एक मौसम में केवल एक ही अंडा देती है। यदि ऐसे वैज्ञानिक तरीके विकसित कर लिये जाएँ जिनसे वह एक बार में ही कई अंडे देने में सक्षम हो तो यह इनके संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रमाणित होगा।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- जब भारत के 'राष्ट्रीय पक्षी' के नाम पर विचार किया जा रहा था, तब 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' का नाम भी प्रस्तावित किया गया था जिसका समर्थन प्रख्यात भारतीय पक्षी विज्ञानी सालिम अली ने किया था।
- लेकिन 'बस्टर्ड' शब्द के गलत उच्चारण की आशंका के कारण 'भारतीय मोर' को राष्ट्रीय पक्षी चुना गया था।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' भारत और पाकिस्तान की भूमि पर पाया जाने वाला एक विशाल पक्षी है। यह विश्व में पाए जाने वाली सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी प्रजातियों में से एक है।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' को भारतीय चरागाहों की पताका प्रजाति (Flagship species) के रूप में जाना जाता है।
- इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम आर्डीओटिस नाइग्रिसेप्स (Ardeotis nigriceps) है, जबकि मल्थोक, घोराड येरभूत, गोडावण, तुकदार, सोन चिरैया आदि इसके प्रचलित स्थानीय नाम हैं।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, जहाँ इसे गोडावण नाम से भी जाना जाता है।
- 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' की जनसंख्या में अभूतपूर्व कमी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ने इसे संकटग्रस्त प्रजातियों में भी 'गंभीर संकटग्रस्त' (Critically Endangered) प्रजाति के तहत सूचीबद्ध किया है।

जलवायु परिवर्तन का ग्लेशियर पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

'द जर्नल अर्थ फ्यूचर' (The Journal Earth's Future) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, यदि वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी लगातार जारी रही तो वर्ष 2100 तक विश्व के लगभग आधे प्राकृतिक ग्लेशियर पिघल जाएँगे।

हेरिटेज ग्लेशियर पर खतरा

- 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर' (IUCN) द्वारा हेरिटेज ग्लेशियर्स पर कराया गया यह दुनिया का पहला शोध माना जा रहा है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध ग्रोसर एलेत्स ग्लेशियर (Grosser Aletsch Glacier) और ग्रीनलैंड के जकॉब्सवैन आइसबारे (Jakobshavn Isbrae) ग्लेशियरों को भी खतरे के दायरे में शामिल किया गया है।
- वैज्ञानिकों ने वैश्विक स्तर पर जाँच के बाद ग्लेशियरों की वर्तमान स्थिति का आकलन किया। साथ ही वैश्विक तापमान में वृद्धि और कार्बन उत्सर्जन की दर के जारी रहने की स्थिति में हेरिटेज ग्लेशियर पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये।

प्रमुख बिंदु

- अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2100 तक 46 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में से 21 ग्लेशियर समाप्त हो जाएँगे, जिसमें हिमालय में स्थित खुम्बु ग्लेशियर (Khumbu Glacier) भी शामिल है।
- अर्जेंटीना में स्थित लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क (Los Glaciares National Park) में पृथ्वी के कुछ बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, वर्ष 2100 तक इन ग्लेशियरों में से लगभग 60% बर्फ के समाप्त होने की संभावना है।
- उत्तरी अमेरिका में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बाद भी वाटरटन ग्लेशियर इंटरनेशनल पीस पार्क (Waterton Glacier International Peace Park), कनाडाई रॉकी माउंटेन पार्क (Canadian Rocky Mountain Parks) और ओलंपिक नेशनल पार्क (Olympic National Park) ग्लेशियर में लगभग 70% तक बर्फ में कमी की संभावना है।

प्रभाव

- ग्लेशियरों के पिघलने की घटना विश्व धरोहर सूची में शामिल ग्लेशियरों के लिये खतरे का संकेत है। अतः जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये राज्यों को अपनी प्रतिबद्धताओं को न केवल मजबूत करने की आवश्यकता है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिये इन ग्लेशियरों को संरक्षित करने के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

परिणाम

- इस अध्ययन के अनुसार, ग्लेशियरों के पिघलने की ये घटनाएँ वैश्विक उत्सर्जन का परिणाम है। यदि उत्सर्जन में कमी होती है तो भी इन ग्लेशियरों में से केवल 8 को ही बचाया जा सकेगा।
- पर्यावरण के साथ-साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण ऐसे प्रसिद्ध ग्लेशियरों का समाप्त होना चिंताजनक है।
- इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पेयजल पर पड़ेगा।
- न केवल इससे समुद्र के जल-स्तर में वृद्धि होगी बल्कि मौसम का पैटर्न प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा।

निष्कर्ष

- वैश्विक तापन के संदर्भ में यदि समुचित उपाय नहीं किये गए तो भविष्य में इसके विषम प्रभाव हो सकते हैं।
- आने वाली पीढ़ियों के लिये पेयजल, कृषि आदि क्षेत्र में इन ग्लेशियरों का बहुत महत्व है, अतः इनको बचाना आज की पीढ़ी की एक बड़ी जिम्मेदारी है।

आई यू सी एन (International Union for Conservation of Nature- IUCN)

- IUCN पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाला विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन है।
- इसकी स्थापना 5 अक्टूबर, 1948 को फ्रांस में हुई।
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड शहर में अवस्थित है।
- इसकी पहली बैठक में दुनिया के 18 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों, 7 अंतरराष्ट्रीय संगठनों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने वाले 107 राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था।
- इसका मूल लक्ष्य एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है, जहाँ मूल्यों और प्रकृति का संरक्षण हो सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आईयूसीएन प्रकृति की अखंडता और विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिये वैश्विक समाज को प्रोत्साहित करता है।

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध और मानव स्वास्थ्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर-समन्वय समूह ने 'No Time To Wait: Securing The Future From Drug-Resistant Infections' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2050 तक हर साल दवा-प्रतिरोधी बीमारियों से 10 मिलियन लोगों की मृत्यु की आशंका है।

प्रमुख बिंदु

- एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (Antimicrobial Resistance) एक वैश्विक संकट है जो किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- मनुष्यों, जानवरों और पौधों में प्रतिजैविक दवाओं के बढ़ते प्रयोग के कारण प्रतिजैविक प्रतिरोध के प्रसार में तेजी आ रही है।
- इसके मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है, यदि ऐसा नहीं होता है तो यह भावी पीढ़ियों के लिये विनाशकारी साबित हो सकता है।
- मौजूदा समय में प्रतिरोधी रोगों के कारण वैश्विक स्तर पर हर साल कम से कम 7,00,000 लोग मारे जाते हैं, जिनमें लगभग 2,30,000 ऐसे लोग शामिल हैं जो बहुऔषधि-प्रतिरोधी तपेदिक (Multidrug-Resistant Tuberculosis) से मरते हैं।
- सही समय पर रोकथाम हेतु प्रयास नहीं किये जाने की स्थिति में यह बीमारी 2030 तक करीब 24 मिलियन लोगों को गरीबी के कगार पर पहुँचा देगी तथा आने वाली पीढ़ियों को अनियंत्रित रोगाणुरोधी प्रतिरोध के विनाशकारी प्रभावों का सामना करना पड़ेगा।
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध के वाहक मनुष्यों, जानवरों, पौधों, भोजन और पर्यावरण में निहित हैं।
- इस प्रकार एक साझा दृष्टिकोण और लक्ष्यों वाले सभी हितधारकों को एकजुट होकर कदम उठाने की आवश्यकता है।
- सभी देशों के लिये जरूरी है कि वे ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दें जिससे उनकी वित्तीय एवं क्षमता निर्माण में वृद्धि हो एवं प्रतिजैविकों के अधिक प्रयोग को रोकने के लिये तथा लोगों को जागरूक करने के लिये पेशेवर लोगों को भी साथ लाना जरूरी है।
- सभी देशों द्वारा प्रतिजैविक प्रतिरोध से निपटने हेतु नई प्रौद्योगिकियों के लिये अनुसंधान और विकास में निवेश करना भी आवश्यक है।
- प्रतिजैविक प्रतिरोध पर संयुक्त राष्ट्र अंतर समन्वय समूह (Interagency Coordination Group-IACG)
- IACG की स्थापना 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation), खाद्य और कृषि संगठन (Food And Agriculture Organisation) तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation For Animal Health- OIE) के परामर्श से की गई थी।
- IACG का उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध को रोकने के लिये व्यावहारिक रूप से मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि इसके प्रसार को रोका जा सके।

IACG की सिफारिशें

- **सभी देशों के विकास की गति को बढ़ाना:** सदस्य राज्यों हेतु एंटीमाइक्रोबियल्स से निपटने के लिये नए संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास होना चाहिये। साथ ही एसडीजी के संदर्भ में एक स्वास्थ्य राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध कार्य योजना (One Health National Antimicrobial Resistance Action Plan) के विकास और कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- **भविष्य को सुरक्षित करने के लिये नवाचार:** सरकारी, गैर-सरकारी, लोक हितैषी लोगों को इस क्षेत्र में निवेश करने हेतु आगे आना चाहिये ताकि उच्च गुणवत्ता वाले माइक्रोबियल्स का निर्माण हो सके। उच्च कोटि के नए माइक्रोबियल्स की पहुँच को सरल और सहज बनाने का प्रयास करना आवश्यक है।

अधिक प्रभावी कार्यवाही को प्रेरित करना: रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रति एक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु नागरिक समूहों और संगठनों के बीच व्यवस्थित रूप से समन्वय आवश्यक है।

सतत् प्रतिक्रिया के लिये निवेश आकर्षित करना: IACG एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिये ज्यादा से ज्यादा निवेश की आवश्यकता पर जोर देता है, जिसमें सभी देशों में घरेलू निवेश शामिल है जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय विकास संस्थान तथा बैंक एवं निजी निवेशक हो सकते हैं।

मज़बूत जवाबदेही और वैश्विक शासन: एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिये एक स्वास्थ्य वैश्विक नेतृत्व समूह की तत्काल स्थापना करने की आवश्यकता है, जो त्रिपक्षीय एजेंसियों (FAO, OIE, और WHO) द्वारा प्रबंधित एक संयुक्त सचिवालय द्वारा समर्थित हो।

एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध के खिलाफ कार्रवाई के लिये एक स्वतंत्र पैनल का गठन करने की आवश्यकता है जो इसकी निगरानी करेगा और सदस्य राज्यों को रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित विज्ञान और साक्ष्यों पर नियमित रिपोर्ट प्रदान करेगा।

बांधों का पर्यावरण पर प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरिद्वार में एक 27 वर्षीय युवा स्वामी आत्मबोधानंद ने गंगा की प्रमुख सहायक नदियों पर रेत खनन और बांधों को बनाने के विरोध में किये जाने वाले अपने अनशन को 194 दिन बाद तोड़ दिया।

बांधों का पर्यावरण पर प्रभाव कैसे पड़ता है ?

पर्यावास का विखंडन

बांध बनाकर नदी के जल को अवरुद्ध कर दिया जाता है। जिससे यह मछलियों के लिये एक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। मछलियों में नदी के किनारों तथा जल के बहाव के साथ विचरण करने/तैरने की प्रवृत्ति होती है, ऐसे में बांध के अवरोधक के रूप में कार्य करने से उनके प्रजनन एवं विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका असर उस जल निकाय के समस्त जल-चक्र में परिलक्षित होता है।

बाढ़ और आसपास के निवास स्थान का विनाश Flooding and the Destruction of Surrounding Habitat

अवरुद्ध नदियाँ बांध के बहाव के प्रतिकूल एक जलाशय बनाती हैं, जिनका जल आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। परिणामस्वरूप बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वहाँ मौजूद पारिस्थितिक तंत्र तथा आवास नष्ट हो जाते हैं। इस तरह की बाढ़ पौधों, वन्यजीवों और मनुष्यों सहित कई अन्य जीवों को या तो नष्ट कर देती है या विस्थापित कर सकती है।

ग्रीनहाउस गैसों (Greenhouse Gases)

बांधों के आसपास के निवास स्थान में बाढ़ आने से पेड़-पौधे और अन्य जीवन नष्ट हो जाते हैं जो अपघटित होकर वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। क्योंकि नदी का बहाव अवरुद्ध रहता है, इसलिये पानी स्थिर हो जाता है और जलाशय के निचले हिस्से (तल) में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी एक ऐसी स्थिति का निर्माण करती है जो जलाशय के तल पर संयंत्र सामग्रियों के अपघटन से मीथेन (एक बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस) उत्पन्न करती है, अंततः वैश्विक जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हुए वायुमंडल में उत्सर्जित होती रहती है।

बांध के पीछे अवसाद/तलछट का निर्माण (Sediment Builds up Behind the Dam)

जैसे कि एक अवरुद्ध (Damed) नदी का बहाव स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, इसलिये जो अन्य प्रकार के प्राकृतिक तलछट या अवसाद जमा होकर बांध के पीछे इकट्ठा होते जाते हैं, जिससे नदी के नए किनारे, नदी के डेल्टा, जलोढ़ पंख, नदियों के विभिन्न स्वरूप, कई प्रकार की झीलें और तटीय किनारों का निर्माण होता है।

अवसादन की स्थिति में होने वाले इन परिवर्तनों से पौधों एवं पशुओं के जीवन तथा उनके वितरण में नाटकीय परिवर्तन हो सकता है।

बहाव तलछट अपरदन (Downstream Sediment Erosion)

बांध में अवसादों के प्रवाह में रुकावट के कारण, तलछट की कमी हो जाती है जो निरंतर बनी रहती है। अवसादों के अभाव में पानी का बहाव तीव्र होता है। फलस्वरूप समय के साथ नदी गहरी और संकीर्ण हो जाती है। इसका सीधा प्रभाव नदी में रहने वाले जीव-जंतुओं के जीवन पर पड़ता है क्योंकि नदी के तीव्र प्रवाह के कारण जीवों की जीवन-समर्थन क्षमता कमजोर हो जाती है। साथ ही डेल्टाओं तक पहुँचने वाले अवसादों में भी कमी आती है।

स्थानीय मछलियों की जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव Negative Impacts on Local Fish Populations

आमतौर पर बांधों को स्थानीय मछलियों की प्रजातियों हेतु पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाया जाता, अतः बांध बनने से ये जीवित नहीं रह पाती हैं। परिणामस्वरूप मछलियों की स्थानीय आबादी लुप्त हो रही है। स्थानीय मछलियों की प्रजातियों के अस्तित्व को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें प्रवासन मार्गों का अवरोध, बाढ़, नदी के प्रवाह में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, मैलापन, घुलित ऑक्सीजन और स्थानीय पादप जीवन में परिवर्तन शामिल हैं।

- नदियों के आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों से कार्बनिक पदार्थ जो कि आमतौर पर नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, बांधों के पीछे एकत्र होते जाते हैं जो ऑक्सीजन का उपभोग करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसे शैवाल उगने लगते हैं जो बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उपभोग कर 'मृत क्षेत्र' (Dead Zones) का निर्माण करते हैं।
- इसके अलावा, बांध के जलाशय में सतह और गहराई के बीच पानी का तापमान बहुत भिन्न हो सकता है। प्राकृतिक रूप से नदी में जीवों के जीवन-चक्र के लिये एक जटिल प्रक्रिया विकसित होती है। जब बांध संचालक द्वारा नदी में विषम तापमान एवं ऑक्सीजन रहित से पानी छोड़ा जाता है, तो इससे नदी के वातावरण को भी नुकसान पहुँचाता है।

मिथाइल-मर्करी का उत्पादन Production of Methyl-Mercury

जलाशयों के स्थिर जल में पौधों के सड़ने से कार्बनिक पदार्थ का अपघटन अकार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है। ऐसी स्थिति में मर्करी परिवर्तित होकर मिथाइल मर्करी बन सकती है, दुर्भाग्य से यह मिथाइल मर्करी नदी के जीवों में संचित हो जाती है जो जलाशयों से मछली खाने वाले मनुष्यों और वन्यजीवों में विषाक्त प्रभाव पैदा करता है।

राजाजी टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

6 मई को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने उत्तराखंड में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राजाजी टाइगर रिज़र्व (Rajaji Tiger Reserve) में वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिये बनाई जा रही सड़क के कथित अवैध निर्माण पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रदान करने हेतु समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत एक याचिका में यह कहा गया कि किसी प्रकार की वैधानिक मंजूरी और अपेक्षित सुरक्षा उपायों के बिना ही बाघ आरक्षित क्षेत्र/टाइगर रिज़र्व में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में बाघ आरक्षित क्षेत्र की जैविक विविधता और संसाधनों को नुकसान पहुँचने की संभावना है।
- 1 मार्च, 2017 को उत्तराखंड सरकार ने जैव-विविधता समृद्ध इस क्षेत्र पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर विचार किये बिना वाणिज्यिक वाहनों के लिये टाइगर रिज़र्व में लालदांग-चिलरखाल (Laldang-Chillarkhal) मार्ग खोलने का निर्णय लिया।
- इस याचिका में उठाया गया मुद्दा राजाजी टाइगर रिज़र्व, उत्तराखंड के लालदांग- चिल्लरखाल बफर क्षेत्र की जैव-विविधता और जैविक संसाधनों के संरक्षण के लिये एक्स-सीटू संरक्षण और इन-सीटू संरक्षण विधियों से संबंधित है।
- यही कारण है इस मामले पर विचार करने से पहले संयुक्त समिति से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना आवश्यक है, ताकि सही निर्णय लिया जा सके।
- एन.जी.टी. द्वारा गठित समिति तीन महीने के भीतर इस पर रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी।

नोडल निकाय

- एन.टी.सी.ए. (National Tiger Conservation Authority-NTCA) इसके अनुपालन और समन्वय के लिये नोडल एजेंसी होगी।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

- पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिये सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई।
- एन.जी.टी. का उद्देश्य पर्यावरण के मामलों को द्रुतगति से निपटाना तथा उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करना है।
- यह एक विशिष्ट निकाय है, जो पर्यावरण संबंधी विवादों एवं बहु-अनुशासनिक मामलों को सुविज्ञता से संचालित करने के लिये सभी आवश्यक तंत्रों से सुसज्जित है।
- एन.जी.टी., सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है।
- अधिकरण आवेदनों या अपीलों के प्राप्त होने के 6 महीने के अंदर उनके निपटान का प्रयास करता है।

एन.जी.टी. की संरचना

- एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि एन.जी.टी. में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, कम-से-कम 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिये, लेकिन यह संख्या 20 पूर्णकालिक न्यायिक एवं विशेषज्ञ सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिये
- अधिकरण की प्रमुख पीठ नई दिल्ली में स्थित है, जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई मौ इसकी क्षेत्रीय पीठें हैं। इसकी सर्किट स्तरीय पीठें शिमला, शिलॉन्ग, जोधपुर और कोच्चि में स्थित हैं।

भारत में बाघों की अनुमानित संख्या

- राष्ट्रीय स्तर पर हर चार वर्ष बाद आधुनिक तरीकों से बाघों की गिनती की जाती है।
- पहली बार वर्ष 2006 में गिनती की गई, उसके बाद वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में।
- वर्ष 2014 की जनगणना के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2226 (वर्ष 2010 में 1706 की तुलना में) हो गई है।
- वर्तमान में अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 (All India Tiger Estimation) इसका चौथा चक्र है जिसके वर्ष 2019 में जारी रहने की संभावना है।

चौथी बाघ जनगणना 2018 का महत्त्व

- वर्ष 2018 की बाघ जनगणना के तहत जानकारियों को संग्रहीत करने के लिये पहली बार "MSTriPES" नामक एक मोबाइल एप का उपयोग किया जा रहा है।
- बाघ जनगणना 2018 का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत को भी शामिल किया जा रहा है, जबकि पिछली जनगणना में ऐसा नहीं था।
- पहली बार भारत सहित तीन पड़ोसी देशों-भूटान, नेपाल और बांग्लादेश (भारत के साथ सीमा साझा करने वाले वे देश, जहाँ से बाघों के सीमा पार कर देश में आने की सूचना मिलती रहती है) बाघों की संख्या की गिनती करने में मदद कर रहे हैं।

बाघ संरक्षण के लिये भारत सरकार के कानूनी उपाय

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया ताकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य लुप्तप्राय प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया जा सके।
- बाघ आरक्षित वन क्षेत्र या बाघों की अधिक संख्या वाले क्षेत्र से संबंधित अपराधों के मामले में सजा बढ़ाई है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है।
- वर्ष 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों में संशोधन कर बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। प्राधिकरण की पहली बैठक नवंबर 2006 में हुई थी।

प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)

- भारत सरकार ने वर्ष 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिये 'प्रोजेक्ट टाइगर' लॉन्च किया।
- 'प्रोजेक्ट टाइगर' पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो नामित बाघ राज्यों में बाघ संरक्षण के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
- ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से एक ऑनलाइन बाघ अपराध डेटाबेस की शुरुआत की गई है और बाघ आरक्षित क्षेत्रों हेतु सुरक्षा योजना बनाने के लिये दिशा-निर्देश तैयार किये गए हैं।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

- भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी एवं वन्य जीवन तथा उनके व्युत्पन्न के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू किया।
- इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत में है।
- इस अधिनियम में जनवरी 2003 में संशोधन किया गया तथा इस कानून के तहत अपराधों के लिये दी जाने वाली सजा और जुर्माने को पहले की तुलना में अधिक कठोर बना दिया गया।
- इसका उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों तथा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है।

अभयारण्य

- राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी आरक्षित वन में समाविष्ट किसी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र या राज्य क्षेत्रीय सागरखंड को अभयारण्य गठित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकती है, यदि वह यह समझती है कि ऐसा क्षेत्र, वन्यजीव या उसके पर्यावरण के संरक्षण, संवर्द्धन या विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से पारिस्थितिक, प्राणी जात, वनस्पति जात, भू-आकृति, विज्ञान जात, प्रकृति या प्राणी विज्ञान जात के महत्व का है।

शिकार और विद्युत् आघात बाघों की मौत की बड़ी वज्रह

हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशनथॉरिटी (National Tiger Conservation Authority- NTCA) द्वारा बाघों की मौत के संदर्भ में 6 वर्षीय आँकड़े प्रस्तुत किये गए, जिसके अनुसार 2012-2018 के बीच देश में 656 बाघों की मौत की जानकारी प्राप्त हुई।

- उल्लेखनीय है कि इसमें से लगभग 31.5% (207) मौत का कारण अवैध शिकार और इलेक्ट्रोक्वशन (विद्युत् आघात से मृत्यु) पाया गया है।

प्रमुख बिंदु

- 2014 की जनगणना के अनुसार, अनुमानित 2,226 बाघों में से लगभग 40% बाघ निवास के मुख्य क्षेत्रों से बाहर रहते हैं। इन्हीं बाघों का अवैध शिकार होता है, साथ ही इनके साथ ही मनुष्यों के टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है।
- आँकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2012 से 2015 के बीच बाघों की मौत की संख्या में दो अंकों की तुलना की अपेक्षा 2016 में तीन अंकों के साथ बढ़कर इसमें बाघ की भेद्यता (Vulnerability) में वृद्धि प्रदर्शित हुई है।
- उल्लेखनीय है कि 118 बाघों की मौत (कुल मौतों का 18%) के मामले में NTCA को भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।
- 19 राज्यों में बाघों की होने वाली मौतों में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 148 बाघों की मौत की सूचना प्राप्त हुई है उसके बाद महाराष्ट्र (107), कर्नाटक (100) और उत्तराखंड (82) का स्थान है।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में 41 बाघों की मौत हुई है जिनमें में से चार बाघों के अवैध शिकार के कारण मौत (शिकारियों से जब्त किए गए शरीर के अंगों के आधार पर) की जानकारी प्राप्त हुई है।
- इस साल भी सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश (13) और महाराष्ट्र (7) में दर्ज किये गए हैं।
- अवैध शिकार के कारण होने वाली मौतों में से 124 बाघों को शवों के आधार पर गिना गया और बाकी शरीर के अंगों को अवैध शिकारियों से जब्त किया गया।
- 2014 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक (408) और उत्तराखंड (340) के बाद मध्य प्रदेश (308) बाघों की आबादी वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य है।

- आँकड़ों के अनुसार वन्यजीव व्यापार के लिये अवैध शिकार के मामले कम हैं लेकिन 2016 के बाद से इलेक्ट्रोक्वूशन (ज्यादातर बाड़ के माध्यम से) से मौत एक बड़ी चिंता का विषय है। उल्लेखनीय है कि 295 बाघों की मृत्यु प्राकृतिक (कुल का 45%) रूप से हुई तथा 36 सड़क या रेल दुर्घटनाओं में मारे गए।

अन्य प्रमुख बिंदु

- भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के अनुसार, आने वाले वर्षों में विदर्भ परिदृश्य सहित कई स्थानों पर स्थित अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और बायो-रिजर्व के बाहर संघर्ष में वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है।
- भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार, मध्य भारत में संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) में बाघों की संख्या पर्याप्त है और वे वहाँ ज्यादा टिक नहीं सकते। बाघ अभी भी लगातार प्रजनन कर रहे हैं, इसलिये अधिक संघर्ष के परिणामस्वरूप अधिशेष आबादी को बाहर धकेला जा रहा है।
- स्वतंत्र विशेषज्ञों के अनुसार, बाघ के शरीर के अंगों के व्यापार में गिरावट नहीं आई है। जब तक चीनी दवाइयों में बाघ के अंगों का उपयोग जारी रहता है, तब तक भारत से बाघों का अवैध शिकार जारी रहेगा।

सूखे की स्थिति से निपटने में संघर्षरत भारत

संदर्भ

महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में लगातार सूखे की स्थिति के बावजूद सरकार की तरफ से इससे निपटने के लिये अब तक कोई सक्षम रणनीति सामने नहीं आई है।

समस्याएँ

- पिछले कई वर्षों से फसलों का खराब होना और सूखा पड़ना एक स्थायी समस्या बन गई है।
- भारत में सूखा की स्थिति लंबे समय से बनी रही है किंतु इन दिनों इसकी आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है।
- सरकार की तरफ से सूखे से निपटने के लिये तात्कालिक तौर पर चारा-शिविर, पानी के टैंकर और सूखा राहत कोष जैसी व्यवस्था कर दी जाती है किंतु दीर्घकालिक अवधि में इससे निपटने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

आँकड़े

- आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले चार वर्षों में चार बार सूखा पड़ा है।
- इस अवधि के दौरान कर्नाटक के 20 से अधिक जिले तीन साल तक सूखे की चपेट में रहे।
- वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा को दो बार सूखे का सामना करना पड़ा।
- कृषि मंत्रालय के अनुसार,
- पिछले चार वर्षों में लगातार सूखे से न केवल खरीफ और रबी की फसल प्रभावित हुई है, बल्कि इन राज्यों में खरीफ की पूरक फसलें भी नष्ट हुई हैं।
- कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्से अच्छी तरह से सिंचित नहीं होने के कारण जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील हो गए हैं।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार,
- उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत तथा मध्य भारत के आसपास सूखे की तीव्रता अधिक देखी गई है साथ ही, हाल के दशकों में भारत में सूखे की तीव्रता और क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2017-18) में तापमान, वर्षा और फसल उत्पादन पर जिला-स्तरीय आँकड़ों को प्रस्तुत करते हुए औसत वर्षा में गिरावट, अत्यधिक वर्षा और तापमान में वृद्धि की दीर्घकालिक प्रवृत्ति का दस्तावेजीकरण किया है।

इसके अनुसार,

- तापमान और वर्षा का प्रभाव केवल अति के रूप में महसूस किया जाता है; अर्थात् जब तापमान बहुत अधिक होता है, वर्षा काफी कम होती है, और 'शुष्क दिनों' की संख्या सामान्य से अधिक होती है।
- ये प्रभाव सिंचित क्षेत्रों की तुलना में असिंचित क्षेत्रों में काफी अधिक प्रतिकूल हैं।
- जलवायु में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण सिंचित क्षेत्र में कृषि से उत्पन्न वार्षिक आय औसतन 15 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक और असिंचित क्षेत्रों के लिये 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम हो सकती है।

सरकार द्वारा किये गए उपाय

- सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) चला रही है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशन लागू किये गए हैं। ये क्षेत्र हैं-
 - ◆ सौर ऊर्जा
 - ◆ ऊर्जा दक्षता
 - ◆ जल
 - ◆ कृषि
 - ◆ हिमालय का पारिस्थिकी तंत्र
 - ◆ स्थायी आवास
 - ◆ हरित भारत
 - ◆ जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान।
- राज्यों ने NAPCC के उद्देश्यों के अनुरूप और जलवायु परिवर्तन से संबंधित राज्य के विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना (SAPCC) तैयार की है
- इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सिंचाई केंद्रित कई योजनाएँ जैसे- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) इत्यादि भी चला रहे हैं।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) Accelerated Irrigation Benefits Program – AIBP

- सिंचाई की दर में निरंतर गिरावट के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिये सहायता देने हेतु 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) प्रारंभ किया गया।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।

योजनाएँ कागज़ों तक ही सीमित

- विशेषज्ञों और किसानों का आरोप है कि सरकार की योजनाएँ सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित हैं।
- कृषि और जलवायु परिवर्तन शोधकर्ताओं के अनुसार, धरातल पर विशेष कुछ नहीं हो रहा है। इस मुद्दे से व्यापक रूप से निपटने के लिये राज्य और केंद्रीय स्तर पर सिर्फ तात्कालिक रूप से समाधान प्रस्तुत करने का कोई अर्थ नहीं है।
- कृषि पर पड़ने वाले जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति उदासीनता भविष्य के लिये एक बड़े संकट का कारण बन सकती है।

आगे की राह

- जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिये ड्रिप और स्प्रींकलर सिंचाई प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सिंचाई का विस्तार करना आवश्यक है।
- मोर क्रॉप फॉर एवरी ड्रॉप (More Crop For Every Drop) की दिशा में कार्य करना होगा।
- बिजली और उर्वरक क्षेत्र में असंगत सब्सिडी के बदले प्रत्यक्ष आय समर्थन प्रदान करना चाहिये।
- भू-जल के अन्य भंडारों की खोज के लिये रिमोट सेंसिंग, उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों तथा भौगोलिक सूचना तंत्र आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिये।

- जल संग्रहण के लिये छोटे बांधों का निर्माण किया जाना चाहिये।
- 'हर खेत को पानी' के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना तथा खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना होगा।
- पौधरोपण तथा सूखारोधी फसलों की कृषि के माध्यम से सूखे के प्रभावों को सीमित किया जा सकता है तथा नीतियों को फसल-केंद्रित बनाया जाना चाहिये।

सूखा

सूखा एक असामान्य व लंबा शुष्क मौसम होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में स्पष्ट जलीय असंतुलन पैदा करता है। सूखा के लिये मानसून की अनिश्चितता के अतिरिक्त कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी कारक हो सकते हैं। 'सूखे' की तीन स्थितियाँ होती हैं-

- (i) मौसमी सूखा: किसी बड़े क्षेत्र में अपेक्षा से 75% कम वर्षा होने पर उत्पन्न हुई स्थिति।
- (ii) जलीय सूखा: जब 'मौसम विज्ञानी सूखे' की अवधि अधिक लंबी हो जाती है तो नदियों, तालाब, झीलों जैसे जल क्षेत्र सूखने से यह स्थिति बनती है।
- (iii) कृषिगत सूखा: इस स्थिति में फसल के लिये अपेक्षित वर्षा से काफी कम वर्षा होने पर मिट्टी की नमी फसल विकास के लिये अपर्याप्त होती है।

विलुप्त होती प्रजातियों पर जैव विविधता रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान नीति मंच (Intergovernmental Science-Policy Platform On Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) द्वारा प्रजातियों के विलुप्त होने के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की गई है।

- उल्लेखनीय है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत हमारी प्रकृति की स्थिति पर अब तक का सबसे व्यापक वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया है। इस रिपोर्ट में धरती पर निवास करने वाली प्रजातियों के स्वास्थ्य एवं इनके आवासों की स्थिति का विस्तृत विवरण है।

प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दशक के भीतर पृथ्वी पर अनुमानित 8 मिलियन पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से लगभग 1 मिलियन के विलुप्त होने की संभावना है।
- प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना पिछले सभी समय की तुलना में सबसे अधिक है जिसका कारण मानव गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन लाना है।
- रिपोर्ट के अनुसार, पृथ्वी की 75% भूमि वातावरण (Land Environment) और 66% समुद्री वातावरण (Marine Environment) में काफी परिवर्तन हुआ है, साथ ही आर्द्रभूमि क्षेत्र (Wetland Area) का 85% से अधिक क्षेत्र समाप्त हो गया है।
- रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देशज लोगों और स्थानीय समुदायों (जैसे भारत में आदिवासी समुदायों) द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित क्षेत्रों पर विलुप्ति का प्रभाव कम है।

रिपोर्ट के कुछ उल्लेखनीय निष्कर्ष Some of the report's notable findings

प्रजातियाँ

- पृथ्वी पर लगभग 8 मिलियन जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, 40% उभयचर तथा 33% जलीय स्तनधारी प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। 16वीं शताब्दी से 680 कशेरुकी प्रजातियाँ मानवीय गतिविधियों के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- कुल ज्ञात 5.5 मिलियन कीटों की प्रजातियों में से लगभग 10 प्रतिशत विलुप्त होने के कगार पर हैं। 3.5 प्रतिशत घरेलू प्रजाति के पक्षी लुप्त हो गए हैं।

वन

- कृषि तथा औद्योगीकरण के लिये वनों को काटा जा रहा है परिणाम स्वरूप वनों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है जिससे पर्यावरण एवं मौसम में परिवर्तन आदि विषम परिस्थियाँ उत्पन्न हो रही हैं।
- 50 प्रतिशत से अधिक कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ है। प्री-औद्योगिक स्तर से वर्तमान तक 68 प्रतिशत वैश्विक वन कम हुए हैं।

शहरीकरण

- वर्ष 1992 से शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ, वर्ष 1970 से मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। फलस्वरूप जीवाश्म ईंधन, जल, भोजन और भूमि के लिये वैश्विक स्तर पर विवाद बढ़े हैं।

समुद्र और इनमें पाई जाने वाली मछलियाँ

- जलवायु परिवर्तन के कारण शताब्दी के अंत तक मछलियों के उत्पादन में 3-10 प्रतिशत तक की कमी आने का अनुमान है क्योंकि वैश्विक तापन के कारण समुद्र से लगभग 3-25 प्रतिशत बायोमास के नष्ट हो जाने है संभावना है।
- 100-300 मिलियन लोग जो तटीय क्षेत्रों पर रहते हैं, पर जोखिम बढ़ने की संभावना है, क्योंकि तटीय आवास और सुरक्षा के नुकसान के कारण बाढ़ (Floods) और तूफान (Hurricanes) का खतरा बढ़ गया है।

स्वास्थ्य

- वैश्विक आबादी के लगभग 40 प्रतिशत लोग साफ़ और सुरक्षित जल से वंचित हैं जिससे जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

प्रदूषण और अपशिष्ट

- वर्ष 1980 से प्लास्टिक प्रदूषण लगभग दस गुना बढ़ गया है।
- 300-400 मिलियन टन भारी धातुओं (Heavy Metals), विलायक (Solvents), विषाक्त मल (Toxic Sludge) और अन्य औद्योगिक अपशिष्ट को विश्व की जल प्रणालियों में बहा दिया जाता है।

जलवायु परिवर्तन

- औद्योगीकरण के पूर्व से लेकर 2017 तक वैश्विक तापमान लगभग 1 प्रतिशत बढ़ गया है।
- पिछले दो दशकों में समुद्र का जल-स्तर लगभग 3 मिलीमीटर बढ़ गया है।

रिपोर्ट का महत्त्व (Significance of the report)

- रिपोर्ट में किया गया मूल्यांकन विलुप्त पर अब तक का सबसे सटीक और व्यापक आकलन है जिसमें प्रकृति के 'अभूतपूर्व' (Unprecedented) दर से घटने तथा उससे होने वाले परिवर्तन से लोगों पर पड़ने वाले जोखिमपूर्ण प्रभावों के संदर्भ में चेतावनी दी गई है।
- रिपोर्ट में खाद्य फसलों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कीटों के गायब होने, प्रवाल भित्तियों का विनाश तथा इससे मछलियों पर पड़ने वाले प्रभावों एवं अन्य औषधीय पौधों के नुकसान सहित कई जोखिमों की पहचान की गई है।
- 1900 के बाद से अधिकांशतः भूमि आधारित आवासों में देशी प्रजातियों की गिरावट कम-से-कम 20% तक पाई गई है।
- इसके अनुसार, व्यापार और वित्तीय चिंताओं पर भी खतरा व्याप्त है, क्योंकि दुनिया भर में लोग अपनी अर्थव्यवस्थाओं, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता की नींव को समाप्त कर रहे हैं।
- प्रमुख वैश्विक खतरे: भूमि और समुद्री संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आक्रामक प्रजातियाँ आदि हैं।
- तापमान के बढ़ने के साथ महासागर का पारिस्थितिकी तंत्र 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। महासागरों के तापमान एवं अम्लीयता बढ़ने के फलस्वरूप प्रवाल भित्तियों की हानि होती है, साथ ही वाणिज्यिक और स्वदेशी मत्स्य पालन में गिरावट आ सकती है।

IPBES क्या है ?

- IPBES जलवायु परिवर्तन पर बेहतर जानकारी हेतु एक वैश्विक वैज्ञानिक निकाय है।
 - यह अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) की रचना और कार्यप्रणाली जैसा ही है।
 - इसके अंतर्गत वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के जलवायु में होने वाले परिवर्तन संबंधी अनुमान लगाने तथा इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
 - IPBES, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के संदर्भ में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है।
 - वर्ष 2012 में गठित IPBES द्वारा पेश की गई यह पहली वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट है।
- भारत से संबंध
- रिपोर्ट में किसी देश-विशेष की जानकारी नहीं दी गई है लेकिन रिपोर्ट में दिये गए विवरणों से भारत भी संबंधित है क्योंकि भारत में प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट, विस्तृत क्षेत्र, विशेष रूप से समुद्र तट अवस्थित हैं।
 - रिपोर्ट के अनुसार, 23% वैश्विक भूमि क्षेत्र में गिरावट के कारण उत्पादकता में कमी देखी गई, साथ ही तटीय निवास और सुरक्षा के नुकसान के कारण 100 से 300 मिलियन लोग बाढ़ और तूफान के बढ़ते जोखिम के अंतर्गत पाए गए।
 - ये सभी प्रवृत्तियाँ भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और रिपोर्ट में उजागर प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों से संबंधित जोखिम भारत में भी परिलक्षित हैं।

व्हाइट-थ्रोटेड रेल

चर्चा में क्यों ?

सफेद गले वाली रेल (White-Throated Rail) या कुवियर की रेल, रैलिडी (Rallidae) परिवार की एक पक्षी प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम 'Dryolimnas Cuvieri' है। यह पक्षी प्रजाति कोमोरोस, मेडागास्कर, मायोटी और सेशेल्स में पाई जाती है।

- उड़ने में अक्षम उप-प्रजाति एल्डेब्रा (Aldabra) रेल (एल्डेब्रा में पाई जाने वाली) और अज़म्पशन (Assumption) की अज़म्पशन रेल 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इनके अत्यधिक शिकार किये जाने के कारण विलुप्त हो गई।
- यह जीनस ड्रायोलिमनस (Genus Dryolimnas) का अंतिम जीवित सदस्य है और माना जाता है कि यह हिंद महासागर में अंतिम उड़ने में अक्षम पक्षी (Flightless Bird) है।
- इसके प्राकृतिक आवास उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय नम भूमि वन और उपोष्णकटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन हैं।
- यह IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय का दर्जा प्राप्त है।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में प्रकाशित एक शोध-पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले ऐसे जीवों की पहचान की गई है, जिनमें 'पुरावृत्त विकास' या इटरेटिव इवोल्यूशन (Iterative Evolution) की प्रवृत्ति देखने को मिली है। वैज्ञानिकों ने इन जीवों के दोबारा पृथ्वी पर लौटने की प्रक्रिया को दुर्लभ करार दिया है।
- जीवों की विलुप्ति और पुनर्जीवन की प्रक्रिया दस लाख सालों में एक या दो बार देखने को मिलती है।
- शोधकर्ताओं के अनुसार, शुरुआती समय में 'रेल' पक्षी उड़ पाता था लेकिन धीरे-धीरे इसके पंखों की शक्ति क्षीण होती गई, हालाँकि इस प्रक्रिया में कई हजार वर्षों का समय लगा।
- 'रेल' की शेष प्रजातियाँ दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर के एक द्वीप मेडागास्कर में पाई गई हैं। अनुमान है कि तकरीबन 40 लाख वर्ष पहले जब इनकी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई होगी तो इन पक्षियों ने पलायन का रास्ता अपनाया होगा।
- इनकी विलुप्ति का एक कारण यह भी है कि इनमें से कई पक्षी ऐसे भी होंगे जो मेडागास्कर के उत्तर या दक्षिण की ओर प्रवास के समय लंबे समुद्री मार्ग में डूब गए होंगे और अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवास करने वाले पक्षियों का शिकारियों द्वारा शिकार कर लिया गया होगा।

- परंतु, वे पक्षी जो पूर्व की ओर एटोल द्वीप पर पहुँचे होंगे, उनका जीवन अन्य की अपेक्षा सरल रहा होगा। इस द्वीप पर शिकारियों की मौजूदगी न होने के कारण यहाँ इनकी आबादी में वृद्धि हुई होगी।
- धीरे-धीरे ये मॉरीशस के डोडो पक्षी की भाँति विकसित हुए होंगे और बाद में यह प्रजाति 'रेल' के रूप में रूपांतरित हो गई होगी।
- शोधकर्ताओं एक अनुसार, आज से करीब 136,000 वर्ष पहले आई एक बाढ़ के दौरान 'रेल' और 'एल्डेब्रा' जैसे जीव एवं कई अन्य वनस्पतियाँ समुद्र में दफन हो गई होंगी। शोधकर्ताओं को एटोल द्वीप के समीप एक लाख साल पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जो इस कथन की सत्यता को स्थापित करते हैं।
- इन जीवाश्मों के अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया कि यह किसी समय में 'रेल' प्रजाति के पक्षी रहे होंगे।
- इन जीवाश्मों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी समय में मेडागास्कर के समीप 'रेल' प्रजाति की कॉलोनियाँ रही होंगी, जो समय के साथ किन्हीं कारणों से विलुप्त हो गई होंगी।

तटीय विनियमन क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone-CRZ) के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में केरल के एर्नाकुलम में मरादु नगरपालिका में पाँच अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को एक महीने के भीतर गिराने का आदेश दिया।

- न्यायालय ने यह आदेश केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (Kerala Coastal Zone Management Authority-KCZMA) द्वारा दायर एक विशेष याचिका पर पारित किया है।
- यद्यपि CRZ नियम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन उनके तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- राज्यों को केंद्रीय नियमों के अनुसार अपने स्वयं के तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना होता है।

तटीय नियमन ज़ोन (CRZ)

- CRZ को 'पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986' के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय (जिसका नाम अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है) द्वारा फरवरी-1991 में अधिसूचित किया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में गतिविधियों को नियमित करना है।
- तटीय क्षेत्र का हाई टाइड लाइन (HTL) से 500 मीटर तक का क्षेत्र तथा साथ ही खाड़ी, एस्चूरिज, बैकवॉटर और नदियों के किनारों को CRZ क्षेत्र माना गया है, लेकिन इसमें महासागर को शामिल नहीं किया गया है।
- इसके अंतर्गत तटीय क्षेत्रों को निम्नलिखित चार भागों में बाँटा गया है-
 1. CRZ - 1: यह कम और उच्च ज्वार लाइन के बीच का पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है, जो तट के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है।
 2. CRZ - 2: यह क्षेत्र तट के किनारे तक फैला हुआ होता है।
 3. CRZ - 3: इसके अंतर्गत CRZ 1 और 2 के बाहरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में कृषि से संबंधित कुछ खास गतिविधियों को करने की अनुमति दी गई है।
 4. CRZ - 4: यह जलीय क्षेत्र में क्षेत्रीय सीमा (territorial limits) तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों की अनुमति है।

विरोध का कारण

- राज्य का कहना था कि इन नियमों को यदि सख्ती से लागू किया जाता है, तो तट के करीब रहने वाले लोगों के लिये बेहतर घर बनाने और बुनियादी विकासात्मक कार्यों को पूरा करने जैसे सामान्य कार्य की भी अनुमति नहीं होगी।
- 1991 के इन नियमों ने ओडिशा में POSCO स्टील प्लांट और प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डे के औद्योगिक और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये भी बाधाएँ पैदा की थीं।

नियमों का उद्भव

- केंद्र ने 2011 में नए सिरे से CRZ नियमों को अधिसूचित किया जिसने कुछ चिंताओं को दूर किया। इसके तहत नवी मुंबई हवाई अड्डे के निर्माण के लिये छूट दी गई (POSCO परियोजना अन्य कारणों से विफल रही थी)।
- परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजना जिसके तहत तट के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना थी, को छूट दी गई थी।
- इसके बाद भी इन नियमों को अपर्याप्त पाया गया, हालाँकि 2014 में पर्यावरण मंत्रालय ने CRZ नियमों के संबंध में सुझाव देने के लिये पृथ्वी विज्ञान सचिव शैलेश नायक की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- इसके साथ ही चेन्नई स्थित नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट ने अस्पष्टता को दूर करने के लिये भारत की संपूर्ण तटरेखा के साथ एक नई उच्च-ज्वार रेखा (High-tide Line) को परिभाषित किया।
- भारतीय सर्वेक्षण (Survey of India) ने अलग से मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन योजना के लिये उपयोग किये जाने वाले तटों के साथ खतरनाक रेखा (Hazard Line) को परिभाषित किया।
- कुछ अन्य इनपुट के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय ने दिसंबर 2018 में नए CRZ नियम जारी किये जिसने निर्माण को लेकर लगे कुछ प्रतिबंधों को हटा दिया, क्लीयरेंस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया तथा तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा।

हालिया स्थिति

- इस साल जनवरी में सरकार ने सतत विकास को बढ़ावा देने तथा तटीय वातावरण के संरक्षण के घोषित उद्देश्यों के साथ नए CRZ नियमों को अधिसूचित किया।
- CRZ-III (ग्रामीण) क्षेत्रों के लिये दो अलग-अलग श्रेणियों को निर्धारित किया गया है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, 2,161 प्रति वर्ग किमी. जनसंख्या घनत्व के साथ घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों (CRZ-III A) में नो-डेवलपमेंट जोन, अब उच्च-ज्वार स्तर (High Tide Level) से 50 मीटर है, जो पहले 200 मीटर निर्धारित था।
- CRZ-III B श्रेणी (2,161 प्रति वर्ग किमी. के नीचे जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों) में उच्च-ज्वार रेखा से 200 मीटर तक फैले नो-डेवलपमेंट जोन जारी रहेगा।
- नए नियमों में मुख्य भूमि के तट के पास के सभी द्वीपों और मुख्य भूमि के सभी बैकवाटर द्वीपों के लिये 20 मीटर का नो-डेवलपमेंट जोन है।

केरल के मामले

- केरल में पहले भी CRZ मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में रिसॉर्ट्स या अपार्टमेंट के गिराए जाने के आदेश दिये गए हैं। लेकिन हितधारकों ने या तो स्थगन आदेश (Stay Order) प्राप्त कर लिया या उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती रही।
- 2014 में केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कोच्चि में DLF के एक तटवर्ती आवासीय परिसर को गिराने का आदेश दिया। बाद में एक डिवीजन बेंच ने गिराए जाने के आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन बिल्डर पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
- KCZMA की अपील के बाद जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा।
- 2013 में उच्च न्यायालय ने अलाप्पुझा में 350 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए रिसॉर्ट को गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
- तिरुवनंतपुरम के कोवलम समुद्र तट पर 26 रिसॉर्ट्स और होटलों को CRZ नियमों के उल्लंघन के आरोप में नोटिस दिये गए हैं। कोच्चि नगर निगम क्षेत्र में नियमों के उल्लंघन के 35 मामले दर्ज किये गए हैं।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

- संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून, 1972 को स्टाकहोम में संपन्न हुआ। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिये पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया।
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने के उपाय करना है।

- इस अधिनियम के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं-
- ◆ स्टाकहोम सम्मेलन के नियमों को लागू करना।
- ◆ मानव, जीव-जंतुओं, पेड़-पौधों को संकट से बचाना।
- ◆ पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार।
- ◆ वर्तमान कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों का गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- ◆ पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक विधि निर्मित करना।

उत्तराखंड वनाग्नि

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड के अल्मोड़ा एवं नैनीताल जिलों में बड़े पैमाने पर वनाग्नि ने एक बार फिर से आपदा प्रबंधन, पर्यावरणीय सुरक्षा, बहुमूल्य वनस्पति एवं वन्यजीवों के संरक्षण जैसे बहुत से प्रश्नों पर विचार करने को विवश कर दिया है। प्रत्येक वर्ष गर्मी का मौसम आते ही देश के पहाड़ी राज्यों, विशेषकर उत्तराखंड के वनों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। वार्षिक आयोजन जैसी बन चुकी उत्तराखंड के वनों की यह आग प्रत्येक वर्ष विकराल होती जा रही है, जो न केवल जंगल, वन्यजीवन और वनस्पति के लिये नए खतरे उत्पन्न कर रही है, बल्कि समूचे पारिस्थितिकी तंत्र पर अब इसका प्रभाव नज़र आने लगा है।

क्या है कारण ?

वनाग्नि के कारण केवल वनों को ही नुकसान नहीं पहुँचता है बल्कि उपजाऊ मिट्टी के कटाव में भी तेजी आती है, इतना ही नहीं जल संभरण के कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। वनाग्नि का बढ़ता संकट वन्यजीवों के अस्तित्व के लिये समस्या उत्पन्न करता है। चूँ तो वनों में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वास्तविक कारण हैं, जिनकी वजह से विशेषकर गर्मियों के मौसम में आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। उदाहरण के तौर पर-

- मजदूरों द्वारा शहद, साल के बीज जैसे कुछ उत्पादों को इकट्ठा करने के लिये जान-बूझकर आग लगाना।
- कुछ मामलों में जंगल में काम कर रहे मजदूरों, वहाँ से गुज़रने वाले लोगों या चरवाहों द्वारा गलती से जलती हुई किसी वस्तु/सामग्री आदि को वहाँ छोड़ देना।
- आस-पास के गाँव के लोगों द्वारा दुर्भावना से आग लगाना।
- मवेशियों के लिये चारा उपलब्ध कराने हेतु आग लगाना।
- बिजली के तारों का वनों से होकर गुज़रना।
- प्राकृतिक कारण यथा- बिजली का गिरना, पेड़ की सूखी पत्तियों के मध्य घर्षण उत्पन्न होना, तापमान में वृद्धि होना आदि की वजह से वनों में आग लगने की घटनाएँ सामने आती हैं।
- परंतु, यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो वनों में अतिशय मानवीय अतिक्रमण/हस्तक्षेप के कारण इस प्रकार की घटनाओं में बारंबरता देखने को मिली है।

नकारात्मक प्रभाव

- जैव-विविधता को हानि।
- प्रदूषण की समस्या में वृद्धि।
- मृदा की उर्वरता में कमी।
- वैश्विक तापन में सहायक गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि।
- खाद्य श्रृंखला में असंतुलन।
- आर्थिक क्षति।

सकारात्मक प्रभाव

- वनाग्नि में कुछ पेड़-पौधे जलकर नष्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी वृक्ष होते हैं जो जलकर पूरी तरह नष्ट नहीं होते हैं, साथ ही कुछ सुप्त बीज आग में जलकर पुनर्जीवित हो जाते हैं। वास्तव में कई स्थानिक पेड़-पौधे आग के साथ विकसित होते हैं, इस प्रकार आग कई प्रजातियों के निष्क्रिय बीजों को पुनर्जीवित करने में मदद करती है।
- कुछ वैज्ञानिक वनाग्नि को पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिये पूरी तरह से हानिकारक मानते हैं जबकि इस संबंध में हुए बहुत से अध्ययनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वनाग्नि से अधिकांशतः आक्रामक प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, कुछ समय पहले कर्नाटक के बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में आदिवासी समुदायों में प्रचलित 'कूड़े में लगाई जाने वाली आग' की परंपरा का बहिष्कार करने पर लैंटाना प्रजाति की वनस्पति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने वहाँ के स्थानिक पौधों का अतिक्रमण कर लिया।
- एक अन्य अध्ययन के अनुसार, एक परजीवी झाड़ी/हेयरी मिस्टलेट (Hairy Mistletoe) परिपक्व वृक्षों को प्रभावित करती है। इसके फलस्वरूप जंगली आँवले के वृक्षों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। हालाँकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी आँकड़े छोटे स्तर पर वनों में लगने वाली आग से संबंधित हैं; न कि वृहद स्तर पर।

समाधान

- हालाँकि इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही करने के लिये वन अधिकारियों और स्थानीय जनजातियों द्वारा आपसी बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिये ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना को होने से रोका जा सके।
- वनों में रहने वाले अधिकतर जनजातीय समुदायों को वन्यजीवों की भाँति वनों में रहने तथा वन उत्पादों का इस्तेमाल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इन्हें कृषि कार्यों के लिये वनों की भूमि को जोतने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
- जंगली हाथियों द्वारा इन अधिवासी लोगों की फसलों को नुकसान पहुँचाने तथा जंगली जानवरों द्वारा बाड़े में बँधे मवेशियों को हानि पहुँचाए जाने के कारण अक्सर आदिवासी लोग जंगलों को आग लगा देते हैं ताकि इससे वन्यजीवों को हानि पहुँचाई जा सके।
- वनाग्नि को फैलने से रोक पाना संभव नहीं है। अतः इसके लिये अग्नि रेखाएँ (Fire lines) निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है। वस्तुतः अग्नि जमीन पर खिंची वैसी रेखाएँ होती हैं जो कि वनस्पतियों तथा घास के मध्य विभाजन करते हुए वनाग्नि को फैलने से रोकती हैं। चूँकि ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में वनों में सूखी पत्तियों की भरमार होती है अतः इस समय वनों की किसी भी भावी दुर्घटना से सुरक्षा किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता होती है।

एन.जी.टी. का आरोप

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal - NGT) द्वारा भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर देश के सभी राज्यों में वनाग्नि के प्रबंधन के विषय में कोई ठोस योजना बनाने में कोताही बरतने का आरोप लगाया जाता रहा है।

एकीकृत वन संरक्षण योजना

- एकीकृत वन संरक्षण योजना (Integrated Forest Protection Scheme-IFPS) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को वनाग्नि प्रबंधन योजना का प्रारूप तैयार करना होता है। इस प्रारूप के अंतर्गत वनाग्नि को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने संबंधी सभी घटकों को शामिल करना अनिवार्य है।
- इन घटकों के अंतर्गत फायर लाइन्स का निर्माण किया जाने का भी प्रावधान है। इन फायर लाइन्स में वैसी वनस्पतियों (सूखी पत्तियों एवं घास युक्त वनस्पति) को उगाया जाएगा जो आग को फैलने से रोकने में कारगर साबित हों।
- इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य उपायों जैसे - वॉच टावर का निर्माण करने तथा ठेका श्रमिकों द्वारा रोपिंग (roping) की स्थापना करने पर अधिक बल दिया जाता है ताकि जमीनी स्तर पर आग के संबंध में सटीक निगरानी एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

कर्नाटक सरकार की कृत्रिम वर्षा परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि इस साल वर्षा में कमी आ सकती है जिसके मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने जून के अंत में कृत्रिम वर्षा करवाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- सरकार द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इस परियोजना की लागत लगभग 88 करोड़ रुपए आएगी।
- रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा गया कि इस वर्ष कर्नाटक में कम वर्षा होने की संभावना है एवं सरकार ने इसके लिये पूर्वोपाय करते हुए कृत्रिम वर्षा कराने का फैसला लिया है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को कृत्रिम वर्षा कराने की सलाह विशेषज्ञों की एक समिति ने दी है इसके लिये सरकार 7-10 दिनों के बीच निविदा जारी कर सकती है जिसकी समयसीमा दो साल होगी।

मानसून-पूर्व योजना (Pre-monsoon Mission)

- इससे पहले अगस्त में कृत्रिम वर्षा करवाई जाती थी और तब तक मानसून समाप्त हो जाता था, इस बार इस कमी को दूर करने के लिये मानसून के दौरान ही कृत्रिम वर्षा कराने का फैसला किया गया है।
- इसके लिये बंगलूरु और हुबली दो केंद्र बनाए गए हैं जहाँ दो विमानों की सहायता से कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी।
- अगर किसी एक क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है तो यह केंद्र वहाँ विस्थापित कर दिया जाएगा जहाँ वर्षा कम होने की आशंका हो।

कृत्रिम वर्षा (Cloud Seeding)

- क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जा सकती है।
- क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) के लिये सिल्वर आयोडाइड (Silver Iodide) या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (Dry Ice) को विमानों का उपयोग कर बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है।
- विमान में सिल्वर आयोडाइड के दो बर्नर या जनरेटर लगे होते हैं, जिनमें सिल्वर आयोडाइड का घोल उच्च दाब (High Pressure) के साथ भरा होता है।
- जहाँ बारिश करानी होती है वहाँ पर हवा की विपरीत दिशा में इसका छिड़काव किया जाता है।
- कहाँ और किस बादल पर इसे छिड़कने से बारिश ज्यादा होगी, इसका फैसला मौसम वैज्ञानिक करते हैं। इसके लिये मौसम के आँकड़ों का सहारा लिया जाता है।
- कृत्रिम वर्षा की इस प्रक्रिया में बादल के छोटे-छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की भारी बूँदें बनकर बरसने लगती हैं।
- क्लाउड सीडिंग का उपयोग वर्षा में वृद्धि करने, ओलावृष्टि के नुकसान को कम करने, कोहरा हटाने तथा तात्कालिक रूप से वायु प्रदूषण कम करने के लिये भी किया जाता है।

वर्षाधारी परियोजना

- 22 अगस्त, 2017 को कर्नाटक सरकार ने बंगलूरु में कृत्रिम वर्षा के लिये वर्षाधारी परियोजना को आरंभ किया था।
- 2018 में राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि इस परियोजना से बारिश में 27.9% की वृद्धि हुई और लिंगमनाकी जलाशय में 2.5 tmcft (Thousand Million Cubic Feet) का अतिरिक्त प्रवाह रहा है।
- एक स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा इसे सफल परियोजना घोषित किया गया।

वैश्विक आकलन रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' (United Nations Office for Disaster Risk Reduction- UNDRR) ने 'वैश्विक आकलन रिपोर्ट' (Global Assessment Report- GAR) जारी की है। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय गिरावट और अन्य आपदाओं की वजह से उत्पन्न खतरों पर चर्चा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय' द्वारा आयोजित ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट जारी की गई।
- सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के 5,000 प्रतिभागी इस पाँच दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिसे सितंबर में जलवायु सम्मेलन से पहले तैयारी हेतु आयोजित एक कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
- भारत की तरफ से प्रधानमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है।
- गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न नए और बड़े खतरों के बारे में चेतावनी दी गई है।
- विशेष रूप से एशिया प्रशांत (जिसकी वैश्विक आर्थिक नुकसान में 40% की हिस्सेदारी है) के जापान, चीन, कोरिया और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा खतरा है।
- इस रिपोर्ट में बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के अलावा वायु प्रदूषण तथा जैविक खतरों को मानव जीवन हेतु एक बड़ा जोखिम बताया गया है।
- इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कथित देश 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण' में निवेश नहीं करते हैं, तो सालाना सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक आर्थिक नुकसान हो सकता है।
- ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यदि 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण' में 6 बिलियन डॉलर का वार्षिक निवेश किया गया तो प्रत्येक वर्ष 360 बिलियन डॉलर तक का लाभ प्राप्त हो सकता है।
- रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पृथ्वी और सामाजिक-पारिस्थितिक व्यवस्था में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है, अब हमारे पास शिथिलता के लिये वक्त नहीं है। यदि परिवर्तन हेतु उचित उपाय नहीं किये गए तो यह खतरा हमारे अस्तित्व के लिये भी घातक साबित हो सकता है।

भारत की स्थिति

- भारत ने 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण' हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी प्रगति की है, जो आपदा मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान को कम करने की बात करता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत के एक सदस्य के अनुसार, हाल ही में चक्रवात फणि (जिसने ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी आर्थिक तबाही मचाई थी) से निपटते हुए भारत 24 घंटों के भीतर 1.2 मिलियन से अधिक लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकालने में सफल रहा।
- भारत की सफलता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि फणि जैसे ही एक चक्रवात ने वर्ष 1999 में भारी तबाही मचाई थी और इसमें 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।

समाधान क्या है ?

- 'वैश्विक आकलन रिपोर्ट' में सरकारों से यह आग्रह किया गया है कि सेंदाई फ्रेमवर्क को अमल में लाएँ और आपदा प्रबंधन की बजाय जोखिम को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

सेंदाई फ्रेमवर्क क्या है ?

- सेंदाई फ्रेमवर्क एक प्रगतिशील ढाँचा है और इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य वर्ष 2030 तक आपदाओं के कारण महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को होने वाले नुकसान एवं प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना है।
- यह 15 वर्षों के लिये स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी समझौता है, जिसके अंतर्गत आपदा जोखिम को कम करने के लिये राज्य की भूमिका को प्राथमिक माना जाता है, लेकिन यह जिम्मेदारी अन्य हितधारकों समेत स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्र के साथ साझा की जानी चाहिये।
- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने वर्ष 2015 में सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया था।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण रणनीति (United Nations International Strategy for Disaster Reduction-UNISDR)

- UNISDR संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है और इसके कार्य सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और मानवतावादी क्षेत्रों में विस्तारित हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1999 में आपदा न्यूनीकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय रणनीति अपनाई और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये इसके सचिवालय के रूप में UNISDR की स्थापना की।
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में आपदा जोखिम की कमी के लिये क्षेत्रीय संगठनों और सामाजिक-आर्थिक तथा मानवीय गतिविधियों के बीच समन्वय और सामंजस्य सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2001 में इसके जनादेश को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में केंद्रबिंदु के रूप में कार्य करने हेतु विस्तारित किया गया था।
- UNISDR को 18 मार्च, 2015 को सेंदाई, जापान में आयोजित आपदा जोखिम में कमी पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) भारत में आपदा प्रबंधन के लिये एक सर्वोच्च निकाय है, जिसका गठन 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत किया गया था।
- यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियों, योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों का निर्माण करने के लिये जिम्मेदार संस्था है, जो आपदाओं का समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है।

उद्देश्य

- इस संस्था का उद्देश्य एक समग्र, प्रो-एक्टिव, प्रौद्योगिकी संचालित सतत विकास रणनीति के माध्यम से सुरक्षित और डिजास्टर रेसिलिएंट भारत का निर्माण करना है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है।
- यह आपदा की रोकथाम, तैयारी एवं शमन जैसे कार्यों को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (National Disaster Management Plan)

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून, 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की।
- देश में तैयार की गई इस तरह की यह पहली योजना है। इसका उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जनजीवन तथा संपत्ति के नुकसान को कम करना है।
- यह योजना 'सेंदाई फ्रेमवर्क' के प्रमुख लक्ष्यों पर आधारित है।

'वैश्विक आकलन रिपोर्ट' (Global Assessment Report- GAR)

- 'वैश्विक आकलन रिपोर्ट' (GAR) आपदा जोखिम को कम करने के विश्वव्यापी प्रयासों पर संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख रिपोर्ट है।
- 'वैश्विक आकलन रिपोर्ट' (GAR) को आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है

कृत्रिम जीवन

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिकों ने एक सजीव जीव का निर्माण किया है जिसका डीएनए पूर्णरूप से मानव-निर्मित है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कृत्रिम जीव विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रमुख बिंदु

- केंब्रिज विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने यह दावा किया है कि उन्होंने ई.कोलाई (Escherichia Coli) जीवाणु के डीएनए कोड का पुनर्लेखन कर लिया है।

- यह कृत्रिम जीनोम (Artificial Genome) पुराने जीनोमों (कृत्रिम जीनोम) की तुलना में अत्यधिक जटिल और चार गुना बड़ा है।
 - कृत्रिम जीनोम की सहायता से निर्मित जीवाणु अभी जीवित है उसका आकार प्राकृतिक रूप से निर्मित जीवाणुओं की तरह अनिश्चित है और वह धीरे-धीरे जनन भी कर रहा है।
 - इसकी कोशिकाएँ जैविक नियमों के एक नए सेट के अनुसार काम करती हैं एवं नव-निर्मित कृत्रिम आनुवंशिक कोड के अनुसार प्रोटीन निर्माण कर रहीं हैं।
 - यह उपलब्धि ऐसे जीवों के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी जिनके माध्यम से अनेक प्रकार की बहुमूल्य दवाओं का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही कृत्रिम जीवाणु के द्वारा मानव जीवन में आनुवंशिक कोड कब और कैसे आया इस बात का पता लगाने में सहायक होगा।
- कृत्रिम जीनोम क्या है ? (What is Synthetic Genome)**
- जीनोम जीनों का समूह है एवं प्रत्येक जीन में चार क्षारक पाए जाते हैं। इन क्षारक अणुओं को एडनीन (Adenine), ग्वानीन (Guanine), थायमीन (Thymine) और साइटोसीन (Cytosine) कहते हैं (अधिकतर ये अपने प्रथम वर्ण से ही इंगित किये जाते हैं जैसे- A, G, T, C)।
 - एक जीन हजारों क्षारकों से मिलकर बना होता है एवं जीन ही कोशिकाओं को 20 एमिनो अम्लों (प्रोटीन निर्माता तथा किसी कोशिका की संरचनात्मक ईकाई) में से किसी एक के चयन का निर्देश देते हैं।
- प्रोटीन हमारे शरीर में अन्य कार्य भी करती है जैसे रक्त से ऑक्सीजन ढोने से लेकर पेशियों को बल प्रदान करना।
- नवीन विधियों से निर्मित ई. कोलाई का जीनोम नामक शोधपत्र नेचर (Nature) पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। इस शोधपत्र के अनुसार ई. कोलाई के जीनोम में लगभग 4 मिलियन क्षारकों को जोड़ा गया है।
 - कोशिका में प्रत्येक एमिनो अम्ल के निर्माण के लिये तीन क्षारक डीएनए के स्ट्रैंड पर लगे होते हैं। प्रत्येक त्रि-कूट को कोडॉन (Codon) कहते हैं। उदाहरण के लिये, कोडॉन TCT, सेरीन (Serine) नामक एमिनो अम्ल को सूचित करता है कि वह किसी नए प्रोटीन के अंत में जुड़ेगा।
 - हर एक कोशिका में केवल 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं लेकिन उन्हें बनाने हेतु के मात्र 20 कोडॉन की ही आवश्यकता हो। ऐसा नहीं है क्योंकि आनुवंशिक कूट विविधताओं से भरा हुआ होता है जिस कारण से इसे कोई नहीं समझ पाता।
 - एमिनो अम्ल 61 कोडॉनों की सहायता से सांकेतिक रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिये सेरीन के निर्माण हेतु 6 अलग कोडॉन हैं।
 - उक्त विवरण के बाद यह प्रश्न उठता है कि क्या डीएनए के सभी टुकड़े जीवन के लिये उपयोगी हैं ? क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में 64 कोडॉन प्रयुक्त होते हैं। ऐसे में इस प्रश्न का जवाब ढूँढने के लिये वैज्ञानिकों ने प्राथमिक स्तर पर एक प्रयोग करते हुए कंप्यूटर पर ई.कोलाई के जीनोम को तैयार करते समय केवल 61 कोडॉनों की सहायता से सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का निर्माण किया। इसमें सेरीन के निर्माण हेतु 6 नहीं बल्कि चार कोडॉनों का ही प्रयोग हुआ।
 - हालाँकि इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है तथापि वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य जारी है और भविष्य में इस संदर्भ में और अधिक प्रगति होने की संभावना है।

ई. कोलाई क्या है ?

ई. कोलाई की साधारणतः बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं। ई.कोलाई हमारे शरीर की आँत में इंफेक्शन फैलाकर हानि पहुँचाता है। इसके साथ ही तालाब, झीलों, पोखरों में पाया जाता है।

गुजरात में पेयजल की समस्या का समाधान

चर्चा में क्यों ?

हर साल गुजरात के उत्तरी क्षेत्र और सौराष्ट्र (North Gujarat and Saurashtra) को पेयजल की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि ये दोनों राज्य के सूखे से प्रभावित क्षेत्र हैं किंतु अब इस समस्या से निपटने के लिये गुजरात सरकार एक विस्तृत योजना लाने की तैयारी कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- गुजरात सरकार की इस योजना के तहत अब स्वच्छ जल का इस्तेमाल केवल पेयजल के रूप में तथा सिंचाई के लिये किया जाएगा और उद्योगों की जल संबंधी आवश्यकताओं को उपचारित अपशिष्ट जल से पूरा किया जाएगा।
- अगले 3-4 वर्षों में उद्योगों की आवश्यकताओं का 80% से अधिक जल की आपूर्ति उपचारित अपशिष्ट जल (Treated Waste Water- TWW) के माध्यम से की जाएगी। उपचारित अपशिष्ट जल (TWW) की आपूर्ति सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (Sewerage Treatment Plants- STPs) से की जाएगी।
- गुजरात में सीवरेज से कुल 4,000 मिलियन लीटर जल प्रतिदिन निकलता है, जबकि इसकी जल उपचार क्षमता 3,500 मिलियन लीटर प्रतिदिन (Million Litres per Day- MLD) है।
- अगले 2-3 वर्षों में नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना तथा मौजूदा प्लांट्स के विस्तार द्वारा इस क्षमता को बढ़ाते हुए 5000 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) कर दिया जाएगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना ?

- गुजरात में ताजे जल के सीमित स्रोत हैं, जबकि मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में पेयजल की समस्या के समाधान के लिये उचित तरीके अपनाने की सख्त आवश्यकता है जिसके मद्देनजर गुजरात सरकार यह योजना बना रही है।
- इस योजना के परिणामस्वरूप शहरों और कस्बों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।

सीवरेज ट्रीटमेंट

- सीवरेज ट्रीटमेंट प्रक्रिया में घरेलू अपशिष्ट जल, गंदे जल से संदूषित पदार्थों को हटाया जाता है।
- इस प्रक्रिया में ऐसे विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक पदार्थों को हटाया जाता है जो जल को हानिकारक बनाते हैं।
- सीवरेज ट्रीटमेंट में विभिन्न भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं।

सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते' अभियान

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण भारत और भारत के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau- WCCB) ने एक जागरूकता अभियान 'सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते' शुरू किया है। गौरतलब है कि यह अभियान देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर संचालित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- अभिनेत्री, निर्माता, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की सद्भावना दूत और हाल ही में नियुक्त संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एसडीजी दूत दीया मिर्जा ने इस अभियान की शुरुआत की।
- वन्य जीवों को दुनिया भर में खतरे का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया भर के अवैध बाजारों में भारत की वनस्पति और जीव जंतुओं की मांग लगातार जारी है। वन्य जीवों के अवैध व्यापार के कारण कई प्रजातियाँ लुप्त होने की कगार पर हैं। दुनिया भर में संगठित वन्य जीव अपराध की श्रृंखलाएँ फैलती जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल यह उद्योग फल-फूल रहा है, बल्कि भारत में वन्य जीवों के अवैध व्यापार में काफी तेजी भी आई है।
- 'सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते' (Not All Animals Migrate by Choice) अभियान का उद्देश्य लोगों के मध्य जागरूकता का प्रसार करना और वन्य जीवों के संरक्षण तथा उनकी रक्षा, तस्करी रोकने एवं वन्य जीव उत्पादों की मांग में कटौती लाने हेतु जन समर्थन जुटाना है।
- यह अभियान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के एक वैश्विक अभियान, 'जीवन के लिये जंगल' (Wild for Life) के जरिये वन्य जीवों के गैर-कानूनी व्यापार पर रोक लगाने हेतु विश्वव्यापी कार्रवाई का पूरक है।

- अभियान के पहले चरण के अंतर्गत बाघ, पैंगोलिन, स्टार कछुआ और टाउकेई छिपकली को चुना गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अवैध व्यापार के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है।
- बाघ का उसकी खाल, हड्डियों और शरीर के अंगों के लिये, छिपकली का उसके मीट और उसकी खाल का परंपरागत दवाओं में, स्टार कछुए का मीट और पालने के लिये तथा टाउकेई छिपकली का दक्षिण-पूर्व एशिया खासतौर से चीन के बाजारों में परंपरागत दवाओं हेतु अवैध व्यापार किया जाता है।
- दूसरे चरण के अंतर्गत इससे अधिक खतरे वाली प्रजातियों को शामिल करते हुए तस्करी के अन्य मार्गों का पता लगाया जाएगा।
- हाल में हवाई अड्डों पर गैर-कानूनी तरीके से व्यापार करके लाई गई प्रजातियों और उनके विभिन्न अंगों को जब्त करने के संबंध में मीडिया में खबरें आती रही हैं जो इस बात का संकेत है कि वन्य जीवों की तस्करी हो रही है।
- हवाई अड्डों के रास्ते तस्करी करके लाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रमुख प्रजातियों में स्टार कछुए, पक्षी, शहतूत, शोल, बाघ और तेंदुए के विभिन्न अंग, हाथीदांत, गैंडे के सांग, पैंगोलिन एवं पैंगोलिन की खाल, सीपियाँ, समुद्री घोड़ा, सी कुकुम्बर, रेंगने वाले जंतुओं की खालें, जीवित सांप, छिपकलियाँ, मूंगा तथा औषधीय जड़ी-बूटियाँ शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme -UN Environment) एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण कार्य-सूची (Agenda) का निर्धारण करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत सतत् विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के लिये एक आधिकारिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- इसकी स्थापना 5 जून, 1972 को की गई थी।
- इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या (Nairobi, Kenya) में है।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)

- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासनिक (Multi-Disciplinary) इकाई है।
- ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एवं जबलपुर में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय; गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय और रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथूला एवं मोरेह में पाँच सीमा ईकाइयाँ अवस्थित हैं।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (Wild Life Protection Act), 1972 की धारा 38 (Z) के तहत, ब्यूरो को निम्नलिखित कार्यों के लिये अधिकृत किया गया है:
- अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना/जानकारी इकठ्ठा करने, उसका विश्लेषण करने व उसे राज्यों व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को प्रेषित करने के लिये।
- एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करने के लिये।
- अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करवाने के लिये।
- संबंधित विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण में समन्वय व सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता प्रदान करने के लिये।
- वन्यजीव अपराधों में वैज्ञानिक और पेशेवर जाँच के लिये वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण एवं वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये।
- भारत सरकार को वन्यजीव अपराध संबंधित मुद्दों, जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो, पर प्रासंगिक नीति व कानूनों के संदर्भ में सलाह देने के लिये।
- यह कस्टम अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wild Life Protection Act), CITES और आयात-निर्यात नीति (EXIM Policy) के प्रावधानों के अनुसार वनस्पति व जीवों की खेप के निरीक्षण में भी सहायता व सलाह प्रदान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिये तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये यह अधिनियम बनाया गया था।
- यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य सूचीबद्ध लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीव एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- भारत सरकार ने देश के वन्य जीवन की रक्षा करने और प्रभावी ढंग से अवैध शिकार, तस्करी और वन्य जीवन तथा उसके व्युत्पन्न के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया। इसे जनवरी 2003 में संशोधित किया गया तथा कानून के तहत अपराधों के लिये सजा एवं जुर्माने को और अधिक कठोर बना दिया गया।

इसमें कुल छह अनुसूचियाँ हैं:

अनुसूची-1

- इस अनुसूची में 43 वन्यजीव शामिल हैं। इनमें सूअर से लेकर कई तरह के हिरण, बंदर, भालू, चिंकारा, तेंदुआ, लंगूर, भेड़िया, लोमड़ी, डॉल्फिन, कई तरह की जंगली बिल्लियाँ, बारहसिंगा, बड़ी गिलहरी, पेंगोलिन, गैंडा, ऊदबिलाव, रीछ और हिमालय पर पाए जाने वाले अनेक जानवर शामिल हैं। इसके अलावा इसमें कई जलीय जंतु और सरीसृप भी शामिल हैं। इस अनुसूची के चार भाग हैं और इसमें शामिल जीवों का शिकार करने पर धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 तथा धारा 62 के तहत दंड मिल सकता है।

अनुसूची-2

- ◆ इस अनुसूची में शामिल वन्य जंतुओं के शिकार पर धारा 2, 8, 9, 11, 40, 41, 43, 48, 51, 61 और धारा 62 के तहत सजा का प्रावधान है। इस सूची में कई तरह के बंदर, लंगूर, साही, जंगली कुत्ता, गिरगिट आदि शामिल हैं। इनके अलावा अन्य कई तरह के जानवर भी इसमें शामिल हैं।
- इन दोनों अनुसूचियों के तहत आने वाले जानवरों का शिकार करने पर कम-से-कम तीन साल और अधिकतम सात साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
- कम-से-कम जुर्माना 10 हजार रुपए और अधिकतम जुर्माना 25 लाख रुपए है।
- दूसरी बार अपराध करने पर भी इतनी ही सजा का प्रावधान है, लेकिन न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रुपए है।

अनुसूची-3 और अनुसूची-4:

- इसके तहत वन्य जानवरों को संरक्षण प्रदान किया जाता है लेकिन इस सूची में आने वाले जानवरों और पक्षियों के शिकार पर दंड बहुत कम है।

अनुसूची-5:

- इस सूची में उन जानवरों को शामिल किया गया है, जिनका शिकार हो सकता है।

अनुसूची-6:

- इसमें दुर्लभ पौधों और पेड़ों की खेती और रोपण पर रोक है।

क्या खास है इस कानून में ?

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत वन्य जीवों को शिकार और वाणिज्यिक शोषण के विरुद्ध विधिक सुरक्षा दी गई है।
- संरक्षण और खतरे की स्थिति के अनुसार वन्य जीवों को अधिनियम की विभिन्न अनुसूचियों में शामिल किया जाता है।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके उपबंधों का अतिक्रमण करने संबंधी अपराध के लिये दंड का प्रावधान है।
- वन्यजीव अपराध हेतु प्रयोग में लाए गए किसी उपकरण, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

- वन्य जीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा के लिये देशभर में महत्वपूर्ण पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सृजित किये गए हैं।
- वन्य जीवों के अवैध शिकार और वन्यजीवों तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधी कानून के प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण हेतु वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।
- वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिये सीबीआई को अधिकार दिये गए हैं।

मराठवाड़ा क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की स्थिति

चर्चा में क्यों ?

निकट भविष्य में मराठवाड़ा क्षेत्र के मरुस्थलीकरण (Desertification) की चेतावनी देने वाले अर्थशास्त्रियों और जल शिक्षाविदों के अनुसार महाराष्ट्र में जल संकट एक नीति-संबंधी विफलता है। यह नीति-निर्माताओं की पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संबंधी अशिक्षा को दर्शाता है। साथ ही संभ्रांत और सत्ताधारी लोगों द्वारा अपने स्वार्थपूर्ण रवैये के कारण संपूर्ण मराठवाड़ा में किसानों को ऐसी फसल-प्रतिरूप नीति अपनाने के लिये प्रेरित करना जो वहाँ की कृषि के लिये आवश्यक जलवायु के अनुकूल ही नहीं है, केवल आपदा को पूर्व न्योता देने जैसा है।

प्रमुख बिंदु

- विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले चार दशकों से मराठवाड़ा के भू-जल स्तर में निरंतर कमी देखने को मिली है। मराठवाड़ा के भू-जल का इस प्रकार से दोहन हुआ है कि वहाँ के भू-जल स्तर को पुनर्जीवन देना लगभग असंभव है।
- मराठवाड़ा के आठ जिलों की 76 तालुकाओं में से 50 में पिछले साल लगभग 300 मिमी. वर्षा हुई। यह वर्षा-जल प्रति हेक्टेयर तीन मिलियन लीटर (प्रयोग करने योग्य) जल में परिवर्तित हो जाता है। यह देखते हुए कि मराठवाड़ा में औसत जनसंख्या घनत्व 300 प्रति वर्ग किमी. है। यहाँ की आबादी की बुनियादी जरूरतों जैसे पीने के पानी और घरेलू जरूरतों आदि के लिये जल की पूर्ति हेतु यह वर्षा जल पर्याप्त है, लेकिन कपास, गन्ने जैसी फसलों के लिये पर्याप्त नहीं है।

शुष्क जलवायु

विशेषज्ञों की मानें तो बीते दशकों में इस क्षेत्र के फसल प्रतिरूप में काफी परिवर्तन आया है। जहाँ पहले मुख्य फसलों में अनाज और तिलहन की खेती हुआ करती थी, वहीं आज यहाँ कपास और गन्ने की खेती का वर्चस्व है।

- अनाज और तिलहन की फसलों न केवल मराठवाड़ा की शुष्क जलवायु के लिये अनुकूल थी, बल्कि सूखा विरोधी होने के साथ-साथ नमी संग्रहण में भी सहायक थी।
- परंतु वर्तमान में मराठवाड़ा की 50 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के 80% से अधिक भाग पर सोयाबीन और BT कॉटन की खेती जाती होती है। इन फसलों के साथ गन्ने की खेती से अधिक मुनाफा कमाने के लालच ने किसानों और नागरिकों को वर्तमान जल संकट की चपेट में ला खड़ा किया है।
- यहाँ यह जानना बेहद आश्चर्यजनक है कि इस क्षेत्र के 80% जल संसाधनों का प्रयोग कर कुल कृषि योग्य भूमि के केवल 4% भाग पर गन्ना उगाया जाता है। परिणामस्वरूप मौसम चक्र में थोड़ा-सा भी परिवर्तन होने पर यहाँ गंभीर जल संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
- एक जल विशेषज्ञ द्वारा इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद यह जानकारी सामने आई कि मराठवाड़ा में मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस पारिस्थितिक अव्यवस्था से उबरने का एकमात्र तरीका गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगाना है।
- वर्ष 1976 के महाराष्ट्र सिंचाई अधिनियम (Maharashtra Irrigation Act of 1976) के अंतर्गत यह प्रावधान निहित है कि जल संकट के समय या पानी की कमी की स्थिति में सरकार कमांड क्षेत्र (Command Area) के लोगों को गन्ने जैसी गहन फसलों हेतु आवश्यक सिंचाई की अनुमति नहीं दे सकती है।
- हालाँकि, गन्ने की खेती को प्रतिबंधित करने और सूखा-प्रतिरोधी तिलहन और दलहन जैसी फसलों की ओर रूख करने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।

- मराठवाड़ा में गन्ना एक प्रकार की 'राजनीतिक फसल' (Political Crop) थी जो महाराष्ट्र में सत्ता प्राप्त करने की अचूक और आजमाई हुई विधि के रूप में कार्य करती थी।
- सत्ताधारी वर्ग ने इस फसल का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिये एक शक्तिशाली साधन के रूप में किया है। कभी कृषि ऋण माफी तो कभी गन्ने के बढ़ते मूल्य, उप-उत्पादों के बाजारिकरण जैसी उम्मीदों और वादों के आधार पर इस फसल को एक राजनितिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया।
- राज्य में मौजूद 200 से अधिक चीनी कारखानों में से लगभग 50 मराठवाड़ा में स्थित हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 1 किलो चीनी का उत्पादन करने के लिये 2,500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यह राजनीतिक अभिजात वर्ग की चीनी फैक्ट्रियों को बनाए रखने के लिये इंसानों और पशुओं के जल के अधिकार को छीन लेने का प्रयास है। इन मिलों के कारण इस क्षेत्र के बाँध सूख गये हैं। जल की कमी के चलते लातूर जिले के कई हिस्से जनवरी में ही सूख गए।

वर्तमान में यहाँ 12 दिनों में एक बार जल की आपूर्ति होती है जो किसी अचानक हुई बर्फबारी की घटना से कम नहीं है। गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगाने, बेहतर जल-प्रबंधन, वर्षा जल के संचयन एवं मराठवाड़ा में संचालित कारखानों/मिलों में जल के दुरुपयोग को प्रबंधित करने जैसे उपायों पर गौर किये जाने की आवश्यकता है ताकि समय रहते इस समस्या का हल खोजा जा सके। सरकार द्वारा मरुस्थलीकरण की ओर बढ़ते मराठवाड़ा क्षेत्र के लिये एक बेहतर जल-प्रबंधन के क्रियान्वयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

ओजोन क्षरण के लिये जिम्मेदार गैस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेचर (Nature) नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध के अनुसार वैश्विक स्तर पर ओजोन क्षरण के लिये जिम्मेदार गैस(CFC-11) पूर्वी चीन की अवैध औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

प्रमुख बिंदु

- क्लोरोफ्लोरोकार्बन-11 (Chlorofluorocarbon-CFC-11) एक शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी रसायन है जो अंटार्कटिक महाद्वीप पर उपस्थित ओजोन छिद्र को बढ़ने में सहायता करता है।
- CFC-11 का उपयोग मुख्य रूप से एरोसोल उत्पादों में एक प्रणोदक और कई तरह के पॉलीमर्स एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) के तहत नियंत्रित किया गया था। वर्ष 1996 के बाद विकसित देशों द्वारा एवं वर्ष 2010 में वैश्विक स्तर पर इसके उपभोग को प्रतिबंधित कर दिया गया।
- इसके काफी सकारात्मक परिणाम भी सामने आए एवं पर्यावरण में CFC-11 के स्तर में गिरावट देखने को मिली। तस्मानिया के केप ग्रिम में स्थित केंद्र द्वारा प्रदत्त जानकारियों के अनुसार वर्ष 1994 में CFC-11 पर्यावरण में अपने चरम स्तर पर पहुँच गया था और वर्ष 2018 तक आते आते इसमें 14% तक कमी दर्ज की गई।
- वर्ष 2015 में (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation-CSIRO) के वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार को उन्नत वैश्विक वायुमंडलीय गैसों के अनुप्रयोग (The Advanced Global Atmospheric Gases Experiment-AGAGE) द्वारा संकलित मापनों के आधार पर सलाह दी गई, जिसमें केपग्रिम के मापनों को भी शामिल किया गया, जिसमें वर्ष 2011 में CFC के उत्सर्जन में वृद्धि कि बात की गई।
- साथ ही यह भी बताया गया कि यदि CFC-11 का उत्सर्जन इसी प्रकार बढ़ता रहा तो ओजोन छिद्र को नियंत्रित करना मुश्किल होगा, जो मानव के लिये हानिकारक सिद्ध होगा।
- हाल ही में कोरियाई और जापानी अध्ययनकर्ताओं के आँकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में CFC-11 के बढ़ते उत्सर्जन का मुख्य स्रोत पूर्वी चीन के दो प्रान्त शानदोंग एवं हेबेई हैं वर्ष 2013 के बाद से इन दोनों प्रान्तों ने संयुक्त रूप से 7,000 टन/प्रतिवर्ष उत्सर्जन में वृद्धि की।
- इसके अलवा AGAGE नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर विकसित देशों जैसे- उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में कही भी CFC-11 उत्सर्जन के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं।
- इस नए अध्ययन में वैश्विक स्तर के लगभग आधे हिस्से पर ही उत्सर्जन में वृद्धि के प्रभाव का पता लगाया गया तो यह भी संभावना होती है कि कुछ अन्य देशों में भी CFC-11 में थोड़ी वृद्धि हो गई हो जिसका पता न चल पाया हो।

निष्कर्ष

यह अध्ययन CFC-11 जैसी ट्रेस गैसों के दीर्घकालिक मापन के महत्त्व पर प्रकाश डालता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रोटोकॉल के तहत कार्य हो रहे हैं अथवा नहीं। इस अध्ययन में क्षेत्रीय स्तर पर ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन का पता लगाने वाले वैश्विक नेटवर्क में खामियों की भी पहचान की गई है। इन महत्वपूर्ण माप नेटवर्क के विस्तार को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में होने वाले उत्सर्जन के संक्रमण की शीघ्रता से पहचान की जा सके।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol)

ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर, 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये थे। जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। गौरतलब है कि इस प्रोटोकॉल पर विश्व के 197 पक्षकारों ने हस्ताक्षर किये हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत तीन पैनल आते हैं-

1. वैज्ञानिक आकलन पैनल।
 2. प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल।
 3. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पैनल।
- क्लोरोफ्लोरोकार्बन-11 (Chlorofluorocarbon-11) CFC-11, जिसे ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन के रूप में भी जाना जाता है, कई क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) रसायनों में से एक है, जिन्हें 1930 के दशक के दौरान शुरू में शीतलक के रूप में विकसित किया गया था।
 - जब वायुमंडल में CFC के अणु टूट जाते हैं, तो वे क्लोरीन परमाणुओं को छोड़ते हैं जो ओजोन परत (जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है) को तेजी से नष्ट करने में सक्षम होते हैं।
 - एक टन CFC-11 लगभग 5,000 टन कार्बनडाइ ऑक्साइड के बराबर होता है, जिससे न केवल ओजोन परत का हास हुआ है, बल्कि पृथ्वी के समग्र तापमान में भी वृद्धि हुई है।

पेगासस

चर्चा में क्यों ?

तकनीकी दस्तावेज़ 'पेगासस' यानी Phycomorph European Guidelines for a Sustainable Aquaculture of Seaweeds (PEGASUS), यूरोपीय समुद्री शैवाल उत्पादन की वर्तमान स्थिति की विशेषताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। साथ ही यह इस श्रृंखला के विभिन्न स्तरों के संदर्भ में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधारों की सिफारिशों को भी प्रस्तुत करता है।

- फियोमॉर्फ (Phycomorph) अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है, जो वृहद् विकास से संबंधित एक या कई मुद्दों को संबोधित करता है। नेटवर्क की गतिशीलता यूरोप में स्थायी समुद्री शैवालों की जलीय कृषि के लिये दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु तकनीकी कौशल में हुई हालिया प्रगति और अनुभव को साझा करने के लिये नियमित बैठकों और छात्र एक्सचेंज कार्यक्रमों पर आधारित है।
- PHYCOMORPH का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म शैवालों के प्रजनन और विकास के बुनियादी ज्ञान में यूरोपीय अनुसंधान परिदृश्य को एकजुट कर सक्षम बनाना है।
- समुद्री शैवाल, बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो मुख्य रूप से समुद्री या मीठे पानी में पाए जाते हैं (कुछ स्थायी रूप से पानी से बाहर रहते हैं)।
- समुद्री शैवाल पौधों की तरह वे जीव होते हैं जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय भूमिका निभाते हैं। ये भविष्य के लिये संभावनापूर्ण जैव संसाधन हैं क्योंकि दुनिया भर में उच्च मूल्य वाले समुद्री शैवाल-व्युत्पन्न यौगिकों (सौंदर्य प्रसाधन, भोजन) की मांग में निरंतर इजाजा हो रहा है।
- पौधों की तरह ये पानी में घुली वायुमंडलीय कार्बन के विघटन हेतु प्रकाश का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म शैवाल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली कार्बन-स्थिरीकरण वाले जीवों में से हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर 50 मीटर तक होता है।

समुद्री शैवालों की जलीय कृषि का महत्त्व

- खाद्य सुरक्षा: वर्ष 2050 तक खाद्य जैव संसाधनों पर 9 अरब लोगों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने का भार होगा।

- समुद्री शैवालों की जलीय कृषि पोषण, स्वास्थ्य और स्थायी जैव अर्थव्यवस्था से संबंधित वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सहायक साबित हो सकती है।
- पर्यावरण संरक्षण: यह खाद्य श्रृंखला, तटों की अपरदन से संरक्षण, नाइट्रोजन या फॉस्फेट और CO₂ प्रच्छादन जैसे संभावित प्रदूषकों को नष्ट करने में सहायता करेगी।

दवा और चिकित्सकीय अनुप्रयोग:

- विभिन्न सूक्ष्म शैवालों के जीवाणुरोधी (Antibacterial) और कवकरोधी (Antifungal) प्रभावों को चिह्नित किया गया है।
- इसमें कैंसर के संभावित इलाज हेतु संभावनाजनक यौगिक पाए जाते हैं। यह मानव की कैंसर श्रृंखला के विरुद्ध एक शक्तिशाली साइटोटोक्सिक (Cytotoxic) गतिविधि (सेल के विकास और गुणन में अवरोध) को दर्शाता है।
- यह वयस्क टी-सेल ल्यूकेमिया (Adult T-cell leukaemia-ATL) के विरुद्ध चिकित्सा संबंधी उपकरणों के रूप में भी उपयोगी हो सकता है।
- इसका उपयोग एंटी-ऑक्सीडेंट (Anti-Oxidant) और एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-Inflammatory) एजेंट के रूप में भी किया जा सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत: स्थलीय मूल के ईंधनों की तुलना में शैवाल जैव ईंधन के तौर पर एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, इनमें उच्च ऊर्जा, तेजी से विकसित होने की क्षमता और स्थलीय जैव ईंधन के प्रतिस्पर्द्धी होने के बजाय उनके पूरक के रूप में व्यवहार करने की क्षमता अंतर्निहित होती है।
- प्रसाधन उत्पाद: शैवाल में पाई जाने वाली वसा (lipid) के कारण इनका उपयोग तेलों के उत्पादन हेतु किया जा सकता है, ये कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण हेतु उत्कृष्ट विकल्प हैं।
- रोजगार सृजन: शैवाल उद्योग अनुसंधान से लेकर इंजीनियरिंग तक, विनिर्माण से लेकर कृषि और विपणन से लेकर वित्तीय सेवाओं तक कई प्रकार के रोजगार के अवसरों का सृजन करने में सक्षम हैं।

भारत में समुद्री शैवाल का निर्माण

- सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Marine Fisheries Research Institute-CMFRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, हर साल केवल 30 मिलियन टन समुद्री शैवाल (जिनका बाजार मूल्य €8 बिलियन है) का उपयोग किया जाता है।
- भारत में तमिलनाडु, गुजरात के तटों और लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों के आसपास बहुतायत में समुद्री शैवाल पाए जाते हैं।
- भारतीय तट के अंतर-ज्वारीय और गहरे जल क्षेत्रों में समुद्री शैवाल की लगभग 700 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रजातियाँ व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।

बथिनैलसियन (Bathynllaceans)

चर्चा में क्यों ?

बथिनैलसियन (Bathynllaceans) क्रस्टेशियाई परिवार (Crustaceans Family) की सबसे छोटी इकाई है जो झरनों के किनारे स्थित सरंभ्र/छिद्रयुक्त (Porous) स्थानों पर निवास करते हैं। ये आकार में 0.5 मिलीमीटर (0.5mm) तक लंबे होते हैं और इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। दुनिया भर में इसकी केवल आठ प्रजातियाँ हैं जिनमें से सात प्रजातियाँ भारत में पाई जाती हैं।

- पेन्ना नदी (River Penna) और वामशधारा नदी (River Vamshadhara) के कुछ तटों पर अंधाधुंध बालू खनन के कारण ये प्रजातियाँ प्रभावित हुई हैं।

वर्ष 2000 से किया जा रहा है सर्वेक्षण

- इस प्रजाति को संरक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी भारत में विशेष रूप से प्रभावित कृष्णा और गोदावरी नदियों के तटीय डेल्टा क्षेत्रों में नियमित सर्वेक्षण शुरू किया गया था।

- अब तक 90 नए क्रस्टेशियाई वर्गों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 74 नई प्रजातियों को औपचारिक रूप से वर्णित किया गया है। इनमें 34 बथिनैलसिया (Bathynellacea), 31 कॉपिपोडा (Copepoda), 6 एम्फीपोडा (Amphipoda), 2 आइसोपोडा (Isopoda) और एक ऑस्ट्राकोडा (Ostracoda) प्रजाति शामिल है।

प्रजातियों की विलुप्ति का कारण

- शोधकर्ताओं का मानना है कि राज्य में अंधाधुंध बालू खनन के कारण 31 में से 13 बाथिनलाइड प्रजातियाँ लुप्त होने की कगार पहुँच गई हैं।
- गुफा पर्यटन और गुफा संबंधी अन्य गतिविधियों जैसे-उन गुफाओं में किसी खजाने/निधि की खोज करना, मनोरंजन के लिये कन्दरान्वेषण (Caving) करना आदि के कारण इन जीवों का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ है और ये प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर पहुँच गईं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, सरकार द्वारा नई प्रजातियों के संरक्षण के लिये किसी नियम या कानून का निर्माण नहीं किया गया है।

क्रस्टेशियाई जीवों के लिये हॉटस्पॉट

- शोधकर्ताओं द्वारा गोदावरी नदी के तट पर देवलेश्वरम्, कपिलेश्वरपुरम्, रावुलपलेम और कृष्णा नदी के तट पर जग्गय्यापेटा (Jaggayyapetta) को इन सूक्ष्म क्रस्टेशियाई जीवों के लिये हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

आगे की राह

- भू-विज्ञान विभाग एवं अन्य अधीनस्थ विभागों द्वारा गुफाओं का पता लगाने और उनकी सुरक्षा करने के लिये प्रयास किया जाना चाहिये।
- गुफा संरक्षण के अंतर्गत स्थानीय जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यटकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये मार्गदर्शकों को प्रशिक्षित करने के साथ ही इन प्रजातियों को संरक्षित करने के लिये नियम एवं कानून बनाए जाने चाहिये।

मलेशिया का अंतिम सुमात्रा राइनो

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मलेशिया के आखिरी नर सुमात्रा गैंडे/राइनो (Sumatran rhinoceros) की मृत्यु हो गई है, इस आखिरी सुमात्रा गैंडे की मृत्यु गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) प्रजातियों को बचाने के प्रयासों की विफलता को दर्शाती है।

प्रमुख बिंदु

- टैम (Tam) नाम के इस गैंडे की उम्र लगभग 30 साल थी और वर्ष 2008 में इसकी खोज के बाद से ही इसे बोर्नियो द्वीप (Borneo Island) पर सबा राज्य (Sabah state) के वन्यजीव अभयारण्य में रखा गया था।
- वर्ष 2015 में मलेशिया में गैंडों की सबसे छोटी प्रजाति सुमात्रा राइनो को वन से विलुप्त (Extinct in the Wild) घोषित किया गया था। वर्ष 2014 में पकड़ी गई इमान (Iman) नामक मादा राइनो अब देश में इस उप-प्रजाति की एकमात्र जीवित सदस्य है।
- इससे पहले वर्ष 2017 में एक अन्य मादा राइनो, पुंटुंग (Puntung) की मृत्यु हो गई थी।
- वन्यजीव विशेषज्ञों का अनुमान है कि दुनिया में लगभग 30 से 80 सुमात्रा गैंडे ही जीवित हैं, जिनमें से अधिकांशतः सुमात्रा द्वीप (इंडोनेशिया) और बोर्नियो पर पाए जाते हैं।
- इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन (International Rhino Foundation) नामक संरक्षण समूह के अनुसार नर तथा मादा राइनो एक-दूसरे से अलगाव का कारण निवास स्थान का नुकसान और अवैध शिकार है, जिसका अर्थ यह है कि वे शायद ही कभी प्रजनन करते हैं और एक समय के बाद विलुप्त हो जाते हैं।
- वर्ष 2011 से मलेशिया ने इन प्रजातियों को कैद में रखकर पात्रे निषेचन (In Vitro Fertilization-IVF) के माध्यम से इनकी संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया लेकिन मलेशिया का यह प्रयास सफल नहीं हुआ।

पात्रे निषेचन: पात्रे निषेचन (In Vitro Fertilization-IVF) निषेचन की एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें किसी मादा के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क द्रव माध्यम में शुक्राणुओं से कराया जाता है। इस प्रकार का निषेचन शरीर के बाहर किसी अन्य पात्र में कराया जाता है। इसके बाद निषेचित अंडे को मादा के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है।

इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन: 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, संगठित, अवैध शिकार के कारण जिम्बाब्वे में ब्लैक राइनो की आबादी तेजी से कम हो रही थी। वर्ष 1989 में कुछ व्यक्तियों और संस्थानों के एक समूह ने जिम्बाब्वे में ब्लैक राइनो के संरक्षण हेतु इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1993 में, राइनो की सभी पाँच प्रजातियों के सामने बढ़ते संकट को देखते हुए, इंटरनेशनल ब्लैक राइनो फाउंडेशन को इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के रूप में विकसित किया गया और तथा इसके राइनो की सभी प्रजातियों के संरक्षण के लिये इसके मिशन में विस्तार किया गया।

सुमात्रा राइनो (Sumatran rhinoceros)

सुमात्रा राइनो जीवित बचे गैंडों में सबसे छोटे और दो सींग वाले एकमात्र एशियाई गैंडे हैं। ये लंबे बालों से ढके होते हैं।

स्थिति- गंभीर रूप से संकटापन्न (Critically Endangered)

आबादी- 80

वैज्ञानिक नाम- Dicerorhinus sumatrensis

ऊँचाई- 3.3 से 5 फीट तक

वज़न- 1320 से 2090 पौंड

लंबाई- 6.5 से 13 फीट तक

वास स्थान- सघन उच्चभूमि और तराई भूमि तथा उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय वन

बोर्नियो और सुमात्रा (BORNEO AND SUMATRA):

- बोर्नियो और सुमात्रा के वन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक जैव-विविधता वाले स्थानों में से एक हैं, जहाँ काफी संख्या में अद्वितीय पौधे और जानवर पाए जाते हैं।
- भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप बोर्नियो और सुमात्रा में विश्व के कुछ सबसे विविध वर्षा वन (Rain Forest) और दक्षिण पूर्व एशिया के अंतिम अक्षुण्ण वन (Intact Forests) पाए जाते हैं।
- बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो टेक्सास (Texas) की तुलना में एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। सुमात्रा दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है।
- द्वीपों की उष्णकटिबंधीय जलवायु (Tropical Climate) और यहाँ पाए जाने वाले विविध इको क्षेत्रों (Ecoregions) के कारण यहाँ हजारों अद्वितीय प्रजातियाँ पाई जाती हैं एवं यहाँ विश्व के अंतिम शेष सुमात्रा बाघ (Sumatran Tigers), वनमानुष (Orangutans), पिग्मी हाथी (Pygmy Elephants) और सुमात्रा राइनो (Sumatran rhinoceros) पाए जाते हैं।

स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food And Drug Administration) ने स्पाइनल मस्क्युलर एट्रोफी (Spinal Muscular Atrophy) रोग के उपचार हेतु जोल्लेंस्मा (Zolgensma) उपचार पद्धति को मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- यह दवा नोवर्टिस (Novartis) नामक कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है जो आनुवंशिक रूप से होने वाली बीमारी (Spinal Muscular Atrophy) का उपचार एक जीन थेरेपी द्वारा करेगी।
- इस थेरेपी में बच्चों की मांसपेशियों को कमजोर कर उन्हें हिलने-डुलने और साँस लेने में समस्या पैदा करने वाले जीन को निष्क्रिय किया जाता है। अमेरिका में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों में लगभग 400 बच्चे इस रोग से ग्रसित होते हैं।
- अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (American Food and Drug Administration) ने इस उपचार पद्धति को 24 मई, 2019 को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसे “Zolgensma” के नाम से जाना जाता है।
- नोवर्टिस ने कहा कि यदि उपचार के बाद भी बीमारी सही नहीं होती है तो यह बीमाकर्ताओं को पाँच वर्ष तक 425,000 डॉलर प्रतिवर्ष भुगतान करेगा और उपचार में आंशिक छूट भी देगा।

- इससे पूर्व भी इस तरह की महँगी उपचार पद्धतियों को अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, जैसे प्रत्येक चार महीने पर रोगी को Spinraza नामक दवा दी जाती है जिसमें पहले वर्ष उपचार शुल्क 7,50,000 अमेरिकी डॉलर और बाद में 3,50,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष शुल्क लिया जाता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, उपचार की लागत को न देखा जाए तो यह दवा रोगियों एवं संपूर्ण स्वास्थ्य जगत के लिये एक सकारात्मक परिणाम सभित होगी।

विकृत जीन की पहचान और निवारण

- Spinal Muscular Atrophy रोग के लिये जिम्मेदार जीन शरीर में तंत्रिका तंत्र के सुचारु रूप से कार्य करने के लिये आवश्यक प्रोटीन के निर्माण को बाधित करता है। अन्ततः तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है और शिशु की मृत्यु हो जाती है।
- जिन शिशुओं में इस बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं वे धीरे-धीरे अक्षम हो जाते हैं एवं उन्हें साँस लेने के लिये वेंटिलेटर की सहायता लेनी पड़ती है। कभी-कभी ऐसे बच्चे कुछ दशकों तक ही जीवित रह पाते हैं।
- जोलगेन्समा (Zolegnsma) विकृत जीन की जगह एक स्वस्थ जीन को शरीर में प्रविष्ट करा कर तंत्रिका कोशिकाओं के लिये आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन शुरू करता है जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सामान्य रूप से होने लगता है।
- लेकिन इस उपचार पद्धति के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं जैसे- उल्टी आने के साथ ही यकृत को भी नुकसान पहुँचाना। अतः उपचार के बाद कुछ महीनों तक रोगी की बेहतर तरीके से देखभाल की जानी चाहिये, ताकि इस दवा के कारण होने वाले दुष्प्रभावों से रोगी की देखभाल की जा सकें।

ओज़ोन प्रदूषण (Ozone pollution)

चर्चा में क्यों ?

वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (System of Air Quality and Weather Forecasting And Research-SAFAR) के पूर्वानुमान के अनुसार, बढ़ते तापमान के साथ दिल्ली में सतही ओज़ोन (Surface Ozone) जिसे क्षोभमंडलीय ओज़ोन (Tropospheric Ozone) भी कहा जाता है, के प्रदूषण में वृद्धि होने की संभावना है।

सतही ओज़ोन या क्षोभमंडलीय ओज़ोन

- सतही ओज़ोन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है बल्कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NO_x (नाइट्रोजन ऑक्साइड), CO (कार्बन मोनोऑक्साइड) की रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। “जब तापमान में वृद्धि होती है, तो ओज़ोन के उत्पादन की दर भी बढ़ जाती है।
- वायुमंडल के निम्नतम स्तर में पाई जाने वाली अर्थात् क्षोभमंडलीय ओज़ोन को ‘बुरी ओज़ोन’ (Bad Ozone) भी कहा जाता है।
- यह ओज़ोन मानव निर्मित कारकों जैसे आंतरिक दहन इंजनों, औद्योगिक उत्सर्जन और बिजली संयंत्रों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण का परिणाम है।

ओज़ोन प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

- ओज़ोन के अंतःस्वसन पर सीने में दर्द, खाँसी और गले में दर्द सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- यह ब्रोन्काइटिस (Bronchitis), वातस्फीति (Emphysema) और अस्थमा की स्थिति को और बढ़ा सकता है।
- इससे फेफड़ों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और ओज़ोन के बार-बार संपर्क में आने से फेफड़ों के ऊतक स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
- सतही ओज़ोन वनस्पति और पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुँचाती है।

वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR)

- वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली की शुरुआत जून 2015 में दिल्ली और मुंबई के लिये की गई थी।

- इस प्रणाली के जरिये अग्रिम तीन दिनों के लिये वायु प्रदूषण (स्थान-विशेष) का अनुमान लगाने के साथ ही लोगों को आवश्यक परामर्श देना संभव हो पाया है।
- यह प्रणाली लोगों को उनके पास के निगरानी स्टेशन पर हवा की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसके अनुसार उपाय अपनाने का फैसला लेने में मदद करती है।
- 'सफर' (SAFAR) के माध्यम से लोगों को वर्तमान हवा की गुणवत्ता, भविष्य में मौसम की स्थिति, खराब मौसम की सूचना और संबद्ध स्वास्थ्य परामर्श के लिये जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही पराबैंगनी/अल्ट्रा वायलेट सूचकांक (Ultraviolet Index) के संबंध में हानिकारक सौर विकिरण (Solar Radiation) के तीव्रता की जानकारी भी मिलती है।

निष्कर्ष

ओजोन हमारे स्वास्थ्य के लिये काफी खतरनाक हैं। दिल्ली और आसपास रहने वाले, चाहे अमीर हों या गरीब, यहाँ तक कि खुले में रहने वालों पर भी खतरा है। दिल्ली और एनसीआर में इस समय स्वास्थ्य के सुरक्षा की बहुत सख्त जरूरत है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों, बाहर काम करने वाले मजूदरों, अस्थमा और फेफड़ों के रोग से प्रभावित लोगों को इस समय खास ध्यान रखना चाहिये।

दृष्टि
The Vision

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

परमाणु खनिजों के खनन का मामला SC को स्थानांतरित

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।

कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को निजी समूहों को परमाणु और दुर्लभ खनिज (Atomic and Rare Mineral) वाले ब्लॉकों का अन्वेषण लाइसेंस (Exploration License) जारी करने का निर्देश दिया था।

- उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा लिये गए नीतिगत निर्णय के अंतर्गत निजी समूहों को ऐसे खनिजों के अन्वेषण की अनुमति नहीं है।

क्या है मामला ?

- जून 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार के समय निजी दलों/समूहों को 62 अपतटीय ब्लॉकों (Offshore Blocks) में परमाणु और दुर्लभ खनिजों की खोज करने की अनुमति दी गई थी लेकिन इस संबंध में बड़े पैमाने पर बरती गई अनियमितताओं को देखते हुए सरकार ने सीबीआई जाँच के आदेश दिये।
- केंद्र ने 2016 में रक्षा आवश्यकताओं (Defence Requirements) के मामले में प्रकृति और सामरिक महत्त्व (Strategic Importance) को ध्यान में रखते हुए केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खनन की अनुमति दी।
- केंद्र ने परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy) के साथ परामर्श करके एक नीतिगत निर्णय लेते हुए परमाणु या दुर्लभ खनिज ब्लॉकों को निजी पार्टियों को नीलाम नहीं करने का फैसला लिया।
- इस नीतिगत निर्णय के बाद भारतीय खान ब्यूरो (Indian mines bureau) ने 7 जून, 2010 को दुर्लभ खनिजों को प्रभावित करने वाले अपतटीय ब्लॉकों की खोज के लिये दिये गए अपने प्रस्ताव के तहत 16 निजी आवेदकों को संक्षिप्त सूची में रखते हुए, अपने फैसले को रद्द कर दिया।
- इस संक्षिप्त सूची में शामिल कुछ फर्मों ने केंद्र के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
- ने 25 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा निजी आवेदकों के आवंटन को बरकरार रखते हुए केंद्र को दो सप्ताह के भीतर निजी कंपनियों को अन्वेषण लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया गया।

अपतटीय ब्लॉक (Offshore Blocks)

- ऐसे समुद्री किनारे जहाँ तेल, गैस एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं अपतटीय ब्लॉक कहलाते हैं।
- अपतटीय ब्लॉकों से इन संसाधनों का निष्कर्षण खनन आदि के माध्यम से किया जाता है।
- परमाणु और दुर्लभ खनिज (Atomic and Rare Mineral)
- ऐसी विरल मृदा या दुर्लभ धातुएँ जो पृथ्वी पर अत्यल्प मात्रा में पाई जाती हैं परमाणु और दुर्लभ खनिज कहलाती हैं जैसे- यूरेनियम, थोरियम आदि।
- इनका निष्कर्षण कार्य अत्यंत कठिन होता है।

केंद्र सरकार का पक्ष

- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन पाँच कंपनियों ने 7 जून, 2010 को अधिसूचना के तहत अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था उनका निदेशक एक ही व्यक्ति था। साथ ही इन पाँच कंपनियों द्वारा किया गया पंजीकरण अधिसूचना की तारीख के बाद का था।
- स्क्रीनिंग कमेटी (Screening Committee) द्वारा चयन प्रक्रिया को 5 अप्रैल, 2011 तक पूरा कर लिया गया था, जबकि अन्वेषण लाइसेंस हेतु आवेदन 7 जून, 2010 को प्राप्त हुआ था। अतः अन्वेषण लाइसेंस देने में पारदर्शिता और कर्मठता का अभाव पाया गया।

परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy)

- इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार के तहत 3 अगस्त, 1954 को हुई।
- इसका प्रमुख लक्ष्य परमाणु प्रौद्योगिकी के माध्यम से संपदा का सृजन और अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर उपलब्ध कराते हुए भारत को और अधिक शक्ति संपन्न बनाना है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर, नाभिकीय और विकिरण प्रौद्योगिकियों एवं उनके अनुप्रयोगों के विकास एवं विस्तार के माध्यम से देशवासियों को पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तथा बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में योगदान देना है।

भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of Mines)

- इसकी स्थापना 1 मार्च, 1948 को हुई।
- प्रारंभ में यह एक सलाहकारी निकाय था। 1950 में इसके कार्यों में परिवर्तन कर इसे खान और खनिज संभावित क्षेत्रों के निरीक्षण का कार्य दे दिया गया।
- इसका प्रमुख कार्य डेटाबेस इकट्ठा करना और उसे व्यवस्थित करना, एक राष्ट्रीय खनिज सूचना भंडार के रूप में देश में अन्वेषण, पूर्वोक्षण, खानों और खनिजों संबंधी सभी जानकारियों को प्रकाशित और प्रसारित करने के लिये कदम उठाना है।
- वर्तमान में इसके 4 जून ऑफिस और 13 रीजनल ऑफिस हैं।

केरल के आपदा प्रबंधन के नए प्रोटोकॉल

चर्चा में क्यों ?

चक्रवात 'ओखी' और वर्ष 2018 में आई बाढ़ से सबक लेते हुए केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Kerala State Disaster Management Authority-KSDMA) ने मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures-SOP), आपदा प्रबंधन की ऑरेंज बुक और आपातकालीन सहायता कार्य योजना को अपडेट किया है। केरल राज्य में आपदा प्रबंधन के लिये नए प्रोटोकॉल 'मानसून की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना' को अपनाया गया।

प्रमुख बिंदु

- ऑरेंज बुक में बाढ़, चक्रवात, सुनामी, उच्च लहरों (प्रफुल्लित लहरें, तूफानी महोर्मि, 'कल्ला कदल'), पेट्रोकेमिकल दुर्घटनाओं और यहाँ तक की अंतरिक्ष मलबे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं हेतु मानक संचालन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। ऑरेंज बुक में राज्य भर में उपलब्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया परिसंपत्तियों से संबंधित सूचनाएँ निहित हैं।
- 'मानसून की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना' मौसम-विशिष्ट योजना है और दक्षिण-पश्चिम तथा उत्तर-पूर्वी मानसून के मौसम (जून से दिसंबर) के दौरान इसका सख्ती से अनुपालन किया जाता है।
- यह राज्य के आपातकालीन संचालन केंद्र, केंद्रीय एजेंसियों, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों आदि की भूमिकाओं को सूचीबद्ध करता है। इससे पहले किसी भी दस्तावेज में सरकारी विभागों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट नहीं किया गया था।
- मानसून तैयारी योजना, आपदा प्रबंधन की ऑरेंज पुस्तक की एक मौसम-विशिष्ट गतिशील उप-योजना है। मानसून पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का पहला दीर्घाविधि पूर्वानुमान प्राप्त करने के बाद इसे हर साल अपडेट किया जाएगा।

राज्य आपदा प्रबंधन आयोग

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 23 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक आपदा प्रबंधन योजना बनाई जाएगी। यह धारा इस बात को रेखांकित करती है कि योजना के व्यापक कवरेज के साथ-साथ राज्य योजनाओं के संदर्भ में तैयारी हेतु परामर्श की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- यह राज्य योजना की वार्षिक समीक्षा एवं उन्हें अद्यतन किये जाने का भी प्रावधान करता है।
- साथ ही इसके अंतर्गत राज्य की योजनाओं को वित्तपोषण प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था की गई है।
- यह राज्य सरकार के विभागों को अपनी-अपनी योजनाएँ तैयार करने की भी सुविधा प्रदान करता है।

ज़िला आपदा प्रबंधन योजना

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के खंड 31 के अनुसार, देश के प्रत्येक जिले का आपदा प्रबंधन विभाग जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा जिसे राज्य आपदा प्रबंधन योजना द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- इस योजना की समीक्षा तथा अपडेशन का कार्य प्रतिवर्ष किया जाएगा।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना में किसी आपदा के घटने की स्थिति में मोचन योजनाएँ तथा प्रक्रियाएँ भी शामिल होंगी जिसमें जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उत्तरदायित्व का आवंटन; आपदा के प्रति शीघ्र मोचन तथा उससे संबंधित राहत; अनिवार्य संसाधनों की अधिप्राप्ति; संचार सूत्रों की स्थापना आदि के भी प्रावधान किये जाएंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) National Disaster Management Authority (NDMA)

- यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिये एक सर्वोच्च निकाय है, जिसका गठन ' आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ' के तहत किया गया था।
- यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियों, योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों का निर्माण करने के लिये जिम्मेदार संस्था है, जो आपदाओं के वक्त समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है।

उद्देश्य

- इस संस्था का उद्देश्य एक समग्र, प्रो-एक्टिव, प्रौद्योगिकी संचालित टिकाऊ विकास रणनीति के माध्यम से सुरक्षित और डिजास्टर रेसिलिएंट भारत का निर्माण करना है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है।
- यह आपदा की रोकथाम, तैयारी एवं शमन की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा 19 जनवरी को अपना 13वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। भारत में NDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया है।
- वर्तमान में, एनडीआरएफ में 12 बटालियन हैं, जिनमें BSF और CRPF से तीन-तीन और CISF, SSB और ITBP से दो-दो बटालियन हैं।

आपदा प्रबंधन में NDRF की भूमिका

- मानवीय और प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेषज्ञ प्रतिक्रिया उपलब्ध करना, जिससे बचाव एवं राहत कार्य का प्रभावी निष्पादन संभव हो सके।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आपदाओं के दौरान चलाए जाने वाले राहत कार्यों में अधिकारियों की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती संभावित आपदाओं के दौरान भी की जाती है।
- आपदाओं में बचाव या राहत कार्य के दौरान अन्य संलग्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर यह बल बचाव या राहत कार्य को संपूर्णता प्रदान करता है।
- NDRF की सभी बटालियन तकनीकी दक्षता से युक्त हैं और विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ योग्यताओं से सुसज्जित हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ-साथ यह बल अपनी चार टुकड़ियों के माध्यम से रेडियोलॉजिकल, जैविक, नाभिकीय और रासायनिक आपदाओं से निपटने में भी सक्षम है।

होर्मुज जलडमरूमध्य

चर्चा में क्यों ?

हाल ही की फुजैराह, संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात (Fujairah) के समीप चार वाणिज्यिक वाहनों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई, यह अमीरात होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के ठीक सामने स्थित दुनिया का सबसे बड़ा बंकरिंग हब (Bunkering Hubs) है।

- फुजैराह बंदरगाह यू.ए.ई. का एकमात्र ऐसा टर्मिनल है जो अरब सागर के तट पर स्थित है और इसी मार्ग से अधिकतर कच्चे तेल का निर्यात भी किया जाता है।
- यह घटना एक ऐसे समय में घटित हुई है जब गल्फ क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। निश्चित रूप से इसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने की आशंका है।
- अमेरिका ने पहले ही इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। इतना ही नहीं ईरान की ओर से उत्पन्न तथाकथित खतरे का सामना करने के लिये फारस की खाड़ी में अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमानों की भी तैनाती की जा रही है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2015 में ईरान ने P5 +1 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी) के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) के रूप में संदर्भित एक दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की थी।
- इस समझौते के तहत ईरान ने अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और इसके बदले आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की।
- वर्ष 2018 में अमेरिका इस समझौते से पीछे हट गया और हाल ही में उसने ईरान के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों को भी समाप्त कर दिया। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को संकट की ओर धकेल दिया है। हाल ही में ईरान ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के तहत अपने दायित्वों को वापस लेने और होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है।

होर्मुज जलडमरूमध्य

- इसे ओरमुज जलडमरूमध्य के नाम से भी जाना जाता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- यह जलडमरूमध्य 55 से 95 किमी. तक चौड़ा है और ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है।
- इसमें प्रमुख रूप से कीशम, होर्मुज और हेंजम (हेंगम) द्वीप स्थित हैं।
- सऊदी अरब, ईरान, यू.ए.ई., कुवैत और इराक से निर्यात किये जाने वाले अधिकांश कच्चे तेल को इसी जलमार्ग के माध्यम से भेजा जाता है।

जलडमरूमध्य क्या है ?

- यह एक ऐसा संकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है और चूँकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य में जलसंधि होने के बाद ही यह मार्ग संचालित होता है, अतः इसे जलडमरूमध्य कहा जाता है।

मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन

चर्चा में क्यों ?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department-IMD) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा सामान्य मानसून के लिये प्रभावकारी प्रमाणित होने वाली मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (Madden-Julian Oscillation- MJO) लहर की प्रतीक्षा कर रही है।

मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO)

- मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) एक समुद्री-वायुमंडलीय घटना है जो दुनिया भर में मौसम की गतिविधियों को प्रभावित करती है।
- यह साप्ताहिक से लेकर मासिक समयावधि तक उष्णकटिबंधीय मौसम में बड़े उतार-चढ़ाव लाने के लिये जिम्मेदार मानी जाती है।
- मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) को भूमध्य रेखा के पास पूर्व की ओर सक्रिय बादलों और वर्षा के प्रमुख घटक या निर्धारक (जैसे मानव शरीर में नाड़ी (Pulse) एक प्रमुख निर्धारक होती है) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आमतौर पर हर 30 से 60 दिनों में स्वयं की पुनरावृत्ति करती है।

- यह निरंतर प्रवाहित होने वाली घटना है एवं हिंद एवं प्रशांत महासागरों में सबसे प्रभावशाली है।
- इसलिये MJO हवा, बादल और दबाव की एक चलती हुई प्रणाली है। यह जैसे ही भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है वर्षा की शुरुआत हो जाती है।
- इस घटना का नाम दो वैज्ञानिकों रोलैंड मैडेन और पॉल जूलियन के नाम पर रखा गया था जिन्होंने 1971 में इसकी खोज की थी। मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (Madden-Julian Oscillation-MJO) का भारतीय मानसून पर प्रभाव
- इंडियन ओशन डाईपोल (The Indian Ocean Dipole-IOD), अल-नीनो (El-Nino) और मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन(Madden-Julian Oscillation-MJO) सभी महासागरीय और वायुमंडलीय घटनाएँ हैं, जो बड़े पैमाने पर मौसम को प्रभावित करती हैं। इंडियन ओशन डाईपोल केवल हिंद महासागर से संबंधित है, लेकिन अन्य दो वैश्विक स्तर पर मौसम को मध्य अक्षांश तक प्रभावित करती हैं।
- IOD और अल नीनो अपने पूर्ववर्ती स्थिति में बने हुए हैं, जबकि MJO एक निरंतर प्रवाहित होने वाली भौगोलिक घटना है।
- एमजेओ की यात्रा आठ चरणों से होकर गुजरती है।
- जब यह मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी बारिश होती है।
- दूसरी ओर, जब यह एक लंबे चक्र की समयावधि के रूप में होता है और प्रशांत महासागर के ऊपर रहता है तब भारतीय मानसूनी मौसम में कम वर्षा होती है।
- यह उष्णकटिबंध में अत्यधिक परंतु दमित स्वरूप के साथ वर्षा की गतिविधियों को संपादित करता है जो कि भारतीय मानसूनी वर्षा के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (एमजेओ-MJO) की समयावधि:

- यदि यह लगभग 30 दिनों तक बना रहता है तो मानसून के मौसम में इसके कारण अच्छी बारिश होती है।
- यदि यह 40 दिन से अधिक समय तक बना रहता है तो अच्छी बारिश नहीं होती और सूखे मानसून के रहने की स्थिति बन सकती है।
- एमजेओ का चक्र जितना छोटा होगा, भारतीय मानसून उतना ही बेहतर होगा। इसके पीछे कारण यह है कि यह चार महीने की लंबी अवधि के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र से गुजरता है।
- अल-नीनो के साथ प्रशांत महासागर के ऊपर एमजेओ की उपस्थिति मानसूनी बारिश के लिये हानिकारक होती है।

ग्रीष्म लहर (Heat Waves)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़कर 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच गया। चित्तूर जिले में आम तौर पर मई माह के पहले सप्ताह में सर्वाधिक गर्मी होती है लेकिन इस वर्ष अप्रैल माह से ही यहाँ तापमान बढ़ने लगा और प्रायः जो तापमान अप्रैल माह में 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता था वह 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। इस तरह से बढ़ते तापमान के कारण ग्रीष्म लहर (Heat Waves) एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है।

क्या होती है ग्रीष्म लहर ?

- ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है, जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है और यह मुख्यतः देश के उत्तर-पश्चिमी भागों को प्रभावित करता है।
- ग्रीष्म लहर मार्च-जून के बीच चलती है परंतु कभी-कभी जुलाई तक भी चला करती है। ऐसे चरम तापमान के परिणामतः बनने वाली वातावरणीय स्थितियाँ तथा अत्यधिक आर्द्रता के कारण लोगों पर पड़ने वाले शारीरिक दबाव बेहद दुष्प्रभावी होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह जानलेवा भी साबित हो सकती है।

ग्रीष्म लहर से प्रभावित क्षेत्र के संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानदंड

- ग्रीष्म लहर प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान मैदानी इलाके के लिये कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी इलाके के लिये कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिये।

- जब किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो, ग्रीष्म लहर का सामान्य से विचलन 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस हो और प्रचंड ग्रीष्म लहर का सामान्य से विचलन 7 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो।
- जब किसी क्षेत्र का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, ऊष्मा तरंग का सामान्य से विचलन 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस हो और प्रचंड ग्रीष्म लहर का सामान्य से विचलन 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो।
- वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बने रहने पर उस क्षेत्र को ग्रीष्म लहर प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिये, चाहे अधिकतम तापमान कितना भी रहे।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department-IMD) भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है।
- IMD विश्व मौसम संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- वर्ष 1864 में चक्रवात के कारण कलकत्ता में हुई क्षति और 1866 तथा 1871 के अकाल के बाद, मौसम विश्लेषण और डाटा संग्रह कार्य के एक ढाँचे के अंतर्गत आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- IMD में उप महानिदेशकों द्वारा प्रबंधित कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आते हैं।
- ये चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद में स्थित हैं।
- हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफर्ड को विभाग के पहले मौसम विज्ञान संवाददाता के रूप में नियुक्त किया गया था।
- IMD का नेतृत्व मौसम विज्ञान के महानिदेशक द्वारा किया जाता है।
- IMD का मुख्यालय वर्ष 1905 में शिमला, बाद में 1928 में पुणे और अंततः नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया।
- स्वतंत्रता के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना।

भारत में ग्रीष्म लहर और शीत लहर में वृद्धि

- सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Program Implementation) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान देश में ग्रीष्म लहर और शीत लहर में कई गुना वृद्धि हुई है।
- वर्ष 1970 से 2018 तक राजस्थान ने ग्रीष्म और शीत लहरों का सबसे अधिक प्रकोप झेला है।
- वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में ग्रीष्म लहरों की संख्या में 14 गुना वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि के दौरान शीत लहरों की संख्या में 34 गुना वृद्धि हुई। हालाँकि वर्ष 2018 के दौरान इनमें मामूली कमी हुई।
- राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ग्रीष्म लहरों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं।
- वर्ष 1970 से 2018 तक शीत लहरों का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में रहा जबकि दक्षिण भारत शीत लहरों से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ।
- नीचे दिये गए मानचित्र में इन वर्षों के दौरान राज्यों में दोनों प्रकार की लहरों की व्यापकता को दर्शाया गया है।

ग्रीष्म लहर और जलवायु परिवर्तन

- ऐसा कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन ने पूर्वानुमानों को गलत साबित करते हुए प्राकृतिक सीमाओं को परिवर्तित कर दिया है, जिससे ग्रीष्म लहर की तीव्रता और बारंबारता अधिक हो गई है।
- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि से अतिशय मौसमी घटनाओं, जैसे-ऊष्मा तरंगों को और बढ़ावा मिलेगा।
- भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अल-नीनो (El-Nino) की घटना और मानवीय क्रियाकलापों के कारण ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा ही देशभर में ग्रीष्म लहर की बढ़ी हुई बारंबारता और खिंची हुई अवधि के लिये जिम्मेदार है।

ग्रीष्म लहर के प्रभाव

- ग्रीष्म लहर से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों में सामान्यतः पानी की कमी, गर्मी से होने वाली ऐंठन तथा थकावट और लू लगना आदि शामिल हैं।
- गर्मी से होने वाली ऐंठन (Heat cramps)- इसके लक्षण हैं- 39 डिग्री सेल्सियस (यानी 102 डिग्री फारेनहाइट) से कम ताप के हल्के बुखार के साथ सूजन और बेहोशी।
- गर्मी से होने वाली थकान (Heat exhaustion)- थकान, कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द, मितली (Nausea), उल्टियाँ, मांसपेशियों में खिचाव और पसीना आना इसके कुछ लक्षण हैं।
- लू लगना या हीट स्ट्रोक (Heat stroke)- यह एक संभावित प्राणघातक स्थिति है। जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यानी 104 डिग्री फारेनहाइट या उससे अधिक हो जाता है तो उसके साथ अचेतना, दौरै या कोमा भी हो सकता है।
- विनाशकारी रूप से फसल का नष्ट होना, अतिताप (Hyperthermia) से मृत्यु और बिजली की अत्यधिक कटौती आदि ग्रीष्म लहर के कुछ अन्य प्रभाव हैं।

ग्रीष्म लहर के कारण होने वाली क्षति कम करने के लिये ओडिशा मॉडल (Heat Wave Action Plan Of Odisha)

- वर्ष 1998 में ग्रीष्म लहर के कारण बड़ी संख्या में हुई मौतों के बाद ओडिशा सरकार इसे चक्रवात या बड़े स्तर की आपदा के रूप में देखती है।
- अप्रैल-जून के दौरान राज्य-स्तर और जिला-स्तर के आपदा केंद्रों द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) द्वारा व्यक्त तापमान पूर्वानुमान की लगातार निगरानी की जाती है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर ग्रीष्म लहर से निपटने की रणनीति बनाई जाती है।
- सरकार द्वारा ग्रीष्म लहर से बचने के लिये किये गए उपायों में - विद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों का कार्य समय सुबह-सुबह का करना, सार्वजनिक वेतन कार्यक्रम, जैसे-मनरेगा पर रोक, दिन के विभिन्न घंटों में सार्वजनिक यातायात सुविधा को बंद करना इत्यादि शामिल हैं।
- इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ग्रीष्म लहर का सामना करने के लिये लोगों में जागरूकता लाने हेतु विज्ञापन लगाती है, ग्रीष्म लहरों से प्रभावित या लू के मरीजों के इलाज के लिये अस्पतालों में अतिरिक्त साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं और नागरिक समाज संगठन जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं।

आगे की राह

- जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीष्म लहर वैश्विक रूप से तीव्र हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप दैनिक उच्चतम तापमान अधिक एवं लंबी अवधि का होगा।
- ग्रीष्म लहर के प्रतिकूल प्रभावों और उनके कारण होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिये, दीर्घावधि उपायों के साथ-साथ अल्पावधि क्रियान्वयन योजनाओं को भी लागू करना होगा।
- जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकारों की तत्परता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं सहयोग ही मुख्य निर्धारक सिद्ध होंगे।

फेस ऑफ़ डिजास्टर्स 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी (Sustainable Environment and Ecological Development Society-SEEDS) ने फेस ऑफ़ डिजास्टर्स 2019 (Face of Disasters 2019) नामक रिपोर्ट प्रकाशित की। SEEDS द्वारा अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी की गई इस रिपोर्ट में आपदाओं के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने के लिये व्यापक दृष्टिकोण के साथ अतीत के रुझानों का विश्लेषण किया गया है।

इस रिपोर्ट में आठ प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र किया गया है जिन पर विचार करना आवश्यक है। ये क्षेत्र हैं-

1. जल तथा आपदा जोखिम की बदलती प्रकृति: वर्षा में एक नई तथा सामान्य परिवर्तनशीलता के कारण किसी स्थान पर बहुत कम तो किसी स्थान पर बहुत अधिक वर्षा जैसी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
2. कोई भी आपदा 'प्राकृतिक' नहीं है: कुछ आपदाएँ ऐसी होती हैं जो स्पष्ट रूप से सामने नहीं होती लेकिन किसी भी समय आ सकती हैं क्योंकि ये 'प्राकृतिक आपदा की अवधारणा' को पूरा नहीं करती हैं।
3. मूक घटनाएँ: जो आपदाएँ अनदेखी होती हैं, वे लोगों के समक्ष और भी अधिक जोखिम लेकर आती हैं।
4. स्थल का जल (और जल का स्थल) में परिवर्तन: समुद्र तट में परिवर्तन पहले से ही आजीविका के स्रोतों को प्रभावित कर रहा है तथा भविष्य में इसके कारण और अधिक सुभेद्यता/संवेदनशीलता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
5. आपदा प्रभाव की जटिलता: आधिकारिक 'नुकसान' से परे, इन दीर्घकालिक और अनपेक्षित आपदाओं के परिणाम प्रभावित समुदायों के जीवन को बदलने वाले होते हैं।
6. शहरी अनिवार्यता: ये जोखिम तेजी से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी को प्रभावित करेंगे।
7. तीसरे ध्रुव में रूपांतरण: हिमालयी ग्लेशियर के पिघलने से पूरे क्षेत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
8. जिसे देख नहीं सकते उसके लिये योजना बनाना: भूकंप की संभावनाएँ अक्सर बनी रहती हैं जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन क्या भूकंप जैसी आपदा का सामना करने के लिये हम तैयार हैं?

चिंताएँ

- ग्रीष्म लहर (Heat Waves) और सूखे की स्थिति जो पहले से ही विद्यमान है के साथ-साथ वर्ष 2019 में असामान्य रूप से बाढ़ आएगी।
- केवल एक ही वृहद् आपदा अभी तक हुए विकास को समाप्त कर सकती हैं और बार-बार आने वाली छोटे पैमाने की आपदाएँ कमजोर परिवारों को गरीबी के चक्र में बनाए रख सकती हैं।
- हालाँकि विभिन्न घटनाओं या प्राकृतिक आपदाओं का यह स्वरूप/पैटर्न हर साल दोहराया जाता है लेकिन इनमें से केवल कुछ ही घटनाएँ ऐसी होती हैं जो वास्तव में जनता का ध्यान आकर्षित करती हैं। कुछ अन्य प्रकार के जोखिम भी हैं जो लोगों का ध्यान तो आकर्षित नहीं करते लेकिन लोगों की नजरों से परे ये सशक्त होते रहते हैं तथा अचानक सामने आते हैं।

भारत में प्राकृतिक आपदाएँ

- वर्ष 2018 में, भारत में एक बड़े भूकंप और इससे संबंधित घटनाओं को छोड़कर लगभग हर प्रकार की प्राकृतिक घटनाएँ घटित हुईं।
- बाढ़, सूखा, ग्रीष्म और शीत लहरें, बिजली गिरने की घटनाएँ, चक्रवात और यहाँ तक कि ओलावृष्टि जैसी आपदाओं की एक विस्तृत श्रृंखला ने देश को सबसे अधिक प्रभावित किया।
- ये घटनाएँ कुछ महत्वपूर्ण सवालों और मुद्दों को प्रस्तुत करती हैं साथ ही भविष्य में आने वाली आपदाओं की ओर भी इशारा करती हैं।
- निष्कर्ष
- वर्तमान प्रवृत्ति आपदाओं के विभिन्न पहलुओं और इनकी जटिलताओं की पुष्टि करते हैं।
- भविष्य में इन आपदाओं या जोखिमों का सामना करने के लिये स्पष्ट रूप से जोखिमों की व्यापक समझ और अति-स्थानीयकृत योजनाएँ तथा उन्हें कम करने के लिये संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता है।

सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS)

- यह एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है, जो विकास से संबंधित क्षेत्रों आए युवा पेशेवरों का एक सामूहिक प्रयास है।
- इसके उत्पत्ति समान विचारों वाले व्यक्तियों के एक अनौपचारिक समूह के रूप में हुई जो शैक्षणिक हित के लिये रचनात्मक अनुसंधान परियोजनाओं के उद्देश्य से एक साथ आए।
- यह सामुदायिक विकास, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण योजना, परिवहन योजना और शहरी तथा क्षेत्रीय योजनाओं से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों में शामिल है। ये गतिविधियाँ सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों की ओर से की जाती हैं।

एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह (Anthropocene Working Group- AWG) के 34-सदस्यीय पैनल ने नए भौगोलिक युग को 'एंथ्रोपोसीन युग' के रूप नामित करने के पक्ष में मतदान किया। गौरतलब है कि 90% से ज़्यादा सदस्यों ने वर्तमान युग का नाम बदलने के पक्ष में मतदान किया है।

प्रमुख बिंदु

- यह मतदान 11,700 साल पहले शुरू हुए होलोसीन युग (Holocene Epoch) के अंत का संकेत है।
 - नेचर (Nature) पत्रिका के अनुसार, उक्त पैनल ने वर्ष 2021 तक 'इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटीग्राफी' (International Commission on Stratigraphy) के समक्ष नए युग के प्रारंभ के संदर्भ में एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की योजना बनाई है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटीग्राफी भूगर्भिक घटनाओं का अध्ययन करता है।
 - एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह (AWG) के अनुसार, एंथ्रोपोसीन से जुड़ी घटनाओं में शहरीकरण और उन्नत कृषि के उद्देश्य से परिवहन और क्षरण में होने वाली वृद्धि है। इन क्रियाओं से उत्पन्न कार्बन जैसे तत्वों ने वातावरण में होने वाले चक्रीय आदान-प्रदान को गंभीर रूप से प्रभावित किया है जिसके फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री जलस्तर में बढ़ोतरी, समुद्री अम्लीकरण जैसी घटनाएँ बढ़ रही हैं।
- एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह (Anthropocene Working Group- AWG) का मुख्य उद्देश्य ऐसे चिह्नों की पहचान करना है जो यह संकेत करते हैं कि एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत हो चुकी है।
- वैश्विक स्तर पर जैवमंडल में कई प्रकार के खनिजों और चट्टानों के कण जिसमें कंक्रीट, राख, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा शामिल है, के फैलने से प्रदूषण बहुत तीव्र गति से बढ़ गया है जो जैवमंडल के लिये हानिकारक है।
 - एंथ्रोपोसीन कार्यकारी समूह (AWG) में कुछ लोगों का मानना है कि वर्ष 1950 के प्रारंभ में परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर कृत्रिम रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गए। रेडियोधर्मी पदार्थ समुद्र से बर्फीले स्थानों तक तथा भूतल से आकाश तक पाए जाने लगे। कई विशेषज्ञ ऐसी घटनाओं को युग परिवर्तन के द्योतक के रूप में देखते हैं।
 - AWG के औपचारिक प्रस्ताव के पश्चात् 'इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटीग्राफी' के कई अन्य समूहों द्वारा भी इस पर विचार किया जाएगा।
 - इस प्रस्ताव के सुझावों का अंतिम अनुमोदन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज की कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा।

एंथ्रोपोसीन

- हम पृथ्वी पर एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे एंथ्रोपोसीन कहा जा रहा है।
 - एंथ्रोपोसीन (Anthropocene) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 2000 में नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल कर्टज़न (Paul Crutzen) एवं यूजीन स्ट्रोमर (Eugene Stroemer) द्वारा किया गया।
 - यह शब्द वर्तमान समय अंतराल में मानव गतिविधियों द्वारा पृथ्वी पर हुए गंभीर प्रभाव को निरूपित करता है।
- एंथ्रोपोसीन के पक्ष में प्रभाव: 1950 के दशक के बाद से मानव गतिविधियों ने पृथ्वी और वातावरण को स्थायी रूप से बदलना प्रारंभ कर दिया, जिसके पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण दिये जा सकते हैं-
- मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी की अनेक प्रजातियों के विलुप्त होने की दर में काफी तेज़ी आई है।
 - मानवीय गतिविधियों के कारण 1950 के दशक के पश्चात् वायुमंडल में CO₂ की मात्रा, सतही तापमान, समुद्री अम्लीकरण आदि में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है।
 - मानव जनित गतिविधियों जैसे ईंधन के जलाए जाने से उत्पन्न ब्लैक कार्बन आदि के कारण तलछट और हिमनदों में वायुवाहित कणों की एक स्थायी परत बन गई है।
 - उर्वरकों के अति उपयोग ने पिछली शताब्दी में मृदा में नाइट्रोजन और फस्फोरस की मात्रा को दोगुना कर दिया है, जो संभवतः पिछले 2.5 अरब वर्षों में नाइट्रोजन चक्र पर पड़ने वाला सबसे बड़ा प्रभाव है।
 - महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक परिवर्तन, जो आमतौर पर हजारों वर्षों में होते हैं, पिछली आधी शताब्दी में घटित हुए हैं।

एंथ्रोपोसीन को पृथक युग के रूप में घोषित करने के मार्ग में बाधाएँ-

- यह समय का एक बहुत छोटा पैमाना है और किसी भी निर्णय तक पहुँचने के लिये इस तीव्र परिवर्तन के होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।
- एंथ्रोपोसीन विभिन्न कारणों से पूर्ववर्ती भू-वैज्ञानिक इकाइयों से अलग है। अतः परंपरागत मानकों के आधार पर इसे युग घोषित नहीं किया जा सकता।
- यद्यपि यह नाम घोषित करने के लिये तकनीकी प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक है, लेकिन यदि यह स्वीकार किया जाता है तो पृथ्वी के प्रबंधक के रूप में यह मानव पर उसके उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये अवश्य दबाव डालेगा।

इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ जियोलॉजिकल साइंसेज़ (International Union of Geological Sciences)

- इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ जियोलॉजिकल साइंसेज़ (IUGS) दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय गैर-सरकारी वैज्ञानिक संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई।
- IUGS अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद का सदस्य है।
- IUGS भू-वैज्ञानिक समस्याओं (विशेष रूप से ऐसी समस्याएँ जिनका व्यापक महत्व हो) के अध्ययन को बढ़ावा देता है और यह पृथ्वी विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतःविषयक सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।

भारत में उपलब्ध ग्रेफाइट भंडार

- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (Geological Survey of India-GSI) से इस संभावना का पता लगाने को कहा है जिससे भारत-चीन सीमा से लगे स्थानों पर खनिज की उपलब्धता की पुष्टि हो सके, ताकि इन खनिज स्थलों का पूर्ण रूप से सर्वेक्षण कर खनन (Drilling) कार्य शुरू किया जा सके। अरुणाचल प्रदेश सरकार का यह कदम चीन की उस कार्यवाही की प्रतिक्रिया माना जा रहा है जिसके अंतर्गत चीन तिब्बत में वृहद् पैमाने पर खनन गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है।
- GSI के अनुसार, भारत में पाए जाने वाले कुल ग्रेफाइट का लगभग 35% अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे अधिक ग्रेफाइट पाया जाता है।
- GSI की वर्ष 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में 43% ग्रेफाइट, जम्मू-कश्मीर में 37%, झारखंड में 6%, तमिलनाडु में 5% और ओडिशा में 3% ग्रेफाइट संसाधनों की उपलब्धता है।
- संसाधनों के आधार पर राज्यों की भंडार प्रतिशतता की बात की जाए तो तमिलनाडु के पास 37%, झारखंड के पास 30% और ओडिशा के पास 29% संसाधनों की उपलब्धता है।

ग्रेफाइट

- ग्रेफाइट प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्रिस्टलीय कार्बन का एक रूप है।
- यह एक प्राकृतिक खनिज तत्त्व है जो रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है।
- इसकी संरचना स्तरीय प्रकार की होती है जिसमें छह कार्बन परमाणुओं के छल्ले होते हैं। ये छल्ले व्यापक रूप से क्षैतिज स्थिति में व्यवस्थित होते हैं।
- ये रंग में गहरे भूरे और काले तथा अपारदर्शी एवं बहुत मुलायम होते हैं।
- यह एकमात्र अधात्विक तत्त्व है जो विद्युत् का एक अच्छा चालक होता है।
- मुलायम प्रकृति का होने के कारण इसे एक शुष्क स्नेहक के रूप में जाना जाता है।
- इसके कई औद्योगिक उपयोग हैं और विशिष्ट तौर पर ऐसे उत्पादों के लिये इसका उपयोग किया जाता है जिन्हें बहुत अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग

- मुख्य रूप से रेलवे के लिये भारत में उपलब्ध कोयला भण्डार की खोज के उद्देश्य से वर्ष 1851 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India-GSI) विभाग की स्थापना की गई थी।
- इन वर्षों में यह संस्था न केवल देश में विभिन्न क्षेत्रों के लिये आवश्यक भू-विज्ञान सूचनाओं के भंडार के रूप में विकसित हुई, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को स्थापित करते हुए भू-वैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया।
- GSI का मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना और खनिज संसाधन मूल्यांकन और आधुनिकीकरण संबंधी कार्य करना है।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के लगभग सभी राज्यों में राज्य इकाई कार्यालय तथा लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित हैं।
- वर्तमान में GSI खान मंत्रालय की एक सहायक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है।



सामाजिक मुद्दे

गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम' (Pre-Conception and Pre-natal Diagnostic Techniques- PCPNDT) के नियमों और प्रावधानों को कम करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

प्रमुख बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार,

- अधिनियम के किसी भी पक्ष के कमजोर पड़ने से भ्रूण हत्या को रोकने का इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा।
- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत बालिका के जीवन का अधिकार औपचारिकता मात्र रह जाएगा।
- इस अधिनियम के लागू होने के 24 वर्ष पश्चात् भी 4202 मामलों में से केवल 586 मामलों में सजा सुनाई गई है। यह आँकड़ा इस सामाजिक कानून को लागू करने में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

- गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका 'प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के महासंघ' ने दायर की थी।
 - 'प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञों के महासंघ' ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि अधिनियम के तहत कागजी कार्यों में लिपिकीय त्रुटियों/ गलतियों के कारण इस उदार पेशे के सदस्यों के लाइसेंस निलंबित किये जा रहे हैं।
 - उनके अनुसार, यह अधिनियम वास्तविक लिंग निर्धारण के अपराध में तथा रिकॉर्ड के रखरखाव और लिपिकीय त्रुटि के कारण होने वाली गलतियों को वर्गीकृत करने में विफल रहता है।
 - ज्ञातव्य है कि सरकार ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि लिंग निर्धारण के संदर्भ में अभिलेखों का रखरखाव उचित ढंग से न करना केवल एक तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक नहीं है बल्कि यह अभियुक्त की पहचान के लिये सबूत का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है।
- गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम(PCPNDT), 1994
- गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 ऐसा एक अधिनियम है जो कन्या भ्रूण हत्या और भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिये लागू किया गया था।
 - इस अधिनियम ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
 - अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य गर्भाधान के बाद भ्रूण के लिंग निर्धारण करने वाली तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और लिंग आधारित गर्भपात के लिये प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है।
 - यह अधिनियम गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग की जाँच पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।
 - कोई भी प्रयोगशाला या केंद्र या क्लिनिक भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से अल्ट्रासोनोग्राफी सहित कोई परीक्षण नहीं करेगा।
 - गर्भवती महिला या उसके रिश्तेदारों को शब्दों, संकेतों या किसी अन्य विधि से भ्रूण का लिंग नहीं बताया जा सकता।
 - कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण सुविधाओं के लिये नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या किसी भी दस्तावेज के रूप में विज्ञापन देता है, या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट रूप में आंतरिक या अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापन करता है या ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न होता है तो उसे तीन साल तक की कैद और 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

महिला एथलीटों के लिये टेस्टोस्टेरोन के नियम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महिला एथलीट कास्टर सेमेनिया (ओलंपिक 800 मीटर रेस चैंपियन) द्वारा दायर एक अपील को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (Court of Arbitration for Sport- CAS) ने खारिज कर दिया।

- उल्लेखनीय है कि इन्होंने महिला एथलीटों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रतिबंधित करने के लिये शुरू किये गए नियम के खिलाफ यह अपील दायर की थी।

क्या है मामला ?

- कास्टर सेमेनिया ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं, इनके 'लैंगिक विकास में अंतर/विकार' होने के कारण अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (International Association of Athletics Federations- IAAF) ने 'सेमेनिया को 'जैविक पुरुष' के रूप में वर्गीकृत किया था।
- IAAF ने यह भी निर्देश दिया कि यदि वह महिलाओं वाली खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहती हैं तो उन्हें अपना टेस्टोस्टेरोन (एक हॉर्मोन जो सामान्यतः पुरुषों में पाया जाता है) कम करना होगा।
- IAAF के नियम के खिलाफ कास्टर सेमेनिया (Caster Semenya) ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (Court of Arbitration for Sport) में अपील दायर की थी।

खेल मध्यस्थता न्यायालय का निर्णय Court of Arbitration for Sport (CAS) judgement

- न्यायालय ने फैसले में स्पष्ट कहा है कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिये लैंगिक विकास में विविधता वाले (Differences in sexual Development- DSDs) एथलीटों के लिये ऐसे नियमों की आवश्यकता है।
- यह नियम 400 मीटर से लेकर एक मील तक की स्पर्धाओं में लागू होता है।
- लैंगिक विकास में विकार/अंतर (Disorder/Differences in Sexual Development)
- लैंगिक विकास में विविधता वाले लोगों में कुछ विशिष्ट या अलग प्रकार के लैंगिक गुण नहीं होते, बल्कि इनके हार्मोन, जीन तथा प्रजनन अंग पुरुष एवं महिला की विशेषताओं का मिश्रण हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप इनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर उच्च हो सकता है।
- टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो मांसपेशियों, सामर्थ्य तथा हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाता है, जिससे सहनशीलता प्रभावित होती है।
- लैंगिक विकास विकार (Disorder of Sexual Development- DSDs)
- लैंगिक विकास विकार ऐसी दुर्लभ स्थितियाँ हैं जहाँ प्रजनन अंग और जननेंद्रिय अपेक्षा के अनुरूप विकसित नहीं होते हैं।
- इस विकार (DSDs) में पुरुष एवं महिला की मिश्रित लैंगिक विशेषता मौजूद होती है। इस विकार से ग्रसित व्यक्तियों में भी लिंग गुणसूत्र पाए जा सकते हैं, अर्थात् यदि वे महिला है तो XX गुणसूत्र एवं पुरुष होने की स्थिति में XY गुणसूत्र पाए जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के प्रजनन अंग और जननेंद्रियाँ -
 - ◆ या तो विपरीत लिंग के होंगे।
 - ◆ या स्पष्ट नहीं होगा कि पुरुष हैं या महिला।
 - ◆ या पुरुष एवं महिला दोनों का मिश्रण होगा।

IAAF के दिशा-निर्देश

IAAF के नए योग्यता विनियमों के अनुसार, एक एथलीट को किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिये निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है-

- कानून के समकक्ष उसे या तो महिला या इंटरसेक्स (या समकक्ष) के रूप में पहचान प्राप्त हो।
- कम से कम छह महीने तक लगातार उसके रक्त के टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) हॉर्मोन का स्तर 5 nmol/L से कम होना चाहिये।
- उसके बाद जब तक वह स्वयं को योग्य साबित करना चाहती है तब तक उसे अपने रक्त के टेस्टोस्टेरोन का स्तर 5 nmol/L से नीचे रखना होगा।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितने तार्किक हैं ये दिशा-निर्देश ?

- IAAF के दृष्टिकोण से लैंगिक विकास में विकार (DSDs) वाले एथलीटों में प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक पाया जाता है जिसका उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है।
- हालाँकि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अनुसार, नए दिशा-निर्देश लैंगिक लाभ वाले कुछ मामलों के लिये अवैज्ञानिक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। साथ ही मेडिकल प्रोफेशन सिर्फ सीरम टेस्टोस्टेरोन के स्तर के आधार पर जैविक लिंग या शारीरिक कार्य प्रणाली को परिभाषित नहीं करता।

लिंग संबंधी अवास्तविक भ्रांति

- खिलाड़ियों के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो खेल तथा मानव अधिकारों के मध्य द्वंदों को देखता है, के अनुसार, खेल में भाग लेने संबंधी किसी एथलीट के अधिकार लिंग या कोई अन्य पहचान-संबंधी कारक जिसमें सेक्स भी शामिल है तक सीमित नहीं हो सकते।
- नियमों के होने का यह अर्थ नहीं कि वे साक्ष्य आधारित हैं नैतिक हैं या प्रभावी हैं। महिला एथलीटों के 'लैंगिक परीक्षण' की समस्या का एक लंबा इतिहास रहा है जो इन्हें विरासत में मिला है। यह महज संयोग नहीं है कि इन नियमों के कारण अधिकांशतः सिर्फ अश्वेत और दक्षिण क्षेत्रों की महिलाएँ प्रभावित हो रही हैं जो स्त्रीत्व संबंधी पश्चिमी आदर्शों के अनुरूप नहीं हैं।
- इस तरह के कृत्रिम भेदभाव से न केवल एथलीट बल्कि सामान्य नागरिक के मामले में भी समाज में बड़े स्तर पर भेदभाव शुरू हो सकता है।
- क्योंकि ऐसा पाया गया है कि 16% पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम है, जबकि और 14% महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक है।

द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (The Court of Arbitration for Sport)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-न्यायिक निकाय है।
- यह खेल संबंधित विवादों के निपटान हेतु एक मध्यस्थ निकाय है।
- इसका मुख्यालय लुसाने (स्विट्जरलैंड) में है।
- इसके अन्य न्यायालय न्यूयॉर्क शहर और सिडनी में स्थित हैं।

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन्स (International Association of Athletics Federations- IAAF)

- इसकी स्थापना स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 17 जुलाई, 1912 में की गई।
- उस समय इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ (International Amateur Athletic Federation- IAAF) था।
- 10 दशकों के दौरान एथलेटिक्स में कई परिवर्तन किये गए जिसने दुनिया के राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को व्यापक रूप से प्रतिबिंबित किया।
- 2001 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन्स (International Association of Athletics Federations- IAAF) कर दिया गया।
- IAAF की स्थापना एक विश्व शासी प्राधिकरण की आवश्यकता को पूरा करने, प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित करने, मानकीकृत तकनीकी उपकरणों तथा आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड की सूची के लिये की गई थी।

भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली: विज्ञान 2019-2021 दस्तावेज़

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने भारत में 'भुगतान और निपटान प्रणाली: विज्ञान 2019 - 2021' (Payment and Settlement System in India: Vision 2019 - 2021) दस्तावेज़ जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- 'विशेष (ई) भुगतान अनुभव को सशक्त बनाने' (Empowering Exceptional (e)payment Experience) के केंद्रीय विषय वाले इस विज्ञान डॉक्यूमेंट का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय की ई-भुगतान विकल्पों के सुरक्षित, सुविधाजनक, त्वरित एवं सरल समूह तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

- अपने 36 विशिष्ट कार्य बिंदुओं और 12 विशिष्ट परिणामों के साथ इसका लक्ष्य प्रतिस्पर्धा, लागत-प्रभावशीलता, सुविधा और आत्मविश्वास (Competition, Cost effectiveness, Convenience and Confidence- 4C) के माध्यम से एक 'अत्यधिक डिजिटल' और 'कैश-लाइट' (अर्थात् एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें नकद पूंजी का प्रवाह कम-से-कम हो) प्रणाली को प्राप्त करना है।
- विज्ञान दस्तावेज के अनुसार, दो वर्षों में डिजिटल लेन-देन में चार गुना की वृद्धि की परिकल्पना की गई है।
- RBI द्वारा विशिष्ट खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों में वृद्धि की उम्मीद की गई है, यह अनुमान लेन-देन की संख्या और उपलब्धता में वृद्धि के संदर्भ में व्यक्त किया गया है।
- विज्ञान दस्तावेज की अवधि के अंतर्गत UPI और IMPS जैसी भुगतान प्रणालियों द्वारा औसतन 100% NEFT में 40% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है।
- इस अवधि के दौरान प्वाइंट-ऑफ-सेल (PoS) टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड लेन-देन में वृद्धि के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद हेतु भुगतान के डिजिटल तरीकों के उपयोग में 35% की वृद्धि का लक्ष्य तय किया गया है।
- नकदी के चलन में कमी करने हेतु कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं। PoS अवसंरचना की वर्द्धित उपलब्धता से नकदी की मांग में कमी आने की उम्मीद है, इस प्रकार समय के साथ जीडीपी के प्रतिशत के रूप में नकदी के परिचलन (Cash in Circulation- CIC) में कमी के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त दस्तावेज में ग्राहक जागरूकता में वृद्धि करने, 24x7 हेल्पलाइन की व्यवस्था करने, सिस्टम ऑपरेटरों और सेवा प्रदाताओं के लिये स्व-नियामक संगठन स्थापित करने की बात भी कही गई है।
- RBI के अनुसार, भुगतान प्रणाली के परिदृश्य में नवाचार और अन्य पक्षों के प्रवेश से परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहेगी, जिससे ग्राहकों के लिये अधिक-से-अधिक लाभ, श्रेष्ठ लागत और कई भुगतान व्यवस्थाओं तक मुफ्त पहुँच सुनिश्चित किये जाने की भी उम्मीद है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (PSSA), 2007 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली को विनियमित करने के लिये अधिकृत है।

भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी

- भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी केंद्रीय बैंक का कार्य है जिसके द्वारा मौजूदा और नियोजित प्रणालियों की निगरानी के माध्यम से सुरक्षा और दक्षता के उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही इन उद्देश्यों के संबंध में इनका आकलन किया जाता है और जहाँ कहीं आवश्यक होता है वहाँ परिवर्तन किया जाता है। भुगतान और निपटान प्रणाली की देखरेख के माध्यम से केंद्रीय बैंक प्रणालीगत स्थिरता बनाए रखने और प्रणालीगत जोखिम को कम करने, भुगतान एवं निपटान प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 और उसके अंतर्गत बनाई गई भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 भारतीय रिज़र्व बैंक को आवश्यक सांविधिक समर्थन प्रदान करती है ताकि यह देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के निरीक्षण का कार्य कर सके।

भारत में डिजिटल भुगतान का विकास

- भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली पिछले कई वर्षों से मजबूती के साथ विकसित हो रही है, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास से प्रेरित है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली के अनुरूप है।
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, जो खुदरा भुगतान प्रणाली के विकास को गति प्रदान कर रहा है। भुगतान प्रणाली के विकास की प्रक्रिया में प्राप्त महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में शामिल हैं:
- 1980 के दशक के आरंभ में MICR समाशोधन की शुरुआत हुई। यह ऑनलाइन इमेज-आधारित चेक समाशोधन प्रणाली है जहाँ चेक-इमेज एवं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन (MICR) डेटा को एकत्र कर बैंक शाखा में अभिलिखित किया जाता है तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाता है।
- 1990 में इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा तथा इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण।
- 1990 के दशक में बैंकों द्वारा क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड जारी करना।
- वर्ष 2003 में नेशनल फाइनेंशियल स्विच की शुरुआत जिसने पूरे देश में ATMs को आपस में जोड़ने की शुरुआत की।
- वर्ष 2004 में RTGS एवं NEFT सेवा की शुरुआत।

- वर्ष 2008 में चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) की शुरुआत। चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) या इमेज-आधारित क्लियरिंग सिस्टम (ICS) चेकों के तेजी से समाशोधन के लिये प्रणाली है। चेक ट्रंकेशन का अर्थ है अदाकर्ता शाखा को आदेशक बैंक शाखा द्वारा जारी किये गए चेकों के भौतिक प्रवाह को रोकना।
- वर्ष 2009 में 'बिना कार्ड पेश किये' लेनदेन। इसका उपयोग आमतौर पर इंटरनेट पर किये गए भुगतानों के लिये किया जाता है, लेकिन e-मेल या फैंक्स द्वारा या टेलीफोन पर मेल-ऑर्डर लेनदेन में भी किया जा सकता है।
- वर्ष 2013 में नई सुविधाओं के साथ नए RTGS की शुरुआत की गई जिसमें बैंकों को ISO 20022 मानक संदेश प्रारूप अपनाने की आवश्यकता थी। भुगतान प्रणाली के लिये ISO 20022 मानक संदेश प्रारूप शुरू करने का उद्देश्य देश में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के मानकीकरण तथा उनका अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप किया जाना है।
- गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने की शुरुआत की गई, जिसमें मोबाइल और डिजिटल वॉलेट शामिल हैं। BHIM (Bharat Interface for Money) यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर आधारित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक मोबाइल भुगतान एप है।
- ये प्रगतियाँ देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का मूल्यांकन करती हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016 में श्री रतन पी. वाटल, प्रमुख सलाहकार, NITI आयोग की अध्यक्षता में डिजिटल भुगतान पर समिति की स्थापना की गई।

किशोरावस्था में गर्भधारण तथा बच्चों का अवरुद्ध विकास

चर्चा में क्यों ?

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) के अध्ययन के अनुसार, भारत में किशोर माताओं से पैदा होने वाले बच्चे वयस्क माताओं से पैदा होने वाले बच्चों की तुलना में अधिक अवरुद्ध विकास वाले (Stunted) होते हैं।
- दुनिया में सबसे अधिक अवरुद्ध विकास वाले बच्चों की संख्या भारत में है। साथ ही भारत किशोर गर्भावस्था के सबसे बड़े बोझ वाले 10 देशों में से एक है।
- शोधकर्ताओं ने चौथे भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आँकड़ों का विश्लेषण किया है।
- अनुसंधान में संभावित सामाजिक, जैविक और अन्य कारकों की जाँच की गई जो संभवतः प्रारंभिक गर्भावस्था और बच्चे के अवरुद्ध विकास में योगदान देते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष

- अध्ययन में वयस्क माताओं की तुलना में किशोर माताओं में पोषण की खराब स्थिति, कम शिक्षा, प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की कम संभावना तथा गरीबी की स्थिति अधिक देखी गई।
- वयस्क माताओं की तुलना में किशोर माताओं द्वारा जन्म दिये जाने वाले बच्चों में अवरुद्ध विकास तथा सामान्य से कम वजन (Underweight) की व्यापकता 10% अधिक पाई गई।
- पहली बार गर्भधारण करने वाली किशोर माताएँ वयस्क माताओं की तुलना में औसत रूप से छोटी और पतली थीं।
- वे बच्चों के अल्प विकास के साथ एनीमिया की समस्या से भी ग्रसित थीं।
- कम हीमोग्लोबिन का स्तर आयरन की कमी के कारण उत्पन्न होता है।
- गर्भावस्था से पहले और बाद में आयरन की कमी से माँ और शिशु के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम होते हैं, जिनमें जन्म के समय सामान्य से कम वजन, क्षीण संज्ञानात्मक विकास तथा खराब प्रतिरक्षा प्रणाली शामिल है।
- स्वच्छता की कमी तथा जीवन यापन की दयनीय स्थिति बच्चों में संक्रमण की संभावना को बढ़ाती है जो अवरुद्ध विकास का कारण बनता है।
- किशोरावस्था में गर्भधारण के परिणाम कभी-कभी घातक भी होते हैं।
- इससे स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में वृद्धि, युवा महिलाओं की शिक्षा, आय और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका नवजात बच्चे के खराब स्वास्थ्य के साथ महत्वपूर्ण संबंध होता है।

विश्व बैंक का अनुमान

- अनुमान है कि यदि किशोर गर्भावस्था का यही रुझान 2025 तक जारी रहता है तो 127 मिलियन भारतीय बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा।
- मधुमेह जैसे अपक्षयी रोगों का बढ़ता जोखिम तथा बच्चों का अवरुद्ध विकास भविष्य की आजीविका और देश की आर्थिक प्रगति को प्रभावित करता है।
- विश्व बैंक के एक अनुमान के मुताबिक, बच्चों में अवरुद्ध विकास (stunting) से देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3% तक की कमी आ सकती है।

बच्चों का अवरुद्ध विकास (Stunting)

- स्टंटिंग कुपोषण का एक भीषणतम रूप है, जिसकी चपेट में आने वाले बच्चों का उनकी उम्र के हिसाब से न तो वजन बढ़ता है और न ही उनकी लंबाई बढ़ती है।
- लगातार डायरिया जैसे रोगों से संक्रमित रहने के कारण बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे स्टंटिंग के शिकार हो जाते हैं।
- स्टंटिंग या अवरुद्ध विकास का कारण भोजन में लंबे समय तक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी और बार-बार होने वाला संक्रमण है।
- स्टंटिंग की समस्या आमतौर पर दो साल की उम्र से पहले होती है और इसके प्रभाव काफी हद तक अपरिवर्तनीय होते हैं। इसके कारण बच्चों का विकास देर से होता है, बच्चे संज्ञानात्मक कार्य में अक्षम होते हैं और स्कूल में उनका प्रदर्शन खराब होता है।
- विकासशील देशों में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में से लगभग एक-तिहाई बच्चे स्टंटिंग से ग्रस्त हैं। भारत में स्टंटिंग से ग्रसित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान

- अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) विकासशील देशों में गरीबी, भूख और कुपोषण को कम करने के लिये अनुसंधान आधारित नीतिगत समाधान प्रदान करता है।
- 1975 में स्थापित IFPRI में वर्तमान में 50 से अधिक देशों में काम करने वाले 600 से अधिक कर्मचारी हैं।
- यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिये सलाहकार समूह (CGIAR) का एक अनुसंधान केंद्र है, जो दुनिया भर में विकास के लिये कृषि अनुसंधान के कार्य से जुड़ा है।

आगे की राह

- शोधकर्ताओं के अनुसार किशोरावस्था में विवाह पर प्रतिबंध लगाना ही एक ऐसा उपाय है जिससे किशोर गर्भावस्था और बच्चे के अवरुद्ध विकास को रोका जा सकता है।
- किशोरावस्था में शादी को रोकने के लिये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से लागू करना।
- बिना शर्त नकद हस्तांतरण, स्कूल में नामांकन पर सशर्त नकद हस्तांतरण और रोजगार हेतु प्रशिक्षण जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में किशोर लड़कियों की शादी को रोकना संभव है।
- किशोरावस्था में विवाह पर रोक लगाने हेतु एक मजबूत कानून समय की आवश्यकता है।
- भारत में एक लड़की की शादी की उम्र कानूनी तौर पर अभी भी 18 वर्ष है, इस रिपोर्ट के प्रकाश में इसकी समीक्षा की जानी चाहिये।

छोटे शहरों में प्रवासन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसका शीर्षक 'प्रवास एवं शहरों पर उसके प्रभाव' (Migration and its impacts on cities) था।

इसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में तेजी से वृद्धि का कारण यह है कि लोग अब बड़े शहरों के स्थान पर छोटे शहरों में बसने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- आकर्षक वेतन, रोजगार के बढ़ते अवसरों एवं जीविका चलाने हेतु कम खर्च जैसे मुद्दों ने प्रवासियों का ध्यान छोटे शहरों की ओर आकर्षित किया है एवं यह छोटे शहर महानगरों में परिवर्तित हो रहे हैं।
- विश्व आर्थिक मंच की इस रिपोर्ट के अनुसार छोटे शहरों का तेजी से विस्तार हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही बढ़ती बुनियादी ढाँचे की मांग से निपटने के लिये इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्व प्राप्ति के संसाधन घट रहे हैं।
- मनरेगा प्रभाव (MNREGA Effect) - फरवरी 2019 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office -NSSO) ने 2014-15, 2015-16 और 2017-18 के दौरान प्रवास को लेकर सर्वेक्षण नहीं किया था। इसलिये मंत्रालय के पास ताज़ा आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही यह दावा भी किया कि सरकार ने ग्रामीण लोगों के पलायन को रोकने के लिये बहुत सी योजनाएँ चला रखी हैं जिनके अंतर्गत गाँवों में बुनियादी ढाँचे के निर्माण से लेकर ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- सरकार ने कहा कि भारत जैसी बाज़ारवादी अर्थव्यवस्था में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में शामिल लोगों की आवाजाही बहुत अधिक है, इसलिये सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme-MNREGA) जैसे कार्यक्रमों से इस तरह के प्रवास को कम करने में सफल रही है।
- निरंतर प्रवास (Unabated Migration)- हमारे देश में लोग आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उदहारण के लिये अगर हम पुणे एवं मुंबई में तुलना करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज लोगों का ध्यान मुंबई से हटकर पुणे पर जाता है क्योंकि मुंबई में पहले से ही बहुत अधिक जनसंख्या है एवं रहने-खाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है।
- पुणे में मुंबई की तुलना में शिक्षा, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में सुविधाएँ उपलब्ध होने के साथ ही रोजगार के भी बेहतर अवसर हैं। अतः यह दृष्टिकोण उन सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है जो नौकरी एवं शिक्षा की तलाश में प्रवास करते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में पाया गया कि ऐसा केवल पुणे के मामले में ही नहीं है बल्कि यह प्रतिस्पर्द्धा गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य भी देखने को मिलती है जहाँ सूरत व मुंबई के प्रतिस्पर्द्धा शहर के रूप में सामने आया है एवं उसने मुंबई के साथ ही उसके आसपास के जिलों के प्रवासियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही स्थिति जयपुर और चंडीगढ़ (दिल्ली में) में भी देखने को मिल रही है।

शहरों में प्रवासियों की बढ़ती संख्या (Urban Agglomeration)

- सूरत, फरीदाबाद, और लुधियाना में लगभग 55% प्रवासी लोग हैं, जबकि जयपुर उपनगर के रूप में विस्तार के साथ ही शहरी समूह के रूप में बढ़ रहा है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, मेट्रो सिटीज़ (जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है) में प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2001 में मेट्रो सिटीज़ की संख्या 441 थी। जिनकी कुल आबादी में 62.29% शहरी आबादी थी।
- जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, मेट्रो सिटीज़ की संख्या बढ़कर 468 हो गई, इसकी कुल जनसंख्या में शहरी आबादी बढ़कर 70.24% हो गई। ये आँकड़े चकित करने वाले नहीं हैं, ऐसा इसलिये हुआ है क्योंकि जो कार्य-बल कृषि के क्षेत्र में लगा था उसमें गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2001 में कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 58.2% थी जो 2011 आते-आते घटकर 54.6% रह गई।

संसाधनों की कमी (Resource Crunch)

- छोटे शहरों के नगर निकायों को संसाधनों की कमी के कारण आबादी को समायोजित करने के लिये बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
- नगरपालिका क्षेत्र का कुल राजस्व देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.75 प्रतिशत है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का 6 प्रतिशत, ब्राजील का 5 प्रतिशत और पोलैंड का 4.5 प्रतिशत है।

अर्थशास्त्री और नियोजन विशेषज्ञ ईशर जज अहलूवालिया के अनुसार, हमारे देश में अभी भी शहरीकरण की योजना बनाने और योजनाओं के क्रियान्वयन की अपर्याप्त समझ होने के कारण भारत निवासियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने और एक बेहतर निवेश माहौल विकसित करने एवं उद्यमियों और नवोन्मेषकों को आकर्षित नहीं कर सका है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office-NSSO)

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का प्रमुख एक महानिदेशक होता है जो अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण करने के लिये जिम्मेदार होता है।
- प्रारंभिक आँकड़े विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों को लेकर राष्ट्रव्यापी स्तर पर घरों का सर्वेक्षण, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) आदि करके एकत्र किये जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के अलावा, एनएसएसओ ग्रामीण और शहरों से संबंधित डेटा एकत्र करता है।

मनरेगा क्या है ?

- ग्रामीण भारत को 'श्रम की गरिमा' से परिचित कराने वाला 'मनरेगा' रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों के लिये 100 दिनों के गारंटीयुक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किमी. से अधिक दूरी की दशा में) का प्रावधान करता है।
- ध्यातव्य है कि सूखाग्रस्त क्षेत्र और जनजातीय इलाकों में मनरेगा के तहत 150 दिनों के रोजगार का प्रावधान है।
- मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के दायरे से कुछ ऐसे चंद जिले ही बाहर हैं जो पूर्णरूप से शहरों की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत मिलने वाली मजदूरी के निर्धारण का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास है। गौरतलब है कि जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिये अधिसूचित मनरेगा मजदूरी दरों को प्रतिवर्ष संशोधित करती है।
- प्रावधान के मुताबिक, मनरेगा लाभार्थियों में एक-तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है। साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- हाल के मनरेगा आँकड़ों के अनुसार 13 करोड़ परिवारों के लगभग 28 करोड़ कामगारों के पास जॉब कार्ड उपलब्ध हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की रिपोर्ट के मुताबिक, मनरेगा शुरू होने से पहले 42% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। मनरेगा की शुरुआत के बाद इसमें ग्रामीण गरीब जनसंख्या के 30% की भागीदारी रही है। रिपोर्ट की मानें तो गरीब व सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे-मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के बीच गरीबी कम करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
- मनरेगा के चलते ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि हुई है तथा श्रमिकों की मोलभाव करने की क्षमता (Bargaining power) भी बढ़ी है। मनरेगा से जुड़े लोगों द्वारा संगठित क्षेत्र से ऋण लेने की दर में इजाफा हुआ है जिससे साहूकारों पर निर्भरता काफी घटी है।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum)

- विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिये एक मंच के रूप में काम करना है।
- यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
- इस फोरम की स्थापना 1971 में यूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब ने की थी।
- इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर प्रदान की जाती है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं।
- इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।

केरल में बढ़ रहा खसरा का प्रकोप

चर्चा में क्यों ?

पिछले कुछ वर्षों के दौरान दुनिया भर में खसरे का प्रकोप तेजी बढ़ा है। ध्यातव्य है कि भारत भी इसके प्रकोप से अछूता नहीं है। आँकड़ों की माने तो जनवरी 2019 के पश्चात् केरल में खसरा काफी तेजी से फैला है।

प्रमुख बिंदु

- केरल में हर साल खसरे के लगभग 600 से ज़्यादा मामले सामने आते हैं किंतु इस साल के शुरुआती चार महीनों में ही इतने मामले सामने आए हैं।

- ऐ खसरा, बचपन में होने वाली एक बीमारी रही है किंतु बड़े लोगों के बीच इसका बढ़ना नई चुनौतियाँ पैदा कर रहा है। ये चुनौतियाँ विशेष रूप से समाज के सुभेद्य वर्ग जैसे- गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगियों (एचआईवी, कैंसर, अंग प्रत्यारोपण की स्थिति में) के लिये घातक साबित हो सकती हैं।
- खसरे के पहले टीके के लिये की नौ महीने उम्र निर्धारित की गई है क्योंकि तब तक गर्भाशय से शिशु में स्थानांतरित मातृ एंटीबॉडी संरक्षण प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय खसरा उन्मूलन रणनीति के एक हिस्से के रूप में 2010-18 में 15-18 महीनों में एक अनिवार्य दूसरी खुराक शुरू की गई थी, ताकि बेहतर प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- स्वरूप बदलती यह महामारी न केवल अज्ञात चुनौतियाँ सामने ला रही है, बल्कि वयस्क टीकाकरण नीति की प्रासंगिक मांग पर भी ध्यान आकर्षित कर रही है।
- गौरतलब है कि खसरा नियंत्रण हेतु मिशन इन्द्रधनुष के तहत टीकाकरण के उपाय किये गए हैं।

खसरा क्या है ?

- खसरा (Measles) श्वसन प्रणाली में वायरस, विशेष रूप से मोर्बिलीवायरस (Morbillivirus) के जीन्स पैरामिक्सोवायरस (Paramicovirus) के संक्रमण से होता है।
- मोर्बिलीवायरस भी अन्य पैरामिक्सोवायरस की तरह ही एकल असहाय, नकारात्मक भावना वाले RNA वायरस द्वारा घिरे होते हैं।
- इसके लक्षणों में बुखार, खाँसी, नाक का बहना, लाल आँखें और एक सामान्यीकृत मेकुलोपापुलर एरीथेमाटस चकते भी शामिल हैं।
- शुरुआती दौर में मस्तिष्क की कोशिकाओं (Brain Cell) में सूजन आ जाता है और बाद में समस्या के गंभीर होने पर कई सालों बाद व्यक्ति का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है।

मिशन इन्द्रधनुष

मिशन इन्द्रधनुष (Mission Indradhanush) अभियान का आरंभ 25 दिसम्बर, 2014 को किया गया था।

- इस अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित बीमारियों हेतु टीकाकरण उपलब्ध कराया गया है-
- डिप्थीरिया (Diphtheria)
- पेट्यूसिस (Pertussis)
- टेटनस (Tetanus)
- पोलियो (Polio)
- खसरा (Measles)
- बचपन के तपेदिक का गंभीर रूप (Severe form of childhood Tuberculosis)
- हेपेटाइटिस बी (Hepatitis B)
- मेनिनजाइटिस (Meningitis) और निमोनिया (Pneumonia) [हेमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी संक्रमण (Hemophilus influenzae type B infections)]
- जापानी एन्सेफेलाइटिस (Japanese Encephalitis) स्थानिक जिलों में
- रोटवायरस टीका (Rotavirus Vaccine)
- IPV जैसे नए टीके
- वयस्क जेई टीका (Adult JE Vaccine)
- न्यूमोकोकल संयुग्म टीका (Pneumococcal Conjugate Vaccine – PCV)
- खसरा-रूबेला टीका (Measles-Rubella Vaccine)

महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा

चर्चा में क्यों

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक दिन विश्व की 3 में से 1 महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती है। महिलाओं पर इस प्रकार की हिंसा उनके अंतरंग मित्र, जीवन साथी या अज्ञात व्यक्ति द्वारा की जाती रही है। महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा मानव अधिकार के उल्लंघन की श्रेणी में आती है।

महत्वपूर्ण आँकड़ें

- वैश्विक स्तर पर तकरीबन 38% महिलाओं की हत्या उनके अंतरंग साथी (Intimate Partner) द्वारा की जाती हैं। भारत जैसे देश में स्थिति इससे भी बदतर है क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में अंतरंग साथी द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के आँकड़े 37.7% के साथ विश्व में सबसे अधिक हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, हिंसा की स्थिति उच्च आय वाले देशों में 23.2%, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्वी भूमध्य क्षेत्र के सदस्य देशों में 24.6% जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के सदस्य देशों में ये आँकड़े 37% तक हैं।
- महिलाओं के साथ हिंसा, विशेष रूप से अंतरंग साथी द्वारा की जाने वाली हिंसा / यौन हिंसा धीरे-धीरे एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है का रूप ले रही है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की रोकथाम के लिये एक रूपरेखा तैयार की है जिसे सम्मान (Respect) कहा जाता है।
- यौन हिंसा विशेषकर बाल्यावस्था में हुई यौन हिंसा महिलाओं को धूम्रपान, मदिरा एवं ड्रग्स सेवन और ऐसे यौन व्यवहार की ओर ले जा सकता है जो उनके लिये जोखिम पूर्ण हो सकता है।
- 42% महिलाएँ अपने अंतरंग साथी के हिंसक व्यवहार के कारण किसी न किसी प्रकार की चोट का शिकार होती हैं।
- जो महिलायें शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार हुई हैं उनमें यौन संक्रमण का खतरा उन महिलाओं से कहीं अधिक (1.5 times more) होता है जो आमतौर पर हिंसा का शिकार नहीं हुई होती हैं। किसी-किसी क्षेत्र में तो HIV जैसे संक्रमण फैलने का भी खतरा रहता है।
- महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक रोगों जैसे- अवसाद (Depression), दुश्चिंता (Anxiety), पोस्ट ट्रॉमैटिक डिस्टॉर्डर (Post Traumatic Disorder), अनिद्रा (Sleep Disorder), एवं आत्महत्या (Suicide Attempt) इत्यादि जैसी बहुत - सी प्रवृत्तियों को आमंत्रित कर सकती है। इसके अलावा गंभीर रोग जैसे- सरदर्द (Headaches), पीठ दर्द (Back Pain), पेट दर्द (Abdominal Pain) इत्यादि के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित कर सकती हैं।

महिलाओं पर हिंसा का प्रभाव

- कुछ स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों के अनुसार, हिंसा एक महिला के शारीरिक, मानसिक, यौन और प्रजनन क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, और कुछ मामलों में एचआईवी से ग्रसित होने के जोखिम को भी बढ़ा सकती हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लैंगिक हिंसा का कारण पुरुषों में उचित शिक्षा का अभाव, कुपोषण से पीड़ित होना, बाल्यावस्था में माता को घरेलू हिंसा का शिकार होते देखना, शराब/मदिरा का सेवन, लिंग-विभेद जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को एवं महिलाओं पर पुरुषों के अजेय अधिकार होने को सामाजिक मान्यता आदि को माना गया है।
- वैसी महिलाओं पर हिंसा की संभावना और अधिक बढ़ जाती है जो अशिक्षित हैं, जिन्होंने अपनी माँ अथवा अन्य महिलाओं के साथ हिंसा होते देखी है, बाल्यावस्था में किसी प्रकार के शोषण का शिकार रही हैं, साथ ही हिंसा को सहन करती हैं करने की प्रवृत्ति, और पितृसत्ता का अनुपालन करने वाले पुरुषों के अधीनस्थ होने की मान्यता को स्वीकार करती हैं।
- महिलाओं के साथ की जाने वाली हिंसा कई प्रकार की दीर्घ एवं अल्पकालीन समस्याओं को जन्म दे सकती हैं जो उनके लिये गंभीर पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक संकट को उत्पन्न कर सकती हैं।
- यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिये कानूनी सुविधा, सशक्तिकरण हेतु परामर्श, साथ ही घर -घर तक पहुँच बनाने (ताकि विश्व की प्रत्येक महिला को इसके विषय में जागरूक किया जा सके आदि) की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

निष्कर्ष

बदलते समय में महिलाओं ने स्वयं को अपनी पारंपरिक घरेलू भूमिका से बाहर शैक्षणिक, सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, प्रबंधकीय आदि भूमिकाओं में स्थापित किया है। जो न केवल पितृसत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देती है बल्कि समानता, सम्मान, उत्तरदायित्व, एवं साझेदारी जैसे पक्षों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के बढ़ते आँकड़े जहाँ एक और समाज की संकीर्ण, अशिक्षित, असभ्य एवं अमानवीय सोच को प्रकट करते हैं वहीं अपने अधिकारों एवं शक्तियों से अनिभिन्न महिलाओं की स्थिति और इस संदर्भ में किये जाने वाले प्रयासों को भी दर्शाते हैं। महिलाओं के लिए नीति बनाने के क्रम में उक्त सभी पक्षों पर विचार किये जाने की आवश्यकता है ताकि भावी पीढ़ी के लिये एक सुरक्षित, सभ्य एवं हिंसामुक्त समाज सुनिश्चित किया जा सके।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act, 2005) की पुनः व्याख्या की जिसके तहत घरेलू कलह के किसी भी मामले में समानता एवं जीवन के अधिकार की रक्षा की बात कही गई।

प्रमुख बिंदु

- न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ (D.Y. Chandrachud) एवं हेमंत गुप्ता (Hemant Gupta) की पीठ ने पानीपत सत्र न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि करते हुए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की पुनः व्याख्या की है।
- इस वाद के अनुसार दो भाई अपने पैतृक घर में संयुक्त परिवार के रूप में अलग-अलग मंजिलों पर रहते थे। लेकिन बड़े भाई की मृत्यु के बाद मृतक का छोटा भाई अपनी भाभी को घर में नहीं रहने दे रहा था। सत्र न्यायाधीश ने मृतक के भाई को मृतक की विधवा पत्नी और पुत्र के लिये सहायता राशि प्रदान करने का आदेश दिया।

नया प्रावधान क्या है ?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family-HUF) के संदर्भ में 'संबंध' को निम्नलिखित आधार पर परिभाषित किया है-
 1. जब दो व्यक्ति विवाह करके साथ रहे चुके हों या फिर साथ रह रहे हों;
 2. जब दो व्यक्तियों के संबंध की प्रकृति विवाह की तरह हो और वे एक ही घर में रह रहे हों;
 3. कोई दत्तक सदस्य या अन्य सदस्य जो संयुक्त परिवार की भाँति रह रहा हो; उक्त लोगों के बीच जो आपसी सहयोग और तालमेल स्थापित होता है उसे ही संबंध कहते हैं।
- न्यायालय ने साझा घर को भी परिभाषित करते हुए कहा कि जहाँ संयुक्त परिवार निवास करता है, प्रतिवादी (विधवा स्त्री) भी उस परिवार का सदस्य है, भले ही उसके पास घर में कोई अधिकार, उपनाम हो या न हो, वह साझा/संयुक्त परिवार का हिस्सा है।

घरेलू हिंसा क्या है ?

- घरेलू हिंसा अर्थात् कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका) के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चे को दुःख एवं अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

- इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम, 2005 है।
- यह जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है।
- इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिये यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन होता है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं।

- चूँकि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को रिश्तेदारों के दुर्व्यवहार से संरक्षित करना है, इसलिये यह समझना भी जरूरी है कि घरेलू रिश्तेदारी या संबंध क्या है ? 'घरेलू रिश्तेदारी' का आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के उन संबंधों से है, जिसमें वे या तो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या पहले कभी रह चुके होते हैं।

पृष्ठभूमि

घरेलू हिंसा अधिनियम से पहले विवाहित महिला के पास परिवार द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के तहत शिकायत करने का प्रावधान था। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में वर्ष 1983 में हुए संशोधन के बाद धारा 498-क को जोड़ा गया। यह एक गैर-जमानती धारा है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी तो हो सकती है पर पीड़ित महिला को भरण-पोषण अथवा निवास जैसी सुविधा दिये जाने का प्रावधान शामिल नहीं है। जबकि घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी नहीं होती है लेकिन इसके अंतर्गत पीड़ित महिला को भरण-पोषण, निवास एवं बच्चों के लिये अस्थायी संरक्षण की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

भारत में स्वास्थ्य समस्याएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा (National Sample Survey Organisation) जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पर औसतन 20.6 स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता है जबकि WHO द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति 10,000 जनसंख्या पर औसतन 22.8 स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता होनी चाहिये। ये आँकड़े इस बात का प्रमाण है कि भारत अपने लक्ष्य प्राप्त हेतु सही दिशा में कार्यरत है परंतु इस संबंध में भारत की ग्रामीण एवं शहरी आबादी के मध्य असमानता के कुछ तत्त्व भी दृष्टिगोचर होते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वर्ष 2012 में जहाँ प्रति 10,000 की जनसंख्या पर औसतन मात्र 19 स्वास्थ्यकर्मी थे, वहीं वर्तमान में औसत संख्या बढ़कर 22.2 हो गई है।
- देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्यकर्मियों का वितरण असमान है। यह असमानता कई स्तरों में विद्यमान हैं।
- भारत की 71% ग्रामीण आबादी के पास मात्र 36% स्वास्थ्यकर्मी हैं। इस प्रकार की असमानता केवल हमारे देश में ही नहीं है बल्कि विश्व के कई देशों की स्थिति इसी प्रकार दयनीय है।
- यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो केरल, पंजाब और हरियाणा के बाद दिल्ली में सर्वाधिक स्वास्थ्यकर्मी हैं।
- निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में भी स्वास्थ्यकर्मियों का वितरण असमान नजर आता है। 80% डॉक्टर, 70% नर्सों एवं दाईयों को निजी क्षेत्र में नियोजित किया गया है।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन के असमान वितरण को पाटने के लिये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। हालाँकि इस प्रयास द्वारा स्वास्थ्यकर्मियों की संपूर्ण संख्या पर तत्काल रूप से प्रभाव नहीं पड़ेगा परंतु भविष्यगामी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए जल्द-से-जल्द आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।
- इस संबंध में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का लक्ष्य निरंतर गुणवत्ता में वृद्धि का होना चाहिये ताकि इन स्वास्थ्यकर्मियों की पेशावर क्षमता परिष्कृत हो सके।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अधीन कार्य करने वाली एक संस्था है।
- यह संगठन भारत में सबसे बड़े सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के लिये उत्तरदायी हैं।

ट्रांसजेंडर होना मानसिक विकार नहीं

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation-WHO) ने स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों में एक महत्वपूर्ण संशोधन हेतु एक प्रस्ताव पेश किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडर होने को मानसिक विकार नहीं माना जाएगा।

ट्रांसजेंडर कौन होता है ?

ट्रांसजेंडर वह व्यक्ति होता है, जो अपने जन्म से निर्धारित लिंग के विपरीत लिंगी की तरह जीवन बिताता है। जब किसी व्यक्ति के जननांगों और मस्तिष्क का विकास उसके जन्म से निर्धारित लिंग के अनुरूप नहीं होता है, महिला यह महसूस करने लगती है कि वह पुरुष है और पुरुष यह महसूस करने लगता है कि वह महिला है।

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्रदत्त लैंगिकता से अलग अन्य लैंगिकता का एहसास होना कोई मानसिक बीमारी नहीं है।
- आईसीडी (इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज) के तहत व्यक्ति की स्थिति को चिह्नित/कोडित किये जाने के बाद स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत लिंग संबंधी विसंगतियों को यौन स्वास्थ्य स्थितियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- वैश्विक स्तर पर मानसिक विशेषज्ञों की कमी होने के कारण अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर 10 लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं तो उनमें से 9 लोगों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
- आईसीडी-11 के मानसिक विकार खंड में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बजाय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों की कोडिंग के लिये कोड को जितना संभव हो सके उतना सरल बनाया जाना चाहिये।
- इस संबंध में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले तीन वर्षों में डब्ल्यूएचओ के 194 सदस्य राज्यों द्वारा ICD-11 को लागू किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ द्वारा अपने डायग्नोस्टिक मैनुअल से 'लिंग पहचान विकार' को हटाने का दुनिया भर के ट्रांसजेंडर समुदाय पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।
- भारत में मनोचिकित्सकों ने व्यक्तिगत स्तर पर ट्रांसजेंडर होने को मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में मानना बंद कर दिया है। इस कदम के साथ भारत सरकार को भी चिकित्सा प्रणालियों और कानूनों में बदलाव करने की जरूरत है ताकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की जा सके।
- भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ट्रांसजेंडरों से संबंधित कानून समग्र स्तर पर लागू हो। यह ट्रांसजेंडर समुदाय के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन अभी भी इस दिशा में एक लंबा रास्ता तय करना होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

- संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (Public Health) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में अवस्थित है।
- डब्ल्यू.एच.ओ. संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (United Nations Development Group) का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।
- यह दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी मामलों में नेतृत्व प्रदान करने, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देने, नियम और मानक तय करने, प्रमाण आधारित नीतिगत विकल्प पेश करने, देशों को तकनीकी समर्थन प्रदान करने एवं स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी तथा आकलन करने के लिये जिम्मेदार है।
- यह आमतौर पर सदस्य देशों के साथ उनके स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिये जुड़कर काम करता है।

इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिजीजेज (International Classification Diseases -ICD)

- ICD विश्व स्तर पर स्वास्थ्य रुझानों और आँकड़ों की पहचान करने; बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों की रिपोर्टिंग के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करता है।
- आसान डेटा संग्रहण, पुनर्प्राप्ति और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिये स्वास्थ्य जानकारियों का विश्लेषण करता है।
- अस्पतालों और स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं तथा देशों के बीच स्वास्थ्य जानकारियों को साझा करने और उनकी तुलना करने जैसे कार्यों का क्रियान्वयन करता है।

सामाजिक तौर पर बहिष्कृत

- भारत में ट्रांसजेंडरों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण उन्हें न तो पुरुषों की श्रेणी में रखा जा सकता है और न ही महिलाओं में, जो लैंगिक आधार पर विभाजन की पुरातन व्यवस्था का अंग है।
- इसका नतीजा यह होता है कि वे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, बेरोजगार रहते हैं। सामान्य लोगों के लिये उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का लाभ तक नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा वे अनेक सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं।

जल संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

वर्तमान में जल संकट को देखते हुए भारत को अपने राष्ट्रीय जल आपातकाल से संबंधित विकास मॉडल को पुनः परिभाषित करने की तत्कालिक आवश्यकता है।

- विशेषज्ञों के अनुसार, राष्ट्रीय जल आपातकाल के खतरों का मुकाबला करने के लिये जल संरक्षण की पारंपरिक विधि एकमात्र स्थायी तरीका है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में जल संसाधन समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं, साथ ही यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है जिसके संरक्षण की पारंपरिक विधि से लोग भलीभाँति परिचित हैं।
- जल को पूजनीय मानकर विभिन्न अनुष्ठानों, सांस्कृतिक प्रथाओं आदि में इसका उपयोग किया जाना एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जो जल के उपयोग संबंधी ज्ञान के आधार पर हमारी पारंपरिक विरासत के मूल्य की पुष्टि करता है।

जल एवं महिलाएँ

- महिलाओं का जल पारिस्थितिकी से विशेष संबंध है।
- आइकॉनिक बुक "आज भी खरे हैं तालाब" जिसमें वर्तमान समय में तालाबों की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया गया है, के कवर पेज पर बने टैटू जिसे दिवंगत वाटरमैन अनुपम मिश्रा द्वारा तैयार किया गया था, को 'सीता बावड़ी' कहा जाता है।
- टैटू के केंद्र में इनलेट स्रोत है जिसमें से चारों ओर लहरें फैलती हुई प्रदर्शित हो रही हैं। केंद्र में नाभिक, जो कि ऊर्जा का स्रोत है तथा चार कोनों में पत्थर के फूल उकेरे गए हैं, जो जीवन की आवश्यक सुगंध का प्रतीक हैं।
- महिलाओं द्वारा बड़ी संख्या में निर्मित जल निकायों में कुएँ, टैंक और यहाँ तक कि तालाब भी शामिल हैं, जैसे- पाटन, गुजरात में क्वींस स्टेप-वेल (रानी की वाव) और जोधपुर में रानी और पदम सागर।
- कर्नाटक में यागति और नागामंडला नामक टैंक के निर्माण का भी उल्लेख प्राप्त हुआ है।
- शिमला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के अंतर्गत महिलाओं और पानी की सामुदायिक संस्कृति का वर्णन किया गया है जिसमें उत्तराखंड में गंगा यात्रा के साथ महिलाएँ 'गंगा गीत' के गायन के साथ विशिष्ट नृत्य करती हैं।

जल का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व

- पानी की शुचिता और स्वच्छता कई क्षेत्रों में विस्तारित है।
- उत्तराखंड में ऐसा माना जाता है कि सभी सिंचाई चैनलों में पानी की आत्मा (मसान) मौजूद है जो फसलों की सुरक्षा के लिये आवश्यक है।

- राजस्थान में मानसून के पहले एक पर्व मनाया जाता है जिसे 'लसिपा' कहते हैं। इस पर्व के दौरान गाँव के समस्त लोग एकत्र होकर सभी जल निकायों की सफाई करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अंततः यह अनुष्ठान एक सामुदायिक दावत के साथ समाप्त होता है।
- इसी तरह गणगौर और अक्खा तीज के त्योहारों के दौरान महिलाएं झीलों और टैंकों को एक साथ मिलकर साफ करती हैं।

भवाई नृत्य

- राजस्थान का भवाई नृत्य जो मुख्यतः शीतला माता को प्रसन्न करने के लिये किया जाता है, में एक नर्तकी सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती है, यह पारंपरिक रूप से एक कहानी से संबंधित है।

जल का सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्त्व

- अरुणाचल प्रदेश में जीरो घाटी की प्राचीन 'अपातानी जनजाति' इसका एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। वे धान के साथ मछली की सह-खेती करते हैं जो सदियों से एशिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं।
- 'अपातानी जनजाति' की कृषि प्रणाली जानवरों और आधुनिक मशीनों के बिना ही संपन्न होती है।
- जीरो वैली एक पठार है, जहाँ घरों के उपयोग तथा कृषि सिंचाई के लिये पानी का मुख्य स्रोत एक छोटी नदी और कुछ जल-कुएँ हैं। सिंचाई हेतु नहरों और चैनलों के एक नेटवर्क के माध्यम से पूरी घाटी में धान के खेतों की सिंचाई की जाती है।
- मतौर पर महिलाएँ इन खेतों का प्रबंधन करती हैं। धान के खेतों में इस्तेमाल होने वाला यह पानी बहकर घाटी में और खेतों में जाता है। बाद में पुनः वापस उस छोटी धारा में विलीन हो जाता है जो नदी में वापस मिलती है। इस तरह से यह घाटी में पानी का बारहमासी स्रोत है। घाटी में धान के क्षेत्र में आधुनिक संरचनाओं का निर्माण नहीं करने के लिये सख्त नियमों का पालन किया जाता है क्योंकि यह पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करेगा।
- इसी प्रकार विभिन्न जातियों जन-जातियों द्वारा पानी के उपयोग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने एवं संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

सामुदायिक स्वामित्व

- उपरोक्त सांस्कृतिक परंपराएँ जल संबंधी ज्ञान/विधि की महत्वपूर्ण और प्रमुख विशेषताओं के साथ-साथ सामुदायिक स्वामित्व, भागीदारी और ज़िम्मेदारी को दर्शाती हैं।
- विभिन्न अध्ययनों ने जल के प्रति जागरूकता को महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शित किया है जिसके तहत पारंपरिक अभ्यास को विकास मॉडल की कुंजी के रूप में दर्शाया गया है।
- भारत में वर्षा की विविधता के कारण कहीं पर वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेमी. होती है तो कहीं पर यह केवल 75 से 100 मिमी. होती है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम होती है वहाँ समाज के सभी सदस्य पानी की हर बूँद को महत्व देते हैं।

मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लिनिक स्थापित करेगा एम्स

चर्चा में क्यों ?

मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बेहतर निदान और उपचार के लिये एम्स पहला मल्टीपल स्क्लेरोसिस (Multiple Sclerosis) क्लिनिक खोलने की योजना बना रहा है।

प्रमुख बिंदु

- हालाँकि यह बीमारी पश्चिम के देशों में अधिक प्रचलित रही है, लेकिन हाल के दिनों में भारत में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं।
- 20-40 वर्ष आयु वर्ग के वयस्क, विशेष रूप से महिलाएँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस की चपेट में आती हैं।
- भारत में जागरूकता बढ़ाने, बड़े पैमाने पर इस महामारी के संबंध में अध्ययन करने, समर्पित मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लीनिक खोलने, इष्टतम पुनर्वास आदि जैसी अन्य सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है।

मल्टीपल स्क्लेरोसिस (Multiple sclerosis)

- मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा रोग है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ही माइलिन (वसायुक्त पदार्थ जो तंत्रिका तंतुओं के चारों ओर स्थित होता है तथा आवरण के रूप में काम करता है), तंत्रिका तंतुओं तथा शरीर में माइलिन का निर्माण करने वाली विशेष कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती है।
 - यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, विशेष रूप से मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और दृष्टि से संबंधित नसों को प्रभावित करती है।
लक्षण: चूँकि इसके लक्षण सामान्य होते हैं, इसलिये लोग अक्सर इस बीमारी को जल्दी पहचान नहीं पाते हैं। इस बीमारी के निदान में कई साल लग जाते हैं।
 - मांसपेशियों की कमजोरी और अकड़न।
 - मूत्राशय की समस्याएँ: मरीज को मूत्राशय में समस्या महसूस होती है, बार-बार या अचानक पेशाब करने की आवश्यकता होती है।
 - मूत्राशय पर नियंत्रण का खत्म हो जाना इस बीमारी का प्रारंभिक संकेत है।
 - आंत्र संबंधी समस्याएँ
 - थकान, चक्कर आना
 - रीढ़ की हड्डी में क्षतिग्रस्त तंत्रिका तंतु
 - धुंधली या दोहरी दृष्टि की समस्या
 - भावनात्मक परिवर्तन और अवसाद, संज्ञानात्मक (निर्णय लेने में समस्या) नुकसान
कारण: बीमारी का सटीक कारण अज्ञात है। निम्नलिखित कारक यह बीमारी पैदा कर सकते हैं:
 - आनुवंशिक कारक
 - धूम्रपान और तनाव
 - विटामिन D और B12 की कमी
- निदान: रक्त परीक्षण और एमआरआई के साथ इसका निदान किया जा सकता है।
उपचार: एमएस को किसी भी सर्जिकल उपचार की आवश्यकता नहीं होती है और इसे दवाओं के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।

कला एवं संस्कृति

सनौली में मिला उत्तर-हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा कब्रिस्तान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में पुरातात्विक उत्खनन के दौरान 4,000 साल पुराने चावल, दाल, पवित्र कोठरियाँ और ताबूत पाए गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में स्थित सनौली में 4,000 साल पुराने शवाधान स्थल का उत्खनन किया है।
- इस शवाधान स्थल में मृत शरीर के साथ पैर वाले ताबूत, चावल एवं दाल से भरे बर्तन और जानवरों की हड्डियाँ भी पाई गई हैं।
- यहाँ तीन रथ, कुछ ताबूत, ढाल, तलवार और साथ ही हेलमेट भी मिला है जो 2,000 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में योद्धा वर्ग के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं।
- यह शवाधान स्थल परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण के समकालीन है। उस कालखंड के दौरान ऊपरी गंगा-यमुना दोआब की संस्कृति के पैटर्न को समझने के लिये इस उत्खनन से ज्ञात निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं।
- उपरोक्त वस्तुओं के अलावा उत्खननकर्ताओं को शवों के साथ बर्तन, मवेशियों की हड्डियाँ, चावल और उड़द की दाल भी पाई गई है।
- मौजूद कब्रों में से एक कब्र में अर्द्ध-शिला, मिट्टी के बर्तन और सिर के पास एक तलवार भी रखी गई थी।

सनौली

- सनौली, उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में यमुना नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है।
- यह दिल्ली से 68 किमी. दूर उत्तर-पूर्व में स्थित है।
- ज्ञातव्य है कि बागपत ज़िले में पुरातात्विक स्थल का उत्खनन पहली बार 2018 में शुरू हुआ था और इस साल जनवरी में फिर से उत्खनन शुरू किया गया है।
- यहाँ उत्तर-हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा कब्रिस्तान पाया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है।
- इसके अतिरिक्त प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार, यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

एसआई की ताजमहल के संरक्षण की योजना

चर्चा में क्यों ?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India-ASI) ने ताजमहल के संरक्षण के लिये 'साइट प्रबंधन योजना' के हिस्से के रूप में किये जाने वाले उपायों की सूची प्रस्तुत की है। सुप्रीम कोर्ट इन उपायों पर विचार करेगा।

पृष्ठभूमि

- एएसआई की यह योजना अपर्याप्त रख-रखाव के कारण स्मारक को नुकसान पहुँचाने से संबंधित दायर याचिका के बाद आई है।
- उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत, जो कि ताजमहल के रख-रखाव की निगरानी कर रही है, ने एएसआई को ताजमहल की संरचना की सुरक्षा के लिये उचित कदम उठाने में कथित विफलता के लिये फटकार लगाई थी।
- यह भी देखा गया कि स्मारक में प्रयुक्त सफेद संगमरमर वायु प्रदूषण के कारण पीला पड़ गया था।

शू कवर (Shoe Cover)

- ताजमहल को देखने जाने वाले पर्यटकों को इस प्रतिष्ठित सातवीं शताब्दी के स्मारक को धूल से बचाने हेतु मुख्य समाधि में प्रवेश के समय 'जूता कवर' का उपयोग करना पड़ सकता है। यह प्रदूषण और उपेक्षा के कारण संरचनात्मक क्षरण का सामना कर रहा है।
- एएसआई द्वारा मुख्य मकबरे में धूल और गंदगी को रोकने और साफ़-सफाई बनाए रखने हेतु समाधि स्थल में प्रवेश करते समय जूता कवर का उपयोग अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है।

सीएनजी (CNG)

- योजना के अंतर्गत आगरा में सीएनजी ईंधन के लिये एक व्यापक बदलाव, वाहन प्रदूषण मानदंडों के सख्त प्रवर्तन और अन्य उपायों के साथ मेट्रो के निर्माण से उत्पन्न धूल तथा प्रदूषण को रोकने के लिये कदम उठाए जाने की सिफारिश की गई है।
- योजना के अंतर्गत जैव ईंधन/नगरपालिका के कचरे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। बैटरी और सीएनजी संचालित वाहनों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव

- शहर में सार्वजनिक परिवहन के तहत चलने वाले सभी वाहनों को सीएनजी-आधारित या बैटरी चालित होना चाहिये।
- एएसआई ने शहर के खुले क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिये राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) के सख्त कार्यान्वयन उपायों का भी प्रस्ताव रखा है।
- योजना के अंतर्गत मकबरे और आसपास की दीवारों का वैज्ञानिक उपचार और साफ-सफाई का सुझाव दिया गया है।
- एएसआई द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि परिसर के भीतर सभी भवनों और उद्यानों के नियमित रूप से रख-रखाव की आवश्यकता है ताकि उनका बेहतर संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
- इसमें कहा गया है कि वैकल्पिक कतार प्रणाली और डिफरेंशियल टिकटिंग प्रणाली (Differential Ticketing System) का उपयोग किया जाना चाहिये तथा भीड़ को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाना चाहिये।
- यह भी सिफारिश की गई है कि विद्युत शवदाह गृह के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये और ट्रेनों में उपयोग किये जाने वाले डीजल इंजनों को हटाया जाना चाहिये।
- धूल को फैलने से रोकने के लिये स्मारक के 5 किलोमीटर के दायरे में सड़कों की यांत्रिक और पानी के माध्यम से सफाई की सिफारिश भी की गई है।
- एएसआई ने यह भी सुझाव दिया है कि जल प्रदूषण से निपटने के लिये जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण

- संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्त्वीय स्थलों और अवशेषों का रख-रखाव करना है।
- इसके अतिरिक्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्त्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।
- यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।

सीएनजी क्या होती है ?

- प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बनी गैस को तरल संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) कहते हैं।
- प्राकृतिक गैस को दबाकर कम करने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह आयतन कम घेरे और इंजन के दहन प्रकोष्ठ में उपयुक्त दाब के साथ प्रवेश करे।
- प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव हैं- मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। यह रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है।
- यह पर्यावरण के लिहाज से बेहतर मानी जाती है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जैविक गैसों कम उत्सर्जित करती है। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तुलना में सीएनजी का खर्च कम होता है।

ताजमहल के बारे में

- आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिह्न माना जाता है। यह विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था।
- वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
- यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया।
- इतिहास के अनुसार सिकंदर लोदी ने इस शहर को वर्ष 1504 में बसाया था।

गोलकुंडा एवं कुतुब शाही किला

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority-NMA) ने हैदराबाद (तेलंगाना) में 500 साल पुराने गोलकुंडा किले (Golconda Fort) और कुतुब शाही मकबरे (Qutb Shahi Tombs) परिसर के विनियमित क्षेत्र में 54 पंक्तिबद्ध घरों के विकास के लिये कदम उठाया है।

प्रमुख बिंदु

- तेलंगाना के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिल्डर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के खिलाफ प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष (Ancient Monuments And Archaeological Sites and Remains-AMASR) अधिनियम का हवाला देते हुए कई गंभीर मुद्दों को उठाया।
- चिंता का विषय यह है कि यदि इन प्राचीन विरासतों का जीर्णोद्धार कराया जाता है तो यह प्राकृतिक सौन्दर्य को अवरूद्ध करेगा जो दो स्थानों के बीच सदियों से मौजूद है।
- निर्माण स्थान पाटनचेरु दरवाजा (Patancheru Darwaza) के पास स्थित दीवार से 101 मीटर की दूरी पर है। प्राचीन काल में यह द्वार पुराने गोलकुंडा स्थल में जाने का प्रमुख मार्ग था।
- किसी भी प्रकार का जीर्णोद्धार कार्य गोलकुंडा के प्राचीन इतिहास को प्रभावित करेगा और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पुराने गोलकुंडा किले और मकबरे के जीर्णोद्धार के कारण गोलकुंडा किला क्षेत्र से अधिक तक विस्तारित हो सकता है।
- यह किले की दीवार और मकबरे के बाहरी बाड़े के बीच पाँच छोटे-छोटे जल निकायों पर भी प्रभाव डालेगा।
- यह जीर्णोद्धार स्मारक स्थलों के लिये विश्व धरोहर का दर्जा (World Heritage Status) हासिल करने के प्रयासों को भी प्रभावित करेगा (2014 में नामांकित)।
- सरकारी एजेंसियों और नागरिकों को दोनों स्थलों के विरासत चरित्र को बनाए रखने के लिये मिलकर काम करने की ज़रूरत है।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष (Ancient Monuments And Archaeological sites and Remains-AMASR) (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010

- 2010 में पारित इस अधिनियम के अंतर्गत प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, और समय-समय पर उनकी मरम्मत करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन इमारतों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के आस-पास के क्षेत्र को (या अधिक के रूप में कुछ मामलों में निर्दिष्ट किया जा सकता है) राष्ट्रीय महत्त्व का क्षेत्र घोषित किया जाता है।
- इस प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं है (राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में घोषित नजदीकी संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र की निकटतम संरक्षित सीमा से सभी दिशाओं में 100 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र), लेकिन मरम्मत या नवीकरण कार्य कराया जा सकता है।
- नियंत्रित क्षेत्र में (किसी भी संरक्षित स्मारक और राष्ट्रीय महत्त्व के घोषित संरक्षित क्षेत्र से सभी दिशाओं में 200 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र) मरम्मत / नवीनीकरण / निर्माण / पुनर्निर्माण किया जा सकता है।
- प्रतिबंधित और नियंत्रित क्षेत्रों में निर्माण संबंधी कार्यों के लिये सभी आवेदन सक्षम प्राधिकारी (Competent Authorities-CA) और फिर उन पर विचार करने हेतु NMA के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (National Monuments Authority-NMA)

- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल तथा अवशेष (Ancient Monuments And Archaeological Sites and Remains-AMASR) (संशोधन और मान्यता) अधिनियम के
- वधानों के अनुसार स्थापित किया गया है जिसे मार्च, 2010 में अधिनियमित किया गया था।
- NMA को स्मारकों और स्थलों के संरक्षण से संबंधित कई कार्य सौंपे गए हैं जो केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों के प्रबंधन के माध्यम से किये जाते हैं।
- NMA, प्रतिबंधित और विनियमित क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधि के लिये आवेदकों को अनुमति प्रदान करने पर भी विचार करता है।

गोलकुंडा का किला (Golkunda Fort)

- यह हैदराबाद के पश्चिमी भाग में स्थित है।
- इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। यह मूल रूप से मंकल (Mankal) के नाम से जाना जाता था।
- यह मूल रूप में वारंगल के राजाओं (Rajah of Warangal) के शासनकाल में एक मिट्टी का किला था।
- यह 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच बहमनी सुल्तानों (Bahmani Sultans) द्वारा और फिर कुतुब शाही वंश (Qutub Shahi dynasty) द्वारा इसे संरक्षित कर लिया गया था यह गोलकुंडा, कुतुब शाही राजाओं की प्रमुख राजधानी थी।
- किले के आंतरिक भाग में महल, मस्जिद और एक पहाड़ी मंडप के खंडहर हैं, जिनकी ऊँचाई लगभग 130 मीटर है और ये अन्य इमारतों को देखने के लिये विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं।

कुतुब शाही मकबरा (Qutub Shahi Tombs)

- गोलकुंडा किले से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुतुब शाही मकबरा फारसी, हिंदू और पठानी वास्तुकला की शैलियों में निर्मित हैं।
- 18वीं सदी में कई राजाओं ने राज्य किया जिनके द्वारा इन मकबरों के निर्माण की योजना तैयार कर इनका निर्माण कराया गया था।
- इब्राहिम बाग (Ibrahim Bagh) के सुंदर उद्यानों के बीच इन मकबरों की स्थापना की गई है जिससे इनकी भव्यता और अधिक बढ़ जाती है। ये मकबरे सात कुतुब शाही राजाओं को समर्पित हैं जिन्होंने लगभग 170 वर्षों तक गोलकुंडा पर शासन किया था।
- सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक मकबरा हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह (Mohammed Quli Qutub Shah) का है। जिसकी ऊँचाई 42 मीटर है।

ओरछा की स्थापत्य विरासत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूनेस्को (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) ने ओरछा शहर की स्थापत्य विरासत को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है।

- उल्लेखनीय है कि किसी ऐतिहासिक विरासत या स्थल को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में स्थान मिलने से पहले अस्थायी सूची में शामिल होना आवश्यक है। अस्थायी सूची में शामिल होने के बाद ही नियमानुसार विभिन्न प्रक्रियाएँ पूरी कर एक मुख्य प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा जाता है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के निवारी जिले में स्थित ओरछा शहर की स्थापत्य शैली बुंदेल राजवंश (Bundela Dynasty) द्वारा अपनाई गई वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली है।
- मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले से लगभग 80 किमी. और उत्तरप्रदेश के झांसी जिले से लगभग 15 किमी. की दूरी पर बेतवा नदी के किनारे बसे इस शहर का निर्माण 16 वीं शताब्दी में बुंदेल वंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था।
- यदि यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अंतिम सूची में शामिल हो जाता है, तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का 38वाँ स्थल होगा।
- यूनेस्को की सूची में शामिल 37 भारतीय विरासत स्थलों में मध्य प्रदेश के तीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल- भीमबेटका के शैलाश्रय (Rock Shelters of Bhimbhetka), सांची का बौद्ध स्मारक (Buddhist Monuments at Sanchi) और खजुराहो के स्मारकों का समूह (Khajuraho Group of Monuments) शामिल हैं।

ओरछा स्थापत्य (Orchha Architecture)

- बुंदेल शासकों के शासनकाल के दौरान ओरछा में बुंदेली स्थापत्य कला का विकास हुआ। ओरछा वास्तुकला में बुंदेलखंडी और मुगल प्रभावों का मिश्रण है। इन संरचनाओं की सराहना न केवल सुंदरता के लिये बल्कि कुशल वास्तुविद्या के लिये भी की जाती है।
- सभी शानदार परिवेशों में ओरछा का किला परिसर (Orchha's Fort complex) सबसे आकर्षक है। यह अपने चतुर्भुज मंदिर (Chaturbhuj Temple) के लिये जाना जाता है।
- ओरछा का भव्य परिसर (Orchha Complex) तीन वर्गों- जहाँगीर महल (Jahangir Mahal), राज महल (Raj Mahal) और शीश महल (Sheesh Mahal) में विभाजित है। राज महल कभी बुंदेल राजाओं और उनकी रानियों का प्रमुख निवास स्थान हुआ करता था।
- इनके अलावा ओरछा में दो ऊँची मीनारें (वायु यंत्र) भी लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं जिन्हें 'सावन और भादों' कहा जाता है।
- गुप्त गलियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ और भगवान विष्णु के अवतारों को दर्शाते अति सुंदर भित्ति चित्र जिनकी पूजा बुंदेलखंड के सबसे धार्मिक राजा मधुकर शाह द्वारा की जाती थी, एक शक्तिशाली युग के बारे में बताते हैं।

यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची UNESCO's World Heritage Site List

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) मानवता के लिये महत्वपूर्ण मानी जाने वाली दुनिया भर की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की पहचान, सुरक्षा एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये जाना जाता है।
- यह वर्ष 1972 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में सन्निहित है जिसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित संधि/अभिसमय (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) के नाम से जाना जाता है।
- विश्व विरासत स्थल ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा इनके विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के लिये सूचीबद्ध किया जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय 'विश्व धरोहर कार्यक्रम' (World Heritage Programme) के तहत किया जाता है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति (UNESCO World Heritage Committee) द्वारा प्रशासित किया गया है।

समर राग

चर्चा में क्यों ?

दुनिया भर में अभी भी वसंत के मौसम को विभिन्न प्रकार के रागों के लिये याद किया जाता है लेकिन गर्मी के मौसम के रागों को लोग भूल गए हैं। राग को संगीत के टीका संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक विशेष क्रम और पैमाने में विशिष्ट मधुर लय के रूप में व्यवस्थित होते हैं।

- उत्तर भारत में रागों को मिजाज, मौसम और समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है; जबकि दक्षिण भारत में रागों को उनके पैमानों के तकनीकी लक्षणों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।
- ऐसे प्रमुख राग जो भारत में गर्मियों के मौसम से जुड़े हैं निम्नलिखित हैं-
- राग मारवा: इसे दोपहर के समय से सूर्यास्त तक गाया जाता है।
- राग सारंग: यह अपने सभी रूपों में गर्मी से जुड़ा एक राग है, जिसे तब गाया जाता है जब दिन के समय गर्मी अपने चरम पर होती है। यह राग विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु के लिये ही है।
- ध्रुपद शैली 'हवेली संगीत'

ध्रुपद

- जहाँ ध्रुपद की उत्पत्ति तेरहवीं- चौदहवीं शताब्दी की मानी जाती है, वहीं सोलहवीं-सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में इसका प्रचार अपने चरमोत्कर्ष पर था।
- ध्रुपद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है- ध्रुव और पद। ध्रुव अर्थात् अचल, अटल, स्थायी, निश्चित तथा पद का अर्थ है साहित्योक्तियाँ। इस प्रकार ध्रुपद एक प्रकार की गीतिका है, जिसमें स्वर, शब्द (पद) को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः ध्रुपद एक शब्द-प्रधान गीत है। इसे अचल पदों वाली गायकी भी कहते हैं।
- ध्रुपद को हिंदूस्तानी राग-दरबारी संगीत के उच्चतम श्रेणी के गीत का प्रकार माना जाता है। ध्रुपद गायन राग की शुद्धता, स्वर तथा शब्द के शुद्ध उच्चारण, गमक, ताल और लयबद्धता इत्यादि तत्त्वों पर आधारित है। कदाचित इस शैली के आधारभूत तत्त्वों की संरचना स्वर, शब्द, ताल और भाव के समुचित प्रयोग द्वारा ही संभव है।
- ध्रुपद की गायन शैली गंधीर होती है ध्रुपद गाने में फेफड़ों पर बहुत जोर पड़ता है, इसके लिये शक्ति की आवश्यकता होती है। इसीलिये इसे 'मर्दाना गायन' कहते हैं।

हवेली संगीत

- हवेली संगीत राजस्थान में नाथद्वारा के वैष्णवों द्वारा मंदिरों में गाया जाने वाला संगीत है।
- नाथद्वारा वैष्णव भक्ति पंथ का मुख्य स्थान है जहाँ मंदिर-आधारित संगीत की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा स्थापित है।
- यहाँ एक महल को 'हवेली' के रूप में संदर्भित किया गया है जहाँ देवता निवास करते हैं।
- ध्रुपद की तुलना में हवेली संगीत को राजस्थान और गुजरात में जाना जाता है, जो कि अपनी श्रेष्ठता का दावा करता है क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसके प्रदर्शन के दौरान स्वयं भगवान कृष्ण दर्शक के रूप में उपस्थित होते थे।
- इस संगीत अभ्यास में गीत का सार कृष्ण भक्ति के इर्द-गिर्द घूमता है और इसे कीर्तन, भजन तथा भाव नृत्य के रूप में जाना जाता है।
- यह शास्त्रीय और लोक संगीत के एकीकरण के लिये जाना जाता है, गायन की प्रमुख शैली अभी भी ध्रुपद और धमार (एक ताल) है।
- वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर, नंदगाँव में कृष्ण, बरसाना में श्री राधा रानी और नाथद्वारा में श्री नाथजी सभी को हवेली संगीत के साथ प्रतिबिंबित किया जाता है।
- गुजरात में एक विचारधारा का मानना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति इस शैली के अग्रणी वल्लभाचार्य के हवेली संगीत से हुई।

वल्लभाचार्य

- यह उत्तरी और पश्चिमी भारत के व्यापारी वर्ग के बीच हिंदू धर्म की एक शाखा है।

- इसके सदस्य 16वीं सदी के शिक्षक वल्लभ और उनके बेटे विट्ठल (जिसे गोसाईजी के नाम से भी जाना जाता है) द्वारा स्थापित शाखा एवं पुष्टिमार्ग समूह के अनुयायी हैं।
- वल्लभाचार्य संप्रदाय अपने गुरुओं (आध्यात्मिक नेताओं) द्वारा दी गई भक्ति की शिक्षा के लिये प्रसिद्ध है, जिन्हें भगवान का सांसारिक अवतार माना जाता है।
- संप्रदाय का मुख्य मंदिर नाथद्वारा, राजस्थान में है, जहाँ श्रीनाथजी नाम से भगवान कृष्ण की एक विशिष्ट छवि है।

पिंगुली चित्रकथा

कला का यह रूप 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित पिंगुली गाँव में प्रसिद्ध हुआ।

यह आदिवासी कला है, जिसका अभ्यास महाराष्ट्र के ठाकर जनजाति द्वारा किया जाता है।

- ठाकर समुदाय एक अनुसूचित जनजाति है जिसकी आबादी 2000 है।
- माना जाता है कि इसकी पुनः छत्तीस उप-जातियाँ हैं।
- उप-जाति को जमात के रूप में भी जाना जाता है।
- इस चित्रकथा के चार रूप हैं:
 - ◆ चमड़े की छाया कठपुतलियाँ
 - ◆ लकड़ी की कठपुतलियाँ (कालसूत्री)
 - ◆ चित्रकथाएँ (चित्रकथा)
 - ◆ बुलॉक आर्ट शो

पट्टचित्र चित्रकारी

साइक्लोन फणि ने ओडिशा में कई क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाया है। जिनमें से पट्ट चित्रकारी के लिये प्रसिद्ध स्थान भी शामिल है।

- ज्ञातव्य है कि पट्टचित्र शैली ओडिशा के सबसे पुराने और लोकप्रिय कला रूपों में से एक है।
- पट्टचित्र का नाम संस्कृत शब्दों पट्ट (कैनवास) और चित्र से लिया गया है।
- पट्टचित्र कैनवास पर की जाने वाली एक ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों तथा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला में ज्यादातर चित्र पौराणिक विषयों पर आधारित होते हैं।
- इस कला के माध्यम से प्रस्तुत कुछ लोकप्रिय विषय हैं- थिया बधिया - जगन्नाथ मंदिर का चित्रण; कृष्ण लीला - भगवान कृष्ण के रूप में जगन्नाथ का एक बच्चे के रूप में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन; दासबतारा पट्टी - भगवान विष्णु के दस अवतार; पंचमुखी - भगवान गणेश का पाँच मुख वाले देवता के रूप में चित्रण।
- पट्टचित्र को कपड़े पर चित्रित करते समय कैनवास को पारंपरिक तरीके से तैयार किया है। इसके बेस को नरम, सफेद, चाक पाउडर और इमली के बीज से बने गोंद के साथ लेपन करके तैयार किया जाता है।
- सबसे पहले पेंटिंग के बॉर्डर को पूरा करने की परंपरा है। फिर चित्रकार हल्के लाल और पीले रंग का उपयोग करके ब्रश के साथ स्केच बनाना शुरू करता है।
- इसमें आमतौर पर सफेद, लाल, पीले और काले रंग इस्तेमाल किये जाते हैं।
- पेंटिंग पूरी होने के पश्चात् इसे चारकोल की जलती आग के ऊपर रखा जाता है और सतह पर लाह/लाख (lacquer) लगाया जाता है।
- इससे पेंटिंग जल प्रतिरोधी, टिकाऊ और चमकदार बन जाती है।

ASI द्वारा भारतीय कलाकृतियों की पहचान ASI identifies Indian artefacts

हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) की टीम द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान हड़प्पा संस्कृति की टेराकोटा वस्तुओं से लेकर गुप्त काल (5वीं -6वीं शताब्दी ईस्वी) तक की मूर्तियों की एक श्रृंखला की पहचान की गई है।

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण टीम ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी सुरक्षा विभाग के आब्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा जब्त कलाकृतियों का निरीक्षण किया।
- एएसआई की टीम ने लगभग 100 वस्तुओं की पहचान की है जिनमें विभाग द्वारा जब्त 17 वस्तुएँ भी शामिल हैं।
- इन प्राचीनकालीन वस्तुओं में तमिलनाडु के सुट्टामल्ली (Suttamalli) और श्रीपुरंतन मंदिरों (Sripurantan temples) के सुंदर कांस्य कलाकृतियाँ तथा महाकोका देवता (Mahakoka Devata) की एक अति महत्त्वपूर्ण प्रतिकृति भी है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI)

- ASI पुरातात्त्विक अनुसंधान, वैज्ञानिक विश्लेषण, पुरातात्त्विक स्थलों की खुदाई, स्मारकों के संरक्षण और राष्ट्रीय महत्त्व के क्षेत्रों के संरक्षण, स्थल संग्रहालयों के रखरखाव तथा प्राचीन वस्तुओं से संबंधित विधायिकाओं के समग्र विनियमन के लिये एक प्रमुख संगठन है।
- इसकी स्थापना 1861 में हुई।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह संस्कृति विभाग के अधीन एक संलग्न कार्यालय है।
- एक महानिदेशक, दो संयुक्त महानिदेशक तथा 17 निदेशक कर्तव्यों के निर्वहन में महानिदेशक की सहायता करते हैं।

ख्याल

ख्याल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक रूप है। 'ख्याल' शब्द फारसी से लिया गया है जिसका अर्थ 'विचार या कल्पना' है।

- कहा जाता है कि 13वीं-14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने इसे प्रोत्साहन दिया था।
- 15वीं शताब्दी के सुल्तान मोहम्मद शर्की को इस प्रारूप को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है। हालाँकि 18वीं शताब्दी के नियामत खान सदारंग और अदारंग ने इसे परिपक्व बनाया।
- ख्याल के दो रूप विद्यमान हैं-
- धीमी या विलंबित ख्याल
- तेज या द्रुत ख्याल
- विलंबित ख्याल में गाए जाने वाले ख्याल बड़े ख्याल कहलाते हैं जिन्हें विलंबित एक ताल, तीनताल, झूमरा, आड़ा चौताल इत्यादि में गाया जाता है। छोटा ख्याल मध्य लय या द्रुत लय में शुरू किया जाता है जिसे प्रायः त्रिताल और एक ताल में गाया जाता है।
- दोनों प्रकार के ख्यालों के दो खंड होते हैं- अस्थायी और अंतरा। अस्थायी और अंतरा मिलकर एक गीत, एक रचना या बंदिश बनाते हैं।
- आमतौर पर, इन ख्याल बंदिशों का विषय स्वभाव से रोमानी होता है।
- ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने (स्कूल) 'ग्वालियर घराना', 'आगरा घराना', 'जयपुर अतरोली घराना', 'रामपुर सहसवान घराना' हैं।

टुमरी

- 'टुमरी' शब्द का प्रयोग उत्तर भारतीय संगीत की एक विशेष प्रकार की गेयविधा हेतु किया जाता है। 17वीं शताब्दी में फकीरुल्लाह कृत 'रागदर्पण' ग्रंथ में भी बरवा धुन या राग को टुमरी कहा गया है।
- मिर्जा खान (17वीं शताब्दी) कृत 'तोहफ़तुलहिन्द' और जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह (18वीं शताब्दी) कृत 'श्री राधा गोविंद संगीतसार' ग्रंथ में भी टुमरी का उल्लेख एक राग के रूप में किया गया है।
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार, 'टुमरी' शब्द, हिंदी के अंतर्गत मूलतः ब्रजभाषा का संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है।
- सामान्त्या लोगों की धारणा है कि 19वीं शताब्दी में अवध के शासक वाजिद अली शाह के समय लखनऊ दरबार से टुमरी गान शुरू हुआ।
- टुमरी एक रागों का एक मिश्रित रूप है जो आमतौर पर अर्द्ध-शास्त्रीय भारतीय संगीत माना जाता है।
- इस शैली की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हुई थी। इसमें भगवान श्रीकृष्ण और राधा के जीवन के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। यह एक मुक्त गायन शैली है, जिसमें कम-से-कम शब्दों के द्वारा अधिकाधिक अर्थों को संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।

- यह अपनी संरचना और प्रस्तुति में अधिक गीतात्मक है। ये प्रेमगीत होते हैं, इसलिये शब्द रचना अति महत्वपूर्ण होती है।
- टुमरी का गायन एक विशिष्ट मनोदशा में होता है। इसी आधार पर इसे खमाज़, काफी, भैरवी आदि रागों में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें संगीतात्मक व्याकरण का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है।
- टुमरी गायन की दो शैलियाँ हैं- पूरब या बनारस शैली, यह धीमी और सौम्य शैली है और पंजाबी शैली, यह अधिक जीवंत है।

कालबेलिया नृत्य

- कालबेलिया नृत्य (Kalbelia Dance) राजस्थान के प्रसिद्ध लोकनृत्यों में से एक है। यह कालबेलिया समुदाय (एक सपेरा जाति) का पारंपरिक नृत्य है।
- राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्यकी गुलाबो ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। इस नृत्य में पुरुष 'इकतारा' या 'तंदूरा' बजाकर महिला नर्तकी का साथ देते हैं।
- कालबेलिया नृत्यांगना घेरदार और काले रंग का घाघरा पहनती हैं, जिस पर कसीदाकारी के साथ ही काँच लगे होते हैं और इसी तरह की ओढ़नी और काँचली-कुर्ती भी होती है।
- इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएँ पलकों से अँगूठी उठाने, मुँह से पैसे उठाने, उल्टी चकरी खाने आदि जैसी कई प्रकार की कलाबाज़ियाँ दिखाती हैं।
- यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया है।

आंतरिक सुरक्षा

क्राइस्टचर्च कॉल' से जुड़ा भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत 'क्राइस्टचर्च कॉल' (Christchurch Call) पहल से जुड़ गया है। गौरतलब है कि 'क्राइस्टचर्च कॉल' का उद्देश्य इंटरनेट से आतंकवाद और चरमपंथ से संबंधित हिंसात्मक सामग्रियों को हटाना है।

प्रमुख बिंदु

- न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, जैकिंडा अर्डर्न (New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern) और फ्रांसीसी राष्ट्रपति, इमैनुएल मैक्रोन (French President Emmanuel Macron) ने तकनीकी क्षेत्र के प्रमुखों और दुनिया भर की सरकारों का 'क्राइस्टचर्च कॉल' अपनाते हेतु आह्वान किया था।
- 'क्राइस्टचर्च कॉल' को अपनाते हुए दुनिया भर की कई सरकारों और साथ ही बड़ी तकनीकी कंपनियों ने मिलकर आतंकवाद और चरमपंथ से संबंधित हिंसात्मक सामग्रियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की प्रतिबद्धता जताई।
- इस सम्मलेन में ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, सेनेगल, इंडोनेशिया, जोर्डन एवं यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ ही बड़ी तकनीकी कंपनियाँ जैसे- ट्विटर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि शामिल हुए।
- भारत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने इस सम्मलेन में भाग लिया।

पृष्ठभूमि

- 15 मार्च, 2019 को दुनिया ने आतंकवाद का एक भयावह रूप देखा जिसमें न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में दो मस्जिदों पर हुए एक आतंकवादी हमले को 17 मिनट तक फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव दिखाया गया था। गौरतलब है कि इस हमले में 51 लोग मारे गए और 50 घायल हुए हो गए थे।
- 'क्राइस्टचर्च कॉल' पहल 15 मार्च को मस्जिदों पर हुए इन भयावह हमलों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई जिसका उद्देश्य चरमपंथियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकना है।
- ऐसी हिंसक सामग्रियों से प्रेरित होकर श्रीलंका के चर्च में ईस्टर रविवार (Easter Sunday) की प्रार्थना के दौरान आतंकी हमले किये गए।

'क्राइस्टचर्च कॉल' दस्तावेज़ में शामिल प्रतिबद्धताएँ

- सरकारों से अपेक्षित प्रतिबद्धताएँ
- शिक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण माध्यमों की सहायता से आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के कारकों से निपटना।
- उपयुक्त कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना।
- नैतिक मानकों को लागू करने हेतु मीडिया आउटलेट को प्रोत्साहित करना।
- उचित कार्रवाई पर विचार करना इत्यादि।
- ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं से अपेक्षित प्रतिबद्धताएँ
- सामुदायिक मानकों या सेवा की शर्तों (Community Standards or Terms of Service) को लागू करने हेतु अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
- 'रियल टाइम समीक्षा हेतु हिंसक सामग्री की पहचान' करना।

- लाइवस्ट्रीमिंग के माध्यम से आतंकवाद और चरमपंथ से संबंधित हिंसात्मक सामग्री को प्रसारित करने से उत्पन्न विशिष्ट जोखिम को कम करने के लिये तत्काल प्रभावी उपायों को लागू करना।
- नियमित और पारदर्शी सार्वजनिक रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू करना।
- एल्गोरिदम और अन्य प्रक्रियाओं के संचालन की समीक्षा करना जो उपयोगकर्ताओं का ध्यान आतंकवाद और चरमपंथ से संबंधित हिंसात्मक सामग्री की ओर ले जाते हैं।
- क्रॉस-इंडस्ट्री प्रयासों को समन्वित और मजबूत बनाने हेतु एक साथ काम करना।

निष्कर्ष

- 'क्राइस्टचर्च कॉल' इस धारणा पर आधारित है कि एक मुक्त, पारदर्शी और सुरक्षित इंटरनेट समाज को असाधारण लाभ प्रदान करता है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है किंतु किसी को भी आतंकवाद और चरमपंथ से संबंधित हिंसात्मक सामग्री बनाने और उसे ऑनलाइन साझा करने का अधिकार नहीं है।
- वास्तव में, क्राइस्टचर्च कॉल फॉर एक्शन एक दुर्लभ उदाहरण है जिस पर सरकारों और निजी क्षेत्र ने एकसमान प्रतिज्ञा ली है।

जम्मू-कश्मीर राजमार्ग पर यातायात प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हालिया पुलवामा हमले के पश्चात् जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिये उधमपुर से बारामूला तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर सप्ताह में दो दिन नागरिक यातायात को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया था।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि इस आदेश पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार से जवाब मांगा था।
- जम्मू-कश्मीर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह प्रतिबंध केवल 31 मई तक है जिसके पश्चात् चुनौती देने वाली इस याचिका का निपटारा हो गया।

पृष्ठभूमि

- जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने 3 अप्रैल को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के 270 किलोमीटर लंबे उधमपुर-बारामूला मार्ग पर सप्ताह में दो दिन सुबह 4 से शाम 5 बजे तक नागरिक यातायात पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, रविवार और बुधवार को इस राजमार्ग का इस्तेमाल विशेष रूप से सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिये किया जाएगा।
- गौरतलब है कि यह आदेश पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर हुए आत्मघाती बमबारी का हवाला देते हुए दिया गया था जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवानों की मृत्यु हो गई थी।
- हालाँकि कुछ आलोचनाओं के बाद जम्मू-कश्मीर सरकार ने मरीजों, छात्रों, सरकारी कर्मचारियों और आपात स्थिति में प्रतिबंध के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति देने की बात कही थी।

यह राजमार्ग इतना महत्वपूर्ण क्यों है ?

- जम्मू-श्रीनगर-उड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-1A) लगभग 370 किलोमीटर लंबा है। यह कश्मीर को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क होने के साथ ही प्रमुख राजमार्ग भी है जो श्रीनगर को घाटी के दक्षिणी और उत्तरी जिलों से जोड़ता है।
- यह राजमार्ग घाटी के 10 में से पाँच जिलों से गुजरता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यह राजमार्ग 69 लाख से अधिक की आबादी को प्रभावित करता है।

प्रतिबंध का प्रभाव

- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, लगभग 5,000 हल्के मोटर वाहनों सहित हर घंटे दोनों तरफ से 10,000 से अधिक वाहन राजमार्ग पर चलते हैं। इनमें छात्रों, मरीजों, सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों को ले जाने वाले वाहन शामिल हैं।

- घाटी के पाँच जिलों के लगभग सभी कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक संस्थान और स्कूलों तक पहुँच इस राजमार्ग के माध्यम से ही सुलभ है।
- इसके अलावा उधमपुर से बारामूला तक राजमार्ग के दोनों ओर सैकड़ों गाँव और कस्बे बसे हुए हैं। सरकार द्वारा आरोपित प्रतिबंध प्रभावी रूप से उन्हें हर सप्ताह दो दिनों के लिये अन्य स्थानों से काट देगा।

गढ़चिरौली हमले से पहले जनता दरबार

चर्चा में क्यों ?

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुए हालिया नक्सली हमले की जाँच कर रहे अधिकारियों के अनुसार, हमला करने से पहले गढ़चिरौली के ही दादापुर में नक्सलियों ने जनता दरबार लगाया था जिसमें लगभग 200 माओवादियों ने भाग लिया था।

पृष्ठभूमि

- जनता दरबार के बाद नवनिर्मित राजमार्ग पर लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (Improvised Explosive Devices-IED) द्वारा वाहन को उड़ा दिया गया जिससे 16 लोगों की मृत्यु हो गई।
- गौरतलब है कि क्विक रिस्पॉन्स टीम (Quick Response Team- QRT) के 15 कर्मियों की एक टीम दादापुर में एक पुलिस दल की सहायता के लिये जा रही थी। IED द्वारा किये गए हमले की इस घटना में सभी 15 जवान और वाहन का सिविलियन ड्राइवर भी मारा गया।
- जाँच कर रहे अधिकारियों के अनुसार, जनता दरबार में शामिल ज्यादातर माओवादी 20 से 25 आयु वर्ग के थे और उनमें से अधिकांश महिलाएँ थीं।

चिंतनीय बिंदु

- यह कोई संयोग नहीं है कि नक्सलियों ने इस हिंसात्मक गतिविधि का उपयोग महाराष्ट्र स्थापना दिवस के अवसर पर किया।
- यदि पूरी घटना का बारीकी से निरीक्षण करें तो यह पता चलता है कि नक्सली सुरक्षा सुनिश्चित करने वालों से कई कदम आगे हैं जो कि चिंता का विषय है।
- हालाँकि 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में गढ़चिरौली और उसके पड़ोस के ही चंद्रपुर जिले में मतदान प्रतिशत क्रमशः 70.04% से 71.98% तथा 63.29% से 64.65% तक बढ़ गया है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि उस क्षेत्र की जनता का संसदीय लोकतंत्र में धीमे ही सही किंतु भरोसा बढ़ रहा है।
- नक्सल बहुल जिलों में मतदान केंद्र तक पहुँचने में मतदाताओं को अभी भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल भी उनमें आत्मविश्वास की भावना नहीं जगा पाए हैं।
- इस हमले में हताहत पुलिसकर्मियों में से अधिकांश स्थानीय थे।
- बाहरी वातावरण की मौजूदा शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों में भी भारत आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को हलके में नहीं ले सकता।

नक्सलवाद की उत्पत्ति

- भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुई। इसके नेतृत्वकर्ता चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल को माना जाता है।
- 2004 में सीपीआई (माओवादी) का गठन सीपीआई (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वॉर ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) तथा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय के साथ हुआ था।
- नक्सलवाद का सीधा संबंध वामपंथ से है। नक्सलवाद के समर्थक चीनी साम्यवादी नेता माओ-त्से-तुंग के विचारों को आदर्श मानते हैं।
- यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था इसीलिये इसे माओवाद भी कहा जाता है। आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों तथा किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं।
- धीरे-धीरे मध्यवर्ती भारत के कई हिस्सों में नक्सली गुटों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। इनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।
- सीपीआई (माओवादी) पार्टी तथा इससे जुड़े सभी संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

सामाजिक-आर्थिक कारणों से उपजा था नक्सलवाद

- केंद्र और राज्य सरकारों माओवादी हिंसा को अधिकांशतः कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं, लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं।
- नक्सलियों का यह कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है और वे ज़मीन का अधिकार तथा संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
- यहाँ न सड़कें हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न रोज़गार के अवसर।
- नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सली, सरकार के विकास कार्यों को चलने ही नहीं देते और सरकारी तंत्र उनसे आतंकित रहता है।
- वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने, उनके अधिकार न मिलने पर हथियार उठा लेते हैं। इस प्रकार वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें चलाते हैं।
- प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मज़बूत बनाया।
- जानकार मानते हैं कि नक्सलवादियों की सफलता की वजह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है, जिसमें अब धीरे-धीरे कमी आ रही है।

नक्सलवाद का पूरी तरह खत्म नहीं होने का कारण

देश में फैली सामाजिक और आर्थिक विषमता का नतीजा है यह आंदोलन। बात चाहे छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा की करें या ओडिशा के मलकानगिरि की, भुखमरी और कुपोषण एक सामान्य बात है। गरीबी और बेरोज़गारी के कारण निचले स्तर की जीवन शैली और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझते इन क्षेत्रों में असामयिक मौत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन, वहीं देश का एक तबका अच्छी सुख-सुविधाओं से लैस है। अमूमन यह कहा जाता है कि भारत ब्रिटिश राज से अरबपति राज तक का सफर तय कर रहा है। वहीं विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी भाग सिर्फ एक फीसदी लोगों के हाथों में पहुँचता है और यह असमानता लगातार तेज़ी से बढ़ रही है।

- अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह Oxfam के मुताबिक, भारत के एक फीसदी लोगों ने देश के 73 फीसदी धन पर कब्ज़ा किया हुआ है। यकीनन इस तरह की असमानताओं का कारण हमेशा असंतोष के बीज होते हैं, जिनमें विद्रोह करने की क्षमता होती है।
- यह भी एक सच्चाई है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, भ्रष्टाचार सूचकांक में पिछले तीन सालों में हम 5 पायदान फिसल गए हैं यानी कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हुई हैं।
- समझना होगा कि भ्रष्टाचार कई समस्याओं की जड़ है जो असंतोष का कारण बनता है। इसी साल मार्च महीने में हमने नासिक से मुंबई तक लंबी किसान यात्रा भी देखी। मंदसौर में पुलिस की गोली से पाँच किसानों की मौत की खबर ने भी चिंतित किया। जाहिर है, कृषि में असंतोष गंभीर चिंता का कारण बन रहा है।
- ये सभी वे पहलू हैं जो गरीबों और वंचित समूहों में असंतोष बढ़ा रहे हैं और वे गरीबी तथा भुखमरी से मुक्ति के नारे बुलंद कर रहे हैं। इन्हें असंतोषों की वजह से ही नक्सलवादी सोच को बढ़ावा मिल रहा है।
- दूसरी तरफ, सरकार के कई प्रयासों के बावजूद अभी तक इस समस्या से पूरी तरह निजात नहीं मिलने की बड़ी वजह यह है कि हमारी सरकारें शायद इस समस्या के सभी संभावित पहलुओं पर विचार नहीं कर रही। हालाँकि सरकार की पहलों की वजह से कुछ क्षेत्रों से नक्सली हिंसा का खात्मा ज़रूर हो गया है। लेकिन अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है।

वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह (GFDRR)

चर्चा में क्यों ?

भारत को सर्वसम्मति से वित्त वर्ष 2020 के लिये वैश्विक आपदा न्यूनीकरण और स्थिति बहाली समूह (Global Facility for Disaster Reduction and Recovery-GFDRR) का सह-अध्यक्ष चुना गया है।

- यह निर्णय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये वैश्विक मंच के 6वें सत्र में GFDRR की बैठक के दौरान लिया गया।
- यह पहली बार है जब देश को GFDRR की सलाहकार समूह बैठक की सह-अध्यक्षता का अवसर दिया गया है।

GFDRR क्या है ?

- GFDRR एक वैश्विक साझेदारी वाला संगठन है जो विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने में मदद करता है।
- GFDRR विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित एक ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं के लिये वित्तीय मदद देता है।
- यह वर्तमान में 400 से अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ काम कर रहा है और उन्हें ज्ञान, वित्तपोषण और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
- आपदा जोखिम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को विकास रणनीतियों और निवेश कार्यक्रमों में एकीकृत करने तथा आपदाओं से जल्दी और प्रभावी ढंग से उबरने में देशों की मदद करके GFDRR आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंदाई फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन में योगदान देता है।

GFDRR में भारत की उपस्थिति और इसका महत्त्व

- वर्ष 2015 में भारत GFDRR के सलाहकार समूह का सदस्य बना और अक्टूबर 2018 में आयोजित समूह की अंतिम बैठक में सह-अध्यक्षता करने की इच्छा व्यक्त की थी।
- देश में आपदा जोखिम में कमी लाने में निरंतर प्रगति तथा इसके लिये अनुकूल अवसरचना विकसित करने हेतु साझेदारी की पहल को ध्यान में रखते हुए सह-अध्यक्षता के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया गया।
- यह देश को आने वाले समय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एजेंडा को आगे बढ़ाने की दिशा में सक्रिय योगदान के साथ GFDRR के सदस्य देशों और उनके संगठनों के साथ काम करने का अवसर देगा।

आगे की राह

- भारत GFDRR के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर केंद्रित एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है और उसके कार्यक्रमों के साथ तालमेल करना चाहता है ऐसे में आपदा से निपटने में सक्षम बुनियादी ढाँचे का विकास GFDRR के भागीदार देशों और हितधारकों के साथ भारत के जुड़ाव का मुख्य विषय होगा।

सेंदाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework)

मार्च, 2015 में जापान के सेंदाई में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन के दौरान 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंदाई फ्रेमवर्क 2015-2030' (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) को अपनाया गया था।

- यह वर्ष 2015 के बाद के विकास एजेंडे के तहत पहला बड़ा समझौता है, जिसमें सात लक्ष्य और कार्रवाई के लिये चार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं।
- इसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन (United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction) के दौरान अपनाया गया था।

- यह फ्रेमवर्क 15 वर्षों के लिये है। यह एक स्वैच्छिक और गैर-बाध्यकारी समझौता है जो मानता है कि आपदा जोखिम को कम करने के लिये प्राथमिक योगदान राज्यों का है लेकिन उस जिम्मेदारी को स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाना चाहिये।
- यह फ्रेमवर्क 'ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005-2015' का उत्तरवर्ती दस्तावेज है।

मानवीय क्रियाएँ: भूकंपीय गतिविधियों के सक्रिय होने का कारण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में किये गए एक नए अध्ययन में यह खुलासा किया गया है कि बड़े जलाशयों के निर्माण या तेल एवं गैस के उत्पादन के लिये ज़मीन में अपशिष्ट जल के अंतःक्षेपण जैसी मानवीय क्रियाएँ भूकंपीय गतिविधियों को सक्रिय करने के लिये जिम्मेदार हो सकती हैं।

- साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित इस नए अध्ययन में भारत और अमेरिका के शोधकर्ताओं ने पूर्व में प्रयोग किये गए डेटा और उनके द्वारा विकसित एक हाइड्रो-मैकेनिकल मॉडल का उपयोग करके द्रव-प्रेरित या तरल के अंतःक्षेपण के कारण आने वाले भूकंपों के पूर्ण आयामों की व्याख्या की है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

- हालाँकि यह सर्वविदित है कि पृथ्वी की उप-सतह में तरल पदार्थों का अंतःक्षेपण (एक किलोमीटर की गहराई तक) भूकंप जैसी घटनाओं का कारण बन सकता है लेकिन अब तक यही माना जाता था कि इस प्रकार की घटना अंतःक्षेपण स्थल के निकट एक क्षेत्र तक सीमित होती है। इस नए अध्ययन के अनुसार, द्रव/तरल के अंतःक्षेपण के कारण सतह में उत्पन्न होने वाली अशांति एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाले भूकंप के रूप में परिणत हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि भूकंप को सक्रिय करने वाले कारको का प्रभाव दूर तक हो सकता है।
- यह भी माना जाता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ भूकंप का कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं, में आने वाले भूकंप का स्तर दक्षिणी कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्र की भूकंपीय गतिविधि के स्तर को पार करते हैं।
- तरल अंतःक्षेपण के उपयोग से तेल और गैस का निष्कर्षण, साथ ही अपशिष्ट जल के निपटान को आस-पास के क्षेत्रों में भूकंपीय दर में वृद्धि के लिये जाना जाता है।
- ऐसा माना जाता है कि इन गतिविधियों को सक्रिय बनाने वाले कंपनों की उत्पत्ति का कारण आस-पास की चट्टानों में द्रव के उच्च दबाव के कारण पहले से मौजूद भ्रंशों के नेटवर्क में आने वाली अस्थिरता है।
- हालाँकि अंतःक्षेपण के कारण भ्रंश रेखा (Fault Line) के निकट बिना किसी भूकंपीय तरंग के विरूपण की क्रिया उत्पन्न हो सकती है, जो बारी-बारी से भूकंपों को सक्रिय कर सकता है।

मानव गतिविधि के कारण आने वाले भूकंपों के उदाहरण

- भारत में तरल अंतःक्षेपण के कारण भूकंप की सर्वविदित घटना वर्ष 1967 में महाराष्ट्र के कोयना में घटित हुई थी और इस भूकंपीय गतिविधि के लिये कोयना बांध निर्माण को जिम्मेदार ठहराया गया था।
- ओक्लाहोमा (संयुक्त राज्य के दक्षिण-मध्य क्षेत्र में स्थित एक राज्य) के विवर्तनिक रूप से शांत क्षेत्र में आने वाले भूकंपों के लिये वहाँ होने वाले तेल और गैस अन्वेषण को जिम्मेदार माना गया है।

अध्ययन का महत्त्व

- द्रव-प्रेरित या द्रव के अंतःक्षेपण के कारण उत्पन्न भूकंपों के पीछे के विज्ञान का अध्ययन करने से कोयना में जलाशय निर्माण के कारण आए भूकंपों के अध्ययन में मदद मिल सकती है। नोएडा स्थित राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र और हैदराबाद स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान की अगुवाई में 'कोयना में डीप ट्रिलिंग' पहल के जरिये द्रव-प्रेरित भूकंप का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है।
- इन प्रयासों से भू-पर्पटी में अधिक गहराई पर स्थित भ्रंश के व्यवहार के बारे में डेटा प्राप्त करने की उम्मीद है। यह अध्ययन इस बात का प्रमाण है कि भूकंप जैसे खतरे का अधिक विश्वसनीय मॉडल तैयार करने के लिये इस तरह के डेटा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।

चर्चा में

व्यक्ति

राणा दासगुप्ता

राणा दासगुप्ता को उनके 2010 के उपन्यास सोलो: ए टेल ऑफ एस्ट्रेंजेंट एंड द अल्टीमेट फेलियर ऑफ मटेरियल एक्जिस्टेंस के लिये रबींद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया। यह इस पुरस्कार का दूसरा संस्करण है और इसका उद्देश्य जीवन को परिवर्तित कर देने वाली कविताओं तथा पुस्तकों को पुनर्जीवित करना है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 10 हजार डॉलर, टैगोर की छोटी प्रतिमा तथा साहित्य में योगदान के लिये एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना विश्व शांति को बढ़ावा देने, साहित्य, कला तथा शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है।

जयश्री व्यास

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने बोर्ड में पहली बार स्वतंत्र महिला निदेशक के तौर पर जयश्री व्यास की नियुक्ति की है। उनके बोर्ड में पहले से ही उषा सांगवान और राजेश्री सबनवीस के रूप में दो गैर-कार्यकारी महिला निदेशक कार्यरत हैं। जयश्री व्यास एक प्रोफेशनल चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और 1986 से श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, अहमदाबाद के प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रही हैं। गौरतलब है कि 2013 के कंपनी अधिनियम में कंपनियों के एक निश्चित वर्ग के लिये कम-से-कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करना अनिवार्य किया गया है। सेबी ने कंपनी अधिनियम 2013 के अनुपालन में अक्टूबर 2014 से एक बोर्ड में कम-से-कम एक महिला का होना अनिवार्य कर दिया था।

जी.डी. 'रॉबर्ट' गोवेंदर

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के पत्रकार जी.डी. 'रॉबर्ट' गोवेंदर को ब्रिटेन में 2019 के वी.के. कृष्ण मेनन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोवेंदर को भारतीय राजनयिक एवं नेता वी.के. कृष्ण मेनन की 123वीं जयंती के मौके पर मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वी.के. कृष्ण मेनन लंदन में भारत के पहले उच्चायुक्त थे। पत्रकार एवं लेखक के तौर पर गोवेंदर का करियर लगभग 60 वर्षों का था। इसके साथ ही वह ऐसे पहले पत्रकार थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका की केवल श्वेत खेल टीमों के अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का आह्वान किया था। गौरतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में अगस्त 1930 में जन्मे गोवेंदर का 2016 में ब्रिटेन में निधन हो गया था।

लॉरेंटिनो कोर्टिजो

पनामा के पूर्व मंत्री सोशल डेमोक्रेट लॉरेंटिनो कोर्टिजो राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए हैं। दरअसल, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच जीत का अंतर बहुत ही कम था जिसके चलते पनामा के चुनाव अधिकरण की ओर से परिणामों की घोषणा में विलंब हुआ। कुल लगभग 90.9 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें से 33 प्रतिशत मत पाकर कोर्टिजो सबसे आगे रहे। लॉरेंटिनो कोर्टिजो राष्ट्रपति जुआन कालॉस वारेला की जगह लेंगे। पनामा के संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति सिर्फ एक बार पाँच साल के कार्यकाल के लिये ही राष्ट्रपति बन सकता है। ज्ञातव्य है कि पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है, जिसकी राजधानी पनामा सिटी है।

एन.आर. माधव मेनन

भारत में कानून की शिक्षा के पितामह माने जाने वाले पद्मश्री से सम्मानित एन.आर. माधव मेनन का तिरुवनंतपुरम में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से B.Sc. और BL की डिग्री हासिल की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय से MA और अलीगढ़

मुस्लिम विश्वविद्यालय से LLM और PhD करने के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया और 1960 में AMU में फैकल्टी के तौर पर शामिल हुए। 1965 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय का रुख किया और कैम्पस लॉ सेंटर के अगुआ बने। 1986 में उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आग्रह पर बंगलुरु में NLSIU की स्थापना की और 12 साल तक उसके संस्थापक कुलपति रहे। वह भोपाल की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के संस्थापक निदेशक भी थे। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने 1994 में उन्हें 'लीविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड' से सम्मानित किया था।

वैद्यनाथ मिश्र

प्रख्यात अर्थशास्त्री और शिक्षाविद वैद्यनाथ मिश्र का 99 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में निधन हो गया। ओडिशा के सामाजिक विकास में दिया गया उनका योगदान अतुलनीय माना जाता है। उन्होंने लेक्चरर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कटक के रावेनशा यूनिवर्सिटी से 1949 में की थी। बाद में उन्होंने ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में काम किया। वह 1981 से 1985 के बीच यहाँ के कुलपति रहे। वैद्यनाथ मिश्र 1985 से 1990 के बीच राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे।

वाई.सी. देवेश्वर

ITC ग्रुप के चेयरमैन वाई.सी. देवेश्वर का 11 मई को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कॉर्पोरेट प्रमुखों में से एक थे, जिसमें से उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय ITC में बिताया। उन्होंने एक सिगरेट निर्माता कंपनी को एक बड़े FMCG में बदल दिया। 1996 में वह कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए। वाई.सी. देवेश्वर 1991 से 1994 के बीच सरकार के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। इसके अलावा वह RBI के डायरेक्टर भी रहे। वर्ष 2011 में उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड भी मिला। वर्ष 2012 में वाई.सी. देवेश्वर बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर बने तथा 2006 में उन्हें बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के सम्मान से भी नवाजा गया था। इसके बाद संजीव पुरी को ITC ग्रुप का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया।

हीरालाल यादव

लोकप्रिय बिरहा गायक हीरालाल यादव का 93 वर्ष की आयु में 12 मई को बनारस में निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी वर्ष 16 मार्च को उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। यह 70 वर्ष में पहली बार था जब बिरहा को सम्मान मिला। उन्होंने वर्ष 1962 से आकाशवाणी व दूरदर्शन पर बिरहा गायक प्रसिद्धि पाई। करीब सात दशक तक हीरा-बुल्लू की जोड़ी गाँवों और शहरों में बिरहा की धूम मचाती रही। दोनों ही गायक राष्ट्रभक्ति के गीतों से स्वतंत्रता आंदोलन की अलख भी जगाते रहे। अपनी सशक्त गायकी से हीरालाल यादव ने बिरहा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और बिरहा सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए।

रोशन तनेजा

कई नामी फिल्म कलाकारों को अभिनय की ABC सिखाने वाले एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा का 87 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। रोशन तनेजा ने हिंदी फिल्म जगत के शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जया बच्चन, अनिल कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे कलाकारों को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी थी। वह 1960 के दशक से एक्टिंग की ट्रेनिंग देते आ रहे थे, जिसकी शुरुआत FTII, पुणे से हुई थी। FTII की शुरुआत 1961 में हुई थी जहाँ उन्होंने 1963 में एक्टिंग विभाग की स्थापना की थी इसके बाद 1975 में वहाँ से इस्तीफा देकर उन्होंने मुंबई में रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग की शुरुआत की।

जी.एस. लक्ष्मी

भारत की जी.एस. लक्ष्मी अंतर्राष्ट्रीय पैनल में चुने जाने वाली ICC की पहली महिला मैच रेफरी बन गई हैं। 51 वर्षीय लक्ष्मी घरेलू महिला क्रिकेट में 2008-09 के दौरान मैच रेफरी की भूमिका निभा चुकी हैं। इसके अलावा वह अब तक महिलाओं के तीन एकदिवसीय और तीन टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रेफरी रह चुकी हैं। भारत में एक क्रिकेटर और मैच रेफरी के रूप में जी.एस. लक्ष्मी का लंबा करियर रहा है। गौरतलब है कि उनसे पहले इसी महीने ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक ने पहली बार पुरुष एकदिवसीय मैचों के लिये पहली महिला अंपायर की भूमिका निभाई

थी। इस तरह से इस पैनल में महिलाओं की संख्या सात हो गई है। लॉरेन एगेनबाग, किम कॉटन, शिवानी मिश्रा, सू रेडफर्न, मैरी वाल्ड्रान और जैकलिन विलियम्स इस पैनल में शामिल अन्य महिला रेफरी/अंपायर हैं। इस पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला अंपायर कैथी क्रास थी जिन्होंने पिछले साल संन्यास ले लिया था।

ए.के. सीकरी

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. सीकरी को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (NBSA) का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वह 26 मई से अपना कार्यभार संभालेंगे। रिटायर्ड जस्टिस ए.के. सीकरी वर्तमान चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 25 मई को पूरा हो रहा है। आपको बता दें कि NBSA 24 घंटे समाचार प्रसारित करने वाले NBA के सदस्य चैनलों के स्वनियमन से जुड़ा एक स्वतंत्र निकाय है, जो NBA के किसी भी तरह के हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त है।

इगोर स्टिमैक

क्रोएशिया की विश्व कप टीम के सदस्य और पूर्व मैनेजर इगोर स्टिमैक को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ (AIFF) ने उनके साथ दो साल का अनुबंध किया है। स्टिमैक इससे पहले क्रोएशिया की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को को 15 महीने तक प्रशिक्षण दे चुके हैं। वह स्टीफन कॉन्सटेन्टाइन की जगह लेंगे। 1998 में तीसरे स्थान पर रही क्रोएशियाई टीम के सदस्य 51 वर्षीय स्टिमैक का चयन तकनीकी समिति ने किया। उनके अलावा अलबर्ट रोसा, ली मिंग-सुंग और हकन एरिक्सन भी कोच पद के दावेदार थे।

ए.के. ढींगरा

मेजर जनरल ए.के. ढींगरा को आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन का पहला मुखिया नियुक्त किया गया है। इस त्रि-सेना के गठन में सेना की पैराशूट रेजिमेंट, नौसेना की मार्कोस और वायुसेना के गरुड़ कमांडो बल के विशेष कमांडो शामिल होंगे। तीनों सेनाओं के सर्वश्रेष्ठ कमांडोज की यूनिट ने अपना काम शुरू कर दिया है। तीनों सेनाओं ने इससे पहले साथ में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन यह पहली बार होगा जब तीनों सेनाएँ एक कमांड और नियंत्रण ढाँचे के तहत कार्य करेंगी। इससे प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन में 3000 प्रशिक्षित कमांडोज हैं जो जंगलों और समुद्र में युद्ध करने में सक्षम होंगे तथा हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशंस का काम भी करेंगे। टीम ऐसे मिशनों के संचालन के लिये जिम्मेदार होगी जिसमें रणनीतिक प्रतिष्ठानों, आतंकियों को लक्षित करना और दुश्मन की युद्ध लड़ने की शक्ति को कम करना शामिल होगा।

कामी रीता शेरपा

नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 15 मई को 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दुनिया की इस सबसे ऊँची चोटी पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कामी रीता शेरपा नेपाल के सोलुखुंबु जिले के थमे गाँव के रहने वाले हैं। इससे पहले कामी रीता ने 16 मई, 2018 को एवरेस्ट की चोटी पर 22वीं बार पहुँचकर इतिहास रचा था। वर्ष 2017 में कामी रीता 21 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे व्यक्ति बन गए थे। तब उनके अलावा अपा शेरपा और फुरबा ताशी शेरपा ने यह उपलब्धि हासिल की थी। कामी रीता ने वर्ष 1994 में 24 वर्ष की आयु में पहली बार विश्व की सर्वोच्च चोटी पर चढ़ाई की थी तब वह हर साल एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं।

जोको विडोडो

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को विश्व के इस तीसरे बड़े लोकतंत्र का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। इंडोनेशिया के निर्वाचन आयोग के अनुसार इंडोनेशियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ स्ट्रगल के सदस्य जोको विडोडो ने अपने प्रतिद्वंद्वी एवं सेवानिवृत्त जनरल प्राबोवो सुबियांतो को हराया। गौरतलब है कि इंडोनेशिया में 17 अप्रैल को राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एक साथ कराए गए थे। एक दिन में 19.2 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसे एक दिन में संपन्न होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना गया था। इससे पहले जोको विडोडो जुलाई 2014 में हुए चुनाव में राष्ट्रपति चुने गए थे। वह जकार्ता के गवर्नर रह चुके हैं और इंडोनेशिया के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी पृष्ठभूमि राजनीति और सेना से नहीं है।

मोइन-उल-हक

पाकिस्तान ने मोइन-उल-हक को भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत, चीन और जापान सहित लगभग दो दर्जन देशों में नए उच्चायुक्तों तथा राजदूतों की नियुक्ति को मंजूरी दी। मोइन-उल-हक फिलहाल फ्रांस में पाकिस्तान के राजदूत हैं। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान के नए विदेश सचिव के रूप में सोहेल महमूद की नियुक्ति के बाद से ही भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त का पद रिक्त था।

विजया मुले

वर्ष 1974 में दूरदर्शन के लिये एक चिड़िया, अनेक चिड़ियाँ...जैसा कालजयी गीत तैयार करने वाली डॉक्यूमेंटरी फिल्म निर्माता विजया मुले का दिल्ली में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 7 मिनट की इस डॉक्यूमेंटरी फिल्म के कारण ही विजया मुले को अपार प्रसिद्धि मिली। उन्हें बेस्ट सिनेमा राइटिंग के लिये नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया था। विजया मुले पटना फिल्म सोसायटी की फाउंडर मेंबर भी रहीं। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1959 में दिल्ली फिल्म सोसाइटी की स्थापना में भी अहम योगदान दिया और बाद में फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी की संयुक्त सचिव भी बनी।

प्रेम सिंह तमांग

सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, उन्हें पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है। राज्यपाल गंगा प्रसाद ने पलजोर स्टेडियम में उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। फिलहाल वह मौजूदा विधानसभा के सदस्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। प्रेम सिंह तमांग ने नेपाली भाषा में शपथ ली। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की स्थापना 2013 में हुई थी और उसने 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभा में 17 सीटें जीती हैं, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 15 सीटों पर जीत मिली। ज्ञातव्य है कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 24 से अधिक वर्षों तक सत्ता में बना रहा था और इस दौरान पवन कुमार चामलिंग राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे।

शैलेश तिनेकर

भारतीय सेना के इन्फैंट्री स्कूल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS) का कमांडर नियुक्त किया गया है। दक्षिणी सूडान में चलाया जा रहा यह दूसरा सबसे बड़ा शांति अभियान है। लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर रवांडा के लेफ्टिनेंट जनरल फ्रैंक कामाजी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर संयुक्त राष्ट्र मिशन के 16 हजार शांतिरक्षक सैनिकों की कमान संभालेंगे जिनमें से लगभग 2400 सैनिक भारतीय हैं। यह मिशन 2011 में शुरू किया गया था, जब सूडान से अलग होकर दक्षिण सूडान स्वतंत्र देश बना था। इस मिशन में काम करते हुए अब तक 67 शांति सैनिकों की मौत हो चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर को दक्षिण सूडान की आजादी से पहले से ही सूडान में शांति मिशन में काम करने का अनुभव है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अंगोला सत्यापन मिशन-3 में भी काम किया है। उनकी प्रतिष्ठित सेवाओं के लिये उन्हें सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है।

डेव शर्मा

लिबरल पार्टी के प्रत्याशी और इजराइल में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रह चुके डेव शर्मा ऑस्ट्रेलिया के संघीय चुनाव में सिडनी उपनगर में एक सीट जीतकर वहाँ की संसद में पहुँचने वाले पहले भारतवंशी सांसद बन गए हैं। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी केरिन फेल्ल्स को पराजित कर ऑस्ट्रेलिया की संसद में अपने लिये जगह बनाई है। गौरतलब यह भी है कि छह महीने पहले हुए उपचुनाव में केरिन फेल्ल्स ने डेव शर्मा को पराजित किया था। डेव शर्मा की यह जीत बताती है कि ऑस्ट्रेलिया के समाज में भारतीय मूल के लोग भी एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 7 लाख है। डेव शर्मा 2013 से 2017 के दौरान इजराइल में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत रहे।

आल वीमेन क्रू

भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुल भारद्वाज (कैप्टन), फ्लाइट ऑफिसर अमन निधि (को-पायलट) और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल (फ्लाइट इंजीनियर) मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली देश की पहली 'आल वीमेन क्रू' बन गईं। 27 मई को उन्होंने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में एयरबेस पर बैटल इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग मिशन के लिये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उड़ाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुल भारद्वाज Mi-17 V5 उड़ाने वाली पहली महिला पायलट हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं।

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 27 मई को जापान के नए सम्राट नारुहितो से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। चार दिन की यात्रा पर जापान गए अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की अगवानी इंपीरियल पैलेस में एक समारोह के दौरान सम्राट नारुहितो और साम्राज्ञी मसाको ने की। गौरतलब है कि सम्राट नारुहितो की इसी साल 1 मई को ताजपोशी हुई थी, जिसे रेवा युग कहा जाता है। इससे पहले जापान के सम्राट अकिहितो थे, जो 200 वर्षों में जापान के राजपरिवार में अपना पद अपनी इच्छा से छोड़ने वाले पहले सम्राट थे। दरअसल, स्वास्थ्य कारणों के चलते अकिहितो ने अपने सबसे छोटे बेटे 59 वर्षीय नारुहितो को राजगद्दी सौंप दी थी।

नारुहितो

- 30 अप्रैल, 2019 को जापान के नए सम्राट 'नारुहितो' ने औपचारिक रूप से सिंहासन ग्रहण किया और वे जापान के 126 वें सम्राट बने।
- ◆ ज्ञातव्य है कि अकिहितो ने स्वैच्छिक रूप से सिंहासन त्यागने की इच्छा व्यक्त की थी, जबकि वह अभी भी कार्य करने में सक्षम हैं।
 - ◆ स्वैच्छिक रूप से सिंहासन त्यागने की यह घटना 200 वर्षों से अधिक समय में पहली बार हुई है।
 - ◆ गौरतलब है कि युवराज नारुहितो के राजगद्दी संभालते ही जापान में नए शाही युग 'रीवा'(Reiwa) की शुरुआत हो गई है।
 - ◆ 'रीवा' युग की शुरुआत के साथ ही 1989 में शुरू हुए 'हीसेई युग' (Heisei Era) का अंत हो गया।
 - जापान के वर्तमान संवैधानिक प्रावधानों के तहत सम्राट 'राज्य और अपने लोगों की एकता का प्रतीक' है।
 - सम्राट के पास कोई वास्तविक राजनीतिक शक्ति नहीं होती है लेकिन उसे राज्य के प्रमुख और संवैधानिक सम्राट के रूप में माना जाता है।

दीया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals-SDGs) की प्राप्ति हेतु भारतीय अभिनेत्री दीया मिर्जा को अपना विशेष दूत बनाया है।

- संयुक्त राष्ट्र ने दीया मिर्जा और अलीबाबा के प्रमुख जैक मा के साथ ही विश्व के कुल 17 अन्य लोगों को भी सतत् विकास लक्ष्य जैसे विशेष कार्य हेतु चुना है।
- अभिनेत्री दीया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) की सद्भावना दूत के रूप में पहले से ही संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हैं।

उद्देश्य

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा चुने गए ये लोग विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इन लक्ष्यों में जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, गरीबी और असमानता को लेकर संयुक्त राष्ट्र के संदेश को लोगों तक पहुँचाना शामिल है।

आरोही पंडित

कैप्टन आरोही पंडित, मुंबई की एक 23 वर्षीय पायलट लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट (Light Sports Aircraft- LSA) में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं।

- यह कैप्टन आरोही की ग्लोबल सर्कमनेविगेशन फ्लाइट (Global Circumnavigation Flight) योजना का हिस्सा है, जिसे उन्होंने अपनी दोस्त केथर मिसक्वेटा के साथ एक साल पहले, 30 जुलाई, 2018 को लॉन्च किया था।
- वह 1947 के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट जहाज लैंड करने वाली पहली नागरिक बर्नी।

जोको विडोडो

- जोको विडोडो (Joko widodo) इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के तौर पर पुनर्निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती जनरल प्राबोवो सुबीआंतो (Prabowo Subianto) को हराकर दोबारा सत्ता ग्रहण की है।
- जोको विडोडो वर्ष 2014 से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, चुनाव प्रचारों के दौरान उन्होंने स्वयं को जनता के नेता (Man of the people) के तौर पर प्रचारित किया।

इंडोनेशिया (Indonesia)

- यह एक द्वीपसमूह है जो भूमध्य रेखा के पार स्थित है।
- इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह बर्नियो के उत्तरी भाग में मलेशिया के साथ और पापुआ न्यू गिनी में न्यू गिनी (इंडोनेशिया का हिस्सा) के केंद्र में सीमा साझा करता है।
- इसकी राजधानी जकार्ता (Jakarta), जावा के उत्तर-पश्चिमी तट के समीप स्थित है।
- यह 80% मुस्लिम आबादी वाला एक मुस्लिम बहुल देश है।

भावना कंठ

फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ (Flight Lieutenant Bhawana Kanth) भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी महिला पायलट बन गई हैं जिन्होंने फाइटर जेट में कॉम्बेट मिशन (Combat Missions) पर जाने की योग्यता हासिल की है।

- भावना कंठ ने 'Operational By Day' मिग-21 बाइसन (MiG-21 'Bison') एयरक्राफ्ट पर कॉम्बेट मिशन में भाग लेने हेतु ऑपरेशनल सिलेबस पूरा कर लिया है।
- 'Operational By Day' के लिये पायलट को अपने सिलेबस को पूरा करना होता है, जो उन्हें दिन के दौरान उड़ान भरने के लिये उचित घोषित करता है।
- गौरतलब है कि रात्रि के समय किये जाने वाले अभियानों के प्रशिक्षण के पश्चात् भावना को रात में भी फाइटर जेट में युद्धक मिशन पर जाने की अनुमति मिल जाएगी।
- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, थल सेना में 3.80%, वायु सेना में 13.09% और नौसेना 6% महिलाएँ कार्यरत हैं। इस वर्ष सरकार ने तीनों सेनाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें सैन्य पुलिस में शामिल करने की योजना बनाई है।

लाल सागर में प्रवाल भित्ति

- वैज्ञानिकों के अनुसार, लाल सागर में पाए जाने वाले प्रवाल पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक अनुकूलन क्षमता प्रदर्शित करते हैं।
- इन प्रवालों में अधिक तापमान, लवणता एवं प्रतिकूल पर्यावरणीय दशाओं के प्रति असाधारण अनुकूलन क्षमता पाई गई।
- लाल सागर, हिंद महासागर का विस्तार है, जो अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच स्थित है।

नियमगिरि हिल्स

हाल ही में 16 सदस्यीय फैक्ट-फाईंडिंग टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि लांजीगढ़ (कालाहांडी) में वेदांता रिफाइनरी के पास रहने वाले ग्रामीणों को लाल मिट्टी के तालाब (रिफाइनरी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट) से आने वाली धूल के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

- 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड द्वारा नियमगिरि से बॉक्साइट का खनन किये जाने की योजना को खारिज कर दिया था।
- नियमगिरि दक्षिणी ओडिशा के रायगडा और कालाहांडी जिलों में एक पहाड़ी क्षेत्र है।
- नियमगिरि के मूल निवासियों में मुख्य रूप से कुटिया कोंध और डोंगरिया कोंध नामक दो जनजातियाँ हैं, जो इन पहाड़ियों को अपने देवता नियाम राजा का आवास मानती हैं।
- ओडिशा में 700 मिलियन टन ज्ञात बॉक्साइट भंडार है, जिसमें से 88 मिलियन टन नियमगिरि में होने का अनुमान लगाया गया है।

मारियाना गर्त

हाल ही में अमेरिका के एक अंडर-सी एक्सप्लोरर (Under-sea Explorer), विक्टर वेस्कोवो ने प्रशांत महासागर के मारियाना गर्त (Mariana Trench) में लगभग 6.8 मील तक गोता लगाया। गौरतलब है कि यह पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह है।

- विक्टर वेस्कोवो (Victor Vescovo) ने 1960 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए उससे 52 फीट (16 मीटर) नीचे तक गोता लगाया।
- यह तीसरी बार है जब इंसान ने समुद्र में सबसे अधिक गहराई तक गोता लगाया है, ध्यातव्य है कि इस गहराई को चैलेंजर डीप (Challenger Deep) के नाम से जाना जाता है।

डीएसवी लिमिटिंग फैक्टर

- डीएसवी लिमिटिंग फैक्टर (DSV limiting Factor) दो लोगों हेतु 'डीप सी व्हीकल' (Deep Sea Vehicle-DSV) पोत है, जो महासागर में पूरी गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है।

निष्कर्ष

- विक्टर वेस्कोवो ने समुद्री जीवन की अनदेखी प्रजातियों की खोज की, जिसमें झींगे जैसे लंबे पैर और एंटीना वाले आर्थोपोडा से लेकर समुद्री सूअर जैसे जीव शामिल हैं। उन्होंने धातु या प्लास्टिक की मुद्रित वस्तुएँ भी देखीं।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, दुनिया के महासागरों में लगभग 100 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पहुँच गया है।
- वैज्ञानिकों ने व्हेल जैसे गहरे आवास वाले समुद्री स्तनधारियों की आंतों में बड़ी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक पाया है।

मकालू-बारुण राष्ट्रीय उद्यान

माउंट मकालू नेपाल के मकालू-बारुण राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षण क्षेत्र में स्थित है, यह 580 वर्ग मील का एक पार्कलैंड है जो 13,000 फीट से ऊपर के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर अल्पाइन टुंड्रा तक प्राचीन पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करता है।

- वनस्पति विज्ञानियों ने फूलों की 3,128 प्रजातियों की पहचान की है जिनमें रोडोडेण्ड्रो (बुरांश के फूल) की 25 प्रजातियाँ शामिल हैं।
- 440 से अधिक पक्षी प्रजातियों और 88 स्तनपायी प्रजातियों के साथ कई अन्य जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं जिसमें लाल पांडा, हिम तेंदुआ और दुर्लभ एशियाई गोल्डन कैट भी शामिल हैं।

माउंट टेंचेंखांग

हाल ही में माउंट टेंचेंखांग (Mount Tenchenkhang) के पर्वतारोहण अभियान के लिये एनसीसी की 20 महिला कैडेट्स की एक टीम को रवाना की गई है।

- माउंट टेंचेंखांग (6010 मी.) पश्चिमी सिक्किम में स्थित है और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है जो प्राकृतिक सुंदरता, जैव-विविधता, झीलों तथा बर्फ से ढके पहाड़ों के लिये जाना जाता है।

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान

- कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल रिजर्व है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, जो भारत का पहला और एकमात्र 'मिश्रित धरोहर' स्थल है।

- यह 'यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम' (UNESCO Man and the Biosphere Programme) में शामिल है। इस उद्यान का नाम कंचनजंगा पर्वत से लिया गया है, जो 8,586 मीटर लंबा (दुनिया की तीसरी सबसे ऊँची चोटी) है। इस उद्यान का कुल क्षेत्रफल 849.5 वर्ग किमी. है।

माउंट अगुंग ज्वालामुखी

हाल ही में इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अगुंग में विस्फोट हो गया।

- माउंट अगुंग (Mount Agung) एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर स्थित है। इसे गुनुंग अगुंग (Gunung Agung) के नाम से भी जाना जाता है।
- यह बाली द्वीप का सर्वोच्च स्थान माना जाता है।
- माउंट अगुंग एक जागृत ज्वालामुखी है जिसमें ऐतिहासिक रूप से लगातार विस्फोट होते रहे हैं।

जागृत ज्वालामुखी (StratoVolcano)

- यह ज्वालामुखी लंबा एवं शंक्वाकार होता है जो कठोर लावा, टेफ्रा की पर्तों से मिलकर बना होता है।
- इन ज्वालामुखियों में होने वाले विध्वंसक विस्फोट इनकी प्रमुख विशेषता है।
- इससे निकलने वाले लावा की श्यानता बहुत अधिक होती है, जिस कारण यह ठंडा होने के बाद ज़्यादा कठोर हो जाता है।
- इंडोनेशिया में ऐसी ज्वालामुखी घटनाएँ होना सामान्य बात है। क्योंकि यह देश प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है जहाँ पर विवर्तनिक प्लेटों के आपस में टकराने के फलस्वरूप भूकंपीय और ज्वालामुखी घटनाएँ घटित होना एक सामान्य बात मानी जाती है।
- 75% या 750 से अधिक ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर पर स्थित हैं और 90% भूकंप इन्हीं विवर्तनिक प्लेटों के कारण आते हैं।
- जावा, बाली और कई अन्य इंडोनेशियाई द्वीपों के ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया और सुंडा टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव द्वारा निर्मित हुए हैं।
- सुंडा-जावा ट्रेंच (Sunda-Java Trench) का निर्माण ऑस्ट्रेलिया प्लेट (Australia Plate) एवं सुंडा प्लेट (Sunda Plate) के बीच टकराव से होता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया प्लेट सुंडा प्लेट के नीचे आ जाती है।
- ऑस्ट्रेलिया प्लेट जब लगभग 100 मील की गहराई तक पहुँच जाती है, तब यह पिघलने लगती है एवं गर्म और पिघला हुआ पदार्थ सतह से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, जिससे इंडोनेशियाई ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है।

प्रेज़िडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रेज़िडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम नामक यह पुरस्कार अमेरिका में किसी भी असेन्य नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। यह अवार्ड उन नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रहित में बेहतरीन योगदान दिया हो, साथ-ही-साथ विश्व शांति, संस्कृति जैसे क्षेत्र में सार्वजनिक या निजी उपलब्धि हासिल की हो और जिससे देश का मान बढ़ा हो। ज्ञातव्य है कि टाइगर वुड्स ने हाल ही में अपने करियर का पाँचवां मास्टर टूर्नामेंट जीता है। 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी ने अमेरिका की सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, विश्व शांति या अन्य किसी क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिये इस पुरस्कार की स्थापना की थी। टाइगर वुड्स से पहले 30 से अधिक खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जा चुका है।

मैक्केन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लीडरशिप-2019

वर्ष 2012 में दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया मामले को रिकॉर्ड समय में सुलझाने वाली IPS अधिकारी छाया शर्मा को एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने मैक्केन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लीडरशिप-2019 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान साहसिक लीडरशिप से जुड़े उल्लेखनीय कामों के लिये दिया जाता है। वर्ष 2012 में सामने आए निर्भया मामले के समय छाया शर्मा दक्षिणी दिल्ली की DCP थीं। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मलाला युसुफजई को भी यह सम्मान मिल चुका है।

कान फिल्म समारोह

विश्व स्तर पर चर्चित और प्रसिद्ध कान फिल्म समारोह 14 से 25 मई तक फ्रांस के शहर कान (Cannes) में आयोजित किया जा रहा है। कान फिल्म समारोह का यह 72वाँ संस्करण है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI) के 50 साल पूरे होने के अवसर पर भारत इस समारोह में एक विशेष पोस्टर जारी करेगा तथा IFFI के गोल्डन जुबली संस्करण का प्रचार करेगा। IFFI का आयोजन इस साल के आखिर में गोवा में होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउसेज के साथ फिल्मों में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत को एक 'पोस्ट-प्रोडक्शन' केंद्र के तौर पर भी पेश किया जाएगा।

वर्ल्ड आर्किटेक्चर न्यूज़ अवाइर्स 2019

दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी को वर्ल्ड आर्किटेक्चर न्यूज़ अवाइर्स 2019 के लिये नामित किया गया है। यह पुरस्कार वास्तुकला के लिये दिया जाना वाला दुनिया का अग्रणी पुरस्कार है और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डिजाइनों के लिये दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित सरदार सरोवर के निकट केवाड़िया गाँव में स्थापित 182 मीटर ऊँची यह प्रतिमा विश्व में सबसे ऊँची है। यह प्रतिमा तेज़ हवाओं का भी सामना कर सकती है तथा रिक्टर पैमाने पर 6.8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी झेल सकती है।

डग हैमरशोल्ड मेडल

संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक भारतीय सहित 119 शांति रक्षकों को उनकी वीरता और बलिदान के लिये UN मेडल से सम्मानित किया जाएगा। भारत के पुलिस अफसर जितेंद्र कुमार को यह मेडल मरणोपरांत दिया जाएगा। जितेंद्र कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान शहीद हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के मौके पर जितेंद्र कुमार समेत 119 शांति रक्षकों को डग हैमरशोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। इस समारोह में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी हिस्सा लेंगे। शहीद जितेंद्र की ओर से यह मेडल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत सैयद अकबरुद्दीन प्राप्त करेंगे। ज्ञातव्य है कि शांति रक्षकों की वीरता और अदम्य साहस के लिये यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में भागीदारी के लिहाज से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। पिछले 70 वर्षों में विभिन्न UN मिशनों के दौरान 163 भारतीय शांति रक्षक शहीद हो चुके हैं।

डॉ. बलराम भार्गव

Indian Council of Medical Research (ICMR) के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये डॉ. ली जॉंग-वुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में इस पुरस्कार से सम्मानित किया को यह पुरस्कार चिकित्सक, प्रवर्तक, शोधकर्ता और प्रशिक्षक के रूप में उनके योगदान के लिये दिया गया। वर्तमान में वह स्वास्थ्य अनुसंधान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विभाग के सचिव और एम्स नई दिल्ली में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा वह स्टैनफोर्ड इंडिया बायोडिजाइन सेंटर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायोडिजाइन, नई दिल्ली के कार्यकारी निदेशक भी हैं।

शेवेलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व चेयरमैन ए. एस. किरण कुमार को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'शेवेलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर' (Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur) से सम्मानित किया है।

- ◆ किरण कुमार को यह सम्मान भारत-फ्रांस अंतरिक्ष सहयोग के विकास में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिये दिया गया है।
- ◆ गौरतलब है कि 'शेवेलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर' 1802 में नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया था।
- ए. एस. किरण कुमार भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं।
- वे वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक इसरो के चेयरमैन रहे और इससे पूर्व वे अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद के निदेशक थे।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दो भारतीयों को सम्मान

हाल ही संयुक्त राष्ट्र ने अपने 115 शांतिरक्षकों एवं कर्मचारियों को कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जीवन का बलिदान देने के लिये सम्मानित किया है। गौरतलब है कि सम्मानित किये गए इन शांतिरक्षकों एवं कर्मचारियों में दो भारतीय भी शामिल हैं।

- कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन में सेवा देने वाले पुलिस अधिकारी जितेंद्र कुमार और भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UN Development Programme-UNDP) की कंसल्टेंट शिखा गर्ग सहित कुल 115 लोगों ने शांति के लिये सेवा देते हुए जनवरी 2018 से मार्च 2019 के मध्य कुर्बानी दी।
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, संघर्ष से तबाह हो चुके देशों में स्थायी शांति लाने हेतु उचित परिस्थिति के निर्माण में मदद करती है। इसमें नागरिक, पुलिस और सैन्यकर्म शामिल होते हैं।

ससकावा पुरस्कार 2019

हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office for Disaster Risk Reduction-UNDRR) ने प्रमोद कुमार मिश्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये ससकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है।

- श्री मिश्रा ने आपदा से प्रभावित समुदायों की समस्याओं का सामना करने हेतु उनकी क्षमता में आवश्यक सुधार के लिये लंबे समय तक मदद की।
 - उन्होंने सामाजिक समावेशन के महत्वपूर्ण सिद्धांत का अनुपालन करते हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की स्थिति में सुधार हेतु असमानता तथा गरीबी को कम करने कि दिशा में सराहनीय कार्य किया।
- ससकावा पुरस्कार के बारे में
- संयुक्त राष्ट्र का यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति/संस्थान को दिया जाता है, जो अपने समुदाय के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सक्रिय भूमिका निभाने के साथ ही इसका पक्षधर भी हो।
 - जिनेवा में ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (Global Platform for Disaster Risk Reduction-GPDRR) 2019 के छठे सत्र में इस पुरस्कार की घोषणा की गई।
 - वर्ष 2019 के लिये ससकावा पुरस्कार की थीम 'बिल्डिंग इनक्लूसिव एंड रेजिलिएंट सोसाइटीज़' (Building Inclusive and Resilient Societies) थी।

वयोश्रेष्ठ सम्मान

वयोश्रेष्ठ सम्मान वरिष्ठ नागरिकों की सराहनीय सेवा करने वाले संस्थानों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उत्तम सेवाओं तथा उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाता है।

- वयोश्रेष्ठ सम्मान हर साल 1 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस (International Day of Older Person) की पूर्व संध्या पर वितरित किये जाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को मनाने के लिये 1 अक्टूबर, 1999 को एक प्रस्ताव अपनाया था।
- वर्ष 2013 से 13 विभिन्न श्रेणियों में वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया जाता है।
- वयोश्रेष्ठ सम्मान की स्थापना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2005 में की थी और इसे वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कारों की श्रेणी में लाया गया।
- यह युवा पीढ़ी को समाज और राष्ट्र के निर्माण में बुजुर्गों के योगदान को समझने का अवसर भी प्रदान करता है।
- इस पुरस्कार के लिये भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके स्वायत्त संगठनों से नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं।

मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

जोखा अल्हार्थी (Jokha Alharthi) अपने उपन्यास 'सेलेस्टियल बॉडीज़' (Celestial Bodies) के लिये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार (Man Booker International Prize) जीतने वाली पहली अरबी लेखिका बन गई हैं।

- बुकर पुरस्कार के तहत प्राप्त 50 हजार पाउंड यानी 44 लाख रुपए की धनराशि को अनुवादक और लेखक के मध्य विभाजित करना होता है। अल्हार्थी की अनुवादक अमेरिका की मर्लिन बूथ है, जो ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य पढ़ाती है। 'सेलेस्टियल बॉडीज़' मूल रूप से अरबी भाषा में लिखा उपन्यास है।
- इस उपन्यास में तीन बहनों- मय्या, अस्मा और ख्वाला की कहानी है, जो एक मरुस्थलीय देश मंक रहती हैं। उपन्यास में तीनों बहनों के 'दासता' के अपने इतिहास से उबर कर जटिल आधुनिक विश्व के साथ तालमेल बैठाने की जद्दोजहद का वर्णन किया गया है।
- अल्हार्थी ओमान की पहली महिला लेखिका हैं जिनके कार्य का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है।
- मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2016 में यह अनुवादित कथा/कार्य की श्रेणी में एक पुरस्कार के रूप में परिणत हो गया।

- वार्षिक रूप से यह पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित कार्य के लिये प्रदान किया जाता है।
- मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अंग्रेजी भाषा से इतर अन्य भाषाओं में कार्य करने वाले लेखकों पर केंद्रित है।
- वर्ष 1969 में शुरू हुए मैन बुकर पुरस्कार (Man Booker Prize) का उद्देश्य अंग्रेजी भाषा में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को पुरस्कृत करना है।
- वर्ष 2018 में अन्ना बर्न्स (Anna Burns) के उपन्यास 'मिल्कमैन' (Milkman) को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था।

डॉ. ली जोंग वुक मेमोरियल प्राइज़

हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research- ICMR) के प्रोफेसर बलराम भार्गव को डॉ. ली जोंग वुक मेमोरियल प्राइज़ फॉर पब्लिक हेल्थ से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान अनुसंधान व प्रशिक्षण कार्य में योगदान हेतु दिया गया है। प्रोफेसर बलराम भार्गव इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये डॉ. ली जोंग वुक मेमोरियल प्राइज़

- सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये डॉ. ली जोंग वुक प्राइज़ की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी।
- इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों, सरकारी संगठनों तथा गैर-सरकारी संगठनों (Non-Governmental Organizations- NGO) को प्रदान किया जाता है।
- यह एक वार्षिक पुरस्कार है, इसे विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाता है।
- दक्षिण कोरिया के डॉ. ली जोंग वुक (Dr. Lee Jong Wook) वर्ष 2003 से वर्ष 2006 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) के महानिदेशक थे।
- WHO के महानिदेशक बनने से पहले डॉ. ली अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और विकास में आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों ('तपेदिक' और 'टीके से बचाव योग्य बच्चों की बीमारियों') के खिलाफ संघर्षरत थे।

नाइन डॉट्स प्राइज़ अवार्ड

हाल ही में भारतीय लेखिका एनी जैदी को वर्ष 2019 के नाइन डॉट्स प्राइज़ (Nine Dots Prize) पुरस्कार के लिये चुना गया है।

- ◆ मुंबई में रहने वाली एनी जैदी को यह पुरस्कार उनके निबंध 'ब्रेड, सीमेंट, कैक्टस' (Bread, Cement, Cactus) के लिये दिया जा रहा है।
- ◆ अपने निबंध में उन्होंने घर और इससे जुड़ी भावनाओं को बखूबी चित्रित किया।
- एनी जैदी एक स्वतंत्र लेखिका के रूप में अखबार और पत्रिकाओं के लिये काम करती हैं और साथ ही लघु कथाएँ, कविता और नाटक भी लिखती हैं।
- नाइन डॉट्स प्राइज़ से ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है जो रचनात्मक सोच और विशेष लेखन शैली के जरिये आधुनिक मुद्दों पर लेखन कला को प्रोत्साहित करते हैं।
- नाइन डॉट्स प्राइज़ ब्रिटेन की चैरिटेबल संस्था कदास प्राइज़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के अगले विषय के तौर पर 'इज देयर स्टिल नो प्लेस लाइक होम' पर अगला निबंध आमंत्रित किया है। निबंध की शब्द सीमा तीन हजार होगी।

दिवस

विश्व पशु चिकित्सा दिवस

28 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 2000 से विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर पशु चिकित्सालयों में पशुओं में पाए जाने वाले जीवाणुओं का दवाओं के प्रति प्रतिरोध विषय पर चर्चा की गई और लोगों को इस बारे में जागरूक किया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम Value of Vaccination रखी गई है। यह विषय इसलिये चुना गया है क्योंकि पशु चिकित्सा के लिये टीकाकरण बेहद आवश्यक है, इससे पशु स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिलता है तथा यह कई जूनोटिक रोगकारकों के प्रति मनुष्यों को होने वाले जोखिम को कम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस

29 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस को मानाने की शुरुआत 1982 से हुई, जब यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट की अंतर्राष्ट्रीय डांस कमेटी ने 29 अप्रैल को नृत्य दिवस के रूप में स्थापित किया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जनसाधारण को नृत्य की महत्ता से परिचित कराना है। यह आधुनिक बैले नृत्य के प्रणेता ज्यां-जॉर्जेस नोवरे का जन्मदिन भी है और यह भी एक बड़ा कारण है कि 29 अप्रैल को इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की थीम Dance and Spirituality रखी गई है।

वर्ल्ड मैट्रोलॉजी डे

20 मई को वर्ल्ड मैट्रोलॉजी डे के दिन से दुनियाभर में किलोग्राम की परिभाषा बदल गई है और नई परिभाषा लागू भी हो गई है। इससे पहले किलोग्राम को प्लेटिनम से बने सिलेंडर के वजन से परिभाषित किया जाता था, जिसे ली ग्रैंड कहा जाता था। ऐसा एक सिलेंडर पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के पास 1889 से मौजूद है। अब किलोग्राम के माप के लिये किबबल या वाट बैलेंस का उपयोग किया जाएगा। क्वांटम फिजिक्स से संबंधित यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग कर सटीक गणना करेगा। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष नवंबर में वैज्ञानिकों ने किलोग्राम की परिभाषा बदल दी थी, जिसे दुनिया के 50 से अधिक देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। किलोग्राम की परिभाषा पर पुनर्विचार के लिये फ्रांस में वेट एंड मेजर्स पर एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। किलोग्राम की परिभाषा में बदलाव से आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के सात मानकों में से एक है।

वेदांत देसिकन की 750वीं जयंती

2 मई को उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने 13वीं शताब्दी के वैष्णव संप्रदाय के प्रख्यात गुरु, दार्शनिक एवं कवि वेदांत देसिकन की 750वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। वेदांत देसिकन वैष्णव संप्रदाय के शुरुआती गुरुओं में से हैं। स्मारक डाक टिकट जारी करने का उद्देश्य वेदांत देसिकन को श्रद्धांजलि देने के साथ युवा पीढ़ी को उनके नक्शे-कदम पर चलने के लिये प्रोत्साहित करना है। वेदांत देसिकन सिर्फ आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वह बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तित्व थे। वह एक वैज्ञानिक, तर्कसिद्ध, गणितज्ञ, साहित्यकार, भाषा-विज्ञानी और रणनीतिकार थे। 1268 ईस्वी में जन्मे, वेदांत देसिकन वैष्णव दार्शनिक थे और रामानुज के बाद के काल में वैष्णववाद के सबसे प्रखर व्यक्तित्वों में से एक थे। उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं का आधार शांति और मानवता थी।

अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस

4 मई को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन किया गया। 4 जनवरी, 1999 को ऑस्ट्रेलिया के वनों में लगी आग बुझाने के दौरान पाँच अग्निशमनकर्मियों की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन कर्मचारी दिवस की स्थापना के लिए विश्वभर में प्रस्ताव भेजे गए थे।

अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का प्रतीक लाल और नीला रिबन है। इसमें लाल रंग आग को दर्शाता है और नीला रंग पानी को; और ये रंग दुनियाभर में आपातकालीन सेवाओं का संकेत देते हैं। यह दिवस अग्निशमकों को उनके असाधारण प्रतिबद्धता, असाधारण साहस और उनकी निःस्वार्थ सेवा के लिये धन्यवाद करने हेतु मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1944 में 14 अप्रैल को मुंबई बंदरगाह पर एक मालवाहक जहाज में अचानक आग लग गई, जिसमें काफी मात्रा में रुई, विस्फोटक और युद्ध उपकरण रखे हुए थे। इस आग पर काबू पाने की कोशिश में 66 अग्निशमनकर्मी आग की चपेट में आकर अपने प्राण गँवा बैठे थे। इन्हीं अग्निशमनकर्मियों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विश्व अस्थमा दिवस

विश्व अस्थमा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस वर्ष 7 मई को इस दिवस का आयोजन किया गया। अस्थमा के रोगियों को आजीवन कुछ सावधानियाँ अपनानी पड़ती हैं तथा हर मौसम में अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता है। 1998 में पहली बार Global Initiative for Asthma ने इसका आयोजन बार्सिलोना में हुई प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद किया था। विश्व अस्थमा दिवस 2019 की थीम STOP for Asthma रखी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनियाभर में 100 से 150 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं और भारत में इससे प्रभावित लोगों की संख्या 15-20 मिलियन तक पहुँच गई है।

16वां संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस

चार दिन की वियतनाम यात्रा पर गए भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बुद्ध वैश्विक नेतृत्व से आह्वान किया कि शांति, साहचर्य, स्थिर विकास और परस्पर समन्वय वाली विश्व व्यवस्था के लिये बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करना होगा। 12 मई को वेंकैया नायडू 16वें संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस के अवसर पर वियतनाम के विश्व प्रसिद्ध तामचुक पगोड़ा में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह में वियतनाम बौद्ध संघ के प्रमुख और वेसाक समारोह 2019 संयुक्त राष्ट्र दिवस के अध्यक्ष डॉ. थिक थिएन न्हून, म्यांमार के राष्ट्रपति विन म्यिंट, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक सहित दुनियाभर से बड़ी संख्या में बौद्ध धर्मावलंबी और अनेक देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। वेसाक एक उत्सव है जो विश्वभर के बौद्धों द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो विभिन्न देशों के पंचांग के अनुसार अलग-अलग दिन पड़ता है। भारत में इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा 18 मई को मनाई जानी है। इसके अलावा भारत और वियतनाम रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग और बाहरी अंतरिक्ष, तेल एवं गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में अपने संबंध और भी मजबूत करने के लिये सहमत हुए।

अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस

15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का आयोजन किया गया। हर साल मई महीने में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का आयोजन संयुक्त परिवार के महत्त्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने वाली पहल के रूप में और परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिये की गई थी। 1996 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम Families and Climate Action: Focus on SDG13 रखी गई है।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

दुनियाभर में 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस वर्ष में दो बार- मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को आयोजित किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम Protect Birds: Be the Solution to Plastic Pollution! रखी गई है। गौरतलब है कि पक्षियों का प्रवास एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है। विभिन्न प्रवासी पक्षी प्रवास के लिये सैकड़ों-हजारों मील की दूरी की यात्रा तय करते हैं और किसी जलस्रोत (Water Body) के किनारे 3-4 महीनों के लिये डेरा डालने के बाद वापस वहीं लौट जाते हैं, जहाँ से वे आते हैं।

विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस

17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस का आयोजन किया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना और वर्ष 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की स्मृति में मनाया जाता था। आधुनिक युग में इसकी शुरुआत वर्ष 1969 में हुई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना है। वर्तमान में इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीविजन के द्वारा तकनीकी दूरियों को कम करना और आपसी संचार संपर्क को बढ़ाना भी है। इस वर्ष की विश्व दूरसंचार और सूचना सोसायटी दिवस की थीम Bridging the Standardization Gap रखी गई है।

विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस

21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस का आयोजन किया गया। इस दिवस को संवाद और विकास के लिये सांस्कृतिक विविधता के विश्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है। विश्व के सभी देशों की अपनी अलग भाषा, अलग परिधान और अलग-अलग सांस्कृतिक विशेषताएँ होती हैं। यह दिवस पूरे विश्व में इनका प्रसार करने के लिये मनाया जाता है। आपको बता दें कि वर्ष 2001 में यूनेस्को ने 21 मई को संवाद और विकास हेतु विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष इस दिवस की थीम Cultural and Sustainable Development (सांस्कृतिक एवं सतत विकास) रखी गई है।

जैव विविधता दिवस

22 मई को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। सभी जीवों एवं पारिस्थितिकी तंत्रों की विभिन्नता एवं असमानता को जैव विविधता कहा जाता है। 1992 में ब्राज़ील के रियो डि जेनेरियो में हुए जैव विविधता सम्मेलन के अनुसार जैव विविधता की परिभाषा इस प्रकार है: "धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों में मौजूद अथवा उससे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता ही जैव विविधता है।" विश्व के समृद्धतम जैव विविधता वाले 17 देशों में भारत भी शामिल है, जिनमें विश्व की लगभग 70 प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है। आपको बता दें कि वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। वर्ष 2019 के लिये इस दिवस की थीम Our Biodiversity, Our Food, Our Health रखी गई है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

20 मई को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अपना 10वाँ वार्षिक दिवस मनाया, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के व्यापक प्रवर्तन प्रावधानों की अधिसूचना जारी होने को दर्शाता है। प्रतिस्पर्धा-रोधी करारों (जिनसे भारत में प्रतिस्पर्धा पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है अथवा प्रभाव पड़ने की संभावना हो सकती है), उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को रोकने तथा ऐसे संयोजनों को विनियमित करने के लिये प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 बनाया गया। इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर, 2003 को किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। आयोग का कर्तव्य प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उसे सतंत्र रूप से बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस दुनियाभर में मनाया गया। विश्व में तंबाकू के सेवन को कम करने वाली प्रभावी नीतियों का प्रसार करने और तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य एवं अन्य जोखिमों को उजागर करने के लिये प्रतिवर्ष 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम इस दिवस का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1987 में तंबाकू से होने वाली हानियों और उसके कारण होने वाले रोगों और मृत्यु के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिये किया था। ज्ञातव्य है कि भारत वैश्विक स्तर पर तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा विश्व में

तंबाकू से होने वाली मौतों में 1/6 हिस्सा भारत का है। भारत में तंबाकू की समस्या विस्तृत सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के साथ विभिन्न प्रकार के धुआंरहित तंबाकू सेवन और तंबाकू सेवन के प्रकारों के कारण बेहद जटिल है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम Tobacco and Lung Health रखी गई है।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस

29 मई को विश्वभर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस (International Day of UN Peacekeepers) मनाया गया। इस अवसर पर युद्ध से तबाह देशों तथा समाज में शांति और सुरक्षा स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सैनिकों के कार्यों की सराहना तथा सम्मान के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। यह दिवस वर्ष 1948 से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अधीन कार्यरत शांति सैनिकों को संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने हेतु उनके प्रयासों के लिये मनाया जाता है। वर्ष 2003 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। वर्ष 2019 के लिये इस दिवस की थीम Protecting Civilians, Protecting Peace रखी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस

1 मई को दुनिया भर में 'अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस' (International Labor Day) मनाया जाता है। इसे मई दिवस (May Day) के नाम से भी जाना जाता है।

- दुनिया भर में सभी कामगारों व श्रमिकों के सम्मान में यह दिवस आयोजित किया जाता है।
- वर्ष 1889 में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन (International Socialist Conference) ने हेमार्केट नरसंहार (Haymarket Massacre) में मारे गए निर्दोष लोगों की याद में इस दिवस को मनाने का फैसला किया था।

हेमार्केट नरसंहार

- 1886 में अमेरिकी मजदूर संघों द्वारा यह निश्चय किया गया कि वे 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में हड़ताल शुरू कर दी।
- इस हड़ताल के दौरान शिकागो के हेमार्केट में एक बम विस्फोट की घटना हुई, जिसमें 100 से अधिक लोग घायल हुए।
- इस घटना की प्रतिक्रिया में पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए मजदूरों पर गोली चला दी जिसमें इसमें कई मजदूर मारे गए।
- भारत में मजदूर दिवस कामकाजी लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिन्दुस्तान द्वारा 1 मई, 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की गई। हालाँकि उस समय इसे मद्रास दिवस के रूप में मनाया गया था।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

दुनिया भर में 3 मई को 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' (World Press Freedom Day) मनाया जाता है।

- इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम 'Media for Democracy: Journalism and Elections in Times of Disinformation' है।
- यूनेस्को की जनरल कॉफ्रेंस की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। तब से हर वर्ष 3 मई (विंडहोक घोषणा की सालगिरह) को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है।

बीआरओ का 59वाँ स्थापना दिवस

सीमा सड़क संगठन (Border Road Organization-BRO) ने 7 मई, 2019 को अपना 59वाँ स्थापना दिवस मनाया।

सीमा सड़क संगठन (BRO)

- सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई, 1960 को हुई थी।
- सीमा सड़क संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है।
- यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
- यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सकें।
- संगठन पर 53,000 किलोमीटर सड़कों की जिम्मेदारी है। सीमा सड़क संगठन ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है।

सीमा सड़क संगठन की भूमिका

- शांतिकाल में- सीमावर्ती इलाकों में जनरल स्टाफ की ऑपरेशनल सड़कों का विकास व रखरखाव तथा सीमावर्ती राज्यों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान में योगदान करना।
- युद्धकाल में-पुनःतैनाती वाले इलाकों में नियंत्रण रेखा के लिये सड़क का विकास व देखभाल करना। साथ ही सरकार द्वारा युद्धकाल के दौरान विनिर्दिष्ट अन्य अतिरिक्त कार्यों का निष्पादन करना।

रेड क्रॉस दिवस

प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है।

- इस वर्ष इसकी थीम '#Love' है।
- यह रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

- रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानव जीवन व स्वास्थ्य का बचाव करना है।
- इसकी स्थापना युद्ध भूमि पर जख्मी और पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिये वर्ष 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की थी।
- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसे तीन बार (वर्ष 1917, 1944 और 1963) नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना है। रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है।
- रेड क्रॉस ने मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वयं प्रेरित सेवा, एकता एवं सार्वभौमिकता के सिद्धांतों को आत्मसात किया है।
- भारतीय रेड क्रॉस का सोसायटी अधिनियम, 1920 में पारित किया गया है जो शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, रोगों को रोकने और पीड़ितोंको सहायता प्रदान करने पर बल देता है।
- ज्ञातव्य है कि हेनरी ड्यूनेंट नोबेल शांति पुरस्कार के पहले विजेता थे।

गोपाल कृष्ण गोखले जयंती

9 मई, 2019 को भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी 153वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ तथ्य

- उनका जन्म 9 मई, 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था।
- वह वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस में शामिल हुए।
- वर्ष 1905 में गोखले को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के अध्यक्ष का चुना गया था।
- उन्होंने 1905 में सर्वेट्स ऑफ़ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने और अपने देश की सेवा के लिये प्रशिक्षित करना था।
- उन्हें महात्मा गांधी के गुरु के रूप में जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 'गोखले, मेरे राजनीतिक गुरु' नामक एक पुस्तक भी लिखी थी।

बासवन्ना जयंती

- संत बासवन्ना (भगवान बसवेश्वर) लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक एवं 12वीं सदी के कवि और दार्शनिक थे।
- बासवन्ना जयंती विशेष रूप से कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है।

संक्षिप्त जीवन परिचय

- गुरु बसवेश्वर का जन्म 1131 ईसवी में बागेवाड़ी (कर्नाटक के अविभाजित बीजापुर जिले में) नामक स्थान पर हुआ था।
 - इनके पिता का नाम मदरासा तथा माता मदालाम्बिके थी। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
 - आठ वर्ष की आयु में एक धार्मिक परंपरा के अंतर्गत इनका 'जनिवारा' (यज्ञोपवीत संस्कार) भी किया गया।
 - बासवन्ना ने इस परंपरा के खिलाफ विद्रोह किया एवं अपने जनेऊ को काट दिया और घर छोड़कर कुडलसंगम चले गए जहाँ से उन्होंने सभी आयामों में शिक्षा प्राप्त की।
 - बाद में वह कल्याण गए जहाँ कलचुरि राजा बिज्जाला (1157- 1167 ईसवी) का शासन था।
 - उनके विद्वल से प्रभावित होकर प्रारंभ में राजा ने उन्हें अपने दरबार में कर्णिका (लेखाकार) नियुक्त किया। तदुपरांत प्रशासनिक कौशल का परिचय देकर उन्होंने प्रधानमंत्री का पद प्राप्त किया।
 - बासवन्ना के उपदेश- बासवन्ना के उपदेशों एवं शिक्षाओं को उपन्यास के रूप में लिपिबद्ध किया गया है जिसे वचन (कविता) कहा जाता है।
 - "शरण आंदोलन" के नवीन साहित्यिक रूप में इनका मुख्य योगदान रहा जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी क्रांतिकारी और सुधारवादी विचारधारा को बहुत ही सरल ढंग से कन्नड़ भाषा में व्यक्त किया।
 - संत बसवेश्वर द्वारा चलाए गए 'वचन आंदोलन' का मुख्य लक्ष्य समाज के हर वर्ग का कल्याण था। सकल: जीवतमृग लेसु (सभी का कल्याण हो) उनकी उद्घोषणा थी।
 - उन्होंने दो प्रमुख विचार दिये- 'स्थावर एवं जंगम' इनके अर्थ क्रमशः 'स्थिर' एवं 'गतिशील' हैं। ये दोनों ही विचार क्रांतिकारी विचारधारा के आधार थे।
- उन्होंने सामाजिक-लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन किया, साथ ही 12वीं सदी में मानवाधिकार की भी बात की।
- धार्मिक सुधार- उन्होंने मंदिर की अवधारणा को बदलने की कोशिश की जो विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का मुख्य केंद्र था। उन्होंने कहा कि पुजारी और अमीर लोग भगवान और मंदिर के नाम पर आम लोगों का शोषण करते हैं।
 - संत बासवन्ना ने एक नया आयाम दिया जिसके अंतर्गत उन्होंने मानव शरीर और आत्मा (आंतरिक आत्मा) को महत्वपूर्ण बताया जिससे सभी मनुष्यों के आत्म-सम्मान को बढ़ावा मिला।
 - बासवन्ना के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया।
 - भारत के प्रधानमंत्री ने 2015 में लैम्बेथ में टेम्स नदी के किनारे उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

11 मई, 2019 को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day) मनाया गया।

- यह दिवस विज्ञान में भारत की दक्षता एवं प्रौद्योगिकी विकास को दर्शाता है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को तकनीकी रचनात्मकता, वैज्ञानिक परीक्षण, उद्योग और विज्ञान के एकीकरण में किये गए प्रयासों का प्रतीक माना जाता है।
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया हो।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत वर्ष 1998 में हुए पोखरण परमाणु बम परीक्षण से हुई थी।
- भारत ने 11 मई, 1998 को अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस

हर साल 17 मई को 'विश्व उच्च रक्तचाप दिवस' (World Hypertension Day) मनाया जाता है। गौरतलब है कि इस दिवस का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को इस मूक हत्यारे को नियंत्रित करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

- इस वर्ष 'विश्व उच्च रक्तचाप दिवस' की थीम 'नो योर नंबर्स' (Know Your Numbers) है।
- उच्च रक्तचाप दुनिया भर में मृत्यु की एक बड़ी वजह है जिसे रोका जा सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey) के अनुसार, 2017 में पूरे भारत में 22.5 मिलियन लोगों की जाँच में पाया गया कि हर आठ में से एक भारतीय उच्च रक्तचाप से पीड़ित है।

उच्च रक्तचाप

- उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन तब होता है जब किसी व्यक्ति की धमनी का रक्तचाप एक निश्चित स्तर से ऊपर उठ जाता है। इसे आमतौर पर ब्लडप्रेसर के रूप में भी जाना जाता है।
- उच्च रक्तचाप होने का सीधा मतलब यह है कि पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति करने के लिये हृदय को सामान्य से अधिक पंप करना पड़ता है।
- उच्च रक्तचाप को अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि जब तक शरीर के अंग गंभीर रूप से प्रभावित न हों तब तब इसका कोई लक्षण परिलक्षित नहीं होता है।

अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस

अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस, जिसे विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जैव-विविधता को बढ़ावा देने के लिये 22 मई को मनाया जाता है।

- वर्ष 2019 के लिये अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (International Day of Biological Diversity) की थीम 'हमारी जैव-विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य' (Our Biodiversity, Our Food, Our Health) है।
- अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस को मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
- 22 मई, 1992 को नैरोबी में जैव-विविधता पर अभिसमय (Convention on Biological Diversity- CBD) के टेक्स्ट को स्वीकार किया गया था। इसलिये 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस मनाया जाता है।

खाद्य और कृषि हेतु जैव विविधता

- आनुवंशिकी, प्रजातिय और पारिस्थितिकी-तंत्र के स्तर पर जैव-विविधता जीवन की विविधता है। खाद्य और कृषि हेतु जैव विविधता (Biodiversity For Food and Agriculture- BFA) इसी का ही एक हिस्सा है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और खाद्य उत्पादन में योगदान देता है।
- जैव-विविधता, उत्पादन प्रणाली और आजीविका को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान के प्रति अधिक लचीला बनाती है।

वीर सावरकर

28 मई को स्वतंत्रता सेनानी वीर दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई।

वीर सावरकर के बारे में

- वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। इनका जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था।
- सावरकर इंडिया हाउस (India House) नामक राष्ट्रवादी संस्था से जुड़े थे एवं उन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी (Free India Society) की स्थापना भी की थी।

- वर्ष 1910 में सावरकर को क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ संबंधों के चलते गिरफ्तार किया गया था।
- वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर को 50 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाकर उन्हें अंडमान निकोबार दीप समूह में स्थित कालापानी जेल में डाल दिया गया। लेकिन वर्ष 1921 में उन्हें रिहा कर दिया गया।
- वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, लेखक, समाज सुधारक और हिंदुत्व दर्शन के सूत्रधार थे।
- वर्ष 1923 में उन्होंने 'हिंदुत्व' (Hindutva) शब्द की व्याख्या की और कहा कि भारत केवल उन्ही लोगों का है जो इसे 'पितृभूमि' और 'पवित्र भूमि' मानते हैं।
- वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व (Hindutva) में द्विराष्ट्र सिद्धांत (Two-nation Theory) का प्रतिपादन किया जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के लिये दो अलग-अलग राष्ट्रों की बात कही गई जिसे वर्ष 1937 में हिंदू महासभा ने एक संकल्प के रूप में पारित किया।
- वर्ष 2000 में अंडमान और निकोबार की राजधानी में पोर्ट ब्लेयर में स्थित हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया।

इमैजिन कप विश्व चैंपियनशिप

अमेरिका के सिएटल में हुई माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिष्ठित इमैजिन कप विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय छात्रों की टीम को अपने नवीन स्मार्ट स्वचालित प्रदूषण रोधी एवं औषधि प्रदाता मास्क के लिये रनर अप पुरस्कार मिला। टीम में शामिल आकाश भड़ना, वासु कौशिक और भारत सुंदल ने दुनिया का पहला स्मार्ट स्वचालित प्रदूषण रोधी और औषधि प्रदाता मास्क काएली बनाया है। इसे विशेष रूप से अस्थमा और श्वास रोगियों के लिये बनाया गया है। उनके इस आविष्कार ने फरवरी में सिडनी में हुई एशिया रीजनल फाइनल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। चैंपियनशिप में पहला स्थान अमेरिका की इजीग्लूकोस टीम को मिला।

बैडमिंटन टूर्नामेंट सुदीरमन कप

विश्व बैडमिंटन में सिरमौर माने जाने वाले चीन ने 26 मई को चीन के नेनिंग में खेले गए फाइनल में जापान को 3-0 से हराकर 11वीं बार बैडमिंटन टूर्नामेंट सुदीरमन कप का खिताब जीत लिया। इससे पहले चीन ने वर्ष 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 और 2015 में सुदीरमन कप अपने नाम किया था। सुदीरमन कप बैडमिंटन का मिक्स्ट टीम इवेंट है। इसमें महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। 1989 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट के 16 संस्करण अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 11 खिताब चीन ने जीते हैं, दक्षिण कोरिया ने चार और इंडोनेशिया ने एक बार यह खिताब जीता है।

ISSF वर्ल्ड कप

भारत की अपूर्वी चंदेला ने म्यूनिख में तीसरे ISSF वर्ल्ड कप में एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता है। इस वर्ष में यह उनका दूसरा वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने फरवरी में दिल्ली वर्ल्ड कप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। अपूर्वी ने 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक 0.1 पॉइंट से अपने नाम किया। अपूर्वी ने फाइनल में कुल 251 अंक हासिल किये, जबकि चीन की वांग लुयाओ ने 250.8 अंक हासिल कर रजत पदक जीता। तीसरे नंबर पर रही चीन की झू होंग ने 229.4 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। भारत की एलावेनिल वलारिवान फाइनल में चौथे नंबर पर रहीं। यह अपूर्वी के करियर में चौथा ISSF पदक है। इसके अलावा, राही सरनोबत ने 25 मीटर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। सौरभ चौधरी ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इसी वर्ष दिल्ली में बनाए अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया।

वरुण 19.1

1 से 10 मई तक भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के संयुक्त नौसेना अभ्यास का पहला भाग वरुण 19.1, गोवा समुद्र तट के निकट आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। गोवा में आयोजित हार्बर चरण में दोनों देशों के नौसेना अधिकारियों के दौरे,

पेशेवर वार्तालाप एवं विचार-विमर्श तथा खेल आयोजन शामिल होंगे। समुद्री चरण में विभिन्न प्रकार के समुद्री संचालनों से जुड़े अभ्यासों को शामिल किया जाएगा। अभ्यास का दूसरा भाग वरुण 19.2 मई के अंत में जिबूती में आयोजित किया जाएगा। इस द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास की शुरुआत 1983 में की गई थी। वर्ष 2001 में इसका नाम 'वरुण' रखा गया। यह भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मोमो-3 रॉकेट

जापान की एक एयरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी ने अंतरिक्ष में एक छोटे रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी कारपोरेशन के मानवरहित मोमो-3 रॉकेट ने प्रशांत महासागर में गिरने से पहले 100 किलोमीटर से अधिक की ऊँचाई तय की। 10 मीटर लंबे और 50 सेंटीमीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन लगभग एक टन है और हल्के पेलोड (अंतरिक्ष उपकरण) को कक्षा में छोड़ने में सक्षम है। जापान में लाइवडोर कंपनी के पूर्व अध्यक्ष ताकाफुमी होरी द्वारा 2013 में स्थापित इस कंपनी का उद्देश्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिये कम लागत वाले व्यावसायिक रॉकेट बनाना है। वर्ष 2017 एवं 2018 में दो असफलताओं के बाद कंपनी को यह सफलता मिली। यह वाह्य अंतरिक्ष तक पहुँचने वाला जापान का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है।

संप्रभु इंटरनेट कानून

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संप्रभु इंटरनेट कानून (Digital Sovereignty Bill) पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। इसके कानून बन जाने के बाद विदेशी सर्वरों से आने वाले इंटरनेट ट्रैफिक को सरकारी सिस्टम से गुजरना होगा। इसके तहत रूसी अधिकारियों का इंटरनेट शेष देश से अलग होगा। यह नया कानून रूस के ऑनलाइन नेटवर्क की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के मद्देनजर बनाया गया है। यह कानून इस वर्ष नवंबर से प्रभावी होगा। इसमें इंटरनेट पर निगरानी रखने के लिये अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और रूसी इंटरनेट ट्रैफिक से विदेशी सर्वर को दूर रखा जाएगा। इसमें यह व्यवस्था की जाएगी कि अन्य देश इसे बाधित न कर सकें। रूस में इंटरनेट का नियंत्रण FSB सिक्वोरिटी सर्विस और टेलीकॉम एंड मीडिया मॉनीटरिंग एजेंसी रोसकोमनाडज़ोर के पास है। जिन पर मनमाने ढंग से इंटरनेट से कंटेंट को गायब करने के आरोप हैं। रूस में हालिया वर्षों में डेलीमोशन वीडियो प्लेटफॉर्म, लिंकडइन ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट और टेलीग्राम आदि के कंटेंट को ब्लॉक करने की घटनाएँ सामने आई हैं।

INS रणजीत मिसाइल डिस्ट्रॉयर

लगभग 36 वर्ष तक भारतीय नौसेना की सेवा करने के बाद INS रणजीत मिसाइल डिस्ट्रॉयर 6 मई को नौसेना से रिटायर हो गया। विशाखापत्तनम में नौसेना ने INS रणजीत को अंतिम सलामी दी। 1983 में INS रणजीत को मिसाइल डिस्ट्रॉयर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह सोवियत रूस द्वारा तैयार किये गए काशिन श्रेणी के पाँच मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से तीसरा है। INS रणजीत का निर्माण यूक्रेन के कोमुनारा शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। सोवियत रूस में इसे 16 जून, 1979 को लॉन्च किया गया था और 30 अक्टूबर, 1981 को सोवियत संघ की नौसेना में इस मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया। इसके बाद 3950 टन वजनी यह मिसाइल डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया, जहाँ इसे INS रणजीत नाम दिया गया।

मैनोवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम

बोइंग ने 737 मैक्स विमान में मैनोवरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑगमेंटेशन सिस्टम (MCAS) से जुड़ी खामी को दूर करने के बाद परीक्षण हेतु 360 घंटों से ज्यादा उड़ान भरकर इसके सफल रहने का दावा किया है। इसके लिये 207 उड़ानें संचालित की गईं। लेकिन विमानों का परिचालन फिर शुरू करने से पहले बोइंग को प्रस्तावित सुधार पर अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय नियामकों की अनुमति लेनी होगी। गौरतलब है कि अमेरिका की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने लायन एयर और इथियोपियन एयरलाइंस हादसों के बाद 737 मैक्स विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट करने की घोषणा की थी। इन विमान हादसों के बाद दुनियाभर के देशों ने इन विमानों को परिचालन से बाहर कर दिया था। बोइंग का कहना है कि सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर सारी इंजीनियरिंग परीक्षण उड़ानें पूरी कर ली गई हैं और अब इसकी प्रामाणिकता के लिये अंतिम उड़ान की तैयारी की जा रही है।

8वां समन्वित गश्त अभियान

भारत और म्यांमार के बीच 8वें समन्वित गश्त (IMCOR) अभियान की शुरुआत हुई। इसमें हिस्सा लेने के लिये म्यांमार नौसेना के जहाज UMS किंग टेबिन-श्वेलएचटी (773) और UMS इनले (OPV-54) पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमान पहुँचे। ये जहाज 20 से 28 मई तक भारतीय नौसेना के जहाज 'सरयू' के साथ समन्वित गश्त करेंगे। दोनों नौसेनाओं से समुद्री पैट्रियन एयरक्राफ्ट द्वारा गश्त के प्रयास को बढ़ावा देंगे। इस पहल का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं द्वारा आतंकवाद, अवैध तरीके से मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है।

भारत-ब्रिटेन नौसेना सहयोग

भारत और ब्रिटेन द्वारा एक नए अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिये बातचीत की जा रही है। गौरतलब है कि इसे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ब्रिटेन की एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ (HMS Queen Elizabeth) की तर्ज पर बनाया जाएगा।

- भारतीय नौसेना ने 65,000 टन के युद्धपोत एचएमएस क्वीन एलिजाबेथ की विस्तृत योजना को खरीदने और 2022 में 'आईएनएस विशाल' नामक एक नया संस्करण बनाने की इच्छा जाहिर की है।
- इस विमान वाहक के डिजाइन पर ब्रिटिश और फ्रांसीसी एयरोस्पेस बीएई और थेल्स (BAE and Thales) का स्वामित्व है।
- भारतीय नौसेना और स्थानीय उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ब्रिटेन के इस विमान वाहक के डिजाइन में संशोधन किया जाएगा।
- यह विमान वाहक भारत के INS विक्रमादित्य (जिसे 2004 में रूस से खरीदा गया) और निर्माणाधीन INS विक्रान्त के साथ काम करेगा और भारतीय नौसेना को मजबूती प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCCM)

कैबिनेट सचिवालय में एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee-NCCM) का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव हैं।

- इस समिति का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।
- इस समिति में कैबिनेट सचिव और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के साथ-साथ अन्य संगठन भी शामिल हैं।

स्कॉर्पीन वर्ग की चौथी पनडुब्बी वेला

हाल ही में स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बी 'वेला' (VELA) को मुंबई में लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य सामरिक दृष्टि से समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा क्षमता को बढ़ावा देना है। इस पनडुब्बी को परीक्षणों के बाद इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि 'वेला' भारत में फ्रांसीसी सहयोग से निर्मित की जा रही छह अंतर्जलीय युद्धपोतों में से चौथी है।

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इस पनडुब्बी का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है जिसे रक्षा उत्पाद विभाग सक्रियता से लागू कर रहा है।
- स्कॉर्पीन वर्ग की पनडुब्बियाँ किसी आधुनिक पनडुब्बी के सभी कार्य करने में सक्षम हैं, जिसमें एंटी-सर्फेस और एंटी-सबमरीन युद्ध शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा स्कॉर्पीन वर्ग की छह पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है।
- स्कॉर्पीन वर्ग की पनडुब्बियाँ परंपरागत रूप से डीजल-इलेक्ट्रिक इंजनों से चलने वाली पनडुब्बियाँ हैं।
- इसके लिये अक्टूबर 2005 में फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ समझौता किया गया था, जो स्कॉर्पीन श्रृंखला की पनडुब्बियों के निर्माण और आवश्यक तकनीकी हस्तांतरण में सहायता कर रहा है।

- हालाँकि निर्माण कार्य में विलंब के चलते इस कार्यक्रम में चार साल की देरी हुई है।
- 14 दिसंबर, 2017 को स्कॉर्पिन श्रेणी की पहली पनडुब्बी 'आईएनएस कलवारी' को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- दूसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी 'आईएनएस खांदेरी' जनवरी 2017 में लॉन्च की गई थी।
- शेष दो पनडुब्बियाँ- वागीर (Vagir) और वाग्शीर (Vagsheer) अभी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, जिन्हें 2020 तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

ABHYAS का सफल परीक्षण

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (High-speed Expendable Aerial Target-HEAT) 'ABHYAS' का सफल परीक्षण किया।

- यह एक मानव रहित हवाई वाहन है जो माइक्रोइलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम (Microelectromechanical Systems- MEMS) नेविगेशन प्रणाली पर आधारित है।
- यह नेविगेशन और मार्गदर्शन के लिये स्वदेशी रूप से विकसित MEMS-आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करता है।
- MEMS- आधारित INS (जड़त्विय नेविगेशन प्रणाली) का इस्तेमाल छोटे मानव रहित हवाई वाहनों (Unmanned Aerial Vehicles) में किया जाता है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसार, ABHYAS ड्रोन के परीक्षण को विभिन्न राडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम द्वारा ट्रैक किया गया और सही तरीके से नेविगेशन मोड में रखा गया था।
- 'ABHYAS' ड्रोन को ऑटोपायलट मोड में स्वतंत्र उड़ान हेतु डिज़ाइन किया गया है।

SIMBEX 2019

भारत और सिंगापुर के बीच SIMBEX-2019 युद्ध अभ्यास की शुरुआत दक्षिणी चीन सागर में हो चुकी है। गौरतलब है कि SIMBEX-2019 इस वार्षिक अभ्यास का 26वाँ संस्करण है।

- इस अभ्यास का आयोजन 16-22 मई, 2019 के बीच किया जा रहा है।
- भारतीय नौसेना के जहाज कोलकाता और शक्ति के अतिरिक्त लंबी दूरी के सामुद्रिक निगरानी विमान भी सिम्बेक्स-19 में हिस्सा ले रहे हैं।
- इस द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत पारंपरिक पनडुब्बी-रोधी अभ्यासों से हुई जो एडवांस्ड एयर डिफेंस ऑपरेशन्स (Advanced Air Defense Operations), एंटी एयर/सरफेस टारगेट्स पर अभ्यास गोलीबारी (Exercise Firing on Anti Air/Surface Targets), सामरिक अभ्यास आदि तक पहुँच चुकी है।
- वर्ष 2018 में इस अभ्यास का आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बाहर हिंद महासागर में किया गया था।

DRDO ने गाइडेड बम का प्रक्षेपण सम्पन्न किया

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में एक सुखोई लड़ाकू विमान, सू-30 एमकेआई (Su-30 MKI) से 500 किलोग्राम श्रेणी के एक गाइडेड बम छोड़ने का सफल परीक्षण किया है।

- बम छोड़ने की यह नई प्रणाली विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है।
- इस गाइडेड बम ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए निर्धारित दूरी की सीमा तक मार करने की क्षमता को हासिल कर लिया है।
- यह प्रक्षेपण भारतीय वायुसेना (Indian Air Force- IAF) द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुखोई जेट के सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के दो दिन बाद संपन्न हुआ।

आकाश-एमके-1 एस

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation-DRDO) ने चांदीपुर, ओडिशा से आकाश- एमके-1एस (AKASH-MK-1S) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

- आकाश- एमके -1 मौजूदा आकाश मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है जो स्वदेशी तकनीक से लैस है।
- आकाश- एमके -1 सतह से हवा में मार करने में सक्षम एक मिसाइल है जो हवाई लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकती है।
- आकाश हथियार प्रणाली में कमांड संचालन और सक्रिय टर्मिनल संचालन दोनों का संयोजन है।

ग्रीन कार लोन

सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 28 अप्रैल को देश के पहले ग्रीन कार लोन की शुरुआत की। बैंक ने इसकी दरें सामान्य ऑटो लोन के मुकाबले 0.20% कम रखी हैं। ग्रीन कार लोन के लिये कुछ शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद लोन जारी होगा। फिलहाल इस लोन के लिये अप्लाई करने वालों से कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं वसूला जाएगा। यह इलेक्ट्रिक कार की खरीदारी के लिये लॉन्च हुआ भारत का पहला ग्रीन कार लोन है। इस पहल का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा देना है। सामान्य कार लोन में 7 साल का रिपेमेंट पीरियड होता है, जबकि ग्रीन कार लोन में रिपेमेंट पीरियड 8 साल का होगा।

कलर्स ऑफ इंडिया

भारत और चीन वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 'अनौपचारिक बैठक' का एक साल पूरा होने पर इस मध्य चीनी शहर में सप्ताह भर चलने वाले भारत महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इस मौके पर भारत ने वुहान में कलर्स ऑफ इंडिया सप्ताह की शुरुआत की है। इस दौरान नृत्य प्रस्तुति, सिनेमा प्रदर्शनी, फोटो प्रदर्शनी और व्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिसरी और वुहान के डिप्टी मेयर चैन शीजिन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बीजिंग में भारतीय दूतावास और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद हुबेई प्रांतीय सरकार और वुहान नगर प्रशासन के सहयोग से इसका आयोजन कर रहे हैं। चाइना आर्ट एसोसिएशन ने भी इस कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग दिया है।

जलवायु आपातकाल

दुनिया में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद ब्रिटेन की संसद ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर आपातकाल घोषित कर दिया। वैसे इस घोषणा से पहले ही ब्रिटेन के कई कस्बों और शहरों ने जलवायु आपात स्थिति घोषित कर दी थी। ब्रिटेन के लोगों का कहना है कि वे 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं। यानी उतना ही कार्बन उत्सर्जित हो जिसे प्राकृतिक रूप से समायोजित किया जा सके। गौरतलब है कि पिछले महीने इस मांग की शुरुआत एक छोटे-से समूह ने लंदन में की थी। क्लाइमेट चेंज इमरजेंसी की कोई सटीक परिभाषा नहीं है और न ही इस दौरान क्या कदम उठाए जाते हैं, इसे लेकर अभी तक कोई स्पष्ट नीति बनी है। ब्रिटेन उन 18 विकसित देशों में एकमात्र ऐसा देश है जिसने पिछले एक दशक में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन किया है।

Healthy Oceans and Sustainable Blue Economies

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने हाल ही में फिजी में हुई बैंक के गवर्नर्स बोर्ड की 52वीं वार्षिक बैठक में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये स्वस्थ महासागरों और सतत नीली अर्थव्यवस्थाओं के लिये कार्ययोजना- Healthy Oceans and Sustainable Blue Economies लॉन्च की। इसके तहत 2019 से 2024 तक की अवधि में 5 बिलियन डॉलर की राशि से समुद्री स्वास्थ्य और समुद्री अर्थव्यवस्था परियोजनाओं के लिये वित्तपोषण और तकनीकी सहायता का विस्तार किया जाएगा। ADB की यह कार्ययोजना सतत विकास लक्ष्य संख्या 14- जल के नीचे जीवन (Life Below Water) को प्राप्त करने में ADB के विकासशील सदस्य देशों के प्रयासों में सहायक

होगी। यह कार्ययोजना चार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी- 1. स्थायी पर्यटन और मत्स्य पालन में समावेशी आजीविका और व्यापार के अवसर पैदा करना, 2. तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों तथा प्रमुख नदियों की रक्षा और पुनर्स्थापन, 3. प्लास्टिक, अपशिष्ट जल और कृषि अपवाह सहित समुद्री प्रदूषण के भूमि-आधारित स्रोतों को कम करना तथा 4. बंदरगाह और तटीय बुनियादी ढाँचे के विकास में सुधार।

महिला पुलिस पेट्रोलिंग फोर्स

कर्नाटक के मंगलुरु शहर में पुलिस ने एक विशिष्ट महिला पुलिस पेट्रोलिंग फोर्स लॉन्च की है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बनाई गई इस फोर्स का नाम रानी अब्बक्का फोर्स रखा गया है। फिलहाल शहर में रानी अब्बक्का फोर्स में 50 महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक पेट्रोलिंग टीम में पांच पुलिसकर्मी हैं। इससे पहले ऐसी ही एक महिला पेट्रोल टीम रानी अब्बक्का फोर्स के नाम से ही राज्य के उडुपी जिले की पुलिस ने भी लॉन्च की थी। गौरतलब है कि रानी अब्बक्का तटीय कर्नाटक की रानी थीं, जिन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों के साथ युद्ध किया था। वह चौटा राजवंश की थीं जो मंदिरों के नगर मूडबिद्री से शासन करते थे तथा बंदरगाह शहर उल्लाल उनकी सहायक राजधानी थी।

ई-हाईवे

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अपने प्रयासों के तहत जर्मनी ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये पहली बार देश में छह करोड़ डॉलर (544 करोड़ रुपए) की लागत से ई-हाईवे तैयार किया है। हाल ही में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट और नज़दीकी इंडस्ट्रियल पार्क के बीच 10 किलोमीटर लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे का परीक्षण किया गया। इसमें विशेषतौर पर तैयार किये गए ट्रक चलाए गए, जो ट्रेन के इलेक्ट्रिक इंजनों की तरह सड़क के ऊपर लगी केबल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ट्रकों में मोटर लगाई गई है, जो केबल से बिजली प्राप्त करती है। इलेक्ट्रिक केबल की ऊर्जा से ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इस सिस्टम को जर्मन कंपनी सीमेंस ने विकसित किया है। यह सिस्टम जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ट्रकों के मुकाबले काफी ऊर्जा बचाता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी इससे कमी आएगी।

डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स

वैज्ञानिकों ने खतरनाक डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स की एक नई प्रजाति की पहचान की है। ये डायनासोर आकार में विशाल और मांसाहारी होते थे, लेकिन नई प्रजाति के डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स की तुलना में काफी छोटे होते थे। इस प्रजाति के डायनासोर का अस्तित्व 9.2 करोड़ साल पहले क्रीटेशस काल में था। यह वह समय था जब धरती पर विशाल आकार के डायनासोर पाए जाते थे। इस नई प्रजाति को सस्किट्रायननस हेजेल नाम दिया गया है। यह करीब 0.9 मीटर ऊँचा और 2.7 मीटर लंबा था और इसका वजन 20 से लेकर 41 किलोग्राम तक होने का अनुमान लगाया गया है। पूरी तरह विकसित होने पर टायरेनोसोरस रेक्स डायनासोर का वजन मोटे तौर पर नौ टन होता था। टायरेनोसोरस रेक्स की तरह सस्किट्रायननस हेजेल भी मांसाहारी था और छोटे जानवरों का शिकार करता था। यह खोज एक डायनासोर के जीवाश्म से की गई है।

महिला डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड यूनिट

छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहली बार नक्सल विरोधी मुहिम के लिये महिला डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड (DRG) यूनिट का गठन किया है। महिलाओं के इस दस्ते का नाम दंतेश्वरी लड़ाके रखा गया है। महिला DRG की पहली टीम का गठन दंतेवाड़ा जिले में किया गया है। 30 महिलाओं की इस यूनिट का नेतृत्व डीएसपी दिनेश्वरी नंद को सौंपा गया है। इन महिलाओं को जंगल वॉर की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इस टीम में 10 ऐसी महिलाएँ शामिल हैं जो पहले नक्सली थीं और बाद में सरेंडर करके मुख्यधारा में शामिल हो गईं। DRG टीमों में आमतौर पर सरेंडर कर चुके नक्सलियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें नक्सल कैंपों की अच्छी जानकारी रहती है।

जयनगर-कुर्था

भारत सरकार द्वारा नेपाल के लिये बनाई गई जयनगर-कुर्था ब्रॉडगेज पर रेल सेवा शुरू करने के लिये भारत का कोंकण रेलवे नेपाल को दो DEMU ट्रेन एवं आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति करेगा। पाँच कोचों वाले दोनों DEMU ट्रेन सेटों की लागत करीब 50 करोड़ रुपए है और इनका निर्माण तमिलनाडु के चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जाएगा। 1600 हॉर्स पावर वाले प्रत्येक ट्रेन सेट में एक ड्राइविंग पावर कार, एक वातानुकूलित के साथ तीन ट्रेलर कार, मानक सामान के साथ एक ड्राइविंग ट्रेलर कार शामिल होगी। भारत-नेपाल विकास साझेदारी कार्यक्रम के तहत भारतीय वित्तीय अनुदान के साथ IRCON (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा 34 किलोमीटर जयनगर-कुर्था रेलवे लिंक बनाया गया है।

Trimeresurus Arunachalensis

पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) की टीम ने पिट वाइपर साँप की लाल-भूरे रंग की एक नई प्रजाति खोजी है जिसमें गर्मी को महसूस करने की अनूठी क्षमता है। यह पिछले 70 साल में मिली पहली ऐसी प्रजाति है। इस प्रजाति का नाम इसकी खोज की जगह अरुणाचल प्रदेश के नाम पर Trimeresurus Arunachalensis रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के इंगलनेस्ट क्षेत्र में जैवविविधता सर्वेक्षण के दौरान साँप की इस प्रजाति का पता चला। साँप के DNA अनुक्रमों के तुलनात्मक विश्लेषण और रूपात्मक विशेषताओं की जाँच से पता चला कि साँप की ऐसी प्रजाति वर्णन पहले नहीं मिलता।

युवा विज्ञानी कार्यक्रम (युविका)

इसरो के चेयरमैन डॉ. के. सिवन ने 13 मई को युवा विज्ञानी कार्यक्रम (युविका) की शुरुआत की। इसरो के कैच देम यंग अभियान का उद्देश्य विज्ञान और वैज्ञानिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले भविष्य के वैज्ञानिकों को तलाशना और उन्हें अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों से जोड़ना है। इसरो के युविका प्रोग्राम के अंतर्गत बाल वैज्ञानिकों को दो सप्ताह तक इसरो में अंतरिक्ष विज्ञान की गतिविधियों को जानने, समझने और जुड़ने का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम इसरो के चार केंद्रों पर चलाया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को देश के जाने-माने वैज्ञानिकों को सुनने और उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही इसरो की तकनीकी व्यवस्था और उन्नत केंद्रों का भ्रमण, विशेषज्ञों के साथ वार्तालाप और प्रैक्टिकल देखने का मौका भी मिलेगा। युविका कार्यक्रम के तहत चयनित बच्चों के आने-जाने, ठहरने आदि का पूरा खर्च इसरो ही वहन कर रहा है।

शिनकानसेन ट्रेन

जापान ने दुनिया में सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन का परीक्षण शुरू कर दिया है। इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। शिनकानसेन ट्रेन के इस ALFA-X संस्करण का तीन साल तक परीक्षण किया जाएगा और वर्ष 2030 तक इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन का परीक्षण सप्ताह में दो बार सेंडई और ओमोरी शहरों के बीच किया जाएगा, जो कि एक-दूसरे से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तब यह 360 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन होगी। यह ट्रेन चीन की फॉक्सिंग ट्रेन को पीछे छोड़ देगी, जो ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in rail eXperimentation) जैसी तेज स्पीड को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। लंबी नुकीली नाक वाली जापान की इस बुलेट ट्रेन का मॉडल फ्यूचरिस्टिक डिजाइन पर आधारित है।

भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान

भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान (FTII), पुणे के पाँच पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने नवगठित व्यावहारिक कला और शिल्प श्रेणी में मंजूरी प्रदान की है। इस प्रकार FTII देश का पहला और एकमात्र संस्थान बन गया है, जिसे यह मान्यता मिली है। AICTE द्वारा मंजूर किये गए इन पाँच पाठ्यक्रमों में चार टेलीविज़न (निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और साउंड रिकॉर्डिंग) तथा एक फिल्म (फीचर फिल्म पटकथा लेखन) से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) ने जनवरी 2017 में FTII के छह PG डिप्लोमा फिल्म पाठ्यक्रमों को स्नातकोत्तर डिग्री की मान्यता दी है। इसके साथ FTII के सभी 11 पाठ्यक्रमों को या तो AIU या AICTE से मान्यता मिल गई है।

बिल्ड अमेरिका

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट में ग्रीन कार्ड की जगह नई आब्रजन योजना 'बिल्ड अमेरिका' वीजा का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के लागू हो जाने पर कुशल पेशेवरों को ही ग्रीन कार्ड मिल सकेगा। यह नई आब्रजन योजना योग्यता और मैरिट पर आधारित होगी। इससे ग्रीन कार्ड या स्थायी वैध निवास की अनुमति का इंतजार कर रहे भारतीयों सहित अन्य विदेशी प्रोफेशनल्स और कुशल श्रमिकों को लाभ होगा। इस प्रस्ताव में वीजा कोटा 12% से बढ़ाकर 57% करने की बात कही गई है। ज्ञातव्य है कि अमेरिका हर साल करीब 11 लाख विदेशियों को ग्रीन कार्ड देता है। इसके मिल जाने के बाद लोगों को अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति होती है। वर्तमान में ग्रीन कार्ड परिवार से संबंध के आधार पर दिया जाता रहा है। 'बिल्ड अमेरिका' वीजा के तहत ग्रीन कार्ड के लिये विदेशियों को अंग्रेजी सीखनी होगी तथा साथ ही नागरिक शास्त्र की परीक्षा भी पास करनी होगी।

कैलास भू-क्षेत्र

यूनेस्को ने कैलास भू-क्षेत्र को विश्व धरोहर की अंतरिम सूची में भी शामिल कर लिया है। पवित्र कैलास भू-क्षेत्र भारत सहित चीन व नेपाल की संयुक्त धरोहर है। अब इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस पहल का असर यह होगा कि राष्ट्रीय महत्त्व वाले इस क्षेत्र को प्राकृतिक के साथ ही सांस्कृतिक (मिश्रित) श्रेणी की संरक्षित धरोहर का दर्जा मिलेगा। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों की प्राकृतिक धरोहरों को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य यूनेस्को के दो केंद्रों के माध्यम से कार्य करने वाले प्राधिकरण के सहयोग से किया जाएगा। गौरतलब है कि कैलास क्षेत्र को संरक्षित विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिये चीन व नेपाल पहले ही अपना प्रस्ताव यूनेस्को को भेज चुके थे। भारत ने भी अपने भूभाग के 7120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को यूनेस्को से प्रारंभिक मंजूरी प्रदान करा दी है। अब विभिन्न देशों का 31 हजार 175 वर्ग किलोमीटर भाग यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल हो गया है।

चांग ई-4

चीन के अंतरिक्ष यान चांग ई-4 ने चंद्रमा के अनदेखे हिस्से की पड़ताल शुरू कर दी है। चांग ई-4 की मदद से चंद्रमा के इस हिस्से की सतह के रासायनिक और खनिज घटकों के बारे में काफी जानकारी मिली है। इससे आने वाले समय में पृथ्वी और चंद्रमा के विकास क्रम से जुड़ी कई गुत्थियों के सुलझने की भी उम्मीद है। ज्ञातव्य है कि चांग ई-4 दुनिया का पहला यान है और यह चंद्रमा के उस हिस्से पर उतरा है, जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। चांग ई-4 यान को पिछले वर्ष 8 दिसंबर को सिचुआन प्रांत के शिचांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च-3बी रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था और यह इस वर्ष 3 जनवरी को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतर गया था।

ट्रांसलेटोट्रोन

सर्च इंजन गूगल ने अपने पहले 'डायरेक्ट स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन सिस्टम' का ऐलान किया है। गूगल की इस नई मौखिक संचार प्रणाली का नाम ट्रांसलेटोट्रोन रखा गया है। इस नई प्रणाली के तहत गूगल को बोलकर दिये गए निर्देशों का वह दूसरी ऐच्छिक भाषा में तुरंत सटीक अनुवाद करके दे सकता है। 'ट्रांसलेटोट्रोन' एक श्रृंखला से दूसरी श्रृंखला के नेटवर्क पर काम करता है। इसका स्रोत 'स्पेक्ट्रोग्राम्स' हैं, जो इनपुट दृश्य आवृत्तियों की पहचान करके लक्षित भाषा में अनुवाद करते हैं। गूगल के इस स्पीच ट्रांसलेटर का इस्तेमाल अधिक सुविधाजनक तो है ही, इसका अनुवाद भी ज्यादा सटीक और सहज है। 'ट्रांसलेटोट्रोन' नाम का यह अनुवादक बोलने वाले व्यक्ति की आवाज की विशेषताओं को भी अनुवाद के दौरान बरकरार रखता है।

नंदन नीलेकणि समिति

डिजिटल भुगतान के संवर्द्धन पर परामर्श देने के लिये नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति ने 17 मई को अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सौंपी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिये पाँच सदस्यीय समिति ने विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह समिति की सिफारिशों पर गौर करेगा और आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन के लिये अपने भुगतान प्रणाली दृष्टिकोण 2021 में शामिल करेगा। ज्ञातव्य है कि देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी वर्ष जनवरी में नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति को गठित करने का उद्देश्य डिजिटल भुगतान की मजबूती और सुरक्षा को लेकर सुझाव देना तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना था।

तिमोर

दक्षिण-पूर्व एशियाई देश ईस्ट तिमोर जल्दी ही विश्व का पहला प्लास्टिक कचरा मुक्त देश बनने की राह पर अग्रसर है। ईस्ट तिमोर में ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं की मदद से प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने की योजना पर काम चल रहा है, जिससे प्लास्टिक के नए उत्पाद बनाए जाएंगे। यह तकनीक देश के लिये इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ समुद्री तट काफी अधिक हैं और इन तटों पर प्लास्टिक का कचरा बिखरा रहता है। इस योजना पर काम वर्ष 2020 तक शुरू होने की संभावना है। फिलहाल ईस्ट तिमोर में प्लास्टिक वेस्ट को खुले में जला दिया जाता है। इस छोटे से देश की जनसंख्या केवल 13 लाख है और यहाँ प्रतिदिन लगभग 70 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। गौरतलब है कि विश्व में विभिन्न देश 80 लाख टन प्लास्टिक प्रतिवर्ष समुद्र में फेंकते हैं, जो रिसाइकल नहीं होता है।

कंज़र्वेटिव लिबरल्स पार्टी

ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की कंज़र्वेटिव लिबरल्स पार्टी ने एक बार फिर आम चुनाव में जीत हासिल की है। उनकी पार्टी ने 151 में से 74 सीटें हासिल की हैं, जो कि बहुमत से केवल दो सीटें कम हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन की जीत के बाद विपक्षी लेबर पार्टी के नेता बिल शॉर्टन को इस्तीफा देना पड़ा। यह चुनाव मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लड़ा गया था, जिसके साथ रहन-सहन का स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दे भी शामिल थे। लगभग 1.6 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं ने देश का 31वाँ प्रधानमंत्री चुनने के लिये मतदान किया। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में हर तीन साल में होने वाले आम चुनावों में वर्ष 2007 के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। ऑस्ट्रेलिया में 1924 से ही मतदान अनिवार्य है और अगर कोई पंजीकृत योग्य मतदाता बिना किसी वैध कारण के अपना वोट नहीं डालता तो उस पर राष्ट्रमंडल निर्वाचन अधिनियम, 1918 (Commonwealth Electoral Act 1918) की धारा 245 के तहत आर्थिक दंड लगाया जाता है।

मत्स्य मंत्रालय

केंद्र सरकार ने नए मत्स्य मंत्रालय का गठन कर दिया गया है। वर्तमान वर्ष के आम बजट में इसके गठन का ऐलान किया गया था। हरियाणा कैडर की IAS अधिकारी रजनी सेखरी सिब्बल को इसका सचिव नियुक्त किया गया है। ज्ञातव्य है कि अब तक मत्स्य पालन विभाग कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता था। इस मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव के तहत मत्स्य विभाग काम करता था। केंद्र सरकार ने मत्स्य पालन में अपार संभावनाओं के मद्देनजर इसके लिये एक अलग मंत्रालय गठित करने का फैसला किया था। वैसे भी भारत वैश्विक स्तर पर समुद्री उत्पादों के निर्यात में अग्रणी देशों में शामिल है। भारत की लगभग 7500 किमी. लंबी समुद्री सीमा है, जिसमें मत्स्य पालन की वृहद् संभावनाएँ हैं।

AIRAWAT

देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) के लिये एक अवसंरचना तैयार करने की नीति आयोग ने योजना बनाई है। इसने AIRAWAT के नाम से क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने के लिये 7500 करोड़ रुपए की फंडिंग उपलब्ध कराने की ज़रूरत बताई है। साथ ही इसमें AI की प्रगति की निगरानी के लिये एक कार्यबल बनाना भी शामिल है। नीति आयोग चाहता है कि AI के लिये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और पारदर्शी नीति बनाई जाए। नीति आयोग द्वारा सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में 5 सेंटर ऑफ रिसर्च एक्सीलेंस (CORE), 20 इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल AI (ICTAI) शुरू करने के साथ ही AIRAWAT के नाम से एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बनाना शामिल है। इंस्टीट्यूट्स और पार्टनर्स का चयन दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाएगा, जिन्हें तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। AI से जुड़ी इस पूरी योजना की निगरानी एक कार्यबल करेगा, जिसके प्रमुख नीति आयोग के एक सदस्य होंगे। ज्ञातव्य है कि सरकार का मानना है कि टेक्नोलॉजी से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में बड़ी चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। एक अनुमान के अनुसार, AI से वर्ष 2035 तक देश की GDP में 957 अरब डॉलर का प्रवाह हो सकता है।

सहारा नौसेना होस्टल

24 मई को नई दिल्ली में 'वीर नारियों' के लिये सहारा नौसेना होस्टल का उद्घाटन किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना की 'वीर नारियों' के लिये यह विशेष परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (National Buildings Construction Corporation-NBCC) के साथ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility-CSR) की साझेदारी में किया गया है। यह होस्टल नौसेना की वीर नारियों के पुनर्वास की दिशा में लंबे समय से अनुभव की जा रही जरूरत का समाधान करेगा और वीर नारियों को एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिससे उनके जीवन को नए सिरे से शुरू करने में मदद मिलेगी।

प्लास्टिक से बायो डीज़ल बनाने का प्लांट

वाराणसी में प्लास्टिक से बायो डीज़ल बनाने का प्लांट लगाने की योजना बनाई जा रही है। देश में अपने तरीके का यह पहला प्लांट होगा और इसकी पहल अमेरिकी संस्था 'रीन्यू ओशन' ने की है, जिसने IIT BHU के साथ करार किया है। प्लांट के लिये शहरी इलाके और नालों से प्लास्टिक इकट्ठा करने का जिम्मा नगर निगम संभालेगा। नॉन-रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बायो-डीज़ल बनाने के प्लांट में 100 किलोग्राम प्लास्टिक से 70 लीटर तक बायो-डीज़ल तैयार किया जा सकेगा। फिलहाल इस डीज़ल का उपयोग IIT में होने वाले शोध कार्यों में किया जाएगा। इतना ही नहीं इससे निकलने वाले नेफ्था से सड़क बनाई जा सकेगी। नालों के जरिये गंगा में गिरने या फिर कूड़े में मिले प्लास्टिक को जमीन में दबाने की जगह उसे प्लांट तक लाकर डीज़ल बनाया जाएगा। ज्ञातव्य है कि पॉलिथीन और प्लास्टिक उत्पादों में कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है और ये तत्व पेट्रोलियम पदार्थों में भी होते हैं। पॉलिथीन और प्लास्टिक उत्पादों को प्लांट में एक निश्चित तापमान और दबाव में गर्म करने पर इससे डीज़ल का उत्पादन होगा। इस तकनीक को पायरोलिसिस कहते हैं और इस तरह का बड़ा प्लांट अमेरिका में भी कार्यरत है।

उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल

घायल और बीमार हाथियों के इलाज के लिये उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल हरिद्वार की चीला रेंज में खुलने जा रहा है। इस अस्पताल में हाथियों को न केवल समय पर एवं सही तरीके से उपचार मिल सकेगा, बल्कि हाथियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में भी मदद मिलेगी। ज्ञातव्य है कि एशियाई हाथियों के लिये प्रसिद्ध राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा कॉर्बेट नेशनल पार्क और लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगलों में भी हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में अभी तक हाथियों के बेहतर इलाज के लिये कहीं भी कोई अस्पताल नहीं है। उनके लिये सिर्फ मोबाइल वैन के माध्यम से उपचार देने की सुविधा उपलब्ध है। चूँकि चीला रेंज में पहले से ही हाथियों और उनके बच्चों की देखरेख की जाती है, इसलिये यहाँ हाथी अस्पताल बनाया गया।

स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप

स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 अप्रैल से 8 मई तक इंग्लैंड में खेला गया। इसमें 7 देशों की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मिक्स्ड जेंडर टूर्नामेंट में भारत की दो टीमों ने हिस्सा लिया, जिनके नाम इंडिया नॉर्थ और इंडिया साउथ थे। लड़के-लड़कियों की एक टीम में 8 खिलाड़ी थे, जिनमें 4 लड़के और 4 लड़कियाँ थीं। इंडिया साउथ की टीम में मुंबई और चेन्नई के स्लम में रहने वाले खिलाड़ी थे। इस टीम ने लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड की टीम को पाँच रन से हराकर खिताब जीत लिया। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली दोनों टीमों के ब्रांड एंबेसडर थे। स्लम और सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिये काम करने वाली संस्था स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड ने इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया था और यह अपनी तरह का पहला ऐसा आयोजन था।

ई-मुद्रा कार्ड लॉन्च

भारतीय रेल ने ई-मुद्रा कार्ड लॉन्च किया है, जो कि वीजा कार्ड है। इस कार्ड का इस्तेमाल POS मशीन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और ATM से धन निकालने के लिये किया जा सकता है। लेकिन इस कार्ड को लॉन्च करने का प्रमुख उद्देश्य रेल टिकट सेवाओं का सरलीकरण

करना है। आम जनता की सुविधा के लिये रेल मंत्रालय द्वारा जारी इस कार्ड से यात्री टिकट खरीद सकते हैं तथा यह कार्ड अन्य प्रकार की खरीदारी के लिये भी प्रयोग किया जा सकता है। इस कार्ड के माध्यम से जनता को तत्काल रिफंड की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन इसकी प्रक्रिया लागू होने में अभी कुछ समय लगेगा। अब तक करीब 10 हजार कार्ड जारी हो चुके हैं और इसका सबसे अधिक प्रयोग रेल टिकट खरीदने के लिये हुआ है। इसकी वर्चुअल सुविधा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जहाँ से इसका एप डाउनलोड किया जा सकता है। इसके फिजिकल कार्ड का शुल्क 150 रुपए है।

चंद्र कैलेंडर

पाकिस्तान में इस्लामी त्योहारों को मनाने के लिये चाँद देखने को लेकर होने वाले विवादों को खत्म करने के उद्देश्य से एक कैलेंडर तैयार किया गया है। सरकार की ओर से वैज्ञानिक चंद्र कैलेंडर बनाने के लिये गठित विशेषज्ञों के पैनल ने इसे तैयार किया है। अब इस वैज्ञानिक कैलेंडर को 'इस्लामी विचारधारा परिषद' के पास भेजा जाएगा। यह कैलेंडर अंतरिक्ष एवं ऊपरी वातावरण अनुसंधान आयोग, अंतरिक्ष विशेषज्ञों और मौसम विशेषज्ञों के सहयोग से तैयार किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक संस्थाओं को कैलेंडर देखने के लिये आमंत्रित किया गया है ताकि वे इसको संकलित करने में की गई कड़ी मेहनत को समझ सकें। यह कैलेंडर पाँच साल के लिये तैयार किया गया है और हर पाँच साल में इसकी समीक्षा की जाएगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 29 मई को नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) में आयोजित एक समारोह में विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित विज्ञान की चार लोकप्रिय पुस्तकों का विमोचन किया। इन पुस्तकों में 'वॉयज टू अंटार्कटिका', 'स्टोरी ऑफ कॉन्सर्नेस', 'एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मून' तथा 'शंभूनाथ डे- द डिस्कवरी ऑफ कॉलरा टॉक्सिन' शामिल हैं। कॉलरा टॉक्सिन की खोज में शंभूनाथ डे की ओर से किये गए प्रयासों को उनके अपने देश में ही नहीं जाना जाता। 'वॉयज टू अंटार्कटिका' अंटार्कटिका के बारे में प्रामाणिक पुस्तकों में से एक है। 'स्टोरी ऑफ कॉन्सर्नेस' लाखों वर्षों में हुए मानव चेतना के विकास को दर्शाती है तथा 'एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मून' कहानी सुनाने के प्रारूप में है, जहाँ चंद्रमा पाठकों को अपनी विशेषताओं के बारे में बता रहा है।

99942 एपोफिस

क्षुद्रग्रह 99942 एपोफिस (APOPIS) 13 अप्रैल, 2029 को पृथ्वी की सतह से लगभग 31,000 किमी. ऊपर से होकर गुजरेगा।

- 99942 एपोफिस 340 मीटर चौड़ा है।
- मिस्र के अराजकता के देवता के नाम पर इस क्षुद्रग्रह का नाम रखा गया है।
- हालाँकि, इस क्षुद्रग्रह से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है लेकिन इसके आकार ने वैज्ञानिक समुदाय के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।

क्षुद्रग्रह 99942 एपोफिस (APOPIS)

क्षुद्रग्रह

- क्षुद्रग्रहों को कभी-कभी 'छोटे ग्रह' (Minor Planets) भी कहा जाता है।
- ये चट्टानी अवशेष हैं, जिन्हें लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व सौरमंडल के आरंभिक निर्माण के दौरान छोड़ दिया गया था।
- सभी क्षुद्रग्रहों का कुल द्रव्यमान पृथ्वी के उपग्रह के द्रव्यमान से कम होता है। 150 से अधिक क्षुद्रग्रहों के दो चन्द्रमा हैं।
- इसलिये इन्हें 'बाइनरी क्षुद्रग्रह' भी कहा जाता है। इसमें एक समान आकार के दो चट्टानी पिंड एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं।
- इनका वर्गीकरण मुख्य क्षुद्रग्रह पट्टी (Main Asteroid Belt), ट्रोजन्स (Trojans) और पृथ्वी के समीप उपस्थित क्षुद्रग्रह (Near Earth Asteroids) के रूप में किया जाता है।

पंचलोहा की मूर्तियाँ

पंचलोहा पारंपरिक रूप से सोना, सिल्वर, कॉपर, जिंक और आयरन का मिश्र धातु होता है।

- कुछ मामलों में जस्ता के बजाय टिन या सीसा का उपयोग भी किया जाता है।
- यह एक प्राचीन शिल्प है जो अपनी सुंदरता और उससे जुड़ी परंपरा की भावना के कारण विकसित हुआ।

- यह दक्षिण भारत का विशिष्ट कला रूप है एवं अक्सर तस्करी के कारण खबरों में रहती है।
- पंचलोहा में धातुओं के संयोजन एवं बनावट की व्याख्या शिल्प शास्त्र में वर्णित है।
- ज्ञातव्य है कि शिल्प शास्त्र प्राचीन ग्रंथों का एक संग्रह है, जिसमें कला, शिल्प और उनके डिजाइन, नियमों, सिद्धांतों और मानकों का वर्णन है।
- तंजावुर जिले का स्वामीमलाई कांस्य और पंचलोहा उत्पादों का केंद्र है।
- भारत सरकार ने स्वामीमलाई के इस कला रूप को पेटेंट प्रदान किया है।

पोल्ट्री फार्मिंग के लिये मसौदा नियम

उच्च न्यायालय द्वारा पोल्ट्री फार्मों में क्रूरता के संबंध में दिये गए एक निर्देश के पश्चात् पशुओं के प्रति क्रूरता का रोकथाम नियम, 2019 के तहत मसौदा नियमों को रखा गया है

- इस मसौदा नियम के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं-
 - ◆ देश में पोल्ट्री फार्मों का न्यूनतम स्थान 550 वर्ग सेमी. से कम नहीं होना चाहिये।
 - ◆ 6-8 अधिक-से-अधिक पक्षियों को एक पिंजरे में रखा जा सकता है।
 - ◆ एंटीबायोटिक्स का उपयोग केवल चिकित्सीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जाना चाहिये और वह भी पशुचिकित्सक के देखरेख में।

जाँघिल या पेंटेड स्टॉक

जाँघिल या जाँघिल (Painted stork) पक्षियों के स्टॉक परिवार की एक प्रजाति है।

- छिछले पानी का यह पक्षी भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है।
- यह पक्षी नवंबर-दिसंबर में दक्षिण-पूर्व एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास करता है।
- जल की कमी और छोटी मछलियों की संख्या में गिरावट की वजह से इस पक्षी की आबादी लगातार कम हो रही है।

हनी मिशन

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission-KVIC) ने शहद उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिये अपनी 'हनी मिशन' पहल के तहत दो साल से भी कम समय में देश भर के किसानों और बेरोजगार युवाओं के बीच एक लाख से अधिक मधुमक्खियों के बक्से वितरित किये हैं।

- हनी मिशन के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग किसानों को प्रशिक्षण के साथ ही मधुमक्खियों के पालन हेतु बक्से भी प्रदान करता है।
- इस मिशन को अगस्त 2017 में 'स्वीट रिवोल्यूशन' के अनुरूप ही लॉन्च किया गया था।
 - ◆ मधुमक्खी पालन और इससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2016 में 'स्वीट रिवोल्यूशन' की शुरुआत की गई थी।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार, इस मिशन की मदद से 10,000 से अधिक नए रोजगार पैदा किये गए हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

- यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह संगठन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है।

मौजूदा स्कूलों के लिये GRIHA

हाल ही में एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिये ग्रीन रेटिंग (GRIHA- Green Rating for Integrated Habitat Assessment) काउंसिल ने पूरे भारत के मौजूदा स्कूलों के पर्यावरण मूल्यांकन हेतु एक टूल 'GRIHA for Existing Day Schools' जारी किया है।

- यह रेटिंग स्कूलों के पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन में बच्चों को शामिल करके सतत् विकास की अवधारणाओं से उन्हें परिचित कराती है।
- यह रेटिंग सह-निर्माण और समझ संबंधी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए प्रकृति के साथ-साथ एक-दूसरे से संपर्क स्थापित करने में छात्रों और शिक्षकों की मदद करेगी।

GRIHA रेटिंग

- GRIHA या एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिये ग्रीन रेटिंग, भवन निर्माण हेतु भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है।
- इसकी कल्पना ऊर्जा और संसाधन संस्थान (The Energy and Resources Institute- TERI) द्वारा की गई थी और इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।

पर्पल फ्रॉग

शोधकर्ताओं ने पाया है कि पर्पल फ्रॉग (*Nasikabatrachus sahyadrensis*), लगभग पूरी जिंदगी भूमिगत सुरंगों में रहता है, एक वर्ष में एक ही दिन के लिये सतह पर निकलता है और अंडे देने के बाद पुनः पृथ्वी की सबसे गहरी परतों में लौट जाता है।

- गौरतलब है कि इसे जल्द ही केरल के राज्य उभयचर के रूप में नामित किया जा सकता है।
- इसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (International Union for Conservation of Nature- IUCN) की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

कलसा-बंडूरी परियोजना

कर्नाटक नीरवरी निगम लिमिटेड (KNNL) लगभग ₹850 करोड़ मूल्य की कलसा-बंडूरी परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है।

- इस परियोजना का उद्देश्य कर्नाटक के बेलगावी और धारवाड़ जिलों को पानी उपलब्ध कराना है।
- इसमें कलसा और बंडूरी (महादायी नदी की दो सहायक नदियाँ) पर बांधों और नहरों का निर्माण किया जाना शामिल है, जो मालप्रभा नदी (कृष्णा नदी की एक सहायक नदी) को 7.56TMC पानी की आपूर्ति करेंगे।
- मालप्रभा नदी धारवाड़, बेलगावी, और गडग जिलों में पेयजल की आपूर्ति करती है।

आर्कटिक परिषद में भारत

हाल ही में भारत पुनः आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक के रूप में चुना गया।

- आर्कटिक परिषद एक उच्च-स्तरीय अंतर-सरकारी फोरम है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1996 में ओटावा घोषणा के तहत आर्कटिक देशों के मध्य सहयोग, समन्वय और बातचीत को बढ़ावा देने के लिये की गई थी।
- आर्कटिक के आस पास स्थित देश इसके सदस्य हैं इसके सदस्य देशों में रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड शामिल हैं।

पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा

1. चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इटली और जापान को परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
2. भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा किरुना घोषणा के माध्यम से दिया गया है।
3. पर्यवेक्षकों को सक्रिय बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। वे आमतौर पर साइड इवेंट में भाग लेते हैं।
4. आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा गैर-सरकारी संगठनों के साथ अंतर-सरकारी और अंतर-संसदीय संगठनों के लिए खुला है।

अरुणाचल पिट वाइपर

उभयचरों पर अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों (Herpetologists) ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले के जंगल से लाल-भूरे रंग के पिट वाइपर की एक अद्वितीय और नई प्रजाति की खोज की है जो गर्मी के प्रति संवेदनशील है।

- पिट वाइपर की यह नई प्रजाति, ट्राइमेरासुरस अरुणाचलेंसिस (Trimeresurus Arunachalensis) है। यह भारत के सभी ज्ञात पिट वाइपरों से भिन्न है।
- यह पिट वाइपर की ऐसी पहली प्रजाति है जिसका नाम राज्य के नाम पर रखा गया है।
- यह दुनिया के सभी ज्ञात पिट वाइपरों में सबसे दुर्लभ है।
- भारत में अन्य ज्ञात पिट वाइपर इस प्रकार हैं-
- मालाबार पिट वाइपर (Trimeresurus malabaricus)
- हॉर्सशू पिट वाइपर (Trimeresurus strigatus Gray)
- हम्प-नोज्ड पिट वाइपर (Hypnale hypnale Merrem)
- हिमालयन पिट वाइपर (Protobothrops himalayanus)

नासा का मिशन डार्ट

नासा स्पेसएक्स के फाल्कन9 (SpaceX Falcon9) रॉकेट द्वारा एक डार्ट (Double Asteroid Redirection Test-DART) मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है।

- इस मिशन के तहत बाइनरी एस्टेरोइड, डिडायमोस के एक छोटे से चन्द्रमा से सितंबर 2022 में टक्कर कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह एक ग्रह रक्षा तकनीक है, जिसे 2021 के मध्य में लॉन्च किया जाना है। गौरतलब है कि यह नासा का पहला मिशन है।
- यह एक ऐसा अंतरिक्ष मिशन है जो काइनेटिक इम्पैक्टर का प्रयोग करते हुए एस्टेरोइड का मार्ग परिवर्तित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा।

काइनेटिक इम्पैक्टर

- काइनेटिक इम्पैक्टर के तहत आकार में बड़े, उच्च गति वाले किसी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के निकट आने वाली वस्तु के मार्ग में भेजा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (United Nations Economic and Social Council) ने भारत की जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड (International Drug Control Board) के लिये एक बार फिर निर्वाचित किया है।

- जगजीत पवाड़िया का यह दूसरा कार्यकाल है जो 02 मार्च, 2020 से 01 मार्च, 2025 तक होगा। उनका मौजूदा कार्यकाल वर्ष 2020 में समाप्त होना तय था।

अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड

- अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, यह नशीली दवाओं पर लगे प्रतिबंधों से जुड़े मामले देखता है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 1909 में शंघाई में अंतर्राष्ट्रीय अफीम आयोग के साथ हुई थी। इसमें 13 सदस्य शामिल हैं।
- इसका मौजूदा स्वरूप वर्ष 1968 में सामने आया।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ECOSOC)

- ECOSOC संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है।

- यह परिषद महासभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग और विकास कार्यक्रमों में मदद करती है।
- यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने का कोशिश करती है।
- ECOSOC की स्थापना वर्ष 1945 की गई थी। इस परिषद में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

दुनिया का सबसे बड़ा टेलिस्कोप

दुनिया के अब तक सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलिस्कोप, थर्टी मीटर टेलिस्कोप (TMT) का निर्माण हवाई के मौना नामक स्थान पर किया जा रहा है।

- थर्टी मीटर टेलिस्कोप एक अत्यंत बड़ा टेलिस्कोप है जिसकी सहायता से अंतरिक्ष में गहराई से देखने के साथ ब्रह्मांडीय वस्तुओं का निरीक्षण किया जा सकेगा।
- यह हबल स्पेस टेलिस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक बेहतर रिज़ॉल्यूशन प्रदान करेगा।
- 'थर्टी मीटर टेलिस्कोप इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वेटरी एलएलसी' (TIO)/(TMT International Observatory LLC) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना मई 2014 में इस परियोजना के निर्माण और संचालन के चरणों को पूरा करने के लिये की गई थी।
- भारत सरकार ने 1299.8 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ थर्टी मीटर टेलिस्कोप (TMT) परियोजना में 2014-2023 तक भागीदारी हेतु मंजूरी दे दी है।
- भारत की तरफ से यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) और परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy- DAE) की एक संयुक्त परियोजना होगी।

तिरुपति गंगा जात्रा

तिरुपति गंगा जात्रा, तिरुपति, आंध्र प्रदेश का वार्षिक लोक उत्सव है। यह उत्सव एक सप्ताह तक चलता है जो हर साल मई के पहले और दूसरे सप्ताह के बीच आता है।

- इस उत्सव में तिरुपति की देवी गंगम्मा, ग्रामदेवता (गाँव की देखरेख करने वाली देवी) की पूजा अर्चना की जाती है।
- तिरुपति बालाजी मंदिर की शुरुआत वैष्णववाद में हुई है, जो समानता और प्रेम के सिद्धांतों की वकालत तथा बलि देने की प्रथा को प्रतिबंधित करता है।
- पवित्र गर्भगृह (जिसमें सात पहाड़ियों के भगवान की विस्मयकारी मूर्ति हैं) तिरुमाला के मुख्य मंदिर परिसर में स्थित है।
- श्री वेंकटेश्वर का प्राचीन और पवित्र मंदिर शेषाचलम पर्वतमाला के सातवें शिखर, वेंकटचला (वेंकट पहाड़ी) और श्री स्वामी पुष्करिणी के दक्षिणी तट पर स्थित है।

त्रिशूर पूरम उत्सव

13 मई 2019 से केरल का प्रसिद्ध उत्सव त्रिशूर पूरम आरंभ हुआ।

- त्रिशूर पूरम दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे लगातार 36 घंटे तक मनाया जाता है।
- यह वल्लुनावाडु क्षेत्र में स्थित देवी दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है।
- केरल स्थित दस मंदिरों को शामिल करके इस उत्सव को मनाया जाता है।
- उत्सव में 30 हाथियों को पूरी साज-सज्जा के साथ शामिल किया जाता है।
- इसकी शुरुआत शक्थान थम्पूरन द्वारा की गई थी।

लेकनोरिसिस ताईवानियाना

हाल ही में असम में लेकनोरिसिस ताईवानियाना (Lecanorchis taiwaniana) खोजा गया है।

- वनस्पति रूप में दर्ज किया गया यह ऑर्किड 'खिलने की अवधि (Bloom Period) और आकार' के संदर्भ में भारत के सबसे छोटे ऑर्किड में से एक है।
- इससे पहले जापान, ताइवान और लाओस में खोजे गए इस ऑर्किड की अधिकतम ऊँचाई 40 सेमी. और खिलने की अवधि पाँच-छह दिनों की होती थी।
- लेकनोरिसिस ताईवानियाना एक मायको-हेटरोट्रॉफ (Myco-Heterotroph) है। मायको-हेटरोट्रॉफ ऐसे परजीवी पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है।

प्रकाश संश्लेषण का परित्याग

- फूलों के कई ऐसे पौधे हैं जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की प्रक्रिया को छोड़ दिया है।
- ये दो श्रेणियों में वर्गीकृत हैं-
- हस्टीरियल परजीवी (Haustorial Parasites)
- मायको-हेटरोट्रॉफ (Myco-Heterotroph)
- इन्हें परजीवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों पौधे अपने पोषक तत्व दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं।

भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान

- निर्वाचन आयोग ने जून 2011 में 'भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान' (India International Institute of Democracy and Election Management-IIDEM) की स्थापना की थी।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (IIDEM) सहभागी लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन हेतु अनुसंधान और प्रशिक्षण का एक उन्नत संसाधन केंद्र है।
- यह संस्थान भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र, स्वीडन के 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस' (International Institute of Democracy and Electoral Assistance- IDEA) जैसे राष्ट्रमंडल और अंतर-सरकारी संगठनों के सहयोग से विकसित किया गया है।
- 'इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस' के चार घटक इस प्रकार हैं-
- प्रशिक्षण और क्षमता विकास
- मतदाता शिक्षा और नागरिक भागीदारी
- अनुसंधान, नवाचार और प्रलेखन
- अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ और तकनीकी सहयोग।

जलकुंभी

जलकुंभी (Water Hyacinth)/(Eichhornia crassipes) एक अत्यधिक आक्रामक खरपतवार है जिसे कई जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिये खतरा पैदा करने वाला माना जाता है।

- जलकुंभी की समस्या उन जल निकायों या जलाशयों में ज्यादा होती है जिनमें बहाव धीमे हो।
- जल सतह पर जलकुंभी का घनत्व ज्यादा होने से अन्य देशी जलीय पौधों पर दुस्प्रभाव पड़ता है। घनत्व ज्यादा होने से सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध होता है और इस प्रकार जलमग्न वनस्पति प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ होने के कारण नष्ट होने लगती हैं।
- इसके साथ ही पानी में ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है और इस जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मछली तथा अन्य जीवों की मृत्यु होने लगती है।
- हालाँकि ऑक्सीकृत जल की उपलब्धता की स्थिति में इसके कई सकारात्मक पर्यावरणीय लाभ भी होते हैं, जैसे- रिफ्यूजिया की उपलब्धता, मछलियों के लिये फीडिंग सेंटर्स।

मिशन आर्टेमिस

नासा चंद्रमा हेतु एक नए मानवयुक्त मिशन की योजना बना रहा है जिसका नाम आर्टेमिस होगा।

- ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार, चंद्रमा की देवी, आर्टेमिस, अपोलो की जुड़वाँ बहन थी।
- वर्ष 2017 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरिक्ष नीति निर्देश (Space Policy Directive) पर हस्ताक्षर किये थे जिसके पश्चात् मिशन आर्टेमिस की शुरुआत हुई थी। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाना है।
- यह 2024 में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा और इसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा।

वॉयनिक पांडुलिपि

हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल (University of Bristol) के एक शोधकर्ता जेरार्ड चेशायर ने वॉयनिक में लिखी गई एक 600 साल पुरानी पांडुलिपि की भाषा का अर्थ खोजने में सफलता प्राप्त की।

- जेरार्ड चेशायर ने वॉयनिक को प्राचीन-रोमन भाषा का एकमात्र ज्ञात उदाहरण होने का दावा किया है।
- भूमध्यसागरीय क्षेत्र में मध्यकाल के दौरान इस भाषा का इस्तेमाल व्यापक था किंतु आधिकारिक या महत्वपूर्ण दस्तावेजों को लिखने में शायद ही कभी इस भाषा का इस्तेमाल किया गया क्योंकि लैटिन राजसी गौरव, चर्च और सरकार की भाषा थी। नतीजतन, यह प्राचीन-रोमन भाषा धीरे-धीरे खत्म हो गई।
- प्राप्त की गई वॉयनिक पांडुलिपि 15वीं शताब्दी (1404-38) की है। यह पांडुलिपि वेल्लम (एक प्रकार का चर्मपत्र जिसे भेड़ के बच्चे, बकरी या बछड़े की त्वचा से बनाया गया है) पर टेक्स्ट और चित्र के साथ लिखी गई है।
- इस पांडुलिपि को डोमिनिकन ननों द्वारा मारिया केस्टाइल (क्वीन्स ऑफ एरागोन, स्पेन में एक स्वायत्त समुदाय) के संदर्भ स्रोत के रूप में संकलित किया गया था।

स्पैरो

स्पैरो स्मार्ट परफॉरमेंस अपरेज़ल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window- SPARROW) का संक्षिप्त रूप है।

- इसके तहत एनुअल परफॉरमेंस अपरेज़ल रिपोर्ट (APAR) को इंटरनेट के माध्यम से दर्ज किया जाएगा।
- इसे समूह बी और समूह सी के 46,000 अधिकारियों (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) के लिये पूरे देश में लॉन्च किया गया है।
- भारतीय राजस्व सेवाओं (C और CE) के अधिकारियों के लिये स्पैरो (SPARROW) में 'एनुअल परफॉरमेंस अपरेज़ल रिपोर्ट' को इंटरनेट के माध्यम से पहले से ही लागू किया जा चुका है जो 2016-2017 से प्रभावी है।
- यह सरकारी नौकरियों में पदोन्नति और पोस्टिंग में पारदर्शिता तथा सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

कलमकारी

कलमकारी आंध्र प्रदेश में प्रचलित एक हस्तकला है जिसमें रंगीन ब्लॉक या हाथ से सूती कपड़े पर चित्रकारी की जाती है।

- कलमकारी चित्रकला में आमतौर पर एक तेज, नुकीले छेद वाली बाँस की कलम का उपयोग करते हुए सूती कपड़ों को चित्रित किया जाता है। बाँस की कलम कपड़े पर रंग के प्रवाह को नियंत्रित करती है।
- कलमकारी नाम की उत्पत्ति दो फारसी शब्दों 'कलम' और 'कारी' से हुई है जिनका अर्थ क्रमशः कलम तथा शिल्प/कौशल होता है।
- रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के पौराणिक चरित्रों को चित्रित करने के लिये कलमकारी चित्रकला को एक जीवंत और अद्वितीय माध्यम माना जाता है।
- भारत में कलमकारी के दो रूप विकसित हुए हैं। जो इस प्रकार हैं-
- मछलीपट्टनम कलमकारी (Machilipatnam style- Krishna district)

- श्रीकलाहस्ति कलमकारी (Srikalahasti style- Chittoor district)
- कलमकारी की मछलीपट्टनम शैली में मूल रूप से नक्काशे गए पारंपरिक ब्लॉकों पर हाथों से चित्रकारी की जाती है।
- चित्रकला की श्रीकलाहस्ती शैली में हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेकर महाकाव्यों और लोककथाओं के दृश्यों का वर्णन किया जाता है।

शेषचलम जैवमंडल रिजर्व

- गर्मी के बढ़ते प्रकोप की वजह से शेषचलम जैवमंडल रिजर्व के जानवर प्यास बुझाने के लिये जंगल से लगे गाँवों की तरफ बढ़ रहे हैं।
- वन अधिकारियों ने पाया कि स्लेन्डर लोरिस (Slender Loris) और पैंगोलिन जैसी शांत स्वभाव और लुप्तप्राय प्रजातियाँ भी इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रही हैं।
 - शेषचलम पहाड़ी यानी आंध्र प्रदेश का पहला जैवमंडल रिजर्व, चित्तूर और कडप्पा जिलों के दक्षिण-पूर्वी घाटों में स्थित है।
 - इसे 2010 में भारत के जैवमंडल रिजर्व के रूप में नामित किया गया था।
 - यह जैवमंडल रिजर्व वानस्पतिक रूप से समृद्ध है और इसमें स्थानिक और दुर्लभ वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं।

स्टारलिंग

- स्टारलिंग स्पेसएक्स की एक परियोजना है जिसके तहत परिक्रमा करते हुए अंतरिक्षयानों के क्लस्टर के साथ ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाए जाने की योजना है।
- यह एक नए फ्लैट-पैनल डिजाइन पर आधारित होगा, जिसमें क्रिप्टन-ईंधन प्लाज्मा थ्रस्टर्स, उच्च-शक्ति एंटीना और अंतरिक्ष में अन्य वस्तुओं से स्वतः दूर जाने की क्षमता होगी।
- स्पेसएक्स के अनुसार, फाल्कन-9 रॉकेट की सहायता से 60 उपग्रहों का पेलोड प्रक्षेपित किया जाएगा जिसका वजन 15 टन (13,620 किलोग्राम) होगा।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

हाल ही में राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य केंद्र, उजाला क्लीनिक (किशोर हितैषी स्वास्थ्य क्लीनिक) को फिर से शुरू करने का फैसला किया है।

‘राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम’

- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram-RKSK) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी, 2014 को 10-19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों के लिये शुरू किया गया यह स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्य मुद्दों के अलावा पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन को लक्षित करेगा।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर भागीदारी और नेतृत्व, समता तथा समावेशन, लैंगिक समानता एवं अन्य क्षेत्रों व हितधारकों के साथ सामरिक भागीदारी है।
- इसके तहत किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, गैर-संचारी रोग, लिंग आधारित हिंसा और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund- UNFPA) के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare- MoHFW) ने एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति विकसित की है।
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पोषण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, पदार्थों का दुरुपयोग, गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इस कार्यक्रम के प्रमुख कार्यों में काउंसलर द्वारा मदद, सुविधा-आधारित परामर्श, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, संचार, देखभाल के स्तरों पर किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (Adolescent Friendly Health Clinics- AFHC) को मजबूत बनाने जैसे समुदाय-आधारित हस्तक्षेप शामिल हैं।

मिलिट्री नर्सिंग सर्विस

हाल ही में रक्षा मंत्रालय और सेना ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (Military Nursing Service- MNS) कैडर को पूर्व सैनिकों का दर्जा देने के लिये सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारी पहचान पत्र प्राप्त करने, सरकारी संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों में पुनः रोजगार पाने और सशस्त्र बलों की विभिन्न पुनर्वास योजनाओं हेतु आवेदन करने में सक्षम होंगे।

मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की स्थापना 1943 में एक सहायक बल के रूप में की गई थी और इसमें केवल महिला अधिकारी होती हैं। गौरतलब है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस तीनों सेनाओं में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करती है।

- यह सशस्त्र बलों में एकमात्र ऐसी वाहिनी है जिसमें केवल महिलाएँ हैं।

ताइवान में समलैंगिक विवाह को मंजूरी

हाल ही में ताइवान ने एक विधेयक पारित करते हुए समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि ताइवान समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है।

- ताइवान संसद द्वारा पारित यह विधेयक समलैंगिक जोड़ों को भी पुरुष-महिला विवाहित जोड़ों की भाँति ही सुविधाएँ प्रदान करेगा।
- भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के कुछ प्रावधानों को खत्म करते हुए समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था।

विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ...

द्विलैंगिक (Bisexual) - वे जो महिला और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षित हों।

विषमलैंगिक (Heterosexual) - वे जो केवल विपरीत लिंग की ओर आकर्षित हों।

समलैंगिक - वे लोग जो अपने ही लिंग के किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हों।

लेस्बियन (Lesbian) - वे महिलाएँ जो महिलाओं के प्रति आकर्षित हों।

गे (Gay) - वे पुरुष जो दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हों।

एल.जी.बी.टी. (LGBT) - लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्ड।

क्वीयर (Quier) - एक ऐसा शब्द जिसमें वे सभी लोग व नज़रिये शामिल हैं, जो मुख्यधारा द्वारा मान्य जेंडर और यौनिकता की परिभाषा को चुनौती देते हैं।

ऑंगोल नस्ल की गाय

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने विजयवाड़ा स्थित स्वर्ण भारत न्यास में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑंगोल नस्ल की गाय (Ongole Cattle Breed) पर एक विवरणिका जारी की। यह विवरणिका 1200 पन्नों की है जिसमें वर्ष 1885 से 2016 तक पशुओं का इतिहास दिया गया है।

- इस पुस्तक में ऑंगोल गाय पर किये जाने वाले अनुसंधान को भी शामिल किया गया है।
- ऑंगोले नस्ल का नामकरण आंध्र प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र ऑंगोल के नाम पर किया गया है।
- इसे नेल्लोर नस्ल भी कहा जाता है क्योंकि पूर्व में ऑंगोल तालुक नेल्लोर जिले का हिस्सा था, लेकिन अब यह गुंटूर जिले में शामिल है।
- यह नस्ल मूल रूप से आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों- गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लोर में पाई जाती है।
- यह ऐसी नस्ल है, जिसे दूध के उत्पादन के साथ-साथ खेतों की जुताई में भी उपयोग किया जा सकता है।

शिक्षकों की निगरानी हेतु कॉल सेंटर

गुजरात सरकार ने रियल टाइम प्रोद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में शिक्षकों की निगरानी हेतु एक नई योजना बनाई है जो जून में शुरू होने वाले नए शैक्षिक-सत्र से लागू हो जाएगी।

- इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करना है जिसके अंतर्गत यह पता लगाना होगा कि विद्यालय परिसर में शिक्षक अपने कर्तव्यों का वहन उचित ढंग से कर रहे हैं या नहीं।
- इस प्रक्रिया के संचालन हेतु एक कमान एवं नियंत्रण केंद्र (Command and Control Centre) की स्थापना की गई है जो गांधीनगर में स्थित है।
- केवल शिक्षक ही नहीं, शिक्षकों की निगरानी करने वाले कर्मियों को भी निगरानी हेतु जीपीएस-सक्षम टैबलेट (GPS-enabled Tablets) सौंपे जाएंगे और जियोफेंसिंग (Geofencing) के माध्यम से शिक्षकों की ट्रैकिंग की जा सकेगी तथा मोबाइल डिवाइस में एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवेश करने या उस क्षेत्र को छोड़ने पर अलर्ट प्राप्त होगा।
- इस कॉल सेंटर के अधिकारी किसी भी शिक्षक से सवाल कर सकते हैं; ये प्रश्न उनके प्रतिदिन के कार्य या असाइनमेंट से संबंधित हो सकते हैं।
- छुट्टी पर रहने की स्थिति में उन्हें छुट्टी का विवरण प्रदान करना होगा, जिसमें दिनों की संख्या और अनुमोदन प्राधिकारी जैसी जानकारी शामिल होगी।
- अधिकारियों के अनुसार, इस नए ट्रैकिंग सिस्टम का शिक्षकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनकी उपस्थिति और असाइनमेंट के अलावा, नई पठन-पाठन प्रणाली तथा नवाचार से संबंधित सुझाव भी मांगे जाएंगे और उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा।

वेस्ट नील वायरस

हाल ही में केरल के मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में वेस्ट नील वायरस के कारण संक्रमण फैलने के कई मामले सामने आए हैं। इसके कारण राज्य के स्वास्थ्य विभाग को इस क्षेत्र में वेस्ट नील फीवर और संक्रमण के स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो गया है।

- आमतौर पर वेस्ट नील वायरस (West Nile Virus-WNV) अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया में पाया जाता है, यह विषाणु/वायरस जनित संक्रमण के लिये उत्तरदायी है।
- यह आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है और लोगों में तंत्रिका/स्नायु (Neurological) संबंधी बीमारी के साथ-साथ मृत्यु का कारण भी बन सकता है।
- वर्ष 1937 में पहली बार एक महिला में इस बीमारी की पहचान की गई थी जो पश्चिमी नील नदी के युगांडा जिले की निवासी थी, एक बार फिर से इस बीमारी को नील नदी क्षेत्र के पक्षियों में ही देखा गया है।
- इस विषाणु (Virus) को मनुष्यों और जानवरों में इंजेक्ट किया जा सकता है (अथवा प्रवेश कराया जा सकता है) तथा अन्य संक्रमित जानवरों, उनके रक्त या ऊतकों के संपर्क में आने से भी यह संचरित हो सकता है।
- कुछ दुर्लभ मामलों में इस संक्रमण के अंग प्रत्यारोपण, रक्त संचारण (Blood Transfusion) और स्तनपान के माध्यम से फैलने के मामले भी सामने आए हैं।
- अभी तक मानव से मानव के संक्रमित होने की घटना देखने को नहीं मिली है।
- WHO के अनुसार, संबंधित बीमारी के लक्षण या तो पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं या 80% संक्रमित लोगों में यह संक्रमण गंभीर वेस्ट नील के बुखार के रूप में व्याप्त हैं।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड

हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (New Space India Limited-NSIL) का आधिकारिक रूप से बंगलूरु में उद्घाटन किया गया है। गौरतलब है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation-ISRO) की एक वाणिज्यिक शाखा है।

- अंतरिक्ष के क्षेत्र में ISRO द्वारा की गई अनुसंधान और विकास गतिविधियों के व्यावसायिक उपयोग हेतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये के अधिकृत शेयर पूंजी (पेड-अप कैपिटल 10 करोड़ रुपये) के साथ 6 मार्च, 2019 को शामिल किया गया था।
- यह 'एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन' के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन को मुख्य रूप से वर्ष 1992 में इसरो के विदेशी उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सुविधा हेतु स्थापित किया गया था।

उद्देश्य

- NSIL का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है।
- NSIL अंतरिक्ष से संबंधित सभी गतिविधियों को एक साथ लाएगा और संबंधित प्रौद्योगिकियों में निजी उद्यमशीलता का विकास करेगा।

NSIL का उत्तरदायित्व

- टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म के माध्यम से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (Small Satellite Launch Vehicle-SSLV) और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (Polar Satellite Launch Vehicle-PSLV) का निर्माण और उत्पादन।
- यह उभरती हुई वैश्विक वाणिज्यिक SSLV बाजार की मांग को भी पूरा करेगा, जिसमें उपग्रह निर्माण और उपग्रह-आधारित सेवाएँ प्रदान करना शामिल है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के निकायों हेतु 'प्राप्ति' वेब पोर्टल

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy-MNRE) अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के निकायों हेतु 'प्राप्ति' वेब पोर्टल की तरह एक वेब स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है ताकी भुगतान में देरी का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जा सके।

'प्राप्ति' वेब पोर्टल

विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2018 में बिजली भुगतानों में पारदर्शिता लाने हेतु प्राप्ति (PRAAPTI-Payment Ratification And Analysis in Power procurement for bringing Transparency in Invoicing of generators) नामक एप तथा वेब पोर्टल लॉन्च किया था।

- 'प्राप्ति' एप तथा वेब पोर्टल बिजली खरीद में बिजली उत्पादकों और बिजली वितरण कंपनियों के बीच पारदर्शिता लाने के लिये विकसित किया गया।
- यह एप और वेब पोर्टल बिजली उत्पादकों से विभिन्न दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के लिये चालान और भुगतान डाटा कैप्चर करता है।
- इससे हितधारकों को बिजली खरीद के मामले में वितरण कंपनियों की बकाया राशि का मासिक और पारंपरिक आँकड़ा प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- यह एप यूजर्स को बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बिजली उत्पादक कंपनी को किये गए भुगतानों से संबंधित ब्योरा जानने की अनुमति प्रदान करती है।
- उपभोक्ता बिजली उत्पादक कंपनियों को किये गए भुगतान के संदर्भ में बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकने में सक्षम हैं।
- यह पोर्टल बकाया भुगतानों के बारे में बिजली वितरण कंपनियों और उत्पादक कंपनियों के बीच सुलह कराने में भी मददगार है।
- पोर्टल विभिन्न बिजली उत्पादक कंपनियों को भुगतान सहजता के बारे में विभिन्न राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के तुलनात्मक मूल्यांकन में मदद देता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority- NHA) और नेशनल कैंसर ग्रिड ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) के तहत एक 'समझौता ज्ञापन' पर हस्ताक्षर किये हैं।

- यह 'समझौता ज्ञापन' मौजूदा कैंसर उपचार पैकेजों, सेवाओं के मूल्य निर्धारण और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शामिल मानक उपचारों के कार्यों की संयुक्त रूप से समीक्षा करेगा और कैंसर देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये उचित कदम उठाएगा।

राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (NCG)

- राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड (National Cancer Grid-NCG) देश भर में प्रमुख कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों, रोगी समूहों और धर्मार्थ संस्थानों का एक नेटवर्क है जिसका गठन अगस्त 2012 में किया गया था।

उद्देश्य

- कैंसर की रोकथाम, निदान और उपचार हेतु समान मानक स्थापित करना।
- ऑन्कोलॉजी (Oncology) में विशेष प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ा कार्यालय है।
- इसके गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री करते हैं।
- एनएचए को केंद्र और राज्य सरकारों, नागरिक समाज, वित्तीय और बीमा एजेंसियों, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी और सहयोग के विकास का नेतृत्व करने के लिये परिकल्पित किया गया है ताकि आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके।

शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम

किर्गिजस्तान के बिश्केक में दूसरा शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम 23-26 मई, 2019 तक आयोजित किया जा रहा है।

- फोरम की बैठक में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक शिष्टमंडल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

फोरम का उद्देश्य

- इस फोरम का उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूत बनाना है।
- इस फोरम में शंघाई सहयोग संगठन के देश (सदस्य देश, पर्यवेक्षक देश, डॉयलिंग पार्टनर्स) मास मीडिया प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि तथा शंघाई सहयोग संगठन सचिवालय के प्रतिनिधि भागीदारी निभा रहे हैं।
- पहला शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया समिट
- पहला शंघाई सहयोग संगठन मास मीडिया समिट 01 जून, 2018 को बीजिंग में आयोजित किया गया था।
- पहले समिट का आयोजन 'शंघाई भावना' के विकास के नारे के साथ किया गया था।

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (Pobitora Wildlife Sanctuary) गुवाहाटी से लगभग 45 किमी दूर मोरीगाँव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है।

- पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य का मात्र 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 90 से ज्यादा गैंडों का आवास स्थल है। गौरतलब है कि इतने कम क्षेत्रफल में 90 से ज्यादा गैंडों का रहना इस अभयारण्य को दुनिया के उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला अभयारण्य बनाता है।
- गैंडे के अलावा तेंदुआ, फिशिंग कैट, जंगली बिल्ली, जंगली भैंस, जंगली सुअर, चीनी पेंगोलिन आदि जैसे अन्य स्तनधारी भी यहाँ पाए जाते हैं।
- सर्दियों में पोबितोरा पक्षियों के लिये स्वर्ग बन जाता है, जिसमें हजारों जलप्रपात आर्द्रभूमि को रोमांचित करते हैं।
- पोबितोरा को तीन अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: वन, घास का मैदान और जल निकाय।

सामाजिक और श्रम अभिसरण कार्यक्रम

सामाजिक और श्रम अभिसरण कार्यक्रम (SLCP) कपड़ा और वस्त्र उद्योग के लिये एक मानक-तटस्थ, अभिसरण मूल्यांकन ढाँचा है।

- यह कन्वर्जेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क (Converged Assessment Framework-CAF) को लागू करने के लिये एक मिशन है जो वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की कार्य स्थिति में सुधार करने हेतु विभिन्न हितधारकों के प्रयासों का समर्थन करता है।
- CAF में डेटा संग्रहण के साधन (Data Collection Tool), सत्यापन हेतु मूल-पत्र (Verification Protocol) और सत्यापनकर्ता मार्गदर्शन दस्तावेज (Verifier Guidance document) शामिल होते हैं।
- यह मौजूदा लेखांकन प्रणाली (Audit Systems) और आचार संहिताओं (Codes of Conduct) के अनुकूल है। इसके तहत समान डेटा समूह का उपयोग कई हितधारकों द्वारा किया जा सकता है। यह एक ही सुविधा हेतु बार-बार किये जाने वाले लेखांकन की आवश्यकता को समाप्त करता है।

उद्देश्य

- सामाजिक और श्रम लेखा परीक्षा की संख्या कम करने एवं दोहराव से बचने के लिये वर्तमान मूल्यांकन साधनों के स्थान पर आधुनिक तकनीकी साधनों का प्रयोग करना।
- सामाजिक और श्रम डेटा की अधिक तुल्यता के अवसरों में वृद्धि करना।
- सुधार कार्यों की दिशा में संसाधनों का पुनः इस्तेमाल करना।
- कपड़ा इकाइयों में काम करने की स्थिति में सुधार करने हेतु संसाधनों में बढ़ोत्तरी करना।
- आपसी विश्वास और सम्मान को बनाए रखना, काम की परिस्थितियों को समझना एवं समय के साथ उन परिस्थितियों में सुधार के लिये लगातार प्रयास करना।

कुदक्रमिया जीनस की ततैया

हाल ही में वैज्ञानिकों ने कुदक्रमिया वंश की ततैया (Wasp from the Genus Kudakrumia) की एक नई प्रजाति की गोवा में पहचान की है।

- इस ततैया को कुदक्रमिया रंगनेकरी (Kudakrumia Rangnekari) नाम दिया गया है। गौरतलब है कि इसका नाम गोवा के एक शोधकर्ता पराग रंगनेकर (Parag Rangnekar) के नाम पर रखा गया है।
- भारत में ततैया गोवा और केरल में पाई जाती है और देश के बाहर यह पड़ोसी देश श्रीलंका में भी पाई जाती है।
- अतीत में भी शोधकर्ताओं ने 'आदिकेशवुस' नाम की पाँच ततैया प्रजातियों की खोज की है। 'आदिकेशवुस' एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ 'लंबे बाल वाला पहला' (first one to have long hairs) होता है।

महत्ता

- ततैया पारिस्थितिकी तंत्र में परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- ऑर्किड की लगभग 100 प्रजातियाँ परागण के लिये केवल ततैया पर निर्भर रहती हैं।
- ट्रॉपिकल सोशल वास्प, पॉलीबिया पॉलिस्ता (Tropical social wasp, Polybia paulista) के जहर में पाया जाने वाला एक रसायन, विभिन्न प्रकार की कैंसर कोशिकाओं को चुनिंदा रूप से नष्ट करने में सक्षम है।
- कई सोशल वास्प (ततैया) शिकारी भी होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रजातियों की एक विस्तृत शृंखला की आबादी को नियंत्रित करती हैं। यह विषाक्त कीटनाशकों की आवश्यकता को कम करने के लिये बेहद उपयोगी साबित हो सकती है।

NGTS-4b

हाल ही में खगोल वैज्ञानिकों ने एक नए 'निष्काषित बहिर्ग्रह' (Rogue Exoplanet) की खोज की है। इस ग्रह का तकनीकी नाम NGTS-4b रखा गया है।

बहिर्ग्रह (Exoplanet) या गैर-सौरिय ग्रह (Extrasolar Planet) हमारे सौरमण्डल के बाहर स्थित ग्रह होते हैं।

- इसकी विलक्षण विशेषताओं के कारण इसका उपनाम फॉरबिडेन प्लैनेट (Forbidden Planet) रखा गया है। NGTS-4b का अपना वायुमंडल है। यह मर्करी से भी ज्यादा गर्म है।
- मंथली नोटिसेस ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी नामक जर्नल में इस ग्रह के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया गया है।
- NGTS-4b आकार में नेपच्यून से छोटा किंतु यह पृथ्वी से तीन गुना बड़ा है।
- यह बहिर्ग्रह पृथ्वी के वजन की तुलना में 20 गुना भारी और इसकी त्रिज्या नेपच्यून से 20% कम है। इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस है। यह ग्रह पृथ्वी की कक्षा के बराबर दूरी की परिक्रमा 1.3 दिन में पूरी करता है।
- यह ग्रह नेपच्यूनियन डेजर्ट में खोजा गया है। नेपच्यूनियन डेजर्ट क्षेत्र में गर्मी और रेडिएशन इतनी ज्यादा होती है कि गैसीय वायुमंडल वाले ग्रह इसमें अपना अस्तित्व नहीं बचा पाते।
- रेडिएशन के परिणामस्वरूप उनमें विस्फोट हो जाता है और सिर्फ कुछ चट्टानें बाकी रह जाती हैं। लेकिन, इस ग्रह का गैसीय वायुमंडल के साथ इस जोन में अपने अस्तित्व को बचाए रखना वैज्ञानिकों के लिये एक चुनौती है।

दृष्टि
The Vision